

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2022 सत्र

गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सामग्री वितरण

[श्रम]

1. (*क्र. 813) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1 जनवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ है व मशीन, सायकल, औजार कीट एवं सुरक्षा उपकरण के लिए कितने कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? वर्षवार जानकारी देवे? (ख) कंडिका "क" के प्राप्त आवेदन में से कितने हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय किया गया है? सामग्रीवार व वर्षवार जानकारी देवे? कुल कितनी राशि के सामग्री का वितरण किया गया है? (ग) कंडिका "क" एवं "ख" के अनुरूप सामग्री वितरित नहीं की गई है तोक्यों? व इसके लिए जवाबदार कौन कौन है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में 1 जनवरी] 2019 से 10 फरवरी] 2022 तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना] मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना] मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन की जानकारी वर्षवार संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) कंडिका 'क' के प्राप्त आवेदन में से पात्र हितग्राहियों को सामग्री प्रदाय की जानकारी] सामग्रीवार व वर्षवार संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। कुल 6,27,19,873 राशि के सामग्री का वितरण किया गया है। (ग) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सामग्री वितरण योजनाओं में आवेदन प्राप्त है। कोविड-19 संक्रमण काल में वित्त विभाग का वित्त निर्देश क्रमांक 11/2020 क्रमांक/20/सम./वित्त/ब-4/2020 नवा रायपुर, अटल नगर 12 मई 2020 अनुसार “कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण प्रदेश में लागू लॉक डाउन स्थिति से विभिन्न विभागों में संचालित Discretionary योजनाओं की स्वीकृति जारी करने हेतु वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया (प्रशासकीय विभागों/निकायों द्वारा निर्णय) को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए केवल अति आवश्यक कार्यों की स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश वर्तमान में लागू हैं। जिसके कारण सामग्री वितरण योजनाओं में लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

परिशिष्ट - "- एक"

रायगढ़ नगर पालिक निगम में प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 159) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ नगर पालिक निगम में वर्ष 2019 से प्रश्नावधि तक प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन कब-कब किया गया है ? सीमांकन उपरांत कितने कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर कॉलोनी निर्माण होना पाया गया ? संबंधित के ऊपर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? (ख) उक्त कॉलोनियों द्वारा क्या EWS के लिए प्रावधानिक जमीन छोड़ी गयी है ? यदि हां तो कितनी ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पालिक निगम रायगढ़ में वर्ष 2019 से प्रश्नावधि तक 02 प्राइवेट कॉलोनाइजर का सीमांकन दिनांक 22.02.2020 तथा दिनांक 04.03.2022 को किया गया है। कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण नहीं किया गया है। (ख) कॉलोनियों में कॉलोनाइजर द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए प्रावधानित जमीन निम्नानुसार है:-

1. ग्राम कौहाकुण्डा में स्थित कॉलोनी “बंशी इंकलेव” में - 1.80 एकड़
2. ग्राम बोईरदादर, विजयपुर गोवर्धनपुर “साकेत कुंज” में -0.213 हेक्टेयर

राजनांदगांव जिले में बायोडीजल के क्रय विक्रय की जारी अनुज्ञप्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 729) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष २०२० से दिनांक 12/02/2022 तक क्या राजनांदगांव जिले में बायोडीजल/जैव इंधन/बी-१०० बायोडीजल के भण्डारण कर थोक एवं चिल्लर विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति जारी की गयी है? यदि हाँ, तो अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व किन किन विभागों/ संस्थानों से अपेक्षित अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र कब लिया गया है, किन किन एजेंसियों, आवेदकों, या फर्म को अनुज्ञप्ति जारी किया गया है? अनुज्ञप्तिवार, विकासखंडवार जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- दो"](#)

तहसील लोरमी में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़क

[लोक निर्माण]

4. (*क्र. 81) श्री धर्मजीत सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- तहसील लोरमी, जिला मुंगेली अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 एवं 2021-2022 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत किन-किन गाँव/शहर में कितनी-कितनी लागत की एवं कितनी-कितनी लंबाई की सड़कें स्वीकृत की गई हैं? कितनी सड़कें प्रारंभ हैं, कितनी पूर्ण हैं, कितनी अप्रारंभ हैं तथा कितनी अपूर्ण हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- तीन"](#)

नगरीय निकायों में गौरव पथ का निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

5. (*क्र. 751) श्री किस्मत लाल नन्द : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला महासमुंद में वर्ष 2019 से लेकर दिसंबर, 2021 तक किन-किन नगरीय निकायों में गौरव पथ सड़क निर्माण का कार्य किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जिला महासमुंद में वर्ष 2019 से लेकर दिसम्बर, 2021 तक किसी भी नगरीय निकाय में गौरव पथ सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया है।

जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत पर कार्यवाही

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

6. (*क्र. 725) श्री धरम लाल कौशिक : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष में जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत की गई है, शहर बंद कराया गया है व माननीय राज्यपाल महोदय को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या शिकायत/ज्ञापन दिया गया है ? किसके द्वारा कितने लोगों से राशि लेने की शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से या आवेदन/ज्ञापन के माध्यम से कब, किस किस से प्राप्त हुई है ? (ख) प्रश्नांश 'क' पर क्या कार्रवाई की गई है क्या दोषी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी ? क्या इस संबंध में कोई जांच समिति बनाई गई है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन उसके सदस्य हैं और जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त होनी थी, कब प्राप्त हुई है और किसे दोषी पाया गया है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हाँ, जगदलपुर में शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शिकायत की गई है, शहर बंद कराया गया है व माननीयराज्यपाल महोदया को दिनांक 09 फरवरी 2022 को संजय गांधी वार्ड क्र. 34 के वार्डवासियों के द्वारा शिकायती ज्ञापन दिया गया है। जिसमें संजय गांधी वार्ड क्र. 34 के पार्श्व श्रीमती कोमल सेना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर राशि 25-25 हजार रूपये किस्त के रूप में मांग करने पर 41 से अधिक लोगों के द्वारा 10.00 लाख रूपये से अधिक राशि देने की शिकायत की गई है। (ख) जी हाँ, शिकायतकर्ताओं के द्वारा थाना-बोधघाट, जिला-बस्तर में शिकायत अनुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। माननीय राज्यपाल महोदया से प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर जिला बस्तर में प्रकरण दर्ज कर शिकायतकर्ताओं का व्यक्तिगत कथन अंकित किया गया है, तथा जिला दण्डाधिकारी के द्वारा दिनांक 16.02.2022 को मामले की जांच हेतु अपर कलेक्टर, जिला - बस्तर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। समिति की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - " - चार"

कार्यपालन अभियंता (वि0/यां0) संभाग जगदलपुर कोअर्न्तगत वार्षिक संधारण एवं विशेष संधारण मद अन्तर्गत स्वीकृत कार्य
[लोक निर्माण]

7. (*क्र. 64) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कार्यपालन अभियंता (वि0/यां0) संभाग जगदलपुर के अर्न्तगत वार्षिक संधारण मद एवं विशेष संधारण मद अन्तर्गत कितनी राशि स्वीकृत हुई ? स्वीकृत राशि से कितनी लागत के क्या-क्या कार्य, किस एजेन्सी से कराए गए ? (ख) प्रश्नांश अवधि में स्वीकृत किए गए किन-किन कार्यों के Completion certificate/Utilization Certificate जारी किए गए हैं ? एजेन्सी को कितनी राशि कब भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण दें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क)जानकारी “पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट” अनुसार है।(ख)जानकारी“पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट”अनुसार है।

जिला- बलौदा बाजार में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाएं
[श्रम]

8. (*क्र. 132) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक श्रम विभाग द्वारा कौन कौन सी योजना कब कब से संचालित है? (ख) प्रश्नांश 'क' स्वीकृत योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस योजना अन्तर्गत स्वीकृत की गयी? विकासखण्डवार ,योजनावार हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करावें। (ग) प्रश्नांश 'क' स्वीकृत योजना हेतु कितने आवेदन, कब से लंबित है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा ? विकासखण्डवार जानकारी दें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक संचालित योजनाओं का नाम एवं प्रारंभ तिथि की मंडलवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक मंडलवार, विकासखण्डवार, योजनावार, वर्षवार हितग्राहियों की संख्या एवं वितरित राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं हेतु लंबित आवेदनों, लंबित अवधि का मंडलवार, विकासखण्डवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

जिला बालोद में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान एवं कस्टम मिलिंग
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

9. (*क्र. 688) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है?

वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) कण्डिका 'क' के कितनी धान की कस्टम मिलिंग करायी गयी? कस्टम मिलिंग के लिए प्रदायित धान के विरुद्ध राईस मिलर्स के द्वारा कितना चावल वापस जमा कराया जाना था एवं कितना चावल जमा कराया गया? (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग उपरांत किन-किन राईस मिलर्स से कितनी मात्रा में चावल जमा कराया जाना शेष है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 521715.76 मे.टन एवं वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक 510551.8 मे.टन धान की खरीदी की गई है। वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र. विकासखण्ड	उपार्जित धान की मात्रा (मे.टन में)	
	खरीफ वर्ष 2020-21	खरीफ वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)
1 बालोद	64696.16	64013.92
2 डौण्डीलोहारा	143054.96	138523.92
3 डौण्डी	49197.76	44579.32
4 गुरूर	89458.2	89972.16
5 गुण्डरदेही	175308.68	173462.48

(ख) कंडिका 'क' के कस्टम मिलिंग के लिए प्रदायित धान की मात्रा, प्रदाय धान के विरुद्ध जमा करने योग्य चावल की मात्रा एवं मिलर द्वारा जमा चावल की जानकारी 31 जनवरी 2022 तक कि स्थिति में निम्नानुसार है-

खरीफ विपणन वर्ष	कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय धान की मात्रा	जमा करने योग्य अनुपातिक चावल की मात्रा	मिलर द्वारा जमा चावल की मात्रा
2020-21	421704	285400	285397
2021-22	208532	139716	75663

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रचलन में है। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग उपरांत दुष्यंत राईस मिल द्वारा 2.33 मे.टन चावल जमा किया जाना शेष है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन-3 परियोजना में स्वीकृत सड़कों की कार्य पूर्णता

[लोक निर्माण]

10. (*क्र. 52) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-3 (क्रं. 26) दिनांक 15/12/2021 के उत्तर में विभाग ने ए.डी.बी.लोन-3 परियोजना सहायित 19 कार्यों की कार्य पूर्ण होने की समयावधि समाप्त हो जाना बताया है? यदि हां तो दिनांक 31/1/2022 की स्थिति में इनमें से कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं? (ख) प्रश्नांश " क " में उल्लेखित 19 कार्यों में से यदि कोई भी कार्य अब तक पूर्ण नहीं किये गये हैं तो क्या परियोजना लागत बढ़ने के कारण शासन पर आने वाले वित्तीय भार की वसूली परियोजना प्रोजेक्ट डायरेक्टर तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारीगणों से की जायेगी? (ग) इस संपूर्ण परियोजना हेतु कितनी राशि लोन के रूप में प्राप्त हुई है? कितनी व्यय की जा चुकी है? कितनी शेष है? कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु क्या कार्य योजना है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां। कार्य पूर्ण - निरंका। (ख) जी नहीं। (ग) लोन -03 परियोजना हेतु ए.डी.बी. से रूपये 2275.38 करोड़ वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। जिसके विरुद्ध दि. 31.01.2022 तक रू. 647.60 करोड़ व्यय की जा चुकी है एवं रू. 1627.78 करोड़ शेष है। शेष कार्यों को समय पर पूर्ण करने हेतु कार्य योजना "पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ" अनुसार है।

नगर पालिक निगम धमतरी में सिटी बसों का संचालन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

11. (*क्र. 514) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- धमतरी नगर पालिक निगम द्वारा सिटी बस सेवा का प्रारंभ कब किया गया था? कितनी बसें किस योजना के तहत नगर निगम को मिली थी? बस का संचालन क्या नगर पालिक निगम द्वारा स्वयं किया जा रहा था? यदि नहीं, तो किसके द्वारा एवं किस आधार पर कितने वर्षों के लिए, अनुबंध प्रतिवर्ष कितनी राशि पर किया गया था ? क्या वर्तमान में सभी बसों का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस किस रूट में किया जा रहा है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पालिक निगम धमतरी अंतर्गत धमतरी क्लस्टर के लिए दिनांक 07.10.2015 को सिटी बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत धमतरी क्लस्टर हेतु कुल 10 बसें स्वीकृत की गई थी। रायपुर अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से इन 10 बसों के संचालन हेतु बस आपरेटर मेसर्स रायपुर बस सर्विस का चयन किया गया था। मेसर्स रायपुर बस सर्विस द्वारा 10 वर्षों के लिए अनुबंध प्रति बस प्रतिमाह राशि रु. 3500.00 रायल्टी के रूप में जमा किये जाने के आधार पर किया गया था। सोसायटी द्वारा अनुबंध पूर्व बसों के मूल्य की 10% राशि रु. 27,51,900.00 अपफ्रण्ट प्रीमियम के रूप में जमा करायी गई थी। वर्तमान में सिटी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

जिला जांजगीर-चांपा में सड़कों का पेचवर्क

[लोक निर्माण]

12. (*क्र. 646) श्री नारायण चंदेल : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़कों के पेचवर्क, सुधार व मरम्मत के लिये कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत प्रदान की गई ? (ख) उक्त जिले के किन-किन सड़कों का कितनी-कितनी राशि से पेचवर्क का कार्य किस-किस एजेसी/फर्म के द्वारा कब-कब किया गया है ? कितनी राशि शेष है? (ग) क्या जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव पुल-घठोली चौक, नैला से पहरिया, साईं मंदिर से लछनपुर, खोखरा से पुटपुरा, जगमहंत से महंत, नैला से पंतोरा, नैला से बलौदा, सक्ती से मालखरौदा, केरा से बिरा, डभरा से चंद्रपुर, चांपा सिवनी से नगरदा, सक्ती, रोगदा से बिरगहनी सहित अन्य सड़कों के पेचवर्क कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने एवं जिस सड़क का पेचवर्क किया जाना था उस सड़क का पेचवर्क नहीं किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? (घ) क्या उक्त जिले के सड़कों में जहां पेचवर्क में अनियमितता किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां तो इस हेतु कौन-कौन दोषी है? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क)जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्रअनुसार है।(ख)जानकारीपुस्तकालय में रखे प्रपत्रअनुसार है।(ग) गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने एवं पेचवर्क नहीं किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) जी नहीं।प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

गौरैला-पेण्डा-मरवाही जिले में प्रस्तावित नवीन थाना एवं चौकी

[गृह]

13. (*क्र. 337) डॉ. के.के. ध्रुव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- गौरैला-पेण्डा-मरवाही जिले में कितने नवीन थाने एवं चौकी खोलने हेतु प्रस्तावित है तथा कब तक अस्तित्व में आयेंगे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : प्रश्नाधीन जिले में कुल 05 थाना खोलने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है बजट प्रावधान/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा, निश्चित समयावधि बताया जाना संभव है। चौकी खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में बजट में शामिल सड़क निर्माण (नवीन)

[लोक निर्माण]

14. (*क्र. 5) श्री सौरभ सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बजट में कौन-कौन सी सड़कों को नवीन निर्माण के लिए शामिल किया गया है? (ख) इनमें से कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 01.02.2022 तक प्राप्त हुई हैं और कितने कार्यों की निविदा कब-कब बुलाई गई है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।(ख)जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।
परिशिष्ट - "- पाँच"

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में राशन दुकानों को संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

15. (*क्र. 525) श्री राजमन बेंजाम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी राशन दुकानें संचालित हैं एवं किनके द्वारा संचालितकी जा रहा है ? राशन दुकानों का नाम सहित, संचालक की जानकारी देवें ? (ख) क्या संचालित की जा रही राशन दुकान के स्वयं के गोदाम भवन उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो कब तक नवीन गोदाम भवन का निर्माण किया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 159 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। संचालन एजेंसी की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में 105 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के गोदाम भवन हैं तथा 54 उचित मूल्य दुकानों में स्वयं के गोदाम भवन उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में 02 उचित मूल्य दुकानों के भवन निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, तथा शेष स्थानों हेतु राज्य शासन के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पर नवीन गोदाम भवन निर्माण की कार्यवाही की जावेगी।

परिशिष्ट - "- छः"

अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

[गृह]

16. (*क्र. 498) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019 से दिनांक 10/02/22 तक अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं एवं बच्चियों (बालिग एवं नाबालिग) के साथ बलात्कार, हत्या के कितने अपराध पंजीकृत हुए? कितने प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया तथा कितने शेष हैं? शेष होने का कारण एवं कब तक किया जावेगा? जिलेवार एवं वर्षवार बतावें? (ख) अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध हुये अपराध की विवेचना हेतु राज्य शासन के क्या नियम एवं निर्देश हैं? किस स्तर के अधिकारी द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जाता है? अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध द्वेषपूर्ण किये जाने वाली शिकायतों के निराकरण के संबंध में शासन स्तरीय निर्देश भी बतावें? (ग) क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध किये गये द्वेषपूर्ण शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही के अलावा राज्य शासन द्वारा कोई अन्य विशेष कार्यवाही/मुआवजा का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने लोग को मिला कितना शेष है एवं कब तक दिया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क)प्रश्नाधीन अवधि की जिलेवार, वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख)अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधित अधिनियम 2018, नियम 2018 और भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत विवेचना कार्यवाही की जाती है। इस वर्ग के सभी पंजीकृत अपराधों की विवेचना राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाती है। द्वेषपूर्ण शिकायत के निराकरण हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में प्रावधान है। (ग)जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। .

परिशिष्ट - "- सात"

टिकरापारा सेजबहार (पुराना धमतरी मार्ग) का निर्माण कार्य

[लोक निर्माण]

17. (*क्र. 223) श्री धनेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) टिकरापारा सेजबहार (पुराना धमतरी मार्ग) का ठेका किस ठेकेदार को कितनी राशि का दिया गया है इस कार्य हेतु कितनी समयावधि निर्धारित की गई है ? कृपया जानकारी देवें ? (ख) दिनांक10/2/22 तक कार्य की प्रगति कितने प्रतिशत है एवं रायपुर से कुल कितने कि.मी. तक हिस्से में फोरलेन सड़क निर्माण किया जाना है ? सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) टिकरापारा सेजबहार (पुराना धमतरी मार्ग) का ठेका अमर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - दिनेश

आर. अग्रवाल (जे.व्ही.) दुर्ग (छ.ग.) को रू. 210.85 करोड़ दिया गया है। इस कार्य हेतु कार्यदिश दिनांक 11.09.2019 को प्रदाय किया गया जिसमें 24 माह का समयावधि निर्धारित की गई थी। (ख) दिनांक 10/02/2022 तक कार्य की भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है। रायपुर से कुल 20.832 कि.मी. फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाना है। सड़क निर्माण कार्य की संभावित तिथि 30/06/2022 है, निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

18. (*क्र. 386) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की धान खरीदी में दिनांक 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में कितनी मात्रा धान की कस्टम मिलिंग हो गयी है? व कितना धान संग्रहण केन्द्रों/समितियों में शेष हैं? उसका कस्टम मिलिंग नहीं होने के क्या कारण हैं? उनमें से धान की कितनी मात्रा, किन-किन कारणों से अमानक व सूखत घोषित हो गयी है, अमानक व सूखत धान का मूल्य कितना है? किस किस की धान, कितनी मात्रा में, किस दर पर वन विभाग को विक्रय कर दी गयी है? विक्रय की गयी धान की दर किस आधार पर, कैसे निर्धारित की गयी? उक्त वर्षों में शेष धान के निष्पादन हेतु जिला कलेक्टरों द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं? और किस उपयोग में लाया गया? (ख) खरीफ वर्ष 2020-21 (31 जनवरी, 2022 तक) में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की किस दर पर, किनको-किनको, कितनी मात्रा में किस प्रक्रिया के तहत धान व चावल की नीलामी की गयी? नीलामी किए गए धान व चावल का मूल्य निर्धारित कैसे किया गया ? धान व चावल नीलामी में लक्ष्य कितना रखा गया था और किस दर में? धान व चावल की नीलामी से राज्य को कितनी-कितनी राजकोषीय क्षति हुई है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) दिनांक 31 जनवरी,2022 की स्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में उपार्जित धान में से 79.72 लाख टन, खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान में से 81.49 लाख टन तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से 80.32 लाख टन धान की कस्टम मिलिंग हो गई है। दिनांक 31 जनवरी,2022 की स्थिति में मार्कफेड के धानसंग्रहण केन्द्रों में खरीफ वर्ष 2019-20 का 71,000 मेट्रिक टन तथा खरीफ वर्ष 2020-21 का 24,860 मेट्रिक टन धान शेष है, समितियों में उपरोक्त खरीफ वर्ष का धान शेष नहीं है। कोविड-19 महामारी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलंब से चावल उपार्जन करना तथा असामयिक वर्षा के कारण धान के निराकरण में विलंब हुआ। खरीफ वर्ष 2018-19 में संग्रहण केन्द्रों में धान सूखत मात्रा 61,256 टन है जिसका मूल्य 189.74 करोड़ रुपये है। खरीफ वर्ष 2019-20 में संग्रहण केन्द्रों में शेष 71,000 टन धान का श्रेणीकरण कर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2020-21 में संग्रहण केन्द्रों में भंडारित शेष धान के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। समितियों द्वारा खरीफ वर्ष 2018-19 में उपार्जन केन्द्रों में प्रतिवेदित धान सूखत की मात्रा 3,067 मेट्रिक टन है, जिसका मूल्य 5.38 करोड़ रुपये, खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रतिवेदित धान सूखत मात्रा 43,656 मेट्रिक टन है, जिसका मूल्य 79.54 करोड़ रुपये तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में प्रतिवेदित सूखत मात्रा 1,76,416 मेट्रिक टन है, जिसका मूल्य 330.78 करोड़ रुपये है। वन विभाग को मार्कफेड द्वारा धान विक्रय नहीं किया गया है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। खरीफ वर्ष 2019-20 के शेष धान का श्रेणीकरण कराकर निराकरण की कार्यवाही तथा खरीफ वर्ष 2020-21 के शेष धान की कस्टम मिलिंग कराई जा रही है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित 8.96 लाख टन धान की मार्कफेड द्वारा ऑनलाईन ई-नीलामी के माध्यम से अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को विक्रय किया गया। धान विक्रय की न्यूनतम दर 1350 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर अधिकतम 1580 रुपये प्रति क्विंटल रही। विक्रय किए गए धान की क्रेतावार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। मार्कफेड द्वारा इस वर्ष खरीदे गए धान में से अंतिम रूप से 10.72 लाख टन धान की नीलामी का लक्ष्य रखा गया था। मार्कफेड द्वारा 8.96 लाख टन धान की ई-नीलामी से राज्य शासन को 556.19 करोड़ रुपये की हानि अनुमानित है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित किए जाने वाले चावल हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोविजनल इक्विजेशन कॉस्ट के आधार पर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 6 लाख टन चावल विक्रय का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के विरुद्ध चावल अरवा कामन दर 22,015 रुपये प्रति टन की दर पर 20,000 टन, चावल अरवा कॉमन दर 22,120 प्रति टन की दर पर 3500 टन तथा चावल अरवा ग्रेड ए दर 22,520 रुपये प्रति टन की दर पर 10,000 टन सहित कुल 33,500 टन चावल नीलामी के माध्यम से विक्रय किया गया। चावल विक्रय से राज्य शासन को 36.53 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। नीलामी के द्वारा बालाजी राईस इंडस्ट्रीज को 30,000 टन तथा ए.वी.आई. इंडिया इंटरनेशनल को 3500 टन चावल का विक्रय किया गया।

परिशिष्ट - "- आठ"

सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों के मुआवजा से संबंधित जानकारी

[लोक निर्माण]

19. (*क्र. 802) श्री गुलाब कमरो : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-10 (क्र. 206) दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में बताया गया है कि जनकपुर से कोटाडोल पहुँच मार्ग लम्बाई 30 किमी का निर्माण 31 मार्च, 2015 को पूर्ण हुआ था जिसमें प्रभावित 252 पट्टेधारी किसानों को मुआवजा का भुगतान पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर किया जावेगा ? यदि हाँ, तो पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति हुई है अथवा नहीं ? (ख) पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति की अद्यतन स्थिति क्या है ? प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है ? तथा कब तक प्रक्रिया पूर्ण कर किसानों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी नहीं। (ख) वर्तमान में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही विभाग में प्रचलन में है। अतः निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

जिला मुख्यालय पामगढ़ से डोटोपार तक सड़क निर्माण[लोक निर्माण]

20. (*क्र. 394) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से पामगढ़ होते हुये ससहा, जोधरा, बलौदाबाजार जिला के डोटोपार तक सी.जी.आर.डी.सी. द्वारा सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि व्यय राशि सहित निर्माण कार्य की पूर्ण अपूर्ण की जानकारी देंगे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जांजगीर-चांपा जिला मुख्यालय से पामगढ़ होते हुये ससहा, जोधरा, बलौदाबाजार जिला के डोटोपार तक सी.जी.आर.डी.सी. द्वारा स्वीकृत सड़क का नाम पामगढ़-भिलौनी-ससहा-सोनसरी-जोधरा-लाहौद है। मार्ग की कुल लंबाई 30.997 किमी. है। स्वीकृत राशि (प्रशा. स्वी. की राशि) - ₹. 9432.06 लाख, व्यय राशि - ₹. 6399.36 लाख I कार्य पूर्ण - 26.660 किमी. लंबाई I कार्य अपूर्ण - 4.337 किमी. लंबाई I

धान की खरीदी एवं कस्टम मिलिंग[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (*क्र. 789) श्री विद्यारतन भसीन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 12/02/2022 तक केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को कितना चावल किस योजना व पुल के अंतर्गत जमा करवाने की स्वीकृति दी गई थी और उस स्वीकृति के विरुद्ध राज्य सरकार के द्वारा कितना चावल दिया गया है ? कितना चावल दिया जाना शेष है व क्यों ? (ख) कंडिका "क" अवधि में राज्य सरकार द्वारा कितना धान खरीदा गया है, उसमें कितने धान का कस्टम मिलिंग कराया गया है, कितना धान का कस्टम मिलिंग कराया जाना शेष है व क्यों ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) किन-किन जिलों में धान के कम होने सड़ने या खराब होने की शिकायत या जानकारी मिलने पर विभागीय या प्रशासन के द्वारा जांच कराई गई है, उसमें कितनी-कितनी राशि के, कितने धान की कमी पाई गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना एवं केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल हेतु चावल के उपार्जन की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजनाके अंतर्गत राज्य में उपार्जित सरप्लस चावल को केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उपार्जन की अनुमति दी जाती है। प्रश्नांकित अवधि में केन्द्रीय पूल में खरीफ वर्ष 2019-20 में 51.80 लाख टन चावल जमा कराये जाने की स्वीकृति के विरुद्ध 50.08 लाख टन चावल जमा कराया गया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव, भारतीय खाद्य निगम द्वारा तेजी से चावल का उपार्जन तथा अन्य राज्यों को परिवहन न कर पाना तथा असामयिक वर्षा के कारण 1.72 लाख टन चावल नियत समय सीमा में जमा नहीं कराया जा सका। खरीफ वर्ष 2020-21 में 48 लाख टन चावल जमा कराये जाने की स्वीकृति के विरुद्ध 47.87 लाख टन चावल जमा कराया गया। कोविड-19 महामारी के प्रभाव, भारतीय खाद्य निगम द्वारा तेजी से चावल का उपार्जन तथा अन्य राज्यों को परिवहन न कर पाना तथा असामयिक वर्षा के कारण 0.13 लाख टन चावल नियत समय सीमा में जमा नहीं कराया जा सका। खरीफ वर्ष 2021-22 में 61.65 लाख टन चावल जमा कराये जाने की स्वीकृति के विरुद्ध दिनांक 12 फरवरी 2022 तक 16.65 लाख टन चावल जमा

कराया गया तथा इस वर्ष चावल जमा कराये जाने की समय सीमा 30 सितम्बर, 2022 तक निर्धारित है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में खरीफ वर्षवार उपार्जित धान की मात्रा, मिलिंग हेतु प्रदाय मात्रा तथा शेष धान की जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ, संलग्न प्रपत्र-ब, संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। खरीफ वर्ष 2019-20 में संग्रहण केन्द्रों में शेष 71,000 टन धान का श्रेणीकरण कर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2020-21 में शेष धान 9898 टन एवं खरीफ वर्ष 2021--22 के शेष धान की कस्टम मिलिंग प्रचलित है। (ग) खरीफ वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान में से प्रदेश के 7 जिलों के संग्रहण केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कराये जाने पर 129.57 करोड़ रूपय मूल्य का 71,000 टन धान कस्टम मिलिंग हेतु अमानक पाया गया है, कोविड-19 महामारी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल प्राप्त करने में विलंब किये जाने तथा असामयिक वर्षा के कारण लम्बी अवधि तक भंडारित रहने से धान की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से संग्रहण केन्द्रों में भौतिक रूप से 9,898 टन धान शेष है जिसकी मिलिंग का कार्य प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2019-20 तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जन केन्द्रों में धान शार्टेज की जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रचलित है तथा मिलिंग कार्य पूर्ण होने एवं अंतिम लेखा मिलान के उपरांत धान की शार्टेज मात्रा ज्ञात हो सकेगी।

[परिशिष्ट - " - नौ"](#)

बेलादुला से कलमीडीह एवं छितापड़रिया से खम्हरिया सड़क निर्माण

[लोक निर्माण]

22. (*क्र. 655) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चाम्पा, विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के बेलादुला से कलमीडीह एवं छितापड़रिया से खम्हरिया सड़क को बजट में कब शामिल किया गया ? (ख) उपरोक्त सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई और निविदा कब आमंत्रित की गयी और उक्त सड़क निर्माण की अवधि क्या है ? (ग) वर्तमान में सड़क निर्माण की स्थिति क्या है और कब तक सड़क निर्माण कराया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - " - दस"](#)

राष्ट्रीय राजमार्ग – 30 कांकेर (माकड़ी) से बेडमा मार्ग की स्वीकृति/ भुगतान

[लोक निर्माण]

23. (*क्र. 98) श्री सन्त राम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राष्ट्रीय राजमार्ग – 30 कांकेर (माकड़ी)- बेडमा मार्ग का अनुबंध किस निर्माण कंपनी से विभाग द्वारा किस आधार पर किया गया है ? उक्त सड़क कार्य हेतु शासन से कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधित कंपनी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? क्या भुगतान राशि के अनुसार सड़क निर्माण किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों? (ग) उक्त निर्माण की अनुबंधित समय सीमा क्या थी ? समय सीमा में सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करने पर अनुबंधित कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी "संलग्न परिशिष्ट" अनुसार है। (ख) जानकारी "संलग्न परिशिष्ट" अनुसार है। (ग) जानकारी "संलग्न परिशिष्ट" अनुसार है।

[परिशिष्ट - " - ग्यारह"](#)

बेलतरा विधानसभा के साईस कालेज मैदान सीपत रोड में स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

24. (*क्र. 709) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 जनवरी 2017 से दिनांक 10/2/2022 तक बेलतरा विधानसभा के साईस कालेज मैदान सीपत रोड में क्या-क्या कार्य, कितने राशि के स्वीकृत हुए हैं ? कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, कार्य की अद्यतन स्थिति व भुगतान की गई राशि की जानकारी कार्यवार देवें ? (ख) क्या उपरोक्त मैदान पर बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट व हेलीपेड का निर्माण कराया गया है ? यदि हाँ तो क्या उपरोक्त

कार्यों की गुणवत्ताविहीन कार्य किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो किस स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करायी गई है और इसमें क्या पाया गया ? (ग) क्या खेल मैदान खिलाड़ियों के खेलने योग्य बन चुका है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) जी हाँ। उपरोक्त मैदान पर वालीवाल कोर्ट, बास्केट बाल कोर्ट कबड्डी कोर्ट व हैलीपैड का निर्माण कराया गया है। (बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण नहीं किया गया है) इस संबंध में दिनांक 14.02.2022 को शिकायत प्राप्त हुई थी परन्तु निगम के संज्ञान में पूर्व से ही होने के कारण दिनांक 24.11.2021 को निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया जा चुका था। पुनः शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 14.02.2022 को नोटिस जारी कर निर्माण एजेंसी से वालीवाल कोर्ट को तोड़कर पुनः निर्माण कराया गया है। पृथक से जांच नहीं कराया गया है। (ग) जी हाँ। खेल मैदान खिलाड़ियों के खेलने योग्य है।

[परिशिष्ट - "- बारह"](#)

रायगढ. विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क एवं सेतु निर्माण

[लोक निर्माण]

25. (*क्र. 806) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला रायगढ. विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2022 की स्थिति में किन-किन स्थानों पर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ? कार्य प्रारंभ एवं पूर्णता की तिथि क्या है ? (ख) उक्त सेतुओं के निर्माण के लिये कितनी-कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ? क्या सेतुओं के निर्माण से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी जांच की गई है ? (ग) कार्य की भौतिक स्थिति क्या है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क)जानकारी “संलग्न प्रपत्र- अ” अनुसार है।(ख)जानकारी “संलग्न प्रपत्र- ब” अनुसार है।(ग)जानकारी “संलग्न प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र- ब” अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- तेरह"](#)

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधान सभा अंतर्गत नवीन राशन कार्ड एवं खाद्यान्न के प्राप्त आवेदन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (क्र. 6) श्री सौरभ सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 और वर्ष 2022 में दिनांक 31.01.2022 तक खाद्य सुरक्षा के अधिकार अधिनियम 2012 के तहत कितने हितग्राहियों का नवीन राशन कार्ड एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है? (ख) कितने आवेदनों के विरुद्ध में कितने हितग्राहियों को किस-किस प्रकार के राशन कार्ड प्रदत्त किये गये हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में नवीन राशनकार्ड जारी करने हेतु 1823 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ख) प्रश्नांकित अवधि तक प्राप्त आवेदनों के परीक्षण में पात्र पाए गए 1451 हितग्राहियों के नवीन राशन कार्ड जारी किए गए। जिनमें अंत्योदय श्रेणी के 45 राशनकार्ड, प्राथमिकता श्रेणी के 1292 राशनकार्ड, निःशक्तजन श्रेणी के 12 राशनकार्ड तथा सामान्य श्रेणी के 102 राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

कांकेर जिले में पुलिस अधिकारी /पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

[गृह]

2. (क्र. 99) श्री सन्त राम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जनवरी 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक कांकेर जिले में पदस्थ किन-किन पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुसूचित जनजाति आयोग में दर्ज शिकायतें व्यवहरण/जॉच हेतु विभाग अथवा पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर, पुलिस अधीक्षक कांकेर को भेजी गई है ? संबंधित के नाम, पद नाम, पदस्थापना स्थान सहित प्रकरण के सम्बन्ध में प्रश्नांकित अवधि तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांक

“क” के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति कौन थे ? उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किये जाने का आरोप था ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र ”अ” पर दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ”ब” पर दर्शित है।

परिशिष्ट - "- चौदह"

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

3. (क्र. 113) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लिए कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021 तथा 2022 में (दिनांक 31.01.2022 तक) नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कितने कार्यों की स्वीकृति दी गई है ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित अवधि में रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कितने प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए ? इनमें से कितनों पर स्वीकृति दी गई ? कितनों पर नहीं ? (ग) प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित अनुसार प्रस्ताव विधिवत प्राप्त होने के बाद भी स्वीकृति नहीं देने का क्या कारण है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) प्राप्त प्रस्ताव की पूर्णता/पात्रता परीक्षणोपरांत बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्यों की स्वीकृति दिया जाता है।

परिशिष्ट - "- पन्द्रह "

जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पोल शिफ्टिंग कार्य में अनियमितता

[लोक निर्माण]

4. (क्र. 117) श्री मोहन मरकाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या लोक निर्माण विभाग, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के अन्तर्गत जिले में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पोल शिफ्टिंग कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां तो 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या अनियमितता की शिकायत पर जांच कराई गई ? यदि हां तो किस स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई ? जांच के बिन्दु क्या निर्धारित किए गए ? जांच प्रतिवेदन में कौन से तथ्य प्रकाश में आए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हाँ। जांच प्रक्रियाधीन है। (ख) जांच प्रक्रियाधीन है। जानकारी “संलग्न प्रपत्र अ एवं प्रपत्र ब” अनुसार है। जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "- सोलह"

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राशन कार्ड की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (क्र. 133) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 31 जनवरी, 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कितने परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किया गया है? विकासखण्डवार जानकारी दें

? (ख) कार्डधारी परिवारों को प्रतिमाह कितनी-कितनी मात्रा में कौन कौन सी सामग्री किस-किस दर पर उपलब्ध करायी जाती है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):(क) बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि तक विकासखण्ड तिल्दा में 555 परिवारों को विकासखण्ड बलौदाबाजार में 173 परिवारों को तथा विकासखण्ड सिमगा में 157 परिवारों को अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन एवं निराश्रित श्रेणी के नवीन राशन कार्ड जारी किये गये है।(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- सत्रह"

प्रदेश में सड़क दुर्घटना और उसे रोकथाम के उपाय की जानकारी.

[गृह]

6. (क्र. 136) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में प्रदेश में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुईं? इन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग घायल हुए? (ख) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन द्वारा क्या-क्या उपाय किये गए? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गृह विभाग और लोक निर्माण विभाग ने डेंजर पॉइंट्स का सर्वे कार्य संपन्न कराया है? यदि हाँ तो कुल कितने पॉइंट को किन-किन स्थानों पर चिन्हित किया गया? इस पर क्या सुधार किया गया? लागत सहित बताएँ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू):(क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में 37,931 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, इन दुर्घटनाओं में 14,980 लोगों की मृत्यु हुई तथा 34,291 लोग घायल हुए। (ख)सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शासन द्वारा निम्नानुसार उपाय किये गये:-1.दुर्घटनाजन्य स्थलों का चिन्हांकन कर दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर आवश्यकतानुसार सुधार किये गये।2.यातायात पेट्रोलिंग/हाईवे पेट्रोलिंग वाहन से निरंतर पेट्रोलिंग किया गया। 3.यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर विधिसम्मत कार्यवाही किया गया। 4.वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।5.स्कूल एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी गई।6. दुर्घटनाजन्य स्थलों के समीपस्थ ग्रामों में आम नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। 7.सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने हेतु नुक्कड़ नाटक, यातायात प्रशिक्षण, हेलमेट जागरूकता रैली आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 8.ग्राम-चौपाल के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। 9. मुख्य सड़क मार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने हेतु संयुक्त अभियान चलाया गया।10.खतरनाक वाहन चालन करने वाले चालकों का ड्रायविंग लायसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही किया गया। 11. इसके अलावा प्रवर्तन संबंधी चालानी कार्यवाही सतत् रूप से की गई। (ग)जी हाँ। चिन्हित स्थानों पर किये गये एवं किये जा रहे सुधार कार्य व लागत की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" "ब" एवं प्रपत्र- "स" अनुसार है।

बिलासपुर के तिफरा से अमेरी फाटक तक के वैकल्पिक मार्ग का निर्माण

[लोक निर्माण]

7. (क्र. 214) श्री शैलेश पांडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर के तिफरा से अमेरी फाटक तक के वैकल्पिक मार्ग हेतु शासन द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है, इसका टेंडर शासन द्वारा कब किया जाएगा और निर्माण पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : प्रशासकीय स्वीकृति अप्राप्त है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिलासपुर नगर निगम अंतर्गत विभिन्न मदों पर आबंटित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

8. (क्र. 215) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बिलासपुर नगर निगम में 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक किन-किन मदों पर कितनी राशि आबंटित हुई? (ख) राशि का उपयोग किन किन कार्यों में किया गया ? (ग) स्वीकृत कार्यों में जनप्रतिनिधियों के कितने कार्यों को शामिल किया गया?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):(क) जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि रूपये लाख में)

क्र	मद का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	अधोसंरचना मद	- 3367.56	- 1740.36
2	रा.प्र.योजना	- 463.87	- 192.55
3	केन्द्र प्रवर्तित (14वाँ वित्त)	- 742.499	- 742.499
4	केन्द्र प्रवर्तित (15वाँ वित्त)	- 1842.38	- 1842.38
5	केन्द्र प्रवर्तित (प्रधानमंत्री आवास योजना)	- 11359.75	- 13529.16
6	केन्द्र प्रवर्तित (मिशन अमृत)	- 29807.62	- 19427.23
	योग	= 47583.679	- 37474.179

(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

(ग) स्वीकृत कार्यों में जनप्रतिनिधियों के निम्नानुसार कार्य शामिल किया गया है:-

क्र	मद का नाम	स्वीकृत कार्य	जनप्रतिनिधियों के शामिल कार्य
1	अधोसंरचना मद	- 357	316
2	रा.प्र.योजना	- 7	-
3	केन्द्र प्रवर्तित (14वाँ वित्त)	- 13	-
4	केन्द्र प्रवर्तित (15वाँ वित्त)	- 20	-
5	केन्द्र प्रवर्तित (प्रधानमंत्री आवास योजना)	- 3599	-
6	केन्द्र प्रवर्तित (मिशन अमृत)	- 32	-
	योग	= 4028	316

नगर पंचायत पंडरिया में उच्च क्षमता की पानी टंकी का निर्माण प्रारंभ

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

9. (क्र. 260) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पंडरिया में उच्च क्षमता की नवनिर्मित पानी टंकी को जन सुविधा के लिए कब तक प्रारंभ किया जावेगा ? पानी टंकी के निर्माण के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पंडरिया के पुराना हास्पिटल परिसर में स्थित 5 लाख लीटर क्षमता के उच्च स्तरीय टंकी का निर्माण वर्ष 2016-17 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कराया गया है। निकाय द्वारा उक्त पानी टंकी से पाईप लाईन विस्तार, पंप हाउस, विद्युतीकरण, क्लोरिनेशन प्लांट इत्यादि का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। पाईप लाईन से पानी सप्लाई टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। पानी सप्लाई की टेस्टिंग उपरान्त जनसुविधा हेतु प्रारंभ किया जावेगा। पानी टंकी निर्माण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

चिटफंड कंपनियों के मालिकों के ऊपर कार्यवाही

[गृह]

10. (क्र. 387) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या प्रदेश में चिटफंड कंपनियों में काम करने वाले स्थानीय युवाओं के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को शासन ने वापस लेने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो कितने युवाओं के खिलाफ कितने प्रकरण वापस लिये गए हैं? जिलेवार बतायें? (ख) 1 दिसंबर, 2018 से 31 जनवरी, 2022 तक चिटफंड कंपनियों में छत्तीसगढ़ के निवेशकों की राशि कितनी है? इस संबंध में लोढा कमीशन की अनुशंसाएँ क्या-क्या हैं? क्या छत्तीसगढ़ शासन ने निवेशकों की राशि वापस दिलाने के लिए विकासखण्ड स्तर पर निःशुल्क सहायता शिविर आयोजन करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उक्त अवधि तक कितने निःशुल्क सहायता शिविर आयोजित किये गये? (ग) उक्त अवधि में कितने चिटफंड कंपनियों के मालिकों के नाम पर प्रकरण दर्ज है तथा कितने के ऊपर क्या कार्यवाही, कब की गई? इनमें से कितने कंपनियों की संपत्ति जब्त/कुर्क की गई, कितनी राशि प्राप्त हुई व किस आधार पर पीड़ितों को राशि लौटाई गई और राशि कम प्राप्त होने पर पीड़ितों के लिये क्या व्यवस्था बनाई गयी है? तथा दर्ज प्रकरण में से कितनी कंपनियों की संपत्ति जब्त/कुर्क करने की कार्यवाही लंबित है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हाँ। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"क" अनुसार है। (ख) अनियमित वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों की निवेशित राशि वापस न किये जाने की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है, परन्तु अनियमित वित्तीय कंपनियों में छत्तीसगढ़ के सभी निवेशकों द्वारा निवेशित राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। लोढा कमीशन की अनुशंसाएँ पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ख" अनुसार है। जी हाँ, जिला स्तर पर 51 निःशुल्क सहायता शिविर आयोजित किये गये। (ग) कुल 56 अनियमित वित्तीय कंपनियों के मालिकों/संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं। दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ग" अनुसार है। संपत्ति कुर्की के 04 प्रकरणों की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। राशि की प्राप्ति एवं वापसी की व्यवस्था विशुद्ध रूप से न्यायालयीन प्रक्रिया है। अतः शेषांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संचालित धान खरीदी केन्द्र

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

11. (क्र. 396) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने धान खरीदी केन्द्र, उप केन्द्र संचालित हैं? केन्द्र व उप केन्द्र का नाम सहित जानकारी दें। (ख) जांजगीर चांपा जिले में फर्जी पंजीयन कर धान खरीदी/बिक्री की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? खरीदी केन्द्रों के नाम सहित दोषियों के ऊपर की गई कार्यवाही की जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) पामगढ विधानसभा क्षेत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 35 धान खरीदी केन्द्र संचालित थे। केन्द्रवार नाम की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) जांजगीर-चांपा जिले में सरकारी जमीन का फर्जी पंजीयन करने के संबंध में धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित की 01 शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत की जांच उपरांत धान खरीदी केन्द्र तुलसी के धान खरीदी प्रभारी श्री अजय प्रकाश नागेश व कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रहलाद कश्यप एवं धान खरीदी केन्द्र किरित के धान खरीदी प्रभारी श्री रामनारायण कश्यप व कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गांधीदास महंत सहित तहसील नावगढ के लोकसेवा केन्द्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रामकुमार कुरे के विरुद्ध पुलिस थाना नवागढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 45 दिनांक 08.02.2022 को दर्ज की गयी है। इस प्रकरण में धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित के धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध निलंबन की भी कार्यवाही की गई है। सेवासहकारी समिति मर्या. तुलसी के धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित में किसानों के पंजीयन आवेदन को सत्यापित करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री पुनाराम काटले की संलिप्तता एवं कर्तव्य में बरती गई लापरवाही पाये जाने पर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में जांच प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन तहसीलदार नवागढ द्वारा प्रथम दृष्टया गलत पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन में संलिप्तता दृष्टिगत होने के कारण उन्हें कारण बताओं सूचना जारी किया गया। प्रकरण में हल्का पटवारी श्री विश्वनाथ प्रसाद नोनिया, पटवारी हल्का नम्बर 31, ग्राम तुलसी की कार्य के प्रति लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है।

परिशिष्ट - "- अद्वारह"

बीएसयूपी आवासों में निवासरत परिवारों

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

12. (क्र. 453) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में निर्मित बीएसयूपी आवासों में कुल कितने परिवार निवासरत हैं? (ख) इन आवासों में निवासरत परिवारों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा इत्यादि के लिए क्या व्यवस्था की गई है? बीएसयूपी आवासों के आसपास कितने स्कूल एवं प्राथमिक चिकित्सालय खोले गए हैं?

नगरीय प्रशासन मंत्री(डॉ.शिवकुमार डहरिया):(क)प्रदेश मे निर्मित बीएसयूपी आवासों में कुल 12280परिवार निवासरत है। (ख) मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत एमएमयू के द्वारा निवासरत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण नियमित रुप से कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी समय-समय पर इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है। इन परिवारों के बच्चों हेतु शिक्षा के लिये आंगनबाड़ी तथा शासकीय स्कूल उपलब्ध है।बीएसयूपी आवासों के आसपास **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार आंगनबाड़ी, स्कूल एवं प्राथमिक चिकित्सालय उपलब्ध है।

परिशिष्ट - "- उन्नीस"

नगर पालिक निगम धमतरी में स्वीकृत भवन अनुज्ञा

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

13. (क्र. 515) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 में कुल कितने भवन अनुज्ञा पत्र जारी किये गये? भवन अनुज्ञा हेतु आवेदक से कौन कौन से शुल्क एवं किस दर पर लेने का प्रावधान है? उक्त अवधि में उक्त शुल्क में कब कब बढोत्तरी की गई एवं किसकी अनुशंसा से की गई? (ख) उक्त अवधि में जारी किये गये

अनुज्ञा पत्र में कितने नये भवन, कितने जीर्णोद्धार के लिए जारी किये गये? जारी किये गये भवन अनुज्ञा में उक्त अवधि में कितने भवन अनुज्ञा निरस्त किये गये, निरस्त करने के कारण बतावें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया):(क)नगर पालिक निगम धमतरी के द्वारा वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-2022 तक कुल 685 भवन अनुज्ञा जारी किये गये हैं। भवन अनुज्ञा हेतु:- 1.विकास शुल्क:-विकसित क्षेत्र पर 20/- प्रति वर्गफुट अविकसित क्षेत्र पर 30/- प्रति वर्गफुट 2.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण शुल्क:-निर्माण लागत का 1 प्र.श. राशि अग्रिम जमा । 3.रेनवॉटर हार्वेस्टिंग शुल्क:- 150 वर्गमी. से अधिक भूखंड पर 110/-प्रतिवर्ग मी. की दर से - आवासीय निर्माण में अधिकतम 15000/-अमानत राशि वाणिज्यिक निर्माण में अधिकतम 10.00 लाख अमानत राशि 4.भवन अनुज्ञा शुल्क एवं सड़क बाधा शुल्क:- जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। आवेदक से उपरोक्तानुसार दर पर शुल्क लेने का प्रावधान है। उक्त अवधि में उक्त शुल्कों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।(ख) उक्त अवधि में भवन अनुज्ञा 685 नये भवन के लिये जारी किए गए, तथा जीर्णोद्धार के लिए जारी भवन अनुज्ञा की संख्या निरंक है। उक्त अवधि में किराएदार के नाम से जारी 01 भवन अनुज्ञा निरस्त किया गया है।

[परिशिष्ट - "- बीस"](#)

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाअंतर्गत स्वीकृत राशि

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

14. (क्र. 518) श्री पुन्नूलाल मोहले :क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आबंटित की जाती है? वर्ष 2019-20,2020-21 एवं 2021-22 में प्रत्येक विधायकों को कितनी राशि जारी की गई।इन वर्षों में विधायकों को जारी किये जाने वाली राशि अनुसंशित राशि पूर्ण रूप से जारी की गई या नहीं ?यदि नहीं तो कितने प्रतिशत दी गयी हैं। क्या शेष राशि की अनुशंसा हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हाँ तो कब तक जारी की जावेगी यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) वर्ष 2019-20 से प्रतिवर्ष रु. 2.00 करोड़ प्रत्येक विधायक को आबंटित की जा रही है। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पूर्ण राशि का आबंटन जिला कार्यालयों को किया गया। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के क्रय हेतु दी गई राशि को छोड़कर शेष राशि जारी की गई है, विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। चूंकि राशि व्यय हो चुकी है, अतः शेष राशि दिये जाने की स्थिति नहीं है।

[परिशिष्ट - "- इक्कीस"](#)

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र मे पर्यटन को बढ़ावा हेतु स्वीकृत कार्य

[पर्यटन]

15. (क्र. 526) श्री राजमन बेंजाम :क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने स्थलों को पर्यटन के रूप में चयन किया गया है, जानकारी देंगे? वर्तमान में चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटन को बढ़ावा देने अथवा विकसित करने के लिए कौन – कौन से कार्य कराया जा रहा है, जानकारी देंगे? (ख) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भविष्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शासन के द्वारा कौन-कौन सी कार्य योजना बनायीं गयी है अथवा प्रस्तावित हैं,बतावें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :(क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चित्रकोट (प्राकृतिक) एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का पर्यटन स्थल के रूप में चयन किया गया है। वर्तमान में चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटन को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पर्यटन साहित्य, सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्री/प्रमोशनल वीडियो, आयोजित होने वाले पर्यटन मेला/ इवेंट्स/महोत्सवों में लगातार प्रचार - प्रसार का कार्य किया जा रहा है तथा चित्रकोट जलप्रपात के सामने छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटकों के लिए सर्वसुविधायुक्त इकाई का संचालक किया जा रहा है, जहां अतिरिक्त 10 वूडन कॉटेज्स एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर तथा नेचर ट्रेल का निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा चित्रकोट में कराए जा रहे स्वीकृत कार्यों की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भविष्य में चित्रकोट जल प्रपात में लाईट एवं साउंड शो की सुविधा प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट - "- बाईस"

मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना से लाभान्वित परिवार

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

16. (क्र. 561) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में 1 जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना अंतर्गत कुल कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है? इस हेतु प्रति परिवार कितने किलो चना देने का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में इस योजना हेतु 1 जनवरी, 2019 से फरवरी 2022 तक कुल कितनी राशि का व्यय किया गया? क्या इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा हितग्राही चयन हेतु कोई पात्रता निर्धारित की गई है? जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) प्रश्नांकित अवधि में मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना के प्रति माह 2 किलोग्राम चना प्रति परिवार देने का प्रावधान है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 659.24 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित विकासखण्डों तथा माडा क्षेत्र के समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता श्रेणी के हितग्राही परिवारों हेतु चना की पात्रता निर्धारित की गई है।

परिशिष्ट - "- तेईस"

आदिवासियों की जेल से रिहाई के लिए शासन द्वारा गठित कमेटी

[गृह]

17. (क्र. 562) डॉ. रमन सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या आदिवासियों की जेल से रिहाई के लिए शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमेटी का गठन किया है? यदि हां तो किसकी अध्यक्षता में? (ख) प्रश्नांश "क" के अंतर्गत आदिवासियों की रिहाई के लिए समिति की क्या शर्तें हैं? अब तक समिति की कितनी बैठकें हुई हैं? कमेटी के गठन के बाद कितने आदिवासियों को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया है? (ग) प्रश्नांश "ख" के अंतर्गत रिहा किए गए आदिवासी कब से और किन धाराओं के अंतर्गत जेल में कैद रहे? पिछले तीन सालों में कितने आदिवासियों को माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :(क) आदिवासियों की जेल से रिहाई के लिये नहीं, अपितु नक्सल प्रभावित

क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक (सेवानिवृत्त) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया है। (ख) उपरोक्तानुसार गठित समिति की शर्तें नहीं, अपितु प्रकरणों को समीक्षा हेतु विचारण क्षेत्र में लिये जाने बाबत कतिपय बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट पर है। अब तक समिति की 03 बैठकें आयोजित हुई हैं, इनमें कुल 632 प्रकरणों में 762 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों को वापस लिये जाने की अनुशंसा की गई है। (ग) यह आवश्यक नहीं है कि दर्ज प्रकरणों के अभियुक्त जेल में बंद रखे गये हों। दर्ज प्रकरणों में अधिकांशतः प्रकरण धारा-294, 323, 506 भा.द.वि., आबकारी एक्ट की धारा 34(1), 34(2), आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 03, 04, 05 एवं अन्य अपराधिक धाराओं के तहत अभियोजित हुए। विगत तीन वर्षों में कुल 1046 अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति नक्सल अपराधों में गिरफ्तार होना परिलक्षित हुआ है।

परिशिष्ट - "- चौबीस"

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों का सत्यापन

[श्रम]

18. (क्र. 621) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कबीरधाम में संचालित दुकानों, होटलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विगत तीन वर्षों में श्रम विभाग द्वारा कितने बार श्रमिकों की आयु संबंधी सत्यापन किया गया है ? (ख) जांच में कितने बाल श्रमिक पाए गए ? (ग) श्रम विभाग द्वारा वर्ष में कितनी बार जांच किया जाना निर्धारित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जिला कबीरधाम में संचालित दुकानों, होटलों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विगत तीन वर्षों 2019, 2020 एवं 2021 में किये गये निरीक्षण के दौरान बाल श्रमिक नहीं पाये जाने के कारण आयु सत्यापन संबंधी कार्यवाही नहीं किया गया है। (ख) निरंका (ग) बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, अपितु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टॉस्क फोर्स के माध्यम से जिला कलेक्टर के निर्देशवत् समय-समय पर तथा बाल श्रमिक संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जाती है।

बस्तर संभाग में विगत एक वर्ष के दौरान हुई नक्सली-पुलिस मुठभेड़ से संबंधित जानकारी

[गृह]

19. (क्र. 637) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभाग में वर्ष 2021-22 में दिनांक 10/02/2022 तक नक्सलियों एवं पुलिस के मध्य कितनी बार कब-कब गोलीबारी हुई है तथा इनमें हताहत होने वाले पुलिस कर्मी एवं नक्सलियों की संख्या देवें? (ख) इन गोलीबारी के दौरान हताहत होने वाले पुलिस कर्मी के परिवार को क्या-क्या सुविधायें देने का प्रावधान है? (ग) हताहत होने वाले पुलिस कर्मियों में केन्द्रीय सुरक्षा बल एवं प्रदेश सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी प्रभावित हुये हैं? (घ) नक्सली वारदातों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या-क्या इंतजाम किये हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में नक्सलियों एवं पुलिस के बीच 59 मुठभेड़ की घटनाएं हुई हैं। मुठभेड़ की दिनांक एवं स्थानवार जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है। उक्त मुठभेड़ की घटनाओं में 27 जवान शहीद एवं 70 जवान घायल हुये हैं तथा 45 नक्सली मारे गये एवं 01 नक्सली घायल हुआ है। (ख) शहीद जवानों के परिजनों एवं घायल जवानों को दी जाने वाली राशि एवं अन्य सुविधाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ग) उक्त अवधि में केन्द्रीय सुरक्षा बल के 12 जवान एवं राज्य पुलिस बल के 15 जवान शहीद हुये हैं तथा केन्द्रीय सुरक्षा बल के 34 जवान तथा राज्य पुलिस बल के 35 जवान एवं 01 गोपनीय सैनिक प्रभावित हुये हैं। (घ) प्रदेश सरकार द्वारा नक्सली वारदातों को रोकने के लिये की गई व्यवस्था की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार है।

परिशिष्ट - "- पच्चीस"

सरकारी जमीन व तालाबों को पंजीयन कर धान बेचने की जांच

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

20. (क्र. 647) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चाम्पा जिले के किन-किन धान खरीदी केन्द्रों में सरकारी जमीन का फर्जी पंजीयन कराकर धान बेचा गया है? कितनी मात्रा में कितने-कितने सरकारी जमीनों से धान बेचा गया है? कितनी राशि का धान सरकारी जमीन के नाम से बेचा गया है? (ख) क्या उक्त जिले के धान खरीदी केन्द्रों में अन्य तहसील से अन्य तहसील के शासकीय जमीन व तालाबों को कृषि भूमि बताकर धान बेचा गया है ? (ग) उक्त जिले में धान केन्द्रों में फर्जी तरीके से धान बेचने एवं सरकारी जमीन का धान बेचने व तालाबों को कृषि भूमि बताकर धान बेचने हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या इसकी जांच की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक किया जायेगा? कृपया बतायें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हां, जिले के धान खरीदी केन्द्र तुलसी में बम्हनीडीह तहसील की शासकीय जमीन को कृषि भूमि बताकर धान विक्रय किया गया है। इस संबंध में 01 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जांच उपरांत प्रश्नांश 'ग' अनुसार पुलिस थाना नवागढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। (ग) जांजगीर-जांपा जिले में सरकारी जमीन का फर्जी पंजीयन करने के संबंध में धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित की शिकायत की जांच उपरांत धान खरीदी केन्द्र तुलसी के धान खरीदी प्रभारी श्री अजय प्रकाश नागेश व कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रहलाद कश्यप एवं धान खरीदी केन्द्र किरित के धान खरीदी प्रभारी श्री रामनारायण कश्यप व कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री गांधीदास महंत सहित तहसील नवागढ़ के लोकसेवा केन्द्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रामकुमार कुर्रे के विरुद्ध पुलिस थाना नवागढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 45 दिनांक 08-02-2022 को दर्ज की गयी है। इस प्रकरण में धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित के धान खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध निलंबन की भी कार्यवाही की गई है। सेवा सहकारी समिति मर्या. तुलसी के धान खरीदी केन्द्र तुलसी एवं किरित में किसानों के पंजीयन आवेदन को सत्यापित करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री पुनाराम काटले की संलिप्तता एवं कर्तव्य में बरती गई लापरवारी पाये जाने पर उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है। प्रकरण में जांच प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन तहसीलदार नवागढ़ द्वारा प्रथम दृष्टया गलत पंजीयन /नवीनीकरण/संशोधन में संलिप्तता दृष्टिगत होने के कारण उन्हें कारण बताओं सूचना जारी किया गया। प्रकरण में हल्का पटवारी श्री विश्वनाथ प्रसाद नोनिया, पटवारी हल्का नम्बर 31, ग्राम तुलसी की कार्य के प्रति लापरवाही प्रथम दृष्टया परिलक्षित होने के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। शेष धान खरीदी केन्द्रों की जांच हेतु अन्तर्विभागीय जांच दल का गठन कर जांच कराई जा रही है।

परिशिष्ट - "- छब्बीस"

जिला जांजगीर चाम्पा में धान खरीदी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

21. (क्र. 656) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जिला जांजगीर चाम्पा में कितने किसानों का कितने रकबा पर पंजीयन हुआ है, विकासखण्डवार बतायें ? (ख) उपरोक्त किसानों का धान खरीदी बंद होने तक कितने रकबा में धान खरीदी हुआ, कितना शेष रह गया?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जांजगीर-चांपा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसानों एवं पंजीकृत रकबा की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क.	विकासखण्ड	खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसान पंजीयन	
		पंजीकृत कृषकों की संख्या	पंजीकृत रकबा (हेक्टेयर में)
1	अकलतरा	17279	18800.72
2	बम्हनीडीह	19369	21633.57
3	बलौदा	15645	17826.10
4	डभरा	20790	27308.26
5	जैजेपुर	25649	29666.23
6	मालखरौदा	21293	23583.23
7	नवागढ़	33979	38828.98
8	पामगढ़	28162	30891.24
9	सक्ती	17712	19983.30

(ख) उपरोक्त किसानों में से धान खरीदी के अंतिम दिवस तक धान विक्रय हेतु इच्छुक 190874 किसानों के 222852.88 हेक्टेयर रकबा में धान खरीदी हुई तथा 5669.46 हेक्टेयर रकबा का धान कृषकों द्वारा विक्रय नहीं किया गया।

दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अमृत मिशन योजना के स्वीकृत कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

22. (क्र. 670) श्री अरुण बोरा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना के तहत कार्य की स्वीकृति कब दी गई? दिनांक 01.02.2022 तक कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गए हैं? (ख) स्वीकृत कार्य का टेंडर कब-कब किया गया? किन-किन फर्मों को कितनी-कितनी राशि का कार्य उपलब्ध कराया गया है? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यवार जानकारी दे? क्या समयावधि में कार्य पूर्ण हुए हैं यदि नहीं तो क्यों और दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों एवं राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "- सत्ताईस"

सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट में सम्मिलित सड़कों की स्वीकृति
[लोक निर्माण]

23. (क्र. 692) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पिछले बजट सत्र 2021-22 में सम्मिलित 11 सड़कों में से कितने कार्य की स्वीकृति मिली है और कितने शेष हैं जो शेष है? शेष की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी, जानकारी दें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) स्वीकृत कार्य - 04, शेष कार्य - 07 । निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

सारंगढ़ विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सारंगढ़ से परसदा, सारंगढ़ से हरदी एवं सारंगढ़ से दानसरा मार्ग के नव निर्माण के संबंध में
[लोक निर्माण]

24. (क्र. 693) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या सारंगढ़ से परसदा मार्ग ,दूरी 10 किलोमीटर एवं सारंगढ़ से हरदी एवं सारंगढ़ से दानसरा मार्ग बहुत लंबे समय से जर्जर है? यदि हाँ तो उक्त सड़क निर्माण की क्या योजना है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
[परिशिष्ट - "- अट्टाईस"](#)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल आबंटन/वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (क्र. 710) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कौन-कौन सी योजनांतर्गत कितने-कितने राशन कार्डधारी हैं ? राशन कार्डधारियों को एक, दो, तीन, चार तथा उससे अधिक हितग्राही परिवार में होने पर कितने चावल की पात्रता दिसंबर 2019 में थी ? (ख) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कौन से माह से किस माह तक कुल कितनी अवधि में केंद्र शासन कंडिका “क” अनुसार कौन-कौन सी योजना के कार्डधारियों के लिए प्रति हितग्राही कितने किलो चावल, किस दर पर दिए जाने के निर्देश व आबंटन किए गए हैं ? क्या उक्त योजना अंतर्गत चावल राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे चावल के अतिरिक्त दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावे ? (ग) प्राथमिकता अर्थात् नीले कार्ड वाले हितग्राहीमें एक, दो, तीन, चार, पाँच हितग्राही या अधिक हितग्राही होने पर राज्य शासन द्वारा नियमित कितना चावल उपलब्ध कराया जाता है तथा कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितना चावल उपलब्ध कराया गया ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) वर्तमान में प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी के 14.21 लाख राशनकार्ड, प्राथमिकता श्रेणी के 45.05 लाख राशनकार्ड, सामान्य श्रेणी के 9.72 लाख राशनकार्ड, निराश्रित श्रेणी के 38,645 तथा निःशक्तजन श्रेणी के 11,483 राशनकार्ड प्रचलित है। दिसंबर 2019 की स्थिति में राशनकार्डोंमें चावल की मासिक पात्रता की जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है।(ख) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल से नवंबर 2020 तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021--22 में माह मई 2021 से मार्च 2022 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जारी अन्त्योदय तथा

प्राथमिकता परिवार के हितग्राहियों हेतु 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह के मान से निःशुल्क वितरण हेतु चावल का आबंटन जारी किया गया तथा तदनुसार वितरण के निर्देश दिए गए हैं। जी नहीं उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे मासिक पात्रता के अतिरिक्त चावल दिए जाने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता राशनकार्ड में 1 सदस्य हेतु 10 किलो, 2 सदस्य हेतु 20 किलो, 3 से 5 सदस्य हेतु 35 किलो तथा 5 से अधिक सदस्य होने की स्थिति में 07 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न की नियमित मासिक पात्रता अनुसार चावल उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना काल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सामान्य मासिक खाद्यान्न पात्रता एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न की पात्रता को जोड़कर संयुक्त मासिक पात्रता एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की मासिक खाद्यान्न पात्रता में से बेहतर खाद्यान्न पात्रता के आधार पर चावल उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सदस्य संख्यावार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "- उन्तीस"

ग्राम पंचायत महमंद में विभिन्न अपराध के पंजीबद्ध प्रकरण ।

[गृह]

26. (क्र. 717) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के तोरवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत महमंद में सत्र 2018-19 से दिसम्बर 2021 तक हत्या /बलात्कार /ड्रग्स /छेड़छाड़ /आत्महत्या / चोरी /अवैध शराब के कितने मामले दर्ज हैं ? वर्षवार जानकारी बताने का कष्ट करे । (ख) क्या उक्त ग्राम पंचायत में पुलिस चौकी / पुलिस सहायता केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त हुआ ? (ग) इन पंचायत में कानून व्यवस्था / शांति व्यवस्था हेतु क्या -क्या प्रयास किये गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की अपराध शीर्ष एवं वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) जी नहीं। (ग) थाना-तोरवा, जिला-बिलासपुर द्वारा ग्राम पंचायत महमंद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु गश्त एवं पेट्रोलिंग कर संदिग्धों की गतिविधियों पर सतत रूप से निगाह रखी जा रही है।

परिशिष्ट - "- तीस"

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राशन दुकानों में अनियमितता ।

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

27. (क्र. 718) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में मार्च 2021 से दिनांक 12/2/2022 तक कितनी राशन दुकानों को अनियमितता के कारण निलंबित किया गया और उक्त दुकानों के संचालक कौन - कौन थे ? (ख) निलंबन पश्चात् पुनः उक्त दुकान संचालन के लिए किन - किन समितियों को प्रदान करने के लिए क्या - क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? वर्तमान में इन राशन दुकानों के संचालक कौन - कौन हैं ? (ग) क्या मस्तूरी विकासखंड के खाद्य निरीक्षक के खिलाफ अवैध वसूली की शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई ? अगर हाँ, तो उसपर क्या कार्यवाही हुई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में प्रश्नांकित अवधि में अनियमितता के कारण किसी भी उचित मूल्य दुकान को निलंबित नहीं किया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता

है। (ख) प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी हॉ, मस्तूरी विकासखण्ड अंतर्गत खाद्य निरीक्षक मस्तूरी एवं खाद्य निरीक्षक सीपत के विरुद्ध अवैध वसूली की शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई हैं। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रतिवेदन अनुसार शिकायत निराधार पायी गई है।

किसानों से धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

28. (क्र. 721) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) सत्र 2018-19, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों का किस-किस दर पर कितनी मात्रा में धान खरीदा गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी के पश्चात किस-किस मद में किसानों को भुगतान किया गया? (ख) उपरोक्त अवधि में किसानों को सत्रानुसार कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितना भुगतान शेष है? (ग) उपरोक्त खरीदे गये धान का निराकरण / डिस्पोजल प्रति वर्ष किस-किस प्रकार किया गया तथा किस-किस वर्ष का कितना कितना धान शेष है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) खरीफ वर्ष 2018-19 में उपार्जित धान का निराकरण कस्टम मिलिंग द्वारा किया गया तथा इस वर्ष का धान शेष नहीं है। खरीफ वर्ष 2019-20 में उपार्जित तथा मिलिंग योग्य धान का निराकरण कस्टम मिलिंग द्वारा किया गया तथा इस वर्ष का 71,000 टन धान शेष है, जिसका श्रेणीकरण कराकर निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का निराकरण कस्टम मिलिंग तथा नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है तथा इस वर्ष का 3,665 टन धान शेष है, जिसके निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान का निराकरण कस्टम मिलिंग के माध्यम से किया जा रहा है तथा दिनांक 23 फरवरी 2022 की स्थिति में 31.88 लाख टन धान शेष है, जिसके निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - "- इक्तीस"

प्रदेश सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही

[गृह]

29. (क्र. 722) श्री शिवरतन शर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में कितने पंजीकृत निवेश करने वाली (व्यक्तियों का विभिन्न योजनाओं/फर्म/कंपनी में राशि जमा करने वाली) कितनी संस्थाएँ कार्यरत थी या है? (ख) उक्त संस्थाओं में कितनी संस्थाएँ कार्यरत हैं? कितनी बंद हो गयी? कितनी संस्थाएँ/फर्म के विरुद्ध समय पर निवेश वापस नहीं करने का आरोप लगा (चिटफंड कंपनी) उनका कितना भुगतान शेष है तथा उनके संचालक मंडल के सदस्य कौन कौन हैं? (ग) निवेश वापस नहीं करने वाली कितनी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी संबंधित संस्थाओं के कितने लोगो को गिरफ्तार किया गया तथा उनकी कितनी संपत्ति जप्त कर नीलामी की कार्यवाही की गयी? (घ) प्रदेश सरकार ने अब तक कितने हितग्राहियों की राशि वापस करायी है जिलेवार जानकारी प्रदान करें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रदेश में चिटफंड अधिनियम, 1982 प्रभावशील है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है। (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है, परन्तु राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तुत शिकायतों के आधार पर 56 अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) के द्वारा पैसा वापस नहीं किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई

है। उक्त कंपनियों शासनाधीन नहीं होने के कारण शेषांश की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। (ग) 56 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 79 प्रकरण दर्ज कर 157 संचालक/ पदाधिकारियों की गिरफ्तारी कर 39 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। प्रश्नाधीन अवधि में कुल 16 करोड़ 91 लाख 76 हजार 679 ₹ की संपत्ति के संबंध में कार्यवाही की गई है। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में कुल 17 हजार 378 निवेशकों को धनराशि वापस करायी गई है। जिलेवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

परिशिष्ट - "- बत्तीस"

धान का क्रय, भुगतान एवं लेखा मिलान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

30. (क्र. 726) श्री धरम लाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019-20 से दिनांक 12/02/2022 तक कुल कितने धान का क्रय किया गया है व इस हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? इसमें कितनी राशि केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है और कितनी राशि राज्य द्वारा स्वयं उपलब्ध कराई गई है ? वर्षवार बतावें ? (ख) प्रश्नांश 'क' अवधि के लिए क्या सभी केंद्रों में धान संबंधी भौतिक सत्यापन व लेखा मिलान हो चुका है ? यदि नहीं, तो कितने केंद्रों का मिलान हो चुका है कितने केंद्रों का मिलान बाकी है व क्यों ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार कौन-कौन से केंद्रों में कितने कितने धान की कितनी राशि की सुखत हुई है व कितना धान सड़ने/खराब होने की जानकारी प्राप्त हुई है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई है ? क्या हथकेरा (मुंगेली), लोधिमा (सूरजपुर) व बसदेई तथा रामनगर संग्रहण केन्द्रों में धान खराब होने, कम होने या सुखने की शिकायत प्राप्त हुई है तो कौन दोषी है व क्यों ? (घ) प्रश्नांश 'क' अवधि में कितने धान की कस्टम मीलिंग की गई है, कितना धान कस्टम मीलिंग हेतु शेष है ? वर्षवार जिलेवार जानकारी दें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख टन धान क्रय किया गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 15,286 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, खरीफ वर्ष 2020-21 में 92.02 लाख टन धान क्रय किया गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 17,241 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, खरीफ वर्ष 2021-22 में 97.98 लाख टन धान क्रय किया गया तथा किसानों को समर्थन मूल्य की राशि 19,031.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा बैंकों से ऋण लेकर राशि की व्यवस्था की जाती है तथा इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम राशि प्रदायनही की जाती है। राज्य शासन द्वारा मार्कफेड को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अहरण प्राप्त करने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 15,000/- करोड़ 2020-21 में 14,700/- करोड़ तथा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 14,700/- करोड़ की शासकीय गारंटी प्रदान की गई है। (ख) खरीफ वर्ष 2019-20 में बलरामपुर जिले के 02 उपार्जन केन्द्रों के लेखा मिलान का कार्य शेष है जिसके लंबित रहने का कारण उपार्जन केंद्र एवं संग्रहण केंद्र में धान प्राप्ति को लेकर विवाद है जिसके सम्बन्ध में प्रकरण न्यायालय, सहायक पंजीयक के समक्ष विचाराधीन है। खरीफ वर्ष 2020-21 में राजनांदगांव जिले के 01 उपार्जन केन्द्र के लेखा मिलान का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु विभागीय पोर्टल में इसकी प्रविष्टि किया जाना शेष है। इसी प्रकार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 01 उपार्जन केन्द्र में फर्जी धान खरीदी मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा लेखा मिलान की कार्यवाही लंबित है। वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान के निराकरण के उपरांत लेखा मिलान की कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रश्नांकित अवधि में उपार्जन केन्द्रों में धान के प्रतिवेदित सूखत की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अनुसार है। उपार्जन केन्द्रों में धान खराब नहीं हुआ है अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। खरीफ वर्ष 2019-20 में केवल धान संग्रहण केंद्र, लोधिमा(सूरजपुर) में धान

खराब होने की शिकायत विपणन संघ को प्राप्त हुई है, जिस हेतु जिला विपणन अधिकारी एवं संग्रहण केंद्र प्रभारी को आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है। खरीफ वर्ष 2020-21 में हथकेरा (मुंगेली), लोधिमा (सूरजपुर) व बसदेई तथा रामनगर संग्रहण केन्द्रों में धान खराब होने, कम होने या सूखने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।(घ) प्रश्नांकित अवधि में खरीफ वर्षवार जानकारी क्रमशःसंलग्न प्रपत्र-ब,संलग्न प्रपत्र-स,संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।

परिशिष्ट - "- तैंतीस"

बागनदी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में संचालित बायो डीजल विक्रय केंद्र

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 730) श्री दलेश्वर साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव से बागनदी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 में बी-100 बायो डीजल या अन्य श्रेणी के जैव डीजल विक्रय केंद्र संचालित है? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ पर संचालित है? उक्त केन्द्रों को कब अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, इन केन्द्रों ने किन विनिर्माता या आपूर्तिकर्ताओं से कितनी मात्रा में जैव डीजल प्राप्त किया है? अनुज्ञप्ति देने के पूर्व किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, क्या विक्रय केंद्र से सम्बंधित कोई शिकायत मिली है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। जैव डीजल विक्रय केन्द्र स्थापना हेतु अनापत्ति जारी करने के पूर्व नायब तहसीलदार, संबंधित हल्का पटवारी एवं उप संचालक, नगर निवेश द्वारा निरीक्षण किया गया। इन विक्रय केन्द्रों के विरुद्ध 04 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 01 प्रकरण में 5000 रु. अर्थदण्ड आरोपित किया गया, 02 प्रकरण में संबंधित फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, तथा 01 शिकायत की जांच कराई जा रही है।

परिशिष्ट - "- चौंतीस"

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

32. (क्र. 733) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल जिलों में वर्ष जनवरी 2019 से 31.01.2022 तक मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत कितने और कहां-कहां के लिए सड़क बनाये जाने की स्वीकृति दी गई, लागत सहित बतावें ? (ख) कंडिका “क” के कितने कार्यों की निविदा जारी हो गई है, कितने कार्य पूर्ण किए गए, कितने शेष है तथा क्यों ? प्रगति का ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका “क” के निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य कराये जाने अथवा आर्थिक अनियमितता की शिकायतें मिली है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू): (क) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है।(ख)जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है।(ग)जानकारी“संलग्न परिशिष्ट”अनुसार है।

परिशिष्ट - "- पैंतीस"

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (सेतु) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति

[लोक निर्माण]

33. (क्र. 734) श्री चंदन कश्यप : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (सेतु) विभाग अंतर्गत 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक कौन-कौन से पुल निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत कार्यों की जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" अनुसार स्वीकृत कार्यों का भूमिपूजन किस-किस तिथि को कराया गया है ? कार्य प्रारंभ की तिथि सहित कार्यों की प्रगति/अद्यतन स्थिति का ब्यौरा दें ? (ग) कंडिका "क" अनुसार कार्यों के निर्माण में गुणवत्ताहीन कार्य कराये जाने अथवा आर्थिक अनियमितता की शिकायतें मिली है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री(श्री ताम्रध्वजसाहू): (क) जानकारी "संलग्न परिशिष्ट" अनुसार है। (ख) जानकारी "संलग्न परिशिष्ट" अनुसार है। (ग) जी नहीं। अतः शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

[परिशिष्ट - "- छत्तीस"](#)

जिला राजनांदगांव में रेत, मुरम एवं गौ तस्करी

[गृह]

34. (क्र. 738) श्रीमती छत्री चंदू साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 से 15 फरवरी 2022 तक गृह विभाग द्वारा रेत, मुरम एवं गौ तस्करी के कितने मामले कब कब दर्ज किये गए?थानावार, प्रकरणवार, वर्षवार, जानकारी बताए? (ख) कंडिका 'क'के अनुसार कितने प्रकरणों में क्या कार्यवाही की गई? (ग) उक्त प्रकरणों में रेत के फ़र्जी रायल्टी सम्बन्धी कितने प्रकरण दर्ज किए गए ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क)प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में रेत तस्करी का 01 प्रकरण तथा गौ तस्करी के 61 प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुरम तस्करी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। थाना/वर्षवार जानकारीसंलग्न प्रपत्र"अ" पर दर्शित है।(ख)रेत तस्करी के 01 प्रकरण पर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गौ तस्करी के 61 प्रकरणों में से 52 प्रकरण माननीय न्यायालय के विचारण में हैं तथा 09 प्रकरणों में विवेचना जारी है। जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र"ब" पर दर्शित है।

[परिशिष्ट - "- सैंतीस"](#)

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के तहत दुकान निर्माण आंबटन

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

35. (क्र. 740) श्रीमती छत्री चंदू साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत छुरिया में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के तहत कितने विस्थापितों के लिए वर्ष 2018-19 से फरवरी 2022 तक नगर पंचायत छुरिया द्वारा कितनी दुकानों का निर्माण कराया गया ? (ख) कंडिका "क" में निर्मित दुकानों का आंबटन कब तक किया जायेगा ? आंबटन करने के नियम शर्तें क्या है ? (ग) दुकानों के आंबटन हेतु क्या- क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राजनांदगांव जिले में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत छुरिया में कुल विस्थापितों की संख्या 72 है। मुख्यमंत्री स्वावंलबन योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 से फरवरी 2022 तक नगर पंचायत छुरिया द्वारा कुल 100 दुकानों का निर्माण कराया गया है। (ख) कंडिका "क" में निर्मित दुकानों के आंबटन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आंबटन करने के दिशा निर्देश संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ग)मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत 100 नग दुकान निर्माण कार्य

पूर्णता उपरांत पी.आई.सी. की बैठक दिनांक 27/10/2021 (सं.क्र. 08) में पारित प्रस्ताव अनुसार स्थानीय मूल निवासी, प्रभावित दुकानदारों को निकाय के पत्र क्र. 1081 दिनांक 24/12/2021 द्वारा दावा आपत्ति सूचना जारी किया गया है, जिसमें प्राप्त दावा आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - "- अड़तीस"

साइबर क्राइम से संबंधित दर्ज प्रकरण

[गृह]

36. (क्र. 742) श्री बघेल लखेश्वर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छ0ग0 राज्य शासन में साइबर क्राइम से जुड़े कुल कितने प्रकरण दर्ज हुये? कृपया वर्ष 2019 से 12/02/2022 तक की जानकारी वर्षवार देंवे ? (ख) उक्त दर्ज प्रकरणों से कितने प्रकरणों में अपराधी गिरफ्तार किये गये व कितने में अपराधी को सजा हुई है? (ग) क्या छ0ग0 राज्य सरकार इन बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाये जाने कोई विशेष कार्ययोजना बना रही है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ग) जी हाँ।

परिशिष्ट - "- उनतालीस"

प्रदेश में विभिन्न अपराधों के पंजीकृत प्रकरण

[गृह]

37. (क्र. 793) श्री डमरूधर पुजारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 12/02/2022 तक जिला गरियाबंद में बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, गैंगरेप व फिरौती वसूलने के कितने मामले पंजीकृत हुए हैं ? कितने मामलों में गिरफ्तारी हो गई है, कितने मामलों में गिरफ्तारी शेष है ? वर्षवार जानकारी देंवे ? (ख) नेशनल क्राईम ब्यूरो की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार कंडिका "क" अनुसार अपराधों में क्राइम दर के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कौन सा है? (ग) अपराधों को रोकने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है। (ग) प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त, पेट्रोलिंग, अंतर्राज्यीय सीमा पर नाकेबंदी कर संदिग्धों की जांच की जा रही है। सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जन सामान्य में चिटफण्ड, बैंक फ्राड, सायबर अपराध, बालक-बालिका एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण/ कार्यवाही के लिए 'अभिव्यक्ति एप्स' के माध्यम से पीड़िता को त्वरित सहायता पहुंचायी जा रही है। अपराधियों को दण्डित किये जाने हेतु फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना तथा अपराधी तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट - "- चालीस"

प्रधानमंत्री गरीबकल्याण योजना के तहत हितग्राही को चावल वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

38. (क्र. 794) श्री डमरूधर पुजारी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) गरियाबंद व कांकेर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पिछले व इस वित्तीय वर्ष में प्रश्न दिनांक तक किस-किस माह में कौन-कौन सी योजना के अंतर्गत कार्डधारियों को कितना-कितना चावल प्रति हितग्राही उपलब्ध कराया गया है? (ख) प्राथमिकता अर्थात् नीला कार्डधारियों को दिसम्बर, 2019 व अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक 1 हितग्राही, 2 हितग्राही, 3 हितग्राही, 4 हितग्राही तथा 5 हितग्राही या अधिक हितग्राही होने पर कितना चावल राज्य सरकार द्वारा नियमित योजना अंतर्गत और कितना चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिया गया है? क्या यह सही है कि प्राथमिकता अर्थात् नीले कार्ड हितग्राहियों को 5 या अधिक हितग्राहियों होने पर 35 किलो के अतिरिक्त 3 किलो चावल प्रति हितग्राही दिया गया है? यदि हां, तो यह चावल किस योजना के अंतर्गत दिया गया है? यदि नहीं, तो कितना-कितना चावल दिया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) गरियाबंद एवं कांकेर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में मई 2021 से प्रश्न दिनांक तक अन्त्योदय हितग्राही को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सामान्य मासिक खाद्यान्न पात्रता (35 किलो प्रति परिवार) के अतिरिक्त 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिकता वाले हितग्राही परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सामान्य मासिक खाद्यान्न पात्रता (5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह) के अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आबंटित 5 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में प्राथमिकता राशनकार्ड में शामिल सदस्य संख्यावार वितरित चावल की मासिक पात्रता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की आबंटन अवधि (माह अप्रैल 2020 से नवंबर 2020) के दौरान अन्त्योदय तथा प्राथमिकता हितग्राही परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सामान्य मासिक खाद्यान्न पात्रता एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न की पात्रता को जोड़कर संयुक्त मासिक पात्रता एवं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की मासिक खाद्यान्न पात्रता में से बेहतर खाद्यान्न पात्रता के आधार पर चावल का वितरण किया गया है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

[परिशिष्ट - "- इक्तालीस"](#)

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बजट में शामिल सड़को की प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक निर्माण]

39. (क्र. 807) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र की किन-किन सड़कों को वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 में बजट में शामिल किया गया है ? (ख) उपरोक्त सड़कों में कितनी सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है? (ग) कितनी सड़कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका है ? कितनी पूर्ण हैं ? कितनी अपूर्ण हैं ? सड़कवार जानकारी दें। (घ) सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू): (क) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है। (ख) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है। (ग) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है। (घ) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- बयालीस"](#)

शारदा चौक-तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

40. (क्र. 814) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या राजधानी के शारदा चौक-तात्यापारा जी.ई.रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, यदि हां तो कब कब व कितनी कितनी राशि का प्रस्ताव है? प्रस्तावों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है?
(ख) सड़क चौड़ीकरण में कितनी दुकान, मकान व अन्य संस्थान आ रहे हैं? कितने को मुआवजा किस आधार पर वितरण होना है? क्या वित्त विभाग को भी प्रस्ताव भेजा गया था, यदि हां, तो कब? प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई है?
(ग) पूर्व में उक्त सड़क के आधे हिस्से तात्यापारा से आमापारा चौक तक के चौड़ीकरण में क्या क्या प्रावधान किया गया था? किन शर्तों, किन नियमों के आधार पर मुआवजा देकर सड़क चौड़ीकरण किया गया था? क्या वर्तमान में उसी आधार पर कंडिका "क" की सड़क का भी निर्माण किया जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? कब तक निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क)जी हाँ प्राप्त हुआ था। जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)सड़क चौड़ीकरण में कुल 86 परिवार/दुकान/ मकान प्रभावित हो रहे हैं। योजना के स्वीकृति होने पर मुआवजा राशि का निर्धारण “जिला मूल्यांकन समिति” द्वारा निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार मूल्यांकन कर वितरण किया जाएगा।जी हां, प्रस्तावित कार्य विशिष्ट प्रयोजनार्थ मद अंतर्गत प्रस्ताव वित्त विभाग को दिनांक 05.07.2018 को प्रेषित किया गया था जिसमें 6.17 करोड़ निर्माण कार्य एवं राशि रु.36.95 करोड़ क्षतिपूर्ति से संबंधित होने के कारण वित्त विभाग के द्वारा अन्य विकल्प पर विचार करने हेतु नगर निगम को विदित कराया गया था जिसके आधार पर निगम के द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.09.2018 द्वारा एफ.ए.आर. के आधार पर निगम के द्वारा प्रयास किया जाना लेख किया गया है। परन्तु प्रभावितों द्वारा रुचि नहीं ली गई। नगर निगम के द्वारा इस संबंध में पुनः अपने पत्र क्रमांक दिनांक 14.08.2018 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसे कि वित्त विभाग को दिनांक 27.11.2018 को प्रेषित किया गया था। वित्त विभाग के द्वारा दि.19.12.2018 को तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को नवीन मद होने के कारण तकनीकी आधार का लेख कर बजट में शामिल नहीं होने एवं तदानुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।(ग)जी हाँ। पूर्व में शासन के आदेश दिनांक 01.03.2008 के द्वारा 70 प्रतिशत ऋण रु.10.50 करोड़ एवं 4.50 करोड़ अनुदान कुल राशि रु.15.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत भवन/भूखण्ड की क्षतिपूर्ति राशि व निर्माण कार्य पर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग, जल वाहिनी शिफ्टिंग, नाली निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, डिवाइडर, इलेक्ट्रिक पोल व लाईट का प्रावधान था। ऋण हेतु शर्तें संलग्न प्रपत्र ‘ब’अनुसार है। पूर्व में मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित गाईडलाईन अनुसार मूल्यांकन कर वितरण किया गया था। प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृति पश्चात् ही किया जा सकता है।

परिशिष्ट - "- तिरालीस"

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जांजगीर चांपा जिले के समस्त तहसील अंतर्गत श्रमिकों का पंजीयन, बीमा

[श्रम]

1. (क्र. 29) श्री सौरभ सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019, 2020 और 2021 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा, बलौदा, नवागढ़ और पामगढ़ तहसील के अंतर्गत कितने श्रमिकों का बीमा और पंजीयन हुआ है? (ख) पंजीयन और बीमा किए गए श्रमिकों का कहां-कहां पर इलाज करवाने का प्रावधान है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) 1 बीमितों की संख्या संधारित किये जाने का कार्य भारत सरकार के उपक्रम कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है। 2 क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से प्राप्त विवरण अनुसार बीमितों की संख्या जिलेवार ही संधारित की जाती है। अतः अकलतरा, बलौदा, नवागढ़ और पामगढ़ अंतर्गत पंजीकृत बीमितों की जानकारी पृथक-पृथक उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। 3 वर्ष 2019, 2020 और 2021 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के समस्त तहसील अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं. वर्ष	जिला	बीमित व्यक्तियों की संख्या	रिमार्क
1	2018-19 जांजगीर - चांपा	जिलेवार संख्या उपलब्ध नहीं है।	छ.ग. राज्य में कुल 6,20,480 लोगों का पंजीयन हुआ
2	2019-20 जांजगीर - चांपा	8,672	--
3	2020-21 जांजगीर - चांपा	10,646	--

वर्ष 2018-19 की जिलेवार संख्या न होने के कारण बीमित व्यक्तियों की संख्या देना संभव नहीं है। यद्यपि वर्ष 2018-19 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 6,20,480 लोगों का पंजीयन हुआ था। (ख) कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत बीमित हितग्राहियों के चिकित्सा उपचार हेतु कुल 42 औषधालय संचालित है, जिसकी सूची संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। बीमित हितग्राहियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 54 निजी चिकित्सालयों को अनुबंधित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।
परिशिष्ट - " - चवालीस"

रायपुर जिले में पंजीकृत धार्मिक न्यास

[धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व]

2. (क्र. 59) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायपुर जिले में कितने लोक न्यास धार्मिक प्रयोजनार्थ जिले में पंजीकृत हैं? कितने न्यास (धार्मिक) ने वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में जनवरी, 2022 तक अपने आय तथा व्यय की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है? (ख) प्रश्नांश "क" में जानकारी प्रस्तुत न करने वाले कितने न्यासों को कलेक्टर रायपुर द्वारा नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या इस प्रकार आय-व्यय की जानकारी नहीं प्रस्तुत करने वाले धार्मिक न्यासों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारीगणों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) रायपुर जिले में सार्वजनिक न्यास पंजी के अनुसार कुल 123 लोक न्यास धार्मिक प्रयोजनार्थ पंजीकृत है। वर्ष 2019-20 में 99, वर्ष 2020-21 में 114 तथा 2021-22 में 123 ने जनवरी, 2022 तक आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। (ख) प्रश्नांश "क" की जानकारी प्रस्तुत न करने वाले न्यासों को वर्ष 2019-20 में 99, वर्ष 2020-21 में 114 को लोक न्यास अधिनियम 1951 में दिये गये प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा वर्ष 2021-22 में 31 मार्च 2022 तक जानकारी प्रस्तुत न करने पर लोक न्यास अधिनियम 1951 में दिए गये प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया जायेगा। (ग) आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत नहीं करने वाले सभी धार्मिक न्यासों को नोटिस जारी की गई है। अतः ऐसे धार्मिक न्यासों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारीगणों की जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

एक्सप्रेस हाईवे रायपुर निर्माण की स्थिति

[लोक निर्माण]

3. (क्र. 60) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि विधानसभा तारांकित प्रश्न संख्या-18 (क्रमांक 257) दिनांक 12 मार्च, 2021 के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी में विभाग द्वारा बताया गया था कि रायपुर रेल्वे स्टेशन, तेलीबांधा से केन्द्री (नया रायपुर) के मध्य छोटी रेल्वे लाईन के स्थान पर एक्सप्रेस वे तथा फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य (लंबाई 12.32 कि.मी.) को अतिशीघ्र सुधार कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु प्रारंभ किया जावेगा? यदि हां तो क्या यह एक्सप्रेस वे आवागमन हेतु प्रारंभ हो गया है? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित एक्सप्रेस-वे यदि प्रारंभ नहीं हुआ है तो क्यों तथा अतिशीघ्र सुधार कार्य पूर्ण की परिभाषा स्पष्ट करें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी हां। जी नहीं। (ख) कोरोना महामारी असमय वर्षा होने के कारण सुधार कार्य प्रगति पर है।

केशकाल विधानसभा में वृहद् एवं मध्यम पुलों का निर्माण
[लोक निर्माण]

4. (क्र. 100) श्री सन्त राम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक निर्माण विभाग के सेतु सब डिविजन, कांकेर द्वारा केशकाल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2017-18 से दिनांक 31 जनवरी, 2022 तक कितने वृहद् एवं मध्यम पुलों का निर्माण कराया जा रहा है? (ख) उक्त निर्माण की निविदा तिथि, कार्य स्थान, लागत राशि, एजेंसी का नाम, पूर्णता की अवधि, पुलों की लम्बाई एवं अपूर्णता का कारण सहित जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) उक्त अवधि में 06 वृहद् पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। (ख) विस्तृत जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- पैतालीस"](#)

जिला कोंडागांव में श्रम विभाग में मजदूरों का पंजीयन
[श्रम]

5. (क्र. 101) श्री सन्त राम नेताम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोंडागांव में श्रम विभाग में कितने मजदूरों द्वारा वर्ष 2020-21 से 31 जनवरी, 2022 तक पंजीयन कराया गया है ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ख) वर्तमान में कोविड -19 में कितने मजदूरों द्वारा अन्य प्रान्तों में पलायन किया गया हैं ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला कोंडागांव में श्रम विभाग में वर्ष 2020-21 से 31 जनवरी, 2022 तक 4483 मजदूरों का पंजीयन किया गया है। मंडलवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) वर्तमान में कोविड-19 में वर्ष 2020-21 में 7309 एवं वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक) में 1506 मजदूरों द्वारा अन्य प्रांतों में पलायन किया गया है।

[परिशिष्ट - "- छियालीस"](#)

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वितरित सामग्री एवं राशि
[श्रम]

6. (क्र. 138) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रम कल्याण निधि से वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2022 की अवधि में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया तथा क्या-क्या सामग्री एवं कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करायी गयी ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी बतावें ? (ख) प्रश्नांश 'क' के असंगठित कर्मकारों को कुशल बनाने हेतु क्या-क्या प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ-कहाँ और कितनी-कितनी अवधि के लिए किसके माध्यम से आयोजित

किया गया तथा उनमें कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? (ग) क्या पंजीकृत व्यक्तियों को उक्त अवधि में वितरित सामग्रियों के वितरण में अनियमितता संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 31 जनवरी, 2022 तक निर्माण श्रमिकों की पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वितरित सामग्री एवं राशि की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि एवं व्यय की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है। (ग) सामग्री वितरण में अनियमितता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट - "- सैंतालीस"

केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित एवं अधोसंरचना मद योजनाओं की जानकारी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

7. (क्र. 139) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाएं एवं अधोसंरचना मद में कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि कितने कार्यों में व्यय की गई ? योजनावार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश 'क' की अवधि में उक्त योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण ,अपूर्ण, लंबित हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) की जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न है।
परिशिष्ट - "- अड़तालीस"

बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के दर्ज प्रकरण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

8. (क्र. 157) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक कितनी नई आवासीय कालोनियों को अनुमति प्रदान की गई और कितनी आवासीय कालोनियों में अवैध प्लाटिंग के प्रकरण दर्ज हुए?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कुल 04 नई आवासीय कालोनियों की अनुमति प्रदान की गई है और 47 अवैध प्लाटिंग के प्रकरण दर्ज किये गये है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 में बीटी नवीनीकरण एवं सुधार की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

9. (क्र. 161) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 रायगढ़ से रामझरना, नहरपाली में किन-किन किलोमीटर में बीटी नवीनीकरण की स्वीकृति दी गई है ? निविदा प्रक्रिया तथा कार्य प्रारंभ करवाने के लिए कार्यदेश की प्रक्रिया कब तक पूर्ण की जावेगी ? (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग 200 में प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित स्थानों के सड़क के अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण इसे नये सड़क निर्माण कराने हेतु क्या-क्या कार्यवाही कर ली गई या कब तक कर ली जावेगी?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- उन्वास"

बिलासपुर के व्यापार विहार से सिरगिट्टी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण

[लोक निर्माण]

10. (क्र. 216) श्री शैलेश पांडे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बिलासपुर के व्यापार विहार से सिरगिट्टी तक प्रस्तावित फ्लाईओवर की कुल लागत कितनी तथा टेंडर कब आमंत्रित किया जावेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : सी जी आर आई डी सी एल को प्रेषित प्राक्कलन की प्रस्तावित लागत रू. 22603.19 लाख है। निविदा आमंत्रण की निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

अरपा नदी के दोनों ओर सड़क एवं नाला निर्माण

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

11. (क्र. 217) श्री शैलेश पांडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा अरपा के दोनों ओर सड़क और नाला निर्माण किया जा रहा है? यदि हाँ, तो उक्त सड़क और नाला कुल कितनी लंबाई का बनाया जाएगा, और इसके आगे की क्या योजना होगी।

नगरीयप्रशासनमंत्री(डॉ.शिवकुमारडहरिया): जीहाँ। इंदिरा सेतु से चरी रपटा तक अरपा साडा की स्वीकृत विकास योजन के अनुसार नदी के दोनों किनारो पर 80 फुट चौड़ी फोर लेन सड़क एवं नाला का निर्माण किया जा रहा है। सड़क की लंबाई 03.60 किलोमीटर (दाहिनीओर1.8 कि.मी. एवंबाईओर1.8 कि.मी.) है एवं नाला की लम्बाई 4.2 किलोमीटर (दाहिनी ओर 2.1 कि.मी. एवं बाई ओर 2.1 कि.मी.) है। इसके आगे ग्राम मंगला से शिवघाट बैराज होते हुये इंदिरा सेतु तथा शनिचरी रपटा से पचरी घाट बैराज तक नाला निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। जिसकी कुल लंबाई 9 कि.मी. (दाहिनीओर 4.25 कि.मी. एवं बाईओर 4.75 कि.मी.) है।

प्रदेश में धान की खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

12. (क्र. 224) श्री धनेन्द्र साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कितने धान खरीदी केन्द्र हैं ? वर्ष 2020-21 में कितने मीट्रिक /टन धान खरीदा गया ? क्या खरीदे गये धान व संग्रहण किए गये धान की मात्रा में शार्टेज है ? यदि हाँ, तो कितना शार्टेज है ? **(ख)** प्रदेश के खरीदी केन्द्रों से कितना धान किस कारण खराब हुआ है ? खराब धान की मूल्य राशि कितनी है ? धान के खराब होने पर कौन जिम्मेदार है ? **(ग)** प्रश्न “क” व “ख” से संदर्भित दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? धान के शार्टेज की वसूली कितने लोगो से की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 2484 धान खरीदी केन्द्र संचालित थे। खरीफ वर्ष 2020-21 में राज्य में 92.02 लाख मे0टन धान खरीदा गया। खरीदे गये धान में धान खरीदी केन्द्र स्तर पर 1.76 लाख मे0टन शार्टेज है तथा संग्रहण केन्द्र में भण्डारित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पश्चात संग्रहण केन्द्र स्तर पर शार्टेज धान की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। **(ख)** खरीफ वर्ष 2020-21 में प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में धान खराब नहीं हुआ है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ग)** खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी में पायी गई शार्टेज के संबंध में 584 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया, 03 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, 05 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गयी है, 36 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया, 67 कर्मचारियों को धान खरीदी कार्य से पृथक किया गया तथा 02 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। धान शार्टेज की राशि वसूली प्रचलन में है।

छ.ग. राज्य सड़क विकास निगम अन्तर्गत सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण

[लोक निर्माण]

13. (क्र. 225) श्री धनेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-छ.ग.राज्य सड़क विकास निगम के द्वारा प्रदेश में कुल कितनी लागत के सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की स्वीकृति हुई है ? तथा किस-किस विधानसभा क्षेत्र में कितनी-कितनी सड़के पुल-पुलिया एवं कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति हुई है ? इस योजनान्तर्गत पुनः नए सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति कब की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : छ.ग. सड़क विकास निगम के द्वारा प्रदेश में कुल 496 कार्य कुल लागत रू. 548591.34 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें सड़क कार्य, पुल-पुलिया सहित रू. 483649.49 लाख तथा सेतु कार्य हेतु रू. 64941.85 लाख है। विधानसभावार स्वीकृति राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "- पचास "

प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों को लोन में छुट का लाभ

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

14. (क्र. 241) श्री शिवरतन शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के पात्र हितग्राहियों द्वारा हाउसिंग लोन लेने पर प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मिलने वाली राशि को हाउसिंग लोन में समायोजित करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो प्रदेश में ऐसे कितने हितग्राहियों का प्रकरण नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है? **(ख)** स्वीकृत प्रकरणों में कितने प्रकरणों

की राशि हितग्राही के हाउसिंग लोन में जमा कर दी गयी है कितने प्रकरण में जमा करना शेष है? (ग) उक्त राशि में केंद्रांश व राज्यांश कितने- कितने प्रतिशत होता है? इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि शासन को केन्द्र से प्राप्त हो चुकी है कितनी प्राप्त होना शेष है तथा प्रदेश ने कितना राज्यांश जमा कर दिया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हाँ। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों द्वारा हाउसिंग लोन लेने पर योजना के घटक “क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)” अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी राशि को हाउसिंग लोन में समायोजित करने का प्रावधान है। प्रदेश में कुल 23615 हितग्राहियों का प्रकरण नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत किया गया है। (ख) स्वीकृत प्रकरणों में परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 23423 प्रकरणों में राशि रू. 47472.46 लाख हितग्राहियों के हाउसिंग लोन में जमा कर दी गई है। शेष 192 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रधानमंत्री आवास योजना के “क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)” में सब्सिडी हेतु केन्द्रांश राशि 100 प्रतिशत है। हितग्राहियों के केन्द्रांश की सब्सिडी राशि भारत सरकार से राज्य शासन को सीधे प्राप्त नहीं होती है, अपितु प्राईमरी लेंडिंग इंस्टिट्यूट (पीएलआई)/बैंक के माध्यम से हितग्राहियों के ऋण खाते में सीधे समायोजित की जाती है। अद्यतन राशि रू. 47472.46 लाख हितग्राहियों के खाते में समायोजित की गई है तथा राशि रू. 13192.20 लाख समायोजित किया जाना शेष है।

आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या व किसान आत्महत्या व अपराधिक घटना की जानकारी [गृह]

15. (क्र. 388) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में सामूहिक हत्या, आत्महत्या व किसान आत्महत्या के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? क्या राज्य सरकार द्वारा इन घटनाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है? यदि हां, तो किस संस्था से और इन घटनाओं का कारण क्या बताया गया है तथा इसे रोकने के लिये क्या सुझाव दिये गये? नेशनल क्राईम ब्यूरो के अनुसार छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? एवं इनके परिवारजनों को कितनी राशि मदद के लिये दी गयी है? (ख) 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में प्रदेश में मानव तस्करी, साईबर ठगी, हत्या की कितनी घटनाओं का प्रकरण दर्ज हुआ है? जिलेवार बतायें तथा साईबर ठगी रोकने हेतु साईबर क्राईम इन्वेस्टिगेटर की राज्य में क्या व्यवस्था है? उक्त अपराधिक घटनाओं पर नेशनल क्राईम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जानकारी संलग्न प्रपत्र “क” पर दर्शित है। जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा कलैण्डर वर्ष के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। नेशनल क्राईम ब्यूरो के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थान की जानकारी संलग्न प्रपत्र “क” पर दर्शित है। पीड़ितों/परिवारजनों को शासन द्वारा राशि रू0 4,48,03,363/- (राशि रू0 चार करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार तीन सौ तिरेसठ) सहायता राशि प्रदान की गई है। (ख) जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र “ख” पर दर्शित है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के तहत छ0ग0 राज्य में साईबर अपराध का अनुसंधान, निरीक्षक अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। उक्त अपराधिक घटनाओं की नेशनल क्राईम ब्यूरो के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थान की जानकारी संलग्न प्रपत्र “ग” पर दर्शित है।

परिशिष्ट - "- इन्क्यावन"

रामवनगमन परिपथ विकास कार्य [पर्यटन]

16. (क्र. 389) श्री अजय चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में रामवनगमन परिपथ विकास कार्य कब से प्रारंभ हुआ है? उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट , किनके द्वारा, कैसे तैयार किया गया? तथा चिन्हित स्थलों में संपूर्ण कार्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? तथा उक्त कार्ययोजना किस एजेंसी/विभाग के द्वारा तय की गयी है? और कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? **(ख)** उक्त वित्तीय वर्ष में राम वन गमन पथ में क्या-क्या कार्य हेतु, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी हैं और कौन-कौन सी कार्य एजेंसी द्वारा कार्य संपादित कराये जा रहे हैं, इन कार्यों के पूर्णता की अवधि क्या है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :**(क)** प्रदेश में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण के विकास कार्य माह अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की अनुबंधित एजेंसी टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड (TCIL) वाॅपकोस लिमिटेड (WAPCOS) एवं हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड (HPL) (भारत सरकार की उपक्रम) द्वारा विभागीय दल से सर्वे कराकर प्रारंभिक रूप से उक्त परिपथ के विकास के लिए अनुमोदित कान्सेप्ट प्लान के आधार पर पृथक-पृथक स्थलवार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। चिन्हित स्थलों में सम्पूर्ण कार्य योजना हेतु विभिन्न विभागों द्वारा स्वीकृत व बजट प्रावधान की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। उक्त कार्ययोजना पर्यटन विभाग/छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा तय की गई है। चिन्हांकित स्थलों में निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। **(ख)** उक्त वित्तीय वर्ष में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्य हेतु स्वीकृत राशि तथा एजेंसी द्वारा संपादित कार्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। कार्यों की पूर्णता की अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "- बावन"

जिला जांजगीर चांपा में स्वीकृत सड़क मरम्मत कार्य

[लोक निर्माण]

17. (क्र. 395) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में सड़क मरम्मत हेतु कहां-कहां किस-किस कार्य के लिए कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई कार्य का नाम स्वीकृत राशि सहित जानकारी देवे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी “पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ” अनुसार है।

जिला जांजगीर-चांपा में राम वन पथ गमन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

[पर्यटन]

18. (क्र. 397) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में राम वन पथ गमन निर्माण हेतु कौन-कौन से कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई है? कार्य स्थान का नाम, लागत राशि सहित कार्य पूर्ण, अपूर्ण की जानकारी देवे?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जिला जांजगीर चांपा में प्रश्नांकित अवधि में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरीनारायण के प्रथम चरण के विकास कार्यों हेतु राशि रू. 5.76 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 15/10/2020 तथा द्वितीय चरण के विकास कार्यों हेतु राशि रू. 16.70 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 23/10/2021 को प्रदान की गई है। कार्य प्रगतिरत है, तथा लागत राशि आदि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- तिरपन"

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के सड़क व पुल पुलिया की मरम्मत हेतु स्वीकृति राशि
[लोक निर्माण]

19. (क्र. 407) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020 -2021 तथा दिसंबर 2022 तक वार्षिक मद से किन-किन मार्गों एवं पुल पुलिया के लिए कितनी कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) क्या सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं? नहीं तो कौन-कौन से कार्य पूर्ण नहीं है अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- चौवन"

श्रम विभाग की योजनाओं की माध्यम से वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 एवं दिसंबर 2021 में सामग्री वितरण के संबंध में
[श्रम]

20. (क्र. 465) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2019-20 तथा 2020- 21 में दिसंबर तक कितने हितग्राहियों को सिलाई मशीन, साइकिल, टूल किट व सेफ्टी किट प्रदान किया जाना था ? (ख) कितनों को सामग्री प्रदान की गयी, विकासखंडवार जानकारी देवें ? (ग) कंडिका 'क' से संबंधित कार्य के लिए वर्ष 2019 -20 तथा 2020-21 में कितनी राशि प्रदान की गई? क्या वितरण के लिए कोई शिविर आयोजित किया गया? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां, कितनी-कितनी सामग्री वितरण की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में श्रम विभाग के अधीन संचालित मंडलों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 (31 दिसम्बर 2021 तक) में सिलाई मशीन, साइकिल, टूल किट व सेफ्टी किट हेतु संचालित योजनांतर्गत सामग्री प्रदाय हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं था। उक्त अवधि में सिलाई मशीन, साइकिल, टूल किट व सेफ्टी किट हेतु संचालित योजनांतर्गत लाभ हेतु प्राप्त आवेदनों की मंडलवार, योजनावार एवं वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में सामग्री वितरण की जानकारी निरंक है। (ग) जानकारी निरंक है।

परिशिष्ट - "- पचपन"

कोण्डागांव नगरपालिका क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत हितग्राहियों को आवास आबंटन
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

21. (क्र. 489) श्री मोहन मरकाम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2019-20, 20-21 एवं 21-22 में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कोण्डागांव नगरपालिका क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया था ? कितने पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटन की सूची में शामिल किया गया ? (ख) क्या उक्त अवधि में अपात्र हितग्राहियों को भी आवास आबंटन का प्रकरण शासन के संज्ञान

में आया ? यदि हां, तो किन-किन हितग्राहियों को तथा दिनांक 15 फरवरी, 2022 की स्थिति में शासन उस पर क्या कार्यवाही की ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वर्ष 2019-20, 20-21 एवं 21-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक अंतर्गत भारत सरकार से कोण्डागांव नगरपालिका क्षेत्र में 1287 हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु डीपीआर की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। योजना के इस घटक में पात्र हितग्राहियों को आवास आबंटन की पृथक सूची तैयार किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) इस घटक अंतर्गत आवासों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा स्वयं किया जाता है। निम्नांकित 03 अपात्रों को लाभ पहुंचाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में आया है।

- 1) श्री रसमन कश्यप पिता घस्सूराम ग्राम रानापाल वि.ख. कोण्डागांव जिला कोण्डागांव।
- 2) श्री योगेन्द्र कुमार पटेल पिता डोमूधर पटेल ग्राम व पोस्ट जैबेल वि.ख. बकावंड जिला बस्तर।
- 3) सुश्री नीता ठाकुर पिता स्व. जगदेव सिंह ठाकुर निवासी मरारपारा वार्ड कोण्डागांव जिला कोण्डागांव 15 फरवरी 2022 की स्थिति में कार्यालय कलेक्टर जिला कोण्डागांव के आदेश दिनांक 18.11.2021 के द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2021 के आधार पर विभाग के पत्र दिनांक 27.01.2022 के द्वारा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सूरज सिदार एवं उप अभियंता श्री संजय कोराम को कारण बताओ सूचना जारी की गई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मुंगेली जिले में सड़कों की स्थिति

[लोक निर्माण]

22. (क्र. 499) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) मुंगेली जिले के मुंगेली, लोरमी, पथरिया ब्लॉक में लोक निर्माण विभाग/मुख्यमंत्री सड़क/प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत विद्यमान कितने मार्गों के निर्माण की समयावधि 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी है? (ख) उक्त में से कितनी सड़कें आंशिक एवं पूर्ण रूप से आवागमन हेतु खराब हो चुकी हैं जिनकी नवीनीकरण की आवश्यकता है? दिनांक 10/02/22 तक कितने मार्गों के नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण किये जाने की योजना/ प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया अथवा लम्बित है? नवीनीकरण कार्य कब तक पूर्ण किये जाएंगे।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ एवं प्रपत्रब” अनुसार है।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु भवन व्यवस्था

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

23. (क्र. 516) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें भवनविहीन हैं या जर्जर स्थिति में है जिलेवार जानकारी बतावें? जर्जर भवन एवं भवनविहीन शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु नये भवन की स्वीकृति कब तक कर ली जावेगी? वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में कितने शासकीय उचित मूल्य की नये दुकान हेतु भवन एवं भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत किये गये एवं किस मद से जिलेवार जानकारी बतावें?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। जर्जर भवन एवं भवनविहीन

शासकीय उचित मूल्य की दुकान हेतु नये भवन की स्वीकृति राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जावेगी। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में नए दुकान भवन एवं मरम्मत हेतु स्वीकृति की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "- छप्पन"

ग्राम गंगरेल में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित वूडन हटर्स मोटल कैटीन एवं वाटरस्पोर्ट्स का संचालन [पर्यटन]

24. (क्र. 517) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गंगरेल में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित वूडन हटर्स मोटल, कैटीन एवं वाटरस्पोर्ट्स का संचालन किस फर्म या संस्था द्वारा किया जा रहा है, उक्त संचालन कितने वर्षों के लिए किस दर पर प्रदान किया गया है? क्या अनुबंध की राशि का भुगतान उक्त व्यक्ति या संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में किया जा रहा है? यदि नहीं, तो कितनी राशि बकाया है? (ख) वूडन हटर्स मोटल, कैटीन एवं वाटरस्पोर्ट्स किराये एवं सेवा शुल्क का निर्धारण क्या विभाग द्वारा किया जाता है या संचालनकर्ता के द्वारा किया जाता है? उक्त संचालनकर्ता के द्वारा सेवा शुल्क की राशि में विगत 03 वर्षों में कब कब वृद्धि की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गंगरेल में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट रिसॉर्ट व रेस्टोरेंट का संचालन प्रबंधकीय अनुबंध धारक मेसर्स ईन्वैटिंग टेलस होटल एण्ड रिसॉर्ट प्रा. लि., इंदौर द्वारा किया जा रहा है। संचालन अनुबंध की तिथि दिनांक 13.06.2019 से प्रथमतः 10 वर्षों के लिए दिया गया है। इस संचालन की वार्षिक दर राशि रु. 41,11,000.00 (कर अतिरिक्त) निर्धारित है, तथा इस वार्षिक दर को प्रति छःमाही अग्रिम तौर पर जमा किया जाना होता है, तथा प्रत्येक दो वर्ष पश्चात गत वार्षिक दर पर 5 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित है। अनुबंध राशि का भुगतान संस्था द्वारा किया जा रहा है। केवल तृतीय वर्ष के प्रथम छःमाही की राशि रु. 21,58,275.00 (कर एवं ब्याज अतिरिक्त) बकाया है। वाटर स्पोर्ट्स संचालन मेसर्स ईसीएचटी इंडीग्रेटेड रिक्रीऐशन फेसिलिटी प्रा. लि., अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। संचालन के लिए लाइसेंस अनुबंध दिनांक 25.10.2016 से आगामी 30 वर्षों के लिए दी गयी है। प्रति छःमाही राशि रु. 4.00 लाख (रु. चार लाख) की दर निर्धारित की गई है। प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस में 8 प्रतिशत की दर से वृद्धि निर्धारित है। लाइसेंस फीस का भुगतान संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में किया जा रहा है। कोई बकाया शेष नहीं है। (ख) बरदिहा लेक व्यू टूरिस्ट रिसॉर्ट व रेस्टोरेंट के संचालन की सेवा शुल्क का निर्धारण संचालनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसमें पर्यटन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं, तथापि संचालनकर्ता से प्राप्त जानकारी अनुसार सेवा शुल्क की औसतन दर प्रति कक्ष राशि रु. 2,000/- से 5,000/- तक निर्धारित की गई है एवं पीक सीजन में कक्षों की औसतन दर प्रति कक्ष राशि रु. 8,000/- से 10,000/- की दर से कम या ज्यादा रखी जाती है। संचालनकर्ता द्वारा रेस्टोरेंट के सेवा शुल्क की राशि में विगत 03 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई। वाटर स्पोर्ट्स संचालन हेतु वाटरस्पोर्ट्स किराये एवं सेवा शुल्क का निर्धारण संचालनकर्ता द्वारा किया जाता है। संचालनकर्ता के द्वारा सेवा शुल्क की राशि में विगत 03 वर्षों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

जिला मुंगेली में धान खरीदी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

25. (क्र. 519) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला मुंगेली में खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल कितने किसानों द्वारा कितने रकबे का धान विक्रय हेतु पंजीकरण

कराया गया था? पंजीकरण के विरुद्ध कृषकों द्वारा कुल कितनी राशि का धान विक्रय किया गया? शासन द्वारा कृषकों को धान विक्रय पश्चात कुल कितनी राशि समर्थन मूल्य/बोनस के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया? ब्लाकवार बतावें। (ख) कितने किसानों द्वारा पंजीयन एवं टोकन कटवाने के पश्चात भी धान क्रय नहीं किया गया, तो क्या एसी स्थित में किसानों के धान को खरिदे जाने हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों। (ग) किसानों द्वारा अपने स्वयं के बारदानों में धान लाने हेतु कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) मुंगेली जिले में खरीफ वर्ष 2021-22 में धान बेचने वाले कुल किसानों की संख्या, रकबा तथा राशि की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	विकासखण्ड	पंजीकृत कृषक तथा रकबा हे. में		किसानों द्वारा विक्रय किये गये धान के समर्थन मूल्य की भुगतान हेतु कुल राशि (करोड़ रुपये में)	किसानों को धान के समर्थन मूल्य की भुगतान की राशि (करोड़ रुपये में)
		कृषक संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)		
1	मुंगेली	32492	39460.8	277.42	277.37
2	लोरमी	35833	36598.16	251.85	251.83
3	पथरिया	23863	30933.83	215.84	215.79
योग		92188	106992.79	745.12	745.00

(ख) मुंगेली जिले में खरीफ वर्ष 2021-22 में कुल पंजीकृत किसानों में से 4293 किसानों के द्वारा धान बिक्री हेतु टोकन नहीं लिया गया तथा 23 किसानों के द्वारा टोकन लिया जाकर धान बिक्री हेतु नहीं लाया गया। निर्धारित तिथि तक खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय हेतु आने वाले सभी किसानों का धान क्रय कर लिया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

(ग) खरीफ वर्ष 2021-22 में मुंगेली जिले में किसान बारदाना हेतु किसानों को रुपये 4.76 करोड़ का भुगतान किया गया है।

सुरक्षा बलो को वेतन के साथ मिलने वाले नक्सली भत्ते

[गृह]

26. (क्र. 521) श्रीमती देवती कर्मा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित जिले कौन-कौन से है? (ख) इन जिलों में तैनात सुरक्षा बलों को वेतन के साथ मिलने वाला नक्सली भत्ते का प्रतिशत बताएं? (ग) मैदानी क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल व अन्दरूनी क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल को वेतन के साथ मिलने नक्सली भत्ते का प्रतिशत कितना हैं?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित जिला क्रमशः जगदलपुर(बस्तर), कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर एवं बीजापुर। (ख) भत्ते का प्रतिशत 50% 35% 20% एवं 15% है। (ग) मैदानी क्षेत्र में नक्सल भत्ते नहीं दी जाती एवं अन्दरूनी क्षेत्रों में संवेदनशीलता/अति संवेदनशीलता के आधार पर 50% 35% 30% 20% एवं 15% दिया जाता है।

ग्राम पंचायत तमनार को नगर पंचायत बनाने संबंधी

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

27. (क्र. 524) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क). विधानसभा लैलूंगा के ग्राम पंचायत तमनार की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? (ख)नगर पंचायत बनाएं जाने के लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है.(ग). किस कारण से ग्राम पंचायत तमनार को नगर पंचायत नहीं बनाया गया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा के ग्राम पंचायत तमनार की वर्ष 2011 में जनसंख्या 5465 है।(ख) राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/ 18/2003, दिनांक 28.02.2003 अनुसार संक्रमणशील क्षेत्रों की अधिसूचना हेतु पांच हजार से अधिक परंतु बीस हजार से कम आबादी का मापदण्ड नगर पंचायत बनाने हेतु निर्धारित है।(ग) प्रस्ताव पर विचारण हेतु ग्राम सभा का संकल्प अप्राप्त होने से संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्रमांक 7493 दिनांक 15.11.2021 एवं पत्र क्रमांक 1228 दिनांक 10.02.2022 द्वारा कलेक्टर रायगढ़ से चाही गई है।

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य

[लोक निर्माण]

28. (क्र. 527) श्री राजमन बेंजाम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-2022 में कौन – कौन से कार्य स्वीकृत किये गए हैं? दिनांक 12/02/22 तक कार्यों की वस्तुस्थिति क्या है? कार्यवार एवं विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट में दी गयी है।

परिशिष्ट - "- सनतावन"

जिला बस्तर में मजदूरों का पंजीयन

[श्रम]

29. (क्र. 528) श्री राजमन बेंजाम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर जिला अंतर्गत वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 में श्रम विभाग द्वारा कितने मजदूरों का पंजीयन किया गया है? नाम सहित विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2020-2021 एवं 2021-22 में मजदूरों को कौन – कौन सी सामग्रियों का वितरण किया गया है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बस्तर जिला अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2020-2021 में 3867 श्रमिकों एवं 2021-22 (दिनांक 15.02.2022 तक) में 1634 श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। नाम सहित मंडलवार एवं विकासखंडवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब, स अनुसार है।(ख) सामग्री वितरण की जानकारी निरंक है।

नगर निगमों में विकास कार्यों हेतु प्रावधानित राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

30. (क्र. 576) डॉ. रमन सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वित्तीय वर्ष 2019-20, 20-21 एवं 21-22 में विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमों के विकास कार्यों हेतु कुल कितनी राशि बजट में प्रावधानित की गई? वर्षवार जानकारी दें? (ख) वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 एवं 18-19 में विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगमों के विकास कार्यों हेतु कुल कितनी राशि बजट में प्रावधानित की गई थी?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश के सभी नगर निगमों के विकास कार्यों हेतु बजट में प्रावधानित राशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	प्रावधानित बजट राशि (करोड़ में)
2019-20	2779.52
2020-21	2676.92
2021-22	2620.42
योग-8076.86	

(ख) प्रदेश के सभी नगर निगमों के विकास कार्यों हेतु बजट में प्रावधानित राशि निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	प्रावधानित बजट राशि (करोड़ में)
2016-17	2367.93
2017-18	2238.95
2018-19	2648.95
योग-7255.83	

फ़ॉर्टिफ़ायड चावल वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

31. (क्र. 587) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या भारत सरकार की कुपोषण से मुक्ति योजना के लिए फ़ॉर्टिफ़ायड चावल वितरण किया जा रहा है? यदि हां तो इस योजना में छत्तीसगढ़ में FCI/नान में खरीफ़ वर्ष 2020-2021 में कितना चावल उपार्जन कर जमा किया गया? विवरण दें? (ख) भारत सरकार के निर्देश के तहत कितना FRK प्रति क्विंटल चावल में मिलाया जाना था? (ग) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भारत शासन द्वारा निर्धारित 100%1 अनुपात में चावल मिलाया गया अथवा नहीं? (घ) अगर मिलाया तो मिलर का चावल जमा शेष कैसे रहा जबकि चावल जमा की गणना राज्य की एजेन्सी मार्कफेड के द्वारा की जाती है और गणना में चावल जमा शेष नहीं था? (ङ) मिलर के ऐसे जमा शेष चावल पर किस नियम/आदेश के तहत चावल की राशि की कटौती कोस्ट शीट के आधार पर की गयी?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हाँ खरीफ़ वर्ष 2020-21 के धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत दिनांक 22 फरवरी 2022 की स्थिति में नागरिक आपूर्ति निगम में 1,00,153 टन फोर्टिफाइड चावल तथा भारतीय खाद्य निगम में 4,17,330 टन फोर्टिफाइड चावल का उपार्जन किया गया है। (ख) भारत सरकार के निर्देश के तहत प्रति क्विंटल चावल में 1 किलोग्राम एफ.आर.के. मिलाया जाना था। (ग) जी हाँ। (घ) राज्य

शासन की कस्टम मिलिंग नीति तथा मिलिंग अनुबंध के प्रावधान अनुसार प्रति क्विंटल धान की मिलिंग उपरांत राईस मिलर से 67 प्रतिशत अरवा चावल तथा 68 प्रतिशत उसना चावल जमा कराया जाना निर्धारित है। चूंकि राईस मिलर द्वारा 1 प्रतिशत एफ.आर.के. को चावल में मिलाकर लॉट प्रदाय किया जाता है अतः शेष 1 प्रतिशत जमा कराये जाने योग्य सामान्य चावल लॉट के साथ जमा नहीं किया जाता है। (ड) प्रश्नांश “घ” में उल्लेखित जानकारी अनुसार शेष जमा कराये जाने योग्य चावल की राशि की कटौती मिलरों के देयकों से की जा रही है।

जिला मुंगेली को जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

32. (क्र. 593) श्री धर्मजीत सिंह : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला -मुंगेली क्षेत्र के किन-किन नगरीय निकायों को जल जीवन मिशन के तहत कितनी- कितनी राशि की स्वीकृति कब-कब दी गई? (ख) कंडिका "क" की योजना के तहत दिनांक 10/02/2022 तक कितना-कितना कार्य पूर्ण कराया गया, क्या इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है हां तो कितनी? (ग) कंडिका "क" के योजना से कुल कितनी आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जिला-मुंगेली क्षेत्र के नगरीय निकायों को जल जीवन मिशन के तहत कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है। (ख) एवं (ग) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में चिन्हांकित पर्यटन स्थल

[पर्यटन]

33. (क्र. 634) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा पंडरिया में कौन कौन से पर्यटन स्थल चिन्हांकित है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) पर्यटन को विकसित करने हेतु इन स्थलों पर कितनी राशि वर्ष 2019 से जनवरी, 2022 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) विधानसभा पंडरिया क्षेत्र में तीन विकासखण्ड पंडरिया, सहसपुर-लोहारा तथा कवर्धा विकासखण्ड का कुछ भाग आता है। विकासखंड सहसपुर -लोहारा, कवर्धा के क्षेत्रांतर्गत में कोई पर्यटन स्थल चिन्हांकित नहीं है। विकासखंड पंडरिया में पारस नगर बकेला पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित किया गया है, तथा यहां जैन पार्श्वनाथ मंदिर व अन्य दर्शनीय स्थल है। (ख) पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर “क” में उल्लेखित पर्यटन स्थलों पर प्रश्नांकित अवधि के दौरान विकसित करने हेतु राशि स्वीकृत व व्यय नहीं की गई है।

संस्कृति विभाग में पंजीकृत लोक कलाकार

[संस्कृति]

34. (क्र. 639) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क.) छत्तीसगढ़ प्रदेश के संस्कृति विभाग में प्रदेश के कितने लोक कलाकार एवं लोक मंच पंजीकृत है, जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं गीतों को प्रदर्शित करते हैं? (ख.) जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक इन पंजीकृत कलाकारों को कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु कार्य दिया गया, संख्या बताएं एवं किन-किन कलाकारों को कितनी राशि प्रदान की गई? (ग.) अभी तक कितने कलाकारों एवं

कला मंचों का उनके द्वारा दिए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सम्पन्न होने के बाद भी दी जाने वाली राशि लम्बित है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) संस्कृति विभाग में उत्तर दिनांक 23.02.2022 तक 2425 लोक कलाकार एवं लोकमंच का चिन्हारी पोर्टल में अस्थायी पंजीयन किया गया है, जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं गीतों को प्रदर्शित करते हैं। (ख) जनवरी 2019 से फरवरी 2022 तक 2504 सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु कार्यदेश/अनुरोध पत्र जारी किया गया। कुल 418 कलाकार दलों को राशि रूपये 15,27,38,000/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख अड़तीस हजार) मात्र प्रदान करने की स्वीकृति की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) अभी तक 346 सांस्कृतिक कार्यक्रमों/कला मंचों का उनके द्वारा दिए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संपन्न होने के बाद दी जाने वाली राशि रूपये 1,87,93,000/- (एक करोड़ सतयासी लाख तिरानवे हजार) मात्र लंबित है।

रायपुर, बिलासपुर एवं बेमेतरा में नवीन जेल का निर्माण

[जेल]

35. (क्र. 640) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क. क्या शासन द्वारा विभाग के लिए रायपुर, बिलासपुर एवं बेमेतरा में नवीन जेल का निर्माण करने की घोषणा की गई थी ? यदि नहीं, तो उक्त तीनों स्थानों पर कब तक नवीन जेल निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? इन नवीन जेलों के निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत कर जारी की गई है? तीनों जेलों के निर्माण की स्वीकृत राशि की जानकारी अलग-अलग दें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :जी हां। जिला बेमेतरा में खुली जेल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 2212.27 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 31.03.2021 को एवं जिला बिलासपुर में विशेष जेल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 12639.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 23.7.2021 को जारी की गई है। जिला रायपुर में विशेष जेल निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। निर्माण पूर्णता की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

जिला जांजगीर-चांपा में धान खरीदी व भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

36. (क्र. 649) श्री नारायण चंदेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में कितने धान खरीदी केन्द्र हैं? धान खरीदी केन्द्र में कितने किसान पंजीकृत हैं ? 1 दिसम्बर 2021 से 07 फरवरी 2022 तक धान खरीदी केन्द्रों में कितना-कितना धान खरीदी किया गया है ? कितने किसान धान बेचने से वंचित रह गये? (ख) क्या उक्त किसानों से खरीदी किये गये धान की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं तो कितने लोगों को नहीं किया गया है ? भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है? (ग) प्रश्न 'क' व 'ख' के संदर्भ में जिन-जिन किसानों को अब तक भुगतान नहीं किया गया है उनका भुगतान कब तक किया जायेगा? जिन किसानों को भुगतान कर दिया गया है उसे किस-किस दर पर भुगतान किया गया है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) जांजगीर-चांपा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 239 धान खरीदी केन्द्र संचालित थे, जिसमें 199878 किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया था। प्रश्नांकित

अवधि में जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी केन्द्रों में खरीदे गये धान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। निर्धारित तिथि तक खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय हेतु आने वाले सभी किसानों का धान क्रय कर लिया गया है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में जांजगीर-चांपा जिले में किसानों से खरीदी किये गये धान में से 190809 किसानों को 159910.19 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। जिले के 65 किसानों को धान खरीदी का 53.6 लाख रुपये का भुगतान तकनीकी कारणों से शेष है। (ग) भुगतान हेतु शेष किसानों को धान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है। किसानों को धान की राशि का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित धान के समर्थन मूल्य, धान कॉमन- 1940 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए-1960 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार किया गया है।

परिशिष्ट - "- अनठावन"

जिला जांजगीर चाम्पा में सुगम सड़कों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

37. (क्र. 654) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला जांजगीर चाम्पा में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 15 फरवरी 2022 तक सुगम सड़क की कितनी सड़के स्वीकृत की गई है ? टेंडर विभागीय प्रक्रिया के पश्चात कितनी स्वीकृत सड़कों पर कार्य प्रारंभ हुआ है ? (ख) कितने में टेंडर गया और किसे प्राप्त हुआ ठेकेदार के नाम और निविदा की जानकारी देवें ? (ग) भुगतान की क्या स्थिति है ?

गृह मंत्री(श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ” अनुसार है। (ख) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब” अनुसार है। (ग) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब” अनुसार है।

नगर पंचायत जैजैपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

38. (क्र. 657) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नगर पंचायत जैजैपुर में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 10 फरवरी 2022 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है, वर्षवार, निर्माण कार्य स्वीकृत राशि सहित बतायें ? (ख) प्रश्नांक क अनुसार उक्त निर्माण कार्य की निविदा कब आमंत्रित की गई ? (ग) क्या निविदा आमंत्रण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई बतायें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क), (ख) एवं (ग) की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- उन्सठ"

प्रदेश में धान खरीदी का भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

39. (क्र. 672) श्री अरुण बोरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क). प्रदेश में 31.01.2022 तक धान खरीदी हेतु कितने किसानों का पंजीयन किया गया? कितनी मात्रा में धान की खरीदी किस दर पर की गई, जिलेवार जानकारी दे? (ख). खरीफ वर्ष 2021-22 में धान उत्पादन केन्द्रों की बफर

लिमिट क्या है? (ग). 31.01.2022 की स्थिति में किसानों से खरीदे गए धान का कुल कितनी राशि का भुगतान हुआ है? यदि शेष है तो भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रश्नांकित अवधि तक धान खरीदी हेतु 24.05 लाख किसानों का पंजीयन कराया गया । वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 हेतु धान के घोषित समर्थन मूल्य (कॉमन धान- 1,940 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान - 1,960 रुपये प्रति क्विंटल) पर प्रश्नांकित अवधि तक 94.89 लाख टन धान की खरीदी की गई । जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अनुसार है ।(ख) जिलेवार उपार्जन केन्द्रों की न्यूनतम एवं अधिकतम बफर लिमिट की जानकारी संलग्न प्रपत्र-बअनुसार है ।(ग)प्रश्नांकित अवधि तक किसानों से खरीदे गए धान की राशि में से 17,468.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया तथा 968.37 करोड़ रुपये का भुगतान शेष था । दिनांक 22 फ़रवरी 2022 तक 4.97 करोड़ रुपये को छोड़कर शेष राशि का भुगतान किया जा चुका है । शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

[परिशिष्ट - "- साठ"](#)

स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

40. (क्र. 673) श्री अरुण वोरा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क). स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में कुल कितनी राशि प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है? (ख). उपरोक्त राशि से दुर्ग जिले के किस-किस नगरीय क्षेत्रों में कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :(क)स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत पिछले 03 वर्षों में यथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रू. 3195.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2020-21 में निरंक एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में निरंक इस प्रकार कुल प्राप्त राशि रू.3195.00 लाख प्राप्त हुई है। (ख)दुर्ग जिले के नगरीय निकायों में निकायवार, कार्यवार तथा तिथिवार स्वीकृति राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- इकसठ"](#)

बालोद जिले के पर्यटन स्थलों के संरक्षण /संवर्धन / उन्नयन

[पर्यटन]

41. (क्र. 686) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बालोद जिले में धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के कौन-कौन से पर्यटन/दर्शनीय स्थल है? पर्यटन स्थलों की श्रेणी सहित स्थलवार जानकारी दें। (ख) कण्डिका 'क' के पर्यटन स्थलों के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन एवं संधारण हेतु विगत 2 वर्षों से 10/2/22 तक क्या-क्या कार्य/कार्यवाही की गई है? जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :(क) बालोद जिले में धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन/दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थलों की श्रेणी सहित स्थलवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।(ख) पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर "क" में उल्लेखित स्थलों के संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन एवं संधारण हेतु विगत 2 वर्षों से दिनांक 10.02.2022 तक अवधि में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

[परिशिष्ट - "- बैसठ"](#)

जिला बालोद में श्रमिकों का पंजीयन

[श्रम]

42. (क्र. 687) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में बालोद जिले में कितने श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है? श्रेणी/मण्डलवार जानकारी देवें (ख) कण्डिका 'क' की स्थिति में कुल कितने श्रमिकों का पंजीयन आवेदन लंबित है? विकासखण्डवार बतावें. (ग) वर्तमान में पंजीकृत श्रमिकों हेतु कौन-कौन सी योजनायें संचालित है एवं इन योजनाओं का लाभ कितने श्रमिकों को दिया गया? मण्डलवार, योजनावार तथा विकासखण्डवार जानकारी देवें.

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में बालोद जिले में कुल 163719 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। श्रेणी/मण्डलवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में पंजीयन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है। (ग) श्रम विभाग के अधीन मंडलों के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित योजनाओं एवं श्रमिकों को दिये गये लाभ की मण्डलवार, योजनावार एवं विकासखण्डवार जानकारी संलग्न प्रपत्र ब, स एवं द अनुसार है।

परिशिष्ट - "- तिरसठ"

सारंगढ विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत / अपंजीकृत श्रमिकों को सामग्रियों का प्रदाय

[श्रम]

43. (क्र. 695) श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ जिले के अंतर्गत सारंगढ विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 तक पंजीकृत एवं पंजीकृत कामगारों श्रमिकों को कौन-कौन सी योजना अंतर्गत क्या-क्या सामग्रियां वितरित की गई हैं ? (ख) श्रम विभाग द्वारा वितरित सामग्रियों के प्रदायकर्ताओं व संस्थान का नाम पता एवं संस्था का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक बताएं ? सामग्री प्रदाय कर्ताओं को कितनी कितनी राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया गया है जानकारी देवे ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) रायगढ जिले के अंतर्गत सारंगढ विधानसभा क्षेत्र में छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना अंतर्गत 27 राजमिस्त्री टूल किट एवं 11 कारपेंटर टूल किट वितरित किया गया है। वर्ष 2020-21 में सामग्री वितरण निरंक है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- चौंसठ"

लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र में जारी बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

44. (क्र. 697) श्री चक्रधर सिंह सिदार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विधानसभा क्षेत्र में लैलूंगा विगत 2 वर्षों 2020-21 तथा 2021-22(जनवरी तक) बीपीएल राशन कार्ड के सत्यापन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए इनमें से कितने राशन कार्ड पात्र पाए गए और कितने अपात्र पाए गए? (ख) क्या पात्र हितग्राहियों के बीपीएल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं? अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के सत्यापन एवं नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2019 में किया गया था, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (ख) प्रश्नांश “क” की जानकारी के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बिलासपुर व रायपुर संभाग अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति

[लोक निर्माण]

45. (क्र. 712) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर व रायपुर संभाग में दिनांक 10/2/2022 की स्थिति में कौन-कौन से कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुए हैं ? कौन-कौन से कार्यों में कितनी समय अवधि कब व क्यों बढ़ाई गई है ? ठेकेदार या फर्म का नाम भी बतावे ? इस हेतु क्या सक्षम अधिकारियों के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं ? यदि नहीं तो क्या सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति ली गई है ? यदि हां तो कब ? (ख) कंडिका “क” अनुसार कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति कब जारी की गई थी, निविदा कब निकाली गई थी, अनुबंध कब किया गया, कार्य कब पूर्ण होना था, कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ? कार्य की लागत कितनी है ? यदि विभागीय त्रुटि के कारण कार्य की समय अवधि बढ़ी है तो किन किन कार्यों की व क्यों ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र- ब” अनुसार है। (ख) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- अ एवं प्रपत्र- ब” अनुसार है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति I

[लोक निर्माण]

46. (क्र. 719) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक विभाग द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी - कितनी राशि बजट में स्वीकृत की गयी और कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई ? कितने कार्य पूर्ण / अपूर्ण है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- पैसठ"](#)

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में AR मद से निर्माण कार्यों की स्वीकृति I

[लोक निर्माण]

47. (क्र. 720) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा AR मद से 2018 से जनवरी, 2022 तक कितनी - कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) उक्त मद से किन - किन ठेकेदारों को संधारण हेतु ठेका दिया गया ? क्या इसकी गुणवत्ता की जाँच विभाग द्वारा की गयी ? अनियमितता पाए जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है । (ख) जानकारी “संलग्न परिशिष्ट” अनुसार है ।

[परिशिष्ट - "- छैंसठ"](#)

स्मार्ट सिटी योजनाओं के अंतर्गत नगर पालिकाओं में विकास कार्य
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

48. (क्र. 724) श्री शिवरतन शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) किन-किन नगरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है इनके चयन का आधार क्या है? (ख) इन नगरों के विकास हेतु किन-किन सत्रों में कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हुई है उक्त राशि में से कितनी कितनी राशि किस-किस नगर पालिका से खर्च की गयी कितनी शेष है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत प्रदेश के 03 शहर रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया है। वर्ष 2015 में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा राज्यों को निर्धारित स्मार्ट सिटी की संख्या के अनुसार राज्य शासन की ओर से राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति से अनुशंसित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा विभिन्न शहरों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर श्रेष्ठ प्रस्तावों का चयन कर केन्द्र सरकार को निर्धारित प्रारूप में भेजा गया। जिसके अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर एवं नवा रायपुर अटल नगर शहर का स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत चयन किया गया। (ख) प्रश्नांश 'ख' अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त राशि, व्यय एवं शेष राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। प्राप्त राशि नगर पालिकाओं के लिए व्यय नहीं की जाती है।

[परिशिष्ट - "- सड़सठ"](#)

एन.एच. 30 माकड़ी से सिंगारभाट तक सड़क मरम्मत कार्य
[लोक निर्माण]

49. (क्र. 728) श्री धरम लाल कौशिक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में एनएच-30 के जिला मुख्यालय कांकेर अंतर्गत माकड़ी से सिंगारभाट तक सड़क के पैच वर्क हेतु कितनी बार निविदा हुई ? उक्त कार्य हेतु क्या विभागीय मद के अलावा अन्य मद से राशि स्वीकृत की गई है ? यदि हाँ तो किस फर्म/ठेकेदार को कितनी लागत राशि का कार्यादेश दिया गया ? मदवार, लागतवार स्वीकृत कार्य का विवरण प्रदान करेंगे ? (ख) क्या प्रश्नांश 'क' के अनुसार प्रश्नांकित अवधि में स्वीकृत निविदा लागत राशि अनुबंध में दिया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त कार्य समाप्त करने की तिथि क्या थी ? कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? पूर्ण नहीं किया गया है तो संबंधित ठेकेदार पर क्या कार्यवाही हुई है ? कोई शिकायत की गई है, हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई विवरण प्रदान करें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) दो बार निविदाएं आमंत्रित की गईं। यह कार्य ई.पी.सी. ठेकेदार की कीमत एवं जोखिम पर कराया गया। जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

[परिशिष्ट - "- अड़सठ"](#)

राजनांदगांव जिले में विभिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

50. (क्र. 731) श्री दलेश्वर साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला राजनांदगांव में वर्ष 2020-21 से दिनांक 12/02/2022 तक अधोसंरचना मद, केन्द्र प्रवर्तित योजना, राज्य

प्रवर्तित योजना, अन्य मद तथा जिले से प्राप्त राशि से कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? क्या समस्त कार्य समयावधि में पूर्ण किये गये ? यदि नहीं, तो अपूर्ण कार्यों के लिए क्या जिम्मेदारी तय की गयी है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।

राजनांदगांव जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कार्यों की स्थिति

[लोक निर्माण]

51. (क्र. 732) श्री दलेश्वर साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-राजनांदगांव जिले में वर्ष २०२०-२१ से दिनांक 12/02/2022 तक विभाग द्वारा किन किन सड़कों एवं पुल पुलियों के मरम्मत कार्यों की स्वीकृति दी गयी है? लागत राशि सहित जानकारी देवें ? कितनी सड़कें एवं पुल पुलिया पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारम्भ है? कितनी सड़कों पुल पुलियों में से किन किन सड़कों एवं भवनों में कितनी- कितनी राशि संधारण एवं रख रखाव के लिए व्यय की गयी है? वर्षवार, विकासखंडवार, कार्यवार, राशिवार जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी “पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट” अनुसार है।

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहकारी उचित मूल्य की दुकानों का संचालन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

52. (क्र. 735) श्री चंदन कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल जिले में सहकारी उचित मूल्य की दुकानों (पी.डी.एस. दुकान) का संचालन किन-किन समूहों के द्वारा किया जा रहा है ? विकासखण्डवार समूह का नाम, गांव सहित दुकानवार बताये ? **(ख)** क्या उक्त समूहों के राशन वितरण में गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? वर्ष 2020-21 से 31.01.2022 तक की जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :**(क)** जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** जी हां, प्रश्नांकित अवधि में 03 उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण में गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें जांच उपरांत शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित दुकान संचालन एजेंसी को आबंटित 02 उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निलंबित कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा 01 उचित मूल्य दुकान का आबंटन निरस्त किया गया है।

[परिशिष्ट - " - उनहत्तर"](#)

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में धान खरीदी केन्द्रों में शार्टेज पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

53. (क्र. 736) श्री चंदन कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शामिल जिलों में कितने धान खरीदी केन्द्र है ? वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 12/02/2022 तक कितना क्विंटल /टन धान खरीदा गया ? क्या खरीदे गये धान व संग्रहण किये गये धान की मात्रा में अंतर/शार्टेज है ? यदि हां, तो कौन-कौन से खरीदी केन्द्रों में कितना-कितना अंतर/शार्टेज है ? खरीदी केन्द्रवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका “क” अनुसार कौन-कौन से खरीदी केन्द्रों से कितना-कितना धान किस कारण से खराब हुआ है ? खराब धान की मूल्य राशि क्या है ? बड़ी मात्रा में धान के खराब होने पर कौन

जिम्मेदार है ? (ग) कंडिका “क” एवं “ख” से संदर्भित दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :(क) नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2020-21 में 19 धान उपार्जन केन्द्र एवं खरीफ वर्ष 2021-22 में 24 धान उपार्जन केन्द्र संचालित थे। खरीफ वर्ष 2020-21 में 47709.78 टन तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में 54989.48 टन धान का उपार्जन किया गया। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिला नारायणपुर के संग्रहण केन्द्र में 553 मे.टन धान शार्टेज पाई गई है तथा खरीदी केन्द्रों में पाई गई धान शार्टेज मात्रा की धान खरीदी केन्द्रवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जित धान के निराकरण की कार्यवाही जारी है। अतः धान के पूर्ण निराकरण उपरांत शार्टेज धान की मात्रा की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। (ख) नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों में खरीफ वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में उपार्जित धान खराब नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 03 प्रतिशत से अधिक सूखत देने वाले समितियों को सूखत की मात्रा की लागत दर की वसूली समितियों को देय कमीशन से किए जाने का निर्णय लिया गया है। नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खराफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी केन्द्र सोनावाल में 03 प्रतिशत से अधिक धान का शार्टेज पाया गया है, जिसके संबंध में मार्कफेड द्वारा शार्टेज धान की राशि की कटौती समिति से देयकों से कर ली गयी है। समिति को हुए नुकसान की वसूली हेतु सहकारी बैंक द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया गया है तथा वसूली की कार्यवाही जारी है। खरीफ वर्ष 2020-21 में नारायणपुर संग्रहण केन्द्र में धान का निराकरण फरवरी 2022 तक किया गया है, धान संग्रहण केन्द्र में सूखत के लिये जिम्मेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

परिशिष्ट - "- सत्तर"

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छता श्रृंगार योजना के अंतर्गत संपादित कार्य

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

54. (क्र. 737) श्रीमती छत्री चंदू साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र केनगरपंचायत अ.चौकी एवं छुरिया में संचालित स्वच्छता श्रृंगार योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 15 फरवरी, 2022 तक कौन कौन से कार्य कब कब , किस कार्य/ फर्म एजेंसी के द्वारा किये गए? वर्षवार, कार्यवार एवं नगरपंचायत वार जानकारी देवे? कार्य एजेंसी का नाम पता सहित बतावे ? (ख) प्रश्नांक "क" के अनुसार किस नियम शर्त के साथ कौन-कौन से कार्य हेतु अनुबंध किया गया, जिसकी कार्यावधि की समय सीमा क्या थी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :(क) राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी तथा नगर पंचायत छुरिया में स्वच्छता श्रृंगार योजना अंतर्गत वर्षवार, कार्यवार संचालन एवं कार्य एजेंसी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) प्रश्नांक ‘क’ के अनुक्रम में उक्त कार्य हेतु नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी एवं नगर पंचायत छुरिया द्वारा छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्र./7472/6234/ 2018/18 नया रायपुर दिनांक 29.08.2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छता श्रृंगार योजना अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुबंध किया गया। अनुबंध अनुसार कार्यावधि की समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुबंध की नियम व शर्तें जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

परिशिष्ट - "- इकहत्तर"

बस्तर संभागान्तर्गत नगरीय क्षेत्र में स्थापित पार्क, बाल उद्यानों का रखरखाव /जीर्णोद्धार
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

55. (क्र. 743) श्री बघेल लखेश्वर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर जिले के कौन-कौन से नगरीय क्षेत्र में कितने पार्क /उद्यान व बाल उद्यान स्थापित हैं जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन की है ? प्रत्येक नगरीय क्षेत्र की पृथक-पृथक जानकारी देंगे ? (ख) कृपया इन उद्यानों/पार्कों के रखरखाव, मरम्मत व सौंदर्यीकरण हेतु वर्ष 2019 से जनवरी, 22 तक बंटित राशि व खर्च की स्थिति बतावें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।
[परिशिष्ट - "- बहत्तर"](#)

बस्तर संभागान्तर्गत पंजीकृत श्रमिक कार्ड्स
[श्रम]

56. (क्र. 744) श्री बघेल लखेश्वर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कितने श्रमिकों को श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं व कितने श्रमिक कार्ड बनाये जाने हेतु पंजीयन किया गया है लेकिन उन्हें श्रमिक कार्ड अभी जारी नहीं किया जा सका है ? (ख) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में ऐसे कितने प्रकरण है जिसमें श्रमिकों को लाभ मिला है / मिल रहा है / लाभ मिल जाने से संबंधित प्रकरण लंबित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में दिनांक 15/02/2022 तक छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 159853 निर्माण श्रमिकों तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 145909 असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जा चुका है। किसी भी श्रमिक का पंजीयन कार्ड जारी किया जाना शेष नहीं है। (ख) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में श्रम विभाग के अधीन संचालित छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत दिनांक 15/02/2022 तक 180034 प्रकरणों में निर्माण श्रमिकों को लाभ मिला है एवं 18438 प्रकरणों में योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन लंबित है। छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत दिनांक 15/02/2022 तक 38739 प्रकरणों में असंगठित कर्मकारों को लाभ मिला है एवं 3274 योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन लंबित है।

नगरपंचायत कुंरा तथा खरोरा को अधोसंरचना विकास हेतु प्राप्त राशि I
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

57. (क्र. 749) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत कुंरा एवम नगर पंचायत खरोरा में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक अधोसंरचना विकास हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? मदवार जानकारी दें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : रायपुर जिला अंतर्गत नगर पंचायत कुंरा एवं नगर पंचायत खरोरा में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक अधोसंरचना विकास हेतु स्वीकृत की गई राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- तिहत्तर"

ग्राम बड़गांव से ग्राम परतापुर सड़क का निर्माण [लोक निर्माण]

58. (क्र. 754) श्री अनूप नाग : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विकास खण्ड कोयलीबेड़ा में लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत ग्राम बड़गांव से ग्राम परतापुर तक सड़क निर्माण हेतु किस कम्पनी से विभाग द्वारा अनुबंध किस आधार पर किया गया है ? उक्त सड़क हेतु शासन से कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है ? विभाग द्वारा अनुबंधित कम्पनी को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार क्या उक्त सड़क निर्माण पुल-पुलिया सहित था ? यदि हां, तो ग्राम बड़गांव से परतापुर तक कितने पुल-पुलिया की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं तथा कितने पुल-पुलिया निर्माण हेतु शेष है ? (ग) प्रश्नांश 'ख' के अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधित कम्पनी को कितने माह में कार्य पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है ? शासकीय कार्य में विलंब हेतु विभाग द्वारा अनुबंधित कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (घ) विभाग द्वारा उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के लिए क्या योजना बनाई है तथा कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख) जी हाँ, पुल-पुलिया स्वीकृति-25 नग (पूर्ण), शेष- निरंका (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट - "- चौहत्तर"

दुर्ग रायपुर संभाग में सिटी बसों का संचालन [नगरीय प्रशासन एवं विकास]

59. (क्र. 791) श्री विद्यारतन भसीन : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि दुर्ग व रायपुर संभाग में सिटी बस का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कुल कितने रूट में कितनी बसों के संचालन के लिए परमिट दिया गया है तथा जनवरी, 2022 में कितने रूट में कितनी बसों का संचालन किया गया है व कितने रूट में कितनी बस असंचालित है व क्यों ? (ख) कंडिका "क" अनुसार जिलों में किन-किन एजेंसियों के द्वारा संयुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है ? संस्थावार जानकारी दें ? इन्हें शासन के द्वारा क्या-क्या सुविधा अनुबंध के अनुसार दी जा रही है और क्या अनुबंध के नियमों का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कहां-कहां नहीं व क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) वर्तमान में दुर्ग व रायपुर संभाग में सिटी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। जनवरी 2022 में किसी भी रूट पर बस का संचालन नहीं किया गया है। समस्त रूटों पर सिटी बस असंचालित है। सम्पूर्णराज्य में कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण दिनांक 23.03.2020 से सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद की गई थी। दुर्ग एवं रायपुर संभाग के बस ऑपरेटर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान रोड टैक्स माफ करने की मांग एवं डीजल, चालक, परिचालक, बीमा, टैक्स, किराया एवं बसों के रख-रखाव के खर्च में वृद्धि होने के कारण अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी से अनुदान राशि की मांग की जा रही है। जिसका अनुबंध में प्रावधान नहीं है। जिसके कारण दुर्ग एवं रायपुर संभाग में सिटी बसों का संचालन चयनित एजेंसियों द्वारा वर्तमान में बंद कर दिया गया है। (ख) दुर्ग व रायपुर संभाग में सिटी बसों के संचालन हेतु चयनित एजेंसियों के नाम संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। वर्तमान में दुर्ग व रायपुर संभाग में किसी भी एजेंसी के द्वारा सिटी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "- पचहत्तर"

स्वच्छ भारत मिशन योजना शौचालयों की जिओ टैगिंग
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

60. (क्र. 792) श्री विद्यारतन भसीन : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत दुर्ग एवं कांकेर शहर के किन-किन स्थानों पर निर्मित शौचालयों की जिओ टैगिंग हुआ है ? स्थानवार जानकारी देवें ? क्या उक्त शौचालय में से किसी शौचालय को नष्ट किया गया है ? यदि हां, तो कौन से जियो टैगिंग को, उक्त के निर्माण का स्थल चयन किस आधार पर हुआ था एवं अनुमति कब हुई थी, उसके नष्ट करने के आदेश कब एवं किसने दिए एवं कब तोड़ा गया ? (ख) क्या उक्त को नष्ट करने से पूर्व विधिवत अनुमति ली गई थी ? यदि हां, तो कब और किससे और नहीं, तो क्यों? उक्त की लागत कितनी थी, बगैर विधिवत कार्यवाही के तोड़ने वाले दोषी अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) जी हाँ। स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत दुर्ग एवं कांकेर शहर में निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का जिओ टैगिंग हुआ है। दुर्ग एवं कांकेर शहर में स्थानवार निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। उक्त दोनों शहरों पर निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों को नष्ट नहीं किया गया है। (ख) प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "- छिहत्तर"

बिलासपुर तथा रायपुर संभाग में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़को का PMGSY अंतर्गत स्थानांतरण
[लोक निर्माण]

61. (क्र. 795) श्री डमरूधर पुजारी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर व रायपुर संभाग में लोक निर्माण विभाग के द्वारा कौन-कौन सी सड़कों को पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया है व क्यों ? (ख) क्या यह सही है कि पीएमजीएसवाई योजना की भी सड़कों को लोक निर्माण विभाग में हस्तांतरित किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों को उपरोक्त संभागों में किया गया है व क्यों ? (ग) विगत वर्ष व इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 12/02/2022 तक कंडिका "क" व "ख" अनुसार सड़कों के मरम्मत के लिए कितनी राशि जारी की गई है? सड़कवार जानकारी बतावें तथा इनके मरम्मत की क्या व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ” अनुसार है। (ख) एवं (ग) जानकारी “पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब” अनुसार है।

श्रम कार्ड हेतु लंबित आवेदन
[श्रम]

62. (क्र. 796) श्री डमरूधर पुजारी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिनांक 12/02/2022 की स्थिति में प्रदेश में कितने आवेदन श्रम कार्ड बनाने हेतु कब से लंबित हैं ? इन्हें कब तक बना दिया जावेगा ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों को पिछले व इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 12/02/2022 तक कुल कितनी साइकिलें, सिलाई मशीन व अन्य सामग्रियों का वितरण

किया गया है ? कितनों को वितरण प्राप्त आवेदन के आधार पर किया जाना शेष है, कब तक किया जाएगा ? जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रदेश में दिनांक 12/02/2022 की स्थिति में श्रम कार्ड बनाने हेतु छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को प्राप्त आवेदन में श्रम कार्ड बनाये जाने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है तथा छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को प्राप्त आवेदन में श्रम कार्ड बनाये जाने हेतु केवल जिला कवर्धा जिले में 37 आवेदन लंबित है, जिसका निराकरण की कार्यवाही निरंतरित है। छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत श्रम कार्ड बनाये जाने का प्रावधान नहीं है। (ख) श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों को पिछले व इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 12/02/2022 की स्थिति में सामग्रियों के वितरण की मंडलवार, जिलेवार एवं वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, ब, एवं स अनुसार है।

परिशिष्ट - "- सतत्तर"

रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अपराधों के दर्ज प्रकरण

[गृह]

63. (क्र. 808) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र के थानों में जनवरी, 2020 से जनवरी, 2022 की स्थिति में लूट, हत्या, डकैती, छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं ? कितने प्रकरण एस.टी., एस.सी. से संबंधित हैं ? (ख) कितने प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है ? कितने प्रकरण शेष हैं ? (ग) कितने आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं ? कितने शेष हैं ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) रायगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत थानों में दर्ज प्रकरणों की थानावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) 153 प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। 45 प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। (ग) 230 आरोपी गिरफ्तार किये गये हैं तथा 53 की गिरफ्तारी शेष है।

परिशिष्ट - "- अठहत्तर"

धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित पी.डी.एस. गोदाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

64. (क्र. 809) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने पी.डी.एस. गोदाम हैं ? (ख) कितने भवन विहीन हैं ? ग्रामवार जानकारी देवें। (ग) भवन विहीन पी.डी.एस. गोदामों के लिए भवन का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानों में 141 पी.डी.एस. गोदाम हैं। (ख) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित 24 उचित मूल्य दुकान हेतु स्वयं के, गोदाम उपलब्ध नहीं है। ग्रामवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर गोदाम निर्माण की कार्यवाही की जा सकेगी।

परिशिष्ट - "- उन्यासी"

धान खरीदी एवं सार्टेज

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

65. (क्र. 815) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खरीफ वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक समर्थन मूल्य पर कितनी धान खरीदी की गई? वित्तीय वर्षवार व जिलावार जानकारी दे? किसानों को किन किन दरों पर किस किस योजना से भुगतान किया गया है? वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक कितने किसानों का धान खरीदना व कितने किसानों का भुगतान बाकी है। (ख) क्या कंडिका "क" के वर्षों में खरीदे गए धान का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है? यदि हां तो किस किस वर्ष का और कितना शॉर्टेज आया है, नहीं तो भौतिक सत्यापन न होने के लिए दोषी कौन है? जिलेवार व वित्तीय वर्षवार जानकारी देवें? (ग) कंडिका "क" की अवधि में खरीदे गए धान में कितना धान खराब हो गया है व क्यों? वर्षवार जिलेवार जानकारी देवे। क्या सरकार ने इन धानों की खुले में नीलामी की है, यदि हां तो सरकार द्वारा खरीदी एवं नीलामी रेट में कितने कितने का अंतर आया है (घ) कंडिका "क" के अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा कितना चावल लेने की स्वीकृति दी गई एवं कितना चावल जमा कराया गया? दिनांक 12/02/2022 तक कितने चावल की मिलिंग हो गई?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिलेवार एवं वर्ष वार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। किसानों को वर्षवार भुगतान दरों की जानकारी निम्नानुसार है -

मद	किसानों को भुगतान की दर प्रति क्विंटल	
	खरीफ वर्ष 2020-21	खरीफ वर्ष 2021-22
समर्थन मूल्य	धान कामन - 1868 रुपये धान ग्रेड ए - 1888 रुपये	धान कामन - 1940 रुपये धान ग्रेड ए - 1960 रुपये
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अन्तर्गत आदान सहायता	प्रति एकड 9000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है	प्रति एकड 9000 रुपये की दर से भुगतान किया जावेगा

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक कुल पंजीकृत 2405275 किसानों में से 2141249 किसानों के द्वारा धान विक्रय किया गया। धान खरीदी हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 7 फरवरी 2022 तक खरीदी केन्द्रों में धान विक्रय हेतु आने वाले सभी किसानों का धान क्रय कर लिया गया है। 31 जनवरी 2022 की स्थिति में 70,007 किसानों को धान के समर्थन मूल्य की राशि 968.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना शेष था। (ख) खरीफ वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन केन्द्रों के अंतिम लेखा मिलान पश्चात उपार्जन केन्द्रों में 1.76 लाख मे.टन धान की मात्रा शॉर्टेज पाई गयी है जिसकी जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। खरीफ वर्ष 2020-21 में संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके निराकरण पश्चात संग्रहण केन्द्रों में शॉर्टेज धान की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। खरीफ वर्ष 2021-22 में उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव एवं संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण तथा निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपार्जन केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों से संपूर्ण धान के निराकरण पश्चात उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र स्तर पर शॉर्टेज धान की जानकारी ज्ञात हो सकेगी। (ग) प्रश्नांकित अवधि में खरीदा गया धान खराब नहीं हुआ है, अतः प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। (घ) खरीफ वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में 48 लाख मे.टन चावल जमा करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध 47.87 लाख मे.टन चावल जमा किया जा चुका है। खरीफ वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में 61.65 लाख मे.टन चावल जमा करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध दिनांक 12/02/2022 तक 16.65 लाख मे.टन चावल जमा किया जा चुका है।

परिशिष्ट - "- अस्सी"

रायपुर शहर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पर कार्यवाही
[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

66. (क्र. 816) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में 1 जनवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक कितने अवैध कब्जे व कितने अवैध प्लाटिंग के मामले दर्ज किए गए हैं? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) अवैध कब्जा व प्लाटिंग के मामले में दिनांक 12/02/2022 तक क्या क्या कार्यवाही की गई? क्या सभी अवैध प्लाटिंग के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है, नहीं तो क्यों? (ग) रायपुर नगर के रिक्त शासकीय भूमि के रख रखाव के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई है? क्या शासकीय जमीनों को चिन्हांकित किया गया है? यदि हां तो कुल कितने कितने स्थान पर कितने शासकीय जमीन उपलब्ध है। मोरेश्वर राव गद्रे, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, चन्द्रशेखर आजाद, डॉ खूबचंद बघेल, संत भक्त माता कर्मा वार्ड में कितनी शासकीय जमीन है? (घ) क्या शासकीय जमीनों को सार्वजनिक कार्यों हेतु चिन्हांकित किया गया है, यदि हां तो कितनी जगह किस किस कार्यों के लिए?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत 01 जनवरी 2019 से 10 फरवरी 2022 तक की अवधि में कुल 1021 स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा एवं 245 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग करने के मामले दर्ज किए गए है । वर्षवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे के 1021 मामलों पर निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:-

1. कब्जा हटाये गए - 490
2. नोटिस दिया गया - 252
3. कार्यवाही प्रचलित - 279

योग - 1021

इसी तरह अवैध प्लाटिंग के 245 प्रकरणों पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

1. एफ.आई.आर. दर्ज - 209,
2. अवैध प्लाटिंग सिद्ध नहीं - 01
3. कार्यवाही प्रक्रियाधीन - 35

योग - 245

(ग) नगर पालिक निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत रिक्त शासकीय भूखण्डों में से चिन्हांकित 20 स्थलों का सुरक्षित रख-रखाव किया जा रहा है। जिसमें से मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड में 04, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड में 01 एवं चन्द्रशेखर आजाद वार्ड में 09, स्थानों पर शासकीय भूमि उपलब्ध है । डॉ.खूबचंद बघेल, वार्ड एवं संत भक्त माता कर्मा वार्ड में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है । (घ) जी हां । सार्वजनिक कार्यों हेतु चिन्हांकित भूमि का प्रयोजन एवं रकबे की जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

परिशिष्ट - "- इक्यासी "

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट


पारिशेष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 813) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छ(ग) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 1 जनवरी 2019 से 10 फरवरी 2022 तक संचालित योजनाओं की जानकारी

क्र०	योजना का नाम	योजना प्रारंभ तिथि	रिमार्क
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	01-10-2010	—
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	01-10-2010	—
3	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	01-10-2010	—
4	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	04-03-2010	—
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	04-03-2010	—
6	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	04-03-2010	इस योजना को दिनांक 09.06.2020 से मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में विलय किया गया है।
7	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	04-03-2010	यह योजना शासन के आदेश दिनांक 30.05.2019 से बंद कर दिया गया है।
8	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	11-01-2012	—
9	गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	27-11-2012	यह योजना दिनांक 01.12.2020 से बंद कर दिया गया है।
10	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	26-11-2012	—
11	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना	02-11-2012	—
12	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	06-01-2012	—
13	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	05-09-2012	—
14	निर्माण महिला मजदूर स्व-सहायता योजना	06-01-2014	यह योजना दिनांक 09.10.2020 से बंद कर दिया गया है
15	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना	26-09-2015	—
16	मुख्यमंत्री अटल पेंशन योजना	08-06-2015	—
17	श्रम मित्र योजना	21-12-2015	—
18	निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना	15-05-2015	—
19	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	15-05-2015	—
20	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	01-06-2016	—
21	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	23-05-2017	—
22	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	12-01-2017	—
23	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सिजन टिकट कार्ड योजना	30-09-2017	यह योजना दिनांक 09.10.2020 से बंद कर दिया गया है
24	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु वस्त्र प्रदाय	30-10-2017	यह योजना दिनांक 09.10.2020 से बंद कर दिया गया है
25	दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना	26-05-2017	यह योजना दिनांक 09.10.2020 से बंद कर दिया गया है
26	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता	02-02-2017	—
27	विशेष शिक्षा सहायता योजना	01-07-2018	—
28	निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना	20-04-2018	—
29	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (converged)	28-05-2018	छ(ग) शासन श्रम विभाग एवं भारतीय जीवन बीमा निगम एल(आई)सी(0) के माध्यम से अनुबंध अनुसार दिनांक 28.05.2018 से 28.05.2019 तक निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (converged) के माध्यम से किया जा रहा था।
30	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	09-06-2020	—
31	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	25-11-2021	—
32	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	29-01-2022	—


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
— दिनांक

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 1 जनवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक योजनाओं में प्राप्त आवेदन की जानकारी

क्र०	वर्ष	योजना का नाम			
		मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना प्राप्त आवेदन	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना प्राप्त आवेदन	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना प्राप्त आवेदन	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना प्राप्त आवेदन
1	2019	31094	3590	52424	42240
2	2020	5607	1103	9029	7651
3	2021	3832	642	3869	5719
4	2022 (10 फरवरी तक)	477	118	389	713
योग		41010	5453	65711	56323


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

छ.ग.भवन एवं अन्य सज्जिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत 1 जनवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक योजनाओं में वितरित/लाभान्वित संख्या व व्यय की जानकारी

क्र०	वर्ष	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना		मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना		मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना		मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना		महायोग	
		वितरित/लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	वितरित/लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	वितरित/लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	वितरित/लाभान्वित संख्या	व्यय राशि	वितरित/लाभान्वित संख्या	व्यय राशि
1	2019	2997	10985217	389	1633800	23935	35423800	3708	4709875	31029	52752692
2	2020	1	3707	278	1167600	2264	3350720	101	123977	2644	4646004
3	2021	0	0	47	197400	3366	4981680	61	68371	3474	5247451
4	2022 (10 फरवरी तक)	0	0	17	71400	0	0	1	2326	18	73726
	योग	2998	10988924	731	3070200	29565	43756200	3871	4904549	37165	62719873

टीप :- मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना अंतर्गत 2209 महिला सायकल (3707 रुपये प्रति नगा) एवं 789 पुरुष सायकल (3549 रुपये प्रति नगा) कुल सायकल 2798 जिस पर राशि रुपये 10988924 व्यय किया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 हत्तीसागढ़ शासन
 श्रम विभाग

परीक्षण - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 729) की जानकारी

जिला राजनांदगांव में वर्ष 2020 से दिनांक 12-2-2022 तक बायोडिजल विक्रय केन्द्र स्थापित करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमति की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	एजेंसी/आवेदक/फर्म का नाम	संचालन स्थल	विविध विभागों से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	जारी क्र. एवं दिनांक	जिला डंडाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्र व दिनांक
1	डोंगरगाढ	श्री जिन्दल कनोला, मेसर्स रामेश्वर पर्युल्स, गुडयारी रायपुर	ग्राम उरईडकारी तहसील डोंगरगाढ	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगाढ 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	44/30-11-2020 2691/26-11-2020 2269/11-11-2020 2030/06-11-2020 01/10-11-2020	7565/03-12-2020
2	राजनांदगांव	श्री वैभव होडी, मेसर्स शीन शक्ति एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड, बी-9 सेन्ट्रल एवेन्यु, स्मॉल्टि नगर, झिलाई, जिला दुर्ग	ग्राम टेडसरा, प.ह.नं. 28, तहसील व जिला राजनांदगांव	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, राजनांदगांव 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- ग्राम पंचायत प्रस्ताव 5- जिला सेनाली, नगर सेवा एवं अग्निशमन अधिकारी, राजनांदगांव	28/13-10-2020 668/29-09-2020 1677/09-09-2020 03/02-04-2019 114/04-09-2020	4131/21-12-2020
3	डोंगरगाढ	डायरेक्टर, समृद्धि खनिज एंड एग्री प्रा. लि., मालवीय नगर, दुर्ग	ग्राम कोलिहापुरी तहसील डोंगरगाढ	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगाढ 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	51/31-05-2021 1308/19-03-2021 473/09-03-2021 3000/19-02-2021 68/02-09-2021	4675/12-07-2021
4	डोंगरगाढ	मेसर्स राजस्थान गुजरात पर्युल्स, कोलिहापुरी तहसील डोंगरगाढ जिला राजनांदगांव	ग्राम कोलिहापुरी तहसील डोंगरगाढ	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगाढ 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	3100/21-09-2021 1441/03-08-2021 942/24-07-2021 09/29-07-2021 75/13-10-2020	7025/01-10-2021
5	डोंगरगाढ	श्री अतीक अहमद, रामपुरि चिचोला, तहसील डोंगरगाढ जिला राजनांदगांव	ग्राम रामपुर तहसील डोंगरगाढ	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगाढ 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	3272/30-09-2021 1889/23-09-2021 2422/25-09-2021 0/11-09-2021 73/22-10-2020	782/20-10-2021
6	छुरिया	श्री सोरभ सोमानी, ग्राम महराजपुर, तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव	ग्राम महराजपुर तहसील छुरिया	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगांव 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	256/28-01-2022 2089/27-10-2021 2502/01-10-2021 03/24-09-2021 86/08-02-2022	8394/26-11-2021
7	डोंगरगांव	श्री सुदर्शन कुमार गुप्ता सोमनी, राजनांदगांव एवं मोहनमद सीलम भाई, दुर्ग	ग्राम नाथुनवागांव तहसील डोंगरगांव	1- पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव 2- अनुविभागीय डंडाधिकारी, डोंगरगांव 3- उच्च संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव 4- क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग 5- ग्राम पंचायत प्रस्ताव	2492/28-12-2021 3449/31-12-2021 06/26-10-2021	1276/10-02-2022

अनुभावा अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुभावा अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुभावा अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अनुभावा अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विषय :- तहसील लोरमी में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़क।

क्र.	तहसील का नाम	जिले का नाम	कार्य/गांव/शहर का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाख में)	प्रारंभ	पूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2020-21									
1	लोरमी	मुंगेरी	शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन हरदी खेततरा में सी.सी. पहुंच मार्ग	0.45	40.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
2	लोरमी	मुंगेरी	शासकीय हाई स्कूल भवन सुकली में सी.सी. पहुंच मार्ग	0.50	50.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
3	लोरमी	मुंगेरी	डोंगरिया में नहर पुल से शासकीय हाई स्कूल भवन एवं गोदाम तक सी.सी. पहुंच मार्ग	0.55	45.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
4	लोरमी	मुंगेरी	उरईकछार स्कूल भवन से सेवा सहकारी समिति दुकान तक में सी.सी. पहुंच मार्ग	0.24	24.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
5	लोरमी	मुंगेरी	शासकीय हाई स्कूल भवन बघमार में सी.सी. पहुंच मार्ग	0.15	11.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
6	लोरमी	मुंगेरी	शासकीय हाई स्कूल भवन घठोली में सी.सी. पहुंच मार्ग	0.10	10.00	-	कार्य पूर्ण	-	-

क्र.	तहसील का नाम	जिले का नाम	कार्य/गांव/शहर का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाख में)	प्रारंभ	पूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	लोरमी	मुंगेली	शासकीय हाई स्कूल भवन एवं पंचायत भवन अखरार तक सी.सी. पहुंच मार्ग	0.20	19.84	—	कार्य पूर्ण	—	—
8	लोरमी	मुंगेली	शा.मिडिल स्कूल/गोदाम भवन महरपुर में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.45	45.00	—	—	अप्रारंभ	—
9	लोरमी	मुंगेली	शा.स्कूल भवन सरई पतेरा में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.50	50.00	—	—	अप्रारंभ	—
10	लोरमी	मुंगेली	शा.स्कूल भवन टोलापारा (धनियाडोली) में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.50	50.00	—	—	अप्रारंभ	—
11	लोरमी	मुंगेली	शा.स्कूल भवन सहसपुर में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.50	50.00	—	—	अप्रारंभ	—
12	लोरमी	मुंगेली	ग्राम विचारपुर फुलवारीकला स्कूल से मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.50	50.00	—	—	अप्रारंभ	—
			योग:- 12 कार्य	4.64	444.84		07 पूर्ण	05 अप्रारंभ	—

क्र.	तहसील का नाम	जिले का नाम	कार्य/गांव/शहर का नाम	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृति राशि (लाख में)	प्रारंभ	पूर्ण	अप्रारंभ	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2021-22									
1	लोरमी	मुंगेरी	शासकीय छात्रावास भवन बरमपुर में सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.15	14.99	-	-	-	प्रगति पर
2	लोरमी	मुंगेरी	मुख्य मार्ग से थाना एवं मिडिल स्कूल भवन खुडिया तक सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.17	17.68	-	-	-	प्रगति पर
3	लोरमी	मुंगेरी	मुख्य मार्ग से मिडिल स्कूल भवन डिडौरी तक सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.14	14.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
4	लोरमी	मुंगेरी	मुख्य मार्ग से शासकीय स्कूल भवन कोदवा महंत तक सी.सी. रोड पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	0.06	6.00	-	कार्य पूर्ण	-	-
			योग:- 04 कार्य	0.52	52.67		02 पूर्ण	-	02 प्रगति पर


मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


13/3/2022

परोशेष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 725) की जानकारी



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर, छ0ग0

// आदेश //

कमांक / 3 / रीडर / कले0 / 2022 जगदलपुर

दिनांक 16/2/2022

प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में संजयगांधी वार्ड वासियों द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम / पदनाम	कैफियत
1	अपर कलेक्टर, जगदलपुर, जिला बस्तर ।	अध्यक्ष
2	आयुक्त, नगरपालिक निगम, जगदलपुर ।	सदस्य
3	अनुविभागीय अधिकारी (रा0), जगदलपुर ।	सदस्य
4	अनुविभागीय अधिकारी, वन, जगदलपुर	सदस्य
5	नगर पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर ।	सदस्य
6	नजूल अधिकारी, जगदलपुर ।	सदस्य
7	सहायक अभियंता, अनुभाग जगदलपुर रेलवे ।	सदस्य
8	सहायक संचालक, नगर निवेश, जगदलपुर ।	सदस्य

समिति द्वारा 15 दिवस के भीतर जांच कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर

दिनांक 16/2/2022

पृ0कमांक / 3 / रीडर / कले0 / 2022 जगदलपुर
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर ।
2. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला बस्तर

उप सांचद
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल भवन

परिशेष - पांच
ताराकेत प्रश्न संख्या 14 (क्र. 5) की जानकारी

विषय :- अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न वर्षों में बजट में शामिल सड़क निर्माण (नवीन)

सं.क्रं.	बजट में शामिल सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा आमंत्रण की तिथि
1	2	3	4
वर्ष 2018-19			
1	जिला जांजगीर चांपा के वि.ख. अकलतरा के ग्राम अमलीपाली के अर्द्धनारीश्वरधाम मार्ग निर्माण पुल-पुलिया सहित	अप्राप्त	-
2	जिला जांजगीर चांपा के वि.ख. अकलतरा के ग्राम खिसोरा के पहरीनाला से मेनरोड मार्ग का उन्नयन कार्य निर्माण पुल-पुलिया सहित	अप्राप्त	-
3	जिला जांजगीर चांपा के वि.ख. अकलतरा के ग्राम पुरैना से बहेरापाली मार्ग निर्माण पुल-पुलिया सहित	06.02.2020	15.06.2020
4	जिला जांजगीर चांपा के वि.ख. अकलतरा के ग्राम खिसोरा से बेलटुकरी नहर के नीचे मार्ग निर्माण पुल-पुलिया सहित	06.02.2020	04.06.2020
योग :- 4 कार्य		2 कार्य	2 कार्य
वर्ष 2019-20			
1	जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा अधियाशीपाट लटिया रसेडा अर्जुनी परसदा मार्ग का उन्नयन कार्य	अप्राप्त	-
2	जिला जांजगीर-चांपा के कापन से परसदा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	अप्राप्त	-
3	जिला जांजगीर-चांपा के हरदी के गजमर्सा पीपर मुख्य मार्ग से पचरिहा पारा तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	26.03.2020	15.06.2020

बजट में शामिल सड़क का नाम

योग :- 3 कार्य

वर्ष 2020-21

सं.क्र.	बजट में शामिल सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा आमंत्रण की तिथि
1	2	3	4
	योग :- 3 कार्य	1 कार्य	1 कार्य
वर्ष 2020-21			
1	जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा बायपास मार्ग का निर्माण	अप्राप्त	-
2	जिला जांजगीर चांपा के विकासखंड अकलतरा के ग्राम परसाही (बाना) से विकासखंड बलौदा के ग्राम दोरला तक मार्ग निर्माण पुल पुलिया सहित	पुनरावृत्ति	-
3	जिला जांजगीर चांपा के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम खोहा से उसलापुर मार्ग का निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित	22.12.2020	01.04.2021
4	जिला जांजगीर चांपा के मुलमुला बनाहील मार्ग का उन्नयन एवं नवीनीकरण	अप्राप्त	-
5	जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा बलौदा मार्ग के 10.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण	अप्राप्त	-
	योग :- 5 कार्य	1 कार्य	1 कार्य
2021-22 (01.02.2022 तक)			
1	कापन से परसदा पुल-पुलिया सहित	अप्राप्त	-
2	जिला जांजगीर चांपा के परसाही से दोरला मार्ग का निर्माण	07.02.2022	-
3	जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा से बलौदा मार्ग का निर्माण	अप्राप्त	-
4	सोनाईडीह से मरकाडीह मार्ग का निर्माण पुल पुलिया सहित	अप्राप्त	-
5	पंजरिया से दोरला मार्ग का निर्माण पुल पुलिया सहित	अप्राप्त	-

सं.क्रं.	बजट में शामिल सड़क का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	निविदा आमंत्रण की तिथि
1	2	3	4
6	कटघरी पच्ची मुख्य मार्ग से सरईगुहन मार्ग का निर्माण पुल पुलिया सहित	अप्राप्त	-
7	चांपा कोरबा मार्ग से नैला पहरिया मार्ग का निर्माण	अप्राप्त	-
	योग :- 7 कार्य	1 कार्य	-


मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परीशेष - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 525) की जानकारी

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
1	तिरथुम	452004001	ग्राम पंचायत, तिरथुम
2	कोडेनार	452004002	ग्राम पंचायत, कोडेनार
3	बड़े किलेपाल	452004003	ग्राम पंचायत, बड़े किलेपाल
4	छोटेकिलेपाल	452004004	ग्राम पंचायत, छोटेकिलेपाल
5	कुम्हारसाडरा	452004005	ग्राम पंचायत, कुम्हारसाडरा
6	पालानार	452004006	महिला स्व सहायता समूह, पालानार
7	कापानार	452004007	ग्राम पंचायत, कापानार
8	बड़े काकलूर	452004008	संजीवनी विकास समिति, जगदलपुर(बड़े काकलूर)
9	बड़े बोदेनार	452004009	ग्राम पंचायत, बड़े बोदेनार
10	इरपा	452004010	ग्राम पंचायत इरपा
11	बास्तानार	452004011	ग्राम पंचायत, बास्तानार
12	कण्डोली	452004012	ग्राम पंचायत, कण्डोली
13	बागमुण्डीपनेडा	452004013	ग्राम पंचायत, बागमुण्डीपनेडा
14	जामगांव	452004014	ग्राम पंचायत, जामगांव
15	मुतनपाल	452004015	ग्राम पंचायत, मुतनपाल 1
16	बुरगुमं	452004016	ग्राम पंचायत, बुरगुम
17	लालागुडा	452004017	ग्राम पंचायत, लालागुडा
18	तुरागुंर	452004018	ग्राम पंचायत, तुरागुंर
19	बड़े काकलूर	452004019	लेम्पस कोडेनार,(कुचेपाल)
20	कोडेनार	452004020	प्राथमिक शिक्षित युवा बेरोजगार सहकारी समिति, जगदलपुर (कोडेनार)
21	बड़े किलेपाल	452004021	ग्राम पंचायत बड़ेकिलेपाल 2 (गुरियापारा)
22	गोरियापाल	452004022	लेम्पस कोडेनार, गोरियापाल
23	बास्तानार	452004023	लेम्पस बास्तानार (बास्तानार- नाकापारा)
24	बड़े बोदेनार	452004024	लेम्पस बास्तानार(मासापारा)
25	वाहनपुर	452004025	ग्रामपंचायत, वाहनपुर
26	साडराबोदेनार	452004026	ग्रामपंचायत साडरा बोदेनार
27	बड़े किलेपाल	452004027	महिला जय गंगे स्व सहायता समूह बड़ेकिलेपाल

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
28	सावगेल	452004029	ग्राम पंचायत सांवगेल
29	सिलकझोड़ी	452004030	ग्राम पंचायत सिलकझोड़ी
30	कोरंगाली	452004032	तुलसी महिला स्व सहायता समूह (कोरंगाली)
31	मुतनपाल-02	452004033	विपणन सहकारी समिति मर्या (मुतनपाल 2)
32	परलमेटा	452004034	विपणन सहकारी समिति मर्यादित बास्तानार (परलमेटा)
33	बिरगाली	452004035	ग्राम पंचायत बिरगाली
34	डिलमिली	452005001	लैम्प्स डिलमिली
35	अलवा	452005002	ग्राम पंचायत, अलवा
36	ढाढरेपाल	452005003	कृषक विपणन सहकारी समिति ढोढरेपाल
37	चितापुर	452005004	ग्राम पंचायत चितापुर
38	बड़े कड़मा	452005005	नारी संबल स्व सहायता समूह, बड़े कड़मा
39	चिड़पाल	452005006	ग्राम पंचायत चिड़पाल
40	मामड़पाल	452005017	स्व सहायता समूह मामड़पाल
41	चन्द्रगिरी	452005018	चन्द्रगिरी (लैम्प्स दरभा)
42	कटेनार	452005019	ग्राम पंचायत कटेनार
43	केलाऊर	452005020	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित डीलमिली,केलाऊर
44	बीसपुर (वनग्राम)	452005021	जलनी माता महिला स्व सहायता समूहख, बीसपुर
45	पखनार	452005022	स्व सहायता समूह पखनार 1
46	नीलेगौंदी बोदेनार	452005023	ग्राम पंचायत नीलेगौंदी बोदेनार
47	छिन्दवाड़ा	452005024	महिला स्व सहायता समूह छिन्दावाडा
48	पखनार	452005035	ग्राम पंचायत पखनार-2
49	करका	452005037	ग्रामपंचायत करका
50	गुमड़पाल	452005040	ग्राम पंचायत, गुमड़पाल
51	तोयनार (वनग्राम)	452005041	ग्राम पंचायत ताेयनार
52	काटाकांदा	452005042	(ग्राम पंचायत डिलमिली) कांटाकांदा
53	डिलमिली-02	452005043	ग्राम पंचायत डिलमिली 2
54	पखनार-02	452005045	ग्राम पंचायत पखनार 2
55	चन्द्रगिरी-02	452005046	ग्राम पंचायत चन्द्रगिरी 2
56	चितापुर-02	452005047	ग्राम पंचायत चितापुर 2
57	छिन्दवाड़ा-03	452005048	तिल फूल महिला स्व सहायता समूह (छिन्दावाडा 3)

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
58	छिन्दवाड़ा-02	452005050	आस्था स्व सहायता समूह (छिन्दवाड़ा ०२)
59	कोण्डालूर	452006001	ग्राम पंचायत, कोण्डालूर
60	घाटधनोरा	452006002	महिला स्व सहायता समूह, घाटधनोरा
61	छापरभानपुरी	452006003	ग्राम पंचायत, छापरभानपुरी
62	सिरसीगुड़ा	452006004	उपभोक्ता भण्डार, सिरसीगुड़ा
63	साकरगांव	452006005	ग्राम पंचायत साकरगांव
64	टाहकापाल	452006006	ग्राम पंचायत टाहकापाल
65	सिंगनपुर	452006007	मा दंतेश्वरी चांदनी महिला स्व सहायता समूह, सिंगनपुर
66	पोटानार	452006008	ग्राम पंचायत पोटानार
67	देउरगांव	452006009	स्व सहायता समूह, देउरगांव
68	करंजी	452006010	ग्राम पंचायत, करंजी
69	कुरैगा	452006011	मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह कुरैगा
70	टेकामेटा	452006012	ग्राम पंचायत, टेकामेटा(देउरगांव में संलग्न)
71	रानसरगीपाल	452006013	ग्राम पंचायत रानसरगीपाल
72	भडीसगांव	452006014	महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह भडिसगांव
73	बड़े मोरठपाल	452006015	ग्राम पंचायत, बड़े मोरठपाल
74	पलवा	452006016	मा दंतेश्वरी फूलदई महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत पलवा
75	डिमरापाल	452006017	मा दंतेश्वरी धनमती महिला स्व सहायता समूह, डिमरापाल
76	बड़ेमारैगा	452006018	ग्राम पंचायत, बड़ेमारैगा
77	कलेपाल	452006019	ग्राम पंचायत, कलेपाल
78	राजूर	452006020	ग्राम पंचायत, राजूर
79	केशलूर	452006021	ग्राम पंचायत, केशलूर
80	तोकापाल	452006022	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तोकोपाल
81	एराकोट	452006023	जलनी महिला स्व सहायता समूह एराकोट
82	छोटे पाराकोट	452006024	ग्राम पंचायत बड़े पाराकोट [छोटे पाराकोट]
83	परपा	452006025	ग्राम पंचायत परपा
84	बड़े आरापुर	452006026	ग्राम पंचायत, बड़े आरापुर
85	एरण्डवाल	452006027	ग्राम पंचायत, एरण्डवाल
86	रायकोट	452006028	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, रायकोट

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
87	मावलीभाटा	452006029	खनिज सहकारी समिति मटकोट, मावलीभाटा
88	मटकोट	452006030	ग्राम पंचायत, मटकोट
89	बुरंगपाल	452006031	ग्राम पंचायत बुरंगपाल
90	नैननार	452006032	ग्राम पंचायत, नैननार
91	बारूपाटा	452006033	प्राथमिक आदिवासी खनिज सहकारी समिति मर्यादित मटकोट (बारूपाटा)
92	सालेपाल	452006034	ग्राम पंचायत, सालेपाल
93	राजूर	452006035	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति तोकोपाल
94	पखनारचा	452006036	ग्राम पंचायत पखनारचा
95	बुरूगपाल	452006037	ग्राम पंचायत, नहरमुण्डा
96	कोयापाल	452006038	ग्राम पंचायत कोयपाल
97	मण्डवा	452006039	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति रायकोट मण्डवा
98	डोंगरीगुडा	452006040	ग्राम पंचायत डोंगरीगुडा
99	तेलीमारंगा	452006041	ग्राम पंचायत तेलीमारंगा
100	सोसनपाल	452006042	ग्राम पंचायत सोसनपाल
101	भेजरीपदर	452006043	गंगा स्व सहायता समूह, भेजरीपदर
102	तेलंगाआरपुर	452006044	ग्राम पंचायत, तेलंगाआरपुर
103	राजुर-02	452006045	ग्राम पंचायत राजुर 2
104	दुगनपाल	452006046	ग्राम पंचायत दुगनपाल
105	नैनमूर	452006047	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित नयापारा(नैनमूर)
106	सालेपाल	452006048	प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित नयापारा (सालेपाल 2)
107	सिरसीगुडा	452006049	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सिरिसगुडा
108	छापरभानपुरी	452006050	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सिरिसगुडा(छापरभानपुरी में संलग्न)
109	रायकोट	452006051	प्राथमिक आदिवासी खनिज सहकारी समिति मर्यादित मटकोट रायकोट 2
110	पथरली उडवा	452006052	ग्राम पंचायत पथरली उडवा
111	एरपुंड	452007001	मां दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह एरपुंड
112	हराकोडेर	452007002	मां दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह हराकोडेर
113	चंदेला	452007003	ग्राम पंचायत चंदेला
114	ककनार	452007004	ग्राम पंचायत, ककनार
115	भेजा	452007005	लेम्पस बिन्ता

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
116	बिन्ता	452007006	ग्राम पंचायत बिन्ता
117	करेकोट	452007007	ग्राम पंचायत, करेकोट
118	सतसपुर	452007008	लेम्पस बिन्ता
119	मारडूम	452007009	ग्राम पंचायत, मारडूम
120	मटनार	452007010	ग्राम पंचायत मटनार
121	चित्रकोट	452007011	यमुना स्व सह समिति, चित्रकोट
122	कुम्हली	452007012	लैम्पस बड़ाजी में संलग्न
123	बड़ाजी	452007013	उपभोक्ता भण्डार, बड़ाजी
124	उसरीबेड़ा	452007014	मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह, उसरीबेड़ा
125	मारीकोडेर	452007015	दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह, मारीकोडेर
126	पारापुर	452007016	ग्राम पंचायत, पारापुर
127	बडेधाराउर	452007017	उपभोक्ता भंडार , बडेधाराउर
128	टाकरागुडा	452007018	ग्राम पंचायत टाकरागुडा
129	बेलर	452007019	ग्राम पंचायत बेलर
130	दाबपाल	452007020	दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह, दाबपाल
131	छोटेपरोदा	452007021	ग्राम पंचायत, छोटेपरोदा
132	कुथर	452007022	माँ दंतेश्वरी महिला समिति कुथर
133	कस्तुरपाल	452007023	ग्राम पंचायत, कस्तुरपाल
134	बदरैगा	452007024	ग्राम पंचायत, बदरैगा
135	एरमुर	452007025	ग्राम पंचायत, एरमुर
136	मांदर	452007026	ग्राम पंचायत, मांदर
137	बाघनपाल	452007027	ग्राम पंचायत बाघनपाल
138	आजंर	452007028	ग्राम पंचायत, आजंर
139	तारागाव	452007029	मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूह बांडाकोट, तारागाव
140	छिंदबहार	452007030	संतोषी स्व सहायता समूह, छिंदबहार
141	मिचनार	452007031	ग्राम पंचायत साडरा में संलग्न
142	अलनार	452007032	ग्राम पंचायत, अलनार
143	तोयर	452007033	माँ परदेसी महिला स्व सहायता समूह, तोयर
144	गड़दा	452007034	ग्राम पंचायत गड़दा

क्रमांक	ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान का आईडी क्रमांक	उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एजेंसी
145	सुरगुड़ा	452007035	ग्राम पंचायत, सुरगुड़ा
146	नेगानार	452007036	माँ दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह, नेगानार
147	साडरा	452007037	ग्राम पंचायत साडरा
148	धुरागांव	452007038	शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति, धुरागांव
149	छिन्दगांव	452007039	ग्राम पंचायत, छिन्दगांव
150	गढिया	452007040	ग्राम पंचायत, गढिया
151	कोडेबेडा	452007041	ग्राम पंचायत कोडेबेडा
152	बडेगुनियापाल	452007042	ग्राम पंचायत बडे गुमियापाल
153	पालम	452007043	ग्राम पंचायत पालम
154	बड़ाजी 2	452007044	ग्राम पंचायत बड़ाजी 2
155	मिचनार-02	452007045	ग्राम पंचायत मिचनार-2
156	सुलैगा	452007046	ग्राम पंचायत सुलैगा
157	धरमाबेडा	452007047	ग्राम पंचायत धरमाबेडा
158	एरन्डवाल	452007048	ग्राम पंचायत एरण्डवाल
159	बोदली	452007049	माँ दन्तेश्वरी महिला स्व सहायता समूह एरपुण्ड


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 498) की जानकारी

वर्ष 2019 से दिनांक 10.02.2022 तक की जिलेवार वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	विवेचना में लंबित प्रकरण
				वयस्क	अवयस्क	योग		
1	रायपुर	बलात्कार	2019	5	7	12	12	0
			2020	12	1	13	13	0
			2021	4	3	7	7	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	1	1	1	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
2	महासमुंद	बलात्कार	2019	2	3	5	5	0
			2020	9	2	11	11	0
			2021	1	2	3	2	1
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
3	बलीदा बाजार	बलात्कार	2019	2	10	12	12	0
			2020	5	7	12	12	0
			2021	6	5	11	10	1
			10.02.22	1	0	1	0	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	1	1	1	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
4	गरियाबंद	बलात्कार	2019	3	3	6	6	0
			2020	2	1	3	3	0
			2021	1	0	1	1	0
			10.02.22	0	1	1	0	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
5	धमतरी	बलात्कार	2019	0	5	5	5	0
			2020	2	3	5	5	0
			2021	1	2	3	3	0
			10.02.22	0	1	1	0	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क्र.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	दिवेचना में लंबित प्रकरण
				वयस्क	अवयस्क	योग		
6	दुर्ग	बलात्कार	2019	4	0	4	4	0
			2020	4	0	4	4	0
			2021	6	4	10	10	0
			10.02.22	1	1	2	2	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	1	0	1	1	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
7	राजनांदगांव	बलात्कार	2019	1	5	6	6	0
			2020	3	4	7	7	0
			2021	5	4	9	8	1
			10.02.22	0	1	1	1	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	1	0	1	1	0
			2021	1	0	1	1	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
8	कबीरधाम	बलात्कार	2019	6	7	13	13	0
			2020	6	10	16	16	0
			2021	7	8	15	15	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	1	0	1	1	0
			2020	2	0	2	2	0
			2021	1	0	1	0	1
			10.02.22	1	0	1	0	1
9	बालोद	बलात्कार	2019	9	8	17	17	0
			2020	2	7	9	9	0
			2021	2	7	9	9	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	1	0	1	1	0
			2020	3	0	3	3	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
10	बैतसरा	बलात्कार	2019	2	7	9	9	0
			2020	1	5	6	6	0
			2021	6	3	9	9	0
			10.02.22	1	0	1	0	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0

क.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	विवेचना में लंबित प्रकरण
				वयस्क	अवयस्क	योग		
11	बिलासपुर	बलात्कार	2019	21	33	54	53	1
			2020	17	20	37	37	0
			2021	28	29	57	55	2
			10.02.22	2	3	5	1	4
		हत्या	2019	9	0	9	9	0
			2020	8	2	10	9	1
			2021	6	0	6	4	2
			10.02.22	0	0	0	0	0
12	रायगढ़	बलात्कार	2019	6	6	12	12	0
			2020	4	8	12	12	0
			2021	7	2	9	6	3
			10.02.22	2	1	3	2	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	1	0	1	1	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
13	जांजगीर -चांपा	बलात्कार	2019	11	26	37	35	1
			2020	18	48	66	65	1
			2021	19	30	49	40	9
			10.02.22	3	0	3	0	3
		हत्या	2019	6	1	7	6	0
			2020	3	1	4	3	0
			2021	7	0	7	5	1
			10.02.22	0	0	0	0	0
14	कोरबा	बलात्कार	2019	11	13	24	24	0
			2020	4	7	11	11	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
15	मुंगेली	बलात्कार	2019	1	7	8	8	0
			2020	2	3	5	5	0
			2021	0	1	1	1	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0

क्र.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	विवेचना में लंबित प्रकरण
				वयस्क	अवयस्क	योग		
16	गैरैला-पेण्ड्रा	बलात्कार	2019	2	1	3	3	0
			2020	0	1	1	1	0
			2021	0	3	3	3	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	1	0	1	1	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
17	सरगुजा	बलात्कार	2019	4	2	6	6	0
			2020	2	0	2	2	0
			2021	3	1	4	4	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
18	जशपुर	बलात्कार	2019	0	1	1	1	0
			2020	1	0	1	1	0
			2021	3	0	3	3	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
19	सूरजपुर	बलात्कार	2019	3	1	4	4	0
			2020	0	1	1	1	0
			2021	4	2	6	6	0
			10.02.22	1	1	2	1	1
		हत्या	2019	1	0	1	1	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
20	कोरिया	बलात्कार	2019	2	1	3	3	0
			2020	1	1	2	2	0
			2021	1	1	2	2	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	1	0	1	1	0
			2020	0	1	1	1	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0

क्र.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	विवेचना में लंबित प्रकरण
				वयस्क	अवयस्क	योग		
21	बलरामपुर	बलात्कार	2019	1	2	3	3	0
			2020	2	2	4	4	0
			2021	0	1	1	1	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	1	0	1	1	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
22	बरतार	बलात्कार	2019	3	2	5	5	0
			2020	6	4	10	10	0
			2021	5	5	10	8	2
			10.02.22	0	1	1	0	1
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	1	0	1	0	1
			10.02.22	0	0	0	0	0
23	कांकेर	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	1	2	3	3	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
24	दलेवाड़ा	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
25	नारायणपुर	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0
		हत्या	2019	0	0	0	0	0
			2020	0	0	0	0	0
			2021	0	0	0	0	0
			10.02.22	0	0	0	0	0

क्र.	जिला	अपराध शीर्ष	वर्ष	अनुसूचित जाति वर्ग की महिला			न्यायालय चालान पेश	विवेचना में लंबित प्रकरण	
				वयस्क	अवयस्क	योग			
26	बीजापुर	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0	
			2020	1	0	1	1	0	
			2021	0	0	0	0	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
		हत्या	2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
27	कौण्डागांव	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	2	2	2	0	
			2021	0	3	3	3	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
		हत्या	2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
28	सुकमा	बलात्कार	2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	
			2021	1	0	1	1	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
		हत्या	2019	0	0	0	0	0	
			2020	0	0	0	0	0	
			2021	0	0	0	0	0	
			10.02.22	0	0	0	0	0	
योग		बलात्कार	2019	99	150	249	246	2	
			2020	104	137	241	240	1	
			2021	111	118	229	210	19	
			10.02.22	11	10	21	7	14	
		कुल योग			325	415	740	703	36
		हत्या	2019	20	2	22	21	0	
			2020	21	4	25	23	1	
			2021	16	1	17	11	5	
			10.02.22	1	0	1	0	1	
		कुल योग			58	7	65	55	7
महायोग			383	422	805	758	43		

टीप :- लंबित 43 प्रकरणों में सामान्यतः विशेषज्ञ की रिपोर्ट, पटवारी नक्शा व जाति प्रमाण पत्र अप्राप्त होने तथा आरोपी अज्ञात होने व फरार होने से विवेचना में लंबित हैं। विवेचना एक सतत प्रक्रिया है उक्त लंबित प्रकरणों की विवेचना पूर्ण होने की समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परीशेष - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 386) की जानकारी

खरीफ वर्ष 2020-21 में नीलामी के माध्यम से धान विक्रय की जानकारी

मात्रा मेटन में

क्र	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
1	अभिनव इण्डस्ट्रीज	6944.4
2	अभिशेक इण्डस्ट्रीज	90.0
3	आदित्य एग्रोटेक	2192.0
4	आदित्य राईस प्रोडक्ट	1257.4
5	अग्रवाल धान प्रसोधन केन्द्र	270.2
6	अग्रवाल राईस प्रोडक्ट	6698.9
7	अक्षय एग्रो	5475.5
8	अमन एग्रो इण्डस्ट्रीज	2421.6
9	अम्बिका राईस मिल	3102.1
10	अमित चावल उद्योग, रायपुर	12733.1
11	आनन्द राईस मिल	488.2
12	आनन्द राईस मिल	852.3
13	अनन्त राईस इण्डस्ट्रीज	2014.6
14	अन्नपूर्णा एग्रो, कुरुद, धमतरी	1788.2
15	अन्नपूर्णा इण्डस्ट्रीज	4659.2
16	अन्नपूर्णा ट्रेडर्स	7452.9
17	एकसा राईस मिल	186.5
18	अरिहन्त राईस मिल	2471.4
19	अर्नव एग्रोटेक, जे.सी.	626.3
20	अरोरा एग्रो इण्डस्ट्रीज	698.4
21	अरोरा फूड प्रोडक्ट	970.9
22	अरोरा इण्डस्ट्रीज	1017.9
23	अरूनोदय फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2283.3
24	अशोक राईस मिल	6933.0
25	अतुल राईस इण्डस्ट्रीज	1457.8
26	अतुल राईस मिल	5744.5
27	अयान फूड्स, रायपुर	1729.8
28	आयुष्मान ट्रेडिंग कंपनी	816.4
29	बजरंग एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2356.5
30	बालाजी इण्डस्ट्रीज	1658.6
31	बालाजी इण्डस्ट्रीज	100.4
32	बलोदिया राईस मिल	6149.7
33	बांके बिहारी राईस मिल	890.9
34	बंसल चावल उद्योग	4769.7
35	भगवती इण्डस्ट्रीज	16421.9
36	भगवती इण्डस्ट्रीज	92.6
37	बी.एम. फूड्स	502.0
38	बोल बम पैडी प्रोडक्ट	269.0
39	चंद्रपुर राईस मिल,	2141.6
40	छापरिया एग्रो इण्डस्ट्रीज	782.1
41	छत्तीसगढ़ राईस इण्डस्ट्रीज	585.4
42	छत्तीसगढ़ राईस मिल	127.0
43	दादा जिनदत्ता राईस मिल	725.1

क्र	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
44	दीपक मिलिंग इण्डस्ट्रीज	2836.2
45	दीपक राईस इण्डस्ट्रीज	6883.1
46	दीपक राईस पेरुडक्ट	3052.9
47	दीपक राईस प्रोडक्ट	2001.9
48	दीपाशा राईस एण्ड परबॉयलिंग यूनिट	21988.7
49	डिलाइट फूड्स	1064.9
50	धनवन्तरी राईस मिल	22.4
51	दिलीप इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	3578.8
52	एकदंत चावल उद्योग	8899.1
53	जी.बी. एग्रो प्रोडक्ट्स	6492.9
54	गजानन्द राईस मिल	623.0
55	गंगा मैया टेडर्स	1307.7
56	गंगोत्री उद्योग	3986.9
57	गर्ग इण्डस्ट्रीज	418.3
58	गर्ग पैडी परबॉयलिंग इण्डस्ट्रीज	10187.8
59	गायत्री फूड	2837.8
60	गायत्री फूड्स, राजनांदगांव	1669.3
61	गायत्री ओवरसीज	6019.6
62	गायत्री राईस मिल	1787.2
63	गीता लक्ष्मी मॉडर्न राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड	4197.5
64	गिरधर गोपाल राईस प्रोडक्ट	4402.4
65	गिरिराज इण्डस्ट्रीज	730.0
66	जी.एम. ट्रेडर्स	13898.6
67	गौरीशंकर राईस मिल	2254.1
68	गोयल राईस मिल	910.6
69	गोयल राईस प्रोडक्ट	247.1
70	गुलाब ट्रेडर्स	1361.2
71	गुरुदेव इंटरप्राइजेस	7586.1
72	गुरुदेव टेस्टिंग कंपनी	1796.6
73	गुरुकृपा सेल्स	42187.1
74	हरि ओम राईस प्रोडक्ट	1062.2
75	हर्ष पैडी प्रोसेसिंग	357.7
76	हर्षिता इण्डस्ट्रीज, बी.बी.	1136.1
77	हेतराम अग्रवाल एण्ड सन्स	3971.2
78	हिन्दुस्तान एग्रोटेक	873.4
79	हितान्शु फूड्स	1580.3
80	इंडियन राईस मिल	833.2
81	जे.डी. इण्डस्ट्रीज	3642.3
82	जगदम्बा पैडी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	5080.4
83	जगदीश राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड	2511.6
84	जय अम्बे राईस मिल	442.1
85	जय बजरंग उसना राईस इण्डस्ट्रीज	4236.0
86	जय बालाजी पैडी प्रोडक्ट्स	57.3
87	जय बालाजी राईस मिल	1474.6
88	जय भारत पैडी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	2060.8
89	जय भवानी एग्रो	787.0
90	जय दुर्गा फूड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सरगुजा	1020.5
91	जय दुर्गा फूड्स	11012.8

क्र	केता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
92	जय हनुमान एग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड	868.9
93	जय मां दुर्गा राईस मिल	86.9
94	जय वीर हनुमान राईस मिल	628.6
95	जैन राईस इण्डस्ट्रीज	5406.9
96	जैन्स परबॉयलिंग इण्डस्ट्रीज, दुर्ग	1775.2
97	जान्हवी राईस मिल	238.4
98	जनता इण्डस्ट्रीज	1922.8
99	जय श्री पैडी प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	8493.4
100	जिंदल एग्री प्रोडक्ट	501.7
101	जिंदल फूड प्रोडक्ट	386.3
102	जिंदल राईस मिल, जे.सी.	774.5
103	जिन्दल	1559.3
104	जे.एम. राईस मिल,	2275.1
105	जे.एन. राईस मिल	2429.9
106	के.बी. एग्री	2185.2
107	के.एस. इण्डस्ट्रीज	3285.2
108	कचरूमल जितेन्द्र के.यू. परबॉयलिंग प्लांट	4539.5
109	कैलाश राईस मिल	1731.9
110	कलश राईस मिल, महासमुन्द	1705.7
111	कलपतरु एग्री इण्डस्ट्रीज	151.9
112	कमल राईस इण्डस्ट्रीज	3838.1
113	कमल राईस मिल	4632.1
114	कमल श्री राईस एण्ड फ्लोर मिल	637.5
115	कान्हा ग्रेन प्रोसेस	1539.2
116	कान्हा इण्डस्ट्रीज	1281.8
117	कांकरिया पोहा मुरुमुरा उद्योग	5063.7
118	कांकरिया प्रोसेसिंग एण्ड ग्रेडिंग इण्डस्ट्रीज	1763.6
119	करन टेडर्स	1174.3
120	कविता एण्ड कंपनी	3613.2
121	केला राईस इण्डस्ट्रीज	1445.9
122	खंडेलिया एग्री प्रोडक्ट्स	942.3
123	खंडेलवाल एग्री	532.0
124	किशोर सॉरटेक्स एण्ड राईस मिल प्राइवेट लिमिटेड	7098.0
125	कोणार्क इण्डस्ट्रीज	7692.4
126	कृष्णा एग्री प्रोडक्ट	781.0
127	कृष्णा फूड्स	736.5
128	कृष्णा राईस मिल	2726.5
129	लक्ष्मी राईस मिल	496.5
130	लक्ष्मी राईस मिल	3726.4
131	लक्ष्मी राईस मिल, बलौदाबाजार	2108.7
132	मां अम्बे पैडी प्रोडक्ट	36.8
133	मां देवसरवाली राईस मिल	755.1
134	मां दुर्गा राईस मिल,	8081.0
135	मां कैलाशवती एग्री इण्डस्ट्रीज	6063.8
136	मां कामाख्या राईस मिल	1753.3
137	मां लक्ष्मी राईस मिल	279.8
138	मां पदमावती राईस इण्डस्ट्रीज	2475.0
139	मां पिताम्बरा राईस मिल, राजनांदगांव	222.6

क्र	केता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
140	मां संतोषी राईस मिल	54.7
141	मां वैष्णवी राईस मिल	200.1
142	मां वनदुर्गा एगोटेक	274.7
143	माहेश्वरी राईस मिल	3881.0
144	महालक्ष्मी पैडी प्रोसेसिंग कंपनी	1981.4
145	महालक्ष्मी राईस प्रोडक्ट	1.8
146	महामाया राईस इण्डस्ट्री	6705.3
147	महामाया राईस प्रोडक्ट्स	1049.8
148	महावीर राईस इण्डस्ट्रीज	3004.1
149	मनभावन एगोटेक	1538.5
150	मांडोली राईस इण्डस्ट्रीज	3327.9
151	मंगल फूड्स, कबीरधाम	2841.5
152	मानीधरी राईस इण्डस्ट्रीज	4375.0
153	मनीष एण्ड एसोसिएट्स	3154.6
154	मनोकामना एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड	6771.5
155	मनोकामना राइस मिल ए बलरामपुर	175.4
156	मिथलेश कुमार अग्रवाल ए जेसी	363.2
157	मित्तल राइस मिल	365.3
158	मित्तल राइस मिल	1233.2
159	मित्तल राइस प्रोडक्ट	3540.5
160	मोहन एगो इंडस्ट्रीज ए राजस्थान	17.0
161	मोहन फूड्स	8742.2
162	एमएस अन्नपूर्णा ट्रेडर्स	621.5
163	दीपक एगोटेक	253.7
164	एमएस गौरी शंकर अग्रवाल	2720.4
165	एमएस लक्ष्मी एगोटेक	1029.1
166	लक्ष्मी ट्रेडर्स	129.7
167	एमएस मां चंडी राइस इंडस्ट्रीज	3962.6
168	एमएस माहेश्वरी राइस इंडस्ट्रीज	1717.3
169	एमएस महामाया फूड्स	5224.5
170	एमएस महावीर धान कुटाई केंद्र	3255.3
171	एमएस मूर्ति राइस मिल	3529.0
172	एमएस मुसद्दीलाल मानसाराम राइस मिल	1231.4
173	एमएस पीडी राइस उद्योग	4883.4
174	एमएस शिवम राइस इंडस्ट्रीज	5293.8
175	एमएस सुधा राइस मिल	178.5
176	विजय लक्ष्मी राइस मिल	283.3
177	मुनका राइस मिल	4247.0
178	एन जी एगोटेक	98.3
179	नारायण पेडी प्रोसेसिंग प्लांट	775.5
180	नर्मदा फूड्स	254.5
181	नव दुर्गा राइस मिल	679.2
182	नवकार दाल उद्योग	1592.1
183	नवकार राइस मिल	6037.8
184	नव्या ट्रेडर्स	3368.6
185	ओम गंगा राइस इंडस्ट्रीज	774.0
186	ओम नवकर ट्रेडर्स	4751.4
187	ओम राइस मिल	3516.8

क्र	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
188	ओम राइस मिल एंजगीर	853.7
189	पारेख पेडी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज	700.3
190	परम राइस मिल	46.3
191	पार्वती राइस इंडस्ट्रीज	263.8
192	पीरुमल राधवल्लभरू	341.7
193	पूनम राइस इंडस्ट्रीज	4215.5
194	पूनम राइस इंडस्ट्रीज	152.6
195	प्रकाश राइस मिल	2490.8
196	प्रशांत राइस मिल	81.7
197	प्रेमा एग्रोटेक एं बालोद	2788.8
198	आर एन राइस मिल एं महासमुंदी	980.2
199	राधा फूड प्रोसेसिंग	1255.3
200	राधा रानी राइस मिल	26.0
201	राघव राइस इंडस्ट्रीज	892.1
202	राहुल राइस मिल	1024.9
203	राज मिलिंग इंडस्ट्रीज	1566.6
204	राजवंश एसोसिएट्स	64.8
205	राजेश्वरी राइस प्रोडक्ट	574.7
206	राम नारायण सत्यनारायण अग्रवाल	5782.4
207	रामधन खंडेलवाल एं दुर्ग	1743.8
208	रामप्रसाद जमुनादास	1618.9
209	रानी सती एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड	8598.5
210	राशिक बिहारी फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	9876.9
211	राठी एग्रोटेक	2146.0
212	राठी रीक इंडस्ट्रीज । डकपू	2836.4
213	रिची राइस मिल	654.3
214	रॉयल फूड्स	1175.5
215	आरएस फूड प्रोसेसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	14459.3
216	रुद्र एग्रोटेक	2714.0
217	एस के इंडस्ट्रीज	4800.5
218	एस के इंडस्ट्रीज	1006.9
219	एसणएसण राइस मिल	1106.6
220	सागर राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड	5071.9
221	साकेत प्रोडक्ट्स एंड रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड	374.9
222	सक्षम फूड इंडस्ट्री	4306.5
223	सलीम एंड कंपनी एं केशकली	526.3
224	संभवी कृषि इंडस्ट्रीज	371.3
225	संचेती राइस उद्योग	4327.5
226	संजय अनाज प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	4945.3
227	संत हरदास राम इंडस्ट्रीज	4281.8
228	सरस्वती राइस मिल	3802.7
229	सर्वेश्वरी एग्रो	6315.5
230	सर्वमंगला राइस इंडस्ट्रीज	5657.4
231	सत्या एग्रोटेक	351.1
232	सत्या राइस मिल	948.3
233	सत्यकौशल पेडी प्रोसेसर	3516.8
234	सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	4930.7
235	सत्यनारायण राइस मिल	355.3

क्र	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
236	सावित्री राइस मिल	907.6
237	एसडी कृषि फूड प्रोडक्ट	1437.9
238	सेठ बंशीधर केडिया चावल प्राइवेट लिमिटेड	1852.1
239	शंकर पोहा उद्योग	1179.8
240	शंकर राइस मिल	1975.2
241	शंखेश्वर राइस प्रोडक्ट	2439.5
242	शांति देवी राइस मिल	2137.0
243	शांति राइस मिल	822.3
244	शांति विजय चावल और पोहा उद्योग	3703.8
245	शिव शंकर राइस मिल	1593.2
246	शिव राइस प्रोडक्ट	816.4
247	शिवम फूड प्रोडक्ट	263.2
248	शिवशक्ति राइस मिल	181.7
249	शोभा राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड	659.0
250	श्रद्धा एगो इंडस्ट्रीज	12069.8
251	श्री बैद्यनाथ पेडी प्रोसेसिंग सेंटर	3057.6
252	श्री बालाजी फूड	50.6
253	श्री भगवती चावल मिल	1981.1
254	श्री गंगा पेडी प्रोसेसर	275.9
255	श्री गणपति फूड प्रोडक्ट	5899.1
256	श्री गणपति राइस मिल	513.8
257	श्री हनुमान राइस मिल	1594.3
258	श्री जी राइस प्रोडक्ट	5829.2
259	श्री लक्ष्मीनारायण राइस मिल	289.3
260	श्री नकोडा चावल इंडस्ट्रीज	3706.8
261	श्री राम कृषि इंडस्ट्रीज	359.8
262	श्री रेणुकदेव एगोटैक	548.2
263	श्री राइस मिल	2232.4
264	श्री रोशन राइस इंडस्ट्रीजए कुरुडो	2545.3
265	श्री साई कृषि प्रोडक्ट	1551.9
266	श्री श्याम कृषि प्रोडक्ट	1478.7
267	श्री श्यामजी राइस मिल	1740.6
268	श्री सीता एगो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	1462.1
269	श्री सीता उद्योग	3307.3
270	श्री यश इंडस्ट्रीज	499.4
271	श्री अग्रसेन चावल इंडस्ट्रीज	445.1
272	श्री अग्रसेन राइस मिलए रायगढ	2466.8
273	श्री बाला जी राइस मिल	3263.5
274	श्री बालाजी इंडस्ट्रीजए दुर्ग	2490.3
275	श्री बालाजी राइस मिल	1196.7
276	श्री बालाजी राइस मिल	1053.9
277	श्री भगवती इंडस्ट्रीज	2596.2
278	श्री भगवती राइस मिल कुरुद धमतरी	8447.9
279	श्री भगवती राइस मिल	5225.8
280	श्री गुरुदेव राइस इंडस्ट्रीज	19082.7
281	श्री हनुमान राइस मिल	1073.1
282	श्री जगदम्बा राइस मिल	281.7
283	श्री महालक्ष्मी राइस मिल	1704.2

क्र	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा
284	श्री महालक्ष्मी राइस मिलए महासमुंदी	477.4
285	श्री नारायण राइस इंडस्ट्रीज	2939.9
286	श्री पद्मा राइस मिल	1542.2
287	श्री राम राइस मिल	730.5
288	श्री रामकृष्ण राइस मिल	631.4
289	श्री साई एग्रीटेक	3954.5
290	श्री श्याम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	1847.9
291	श्री श्याम राइस उद्योग	2437.4
292	श्री तिरुपति राइस मिल	1958.8
293	श्री तिरुपति राइस मिल	451.8
294	श्री विश्वभारती फूड प्रोडक्ट	4338.8
295	शुभम इंडस्ट्रीजए बीबी	1945.4
296	श्याम इंडस्ट्रीज	1747.8
297	श्याम राइस इंडस्ट्रीज	1042.9
298	श्याम श्री एग्री	731.3
299	सिद्धार्थ राइस मिल	318.5
300	सिद्धि विनायक राइस मिल रतनपुर	2061.5
301	सरस्वती राइस मिल	678.2
302	श्री सिंघानिया राइस इंडस्ट्रीजए राजस्थान	885.1
303	सुमित्रा राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड	1528.1
304	सुमित्रा राइस मिलए बलौदाबाजार	2076.3
305	सुरेश राइस मिल	4570.6
306	सूर्या राइस मिल	971.8
307	तिरुपति बालाजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2103.7
308	उर्मिला इंडस्ट्रीज	502.6
309	वैभव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड	8650.8
310	वैष्णवी फूड प्रोडक्ट	5519.6
311	वामन राइस मिल	1163.3
312	वरदान राइस इंडस्ट्रीज	2694.5
313	वर्धमान राइस इंडस्ट्रीज	478.4
314	वर्धमान राइस मिल	2197.7
315	विजय फूड्स	6330.5
316	विजय राइस मिल	6392.3
317	विकास इंडस्ट्रीज	2975.2
318	विकास राइस इंडस्ट्रीज	832.8
319	विनायक इंडस्ट्रीज	994.6
320	विनायक राइस इंडस्ट्रीज	6708.4
321	विश्वनाथ पेडी प्रोसेसिंग	5.7
322	यश एग्री प्रोडक्ट	4942.1
323	यश पारबोइलिंग यूनिट	2207.4



अनुभाज अधिकारी
 टैक्स इकाई-2
 स्वायत्त कार्यो, आधुनिक एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंसूरपुर, रायपुर

परीशेष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 789) की जानकारी

प्रपत्र - अ

खरीफ वर्ष 2019-20 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

(मात्रा मे.टन. में)

क्र.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	संग्रहण केन्द्रा में मिलिंग हेतु भौतिक रूप से शेष धान
1	बस्तर	197908	0
2	बीजापुर	6463	0
3	दन्तेवाड़ा	3955	0
4	कांकेर	247208	0
5	कोंडागांव	99028	0
6	नारायणपुर	6653	0
7	सुकमा	31351	0
8	बिलासपुर	542610	15523
9	जांजगीरचाम्पा	770292	0
10	कोरबा	98807	0
11	मुंगेली	177076	3463
12	रायगढ़	474073	0
13	बालोद	494064	0
14	बेमेतरा	315197	18458
15	दुर्ग	526710	0
16	कवर्धा	252755	0
17	राजनांदगांव	663382	0
18	बलौदाबाजार	404969	16400
19	धमतरी	447028	0
20	गरियाबंद	290168	0
21	महासमुंद	702559	5058
22	रायपुर	819008	10488
23	बलरामपुर	122369	0
24	जशपुर	80378	0
25	कोरिया	85662	0
26	सरगुजा	137401	0
27	सुरजपूर	152729	1610
	कुल योग	8149803	71000


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र -ब

खरीफ वर्ष 2020-21 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

क्रं.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	संग्रहण केंद्र में मिलिंग हेतु भौतिक रूप से शेष धान की मात्रा
1	बस्तर	203558	0
2	बीजापुर	4430	0
3	दन्तेवाड़ा	3210	0
4	कांकेर	223326	0
5	कोंडागांव	139255	390
6	नारायणपुर	18650	0
7	सुकमा	37690	101
8	बिलासपुर	411157	0
9	गौरिला-पेन्द्रा-मरवाही	72341	0
10	जांजगीरचाम्पा	753766	3825
11	कोरबा	135271	0
12	मुंगेली	232044	180
13	रायगढ़	518395	0
14	बालोद	412069	0
15	बेमेतरा	267889	250
16	दुर्ग	517309	3651
17	कवर्धा	298366	0
18	राजनांदगांव	597498	0
19	बलौदाबाजार	390985	277
20	धमतरी	428558	0
21	गरियाबंद	276453	0
22	महासमुंद	650243	333
23	रायपुर	689435	891
24	बलरामपुर	148592	0
25	जशपुर	116919	0
26	कोरिया	115610	0
27	सरगुजा	175707	0
28	सुरजपूर	189216	0
	कुल योग	8027941	9898


 अजुभान अधिकारी
 कक्ष क्रमांक- 2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 सार्वजनिक संरक्षण विभाग
 बिलासपुर, रायपुर

प्रपत्र - स

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

क्रं.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्र में मिलिंग हेतु शेष धान की मात्रा
1	बस्तर	36189	158135
2	बीजापुर	3722	22793
3	दन्तेवाड़ा	4726	1922
4	कांकेर	114289	172886
5	कोंडागांव	45270	103971
6	नारायणपुर	9037	13281
7	सुकमा	4920	38827
8	बिलासपुर	352863	129598
9	गौरैला-पेन्द्रा-मरवाही	69525	0
10	जांजगीरचाम्पा	662081	155434
11	कोरबा	160107	10131
12	मुंगेली	238158	55242
13	रायगढ़	440415	132312
14	बालोद	252040	236948
15	बेमेतरा	168865	349765
16	दुर्ग	247355	281526
17	कवर्धा	142713	221566
18	राजनांदगांव	224018	558122
19	बलौदाबाजार	320911	226489
20	धमतरी	349387	161036
21	गरियाबंद	162512	165927
22	महासमुंद	386821	365429
23	रायपुर	387531	380120
24	बलरामपुर	89741	101325
25	जशपुर	111443	42738
26	कोरिया	88762	51331
27	सरगुजा	99107	118334
28	सुरजपूर	114867	133187
कुल योग		5287374	4388376


 अजुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - द

(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र.	जिला	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	शार्टेज की राशि
		सूखत/शार्टेज की मात्रा	शार्टेज की राशि	सूखत/शार्टेज की मात्रा	शार्टेज की राशि	सूखत/शार्टेज की मात्रा	
1	बस्तर	0.56	0.10	440.25	82.55	धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव विपणन संघ द्वारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है. धान का उठाव पूर्ण हो जाने के पश्चात विपणन संघ एवं उपार्जन केन्द्र के मध्य अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने के पश्चात ही उपार्जन केन्द्र स्तर की शार्टेज जात की जा सकेगी।	
2	बीजापुर	192.92	35.15	642.33	120.44		
3	दन्तेवाड़ा	4.23	0.77	0.00	0.00		
4	कांकेर	826.05	150.51	6038.24	1132.17		
5	कोंडागांव	0.30	0.05	1293.55	242.54		
6	नारायणपुर	0.00	0.00	340.40	63.82		
7	सुकमा	456.91	83.25	166.07	31.14		
8	बिलासपुर	330.17	60.16	8904.36	1669.57		
9	गौरैलापेन्द्रा	0.00	0.00	710.63	133.24		
10	जांजगीर	0.60	0.11	4385.97	822.37		
11	कोरबा	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	मुंगेली	6205.21	1130.59	12372.78	2319.90		
13	रायगढ़	2055.32	374.48	0.00	0.00		
14	बालोद	134.63	24.53	9040.86	1695.16		
15	बेमेतरा	2785.85	507.58	17759.86	3329.97		
16	दुर्ग	0.00	0.00	3025.74	567.33		
17	कवर्धा	2747.08	500.52	24762.99	4643.06		
18	राजनांदगांव	3018.02	549.88	22815.04	4277.82		
19	बलौदाबाजार	9298.21	1694.13	12709.79	2383.09		
20	धमतरी	7.20	1.31	5271.32	988.37		
21	गरियाबंद	4979.96	907.35	7277.90	1364.61		
22	महासमुंद	10050.40	1831.18	23509.62	4408.05		
23	रायपुर	15.88	2.89	7594.80	1424.03		
24	बलरामपुर	335.75	61.17	1942.85	364.28		
25	जशपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	कोरिया	0.00	0.00	1321.55	247.79		
27	सरगुजा	0.00	0.00	900.89	168.92		
28	सुरजपुर	211.46	38.53	3188.25	597.80		
कुलयोग		43656.70	7954.25	176416.02	33078.00		

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 655) की जानकारी

विषय :- बेलादुला से कलमीडीह एवं छितापड़रिया से खम्हरिया सड़क निर्माण।

क्र.	सड़क का नाम	बजट में शामिल वर्ष	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा आमंत्रण की तिथि	कार्यदिश दिनांक	सड़क निर्माण पूर्ण करने की अवधि	सड़क निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति	सड़क निर्माण करने की तिथि
			राशि (रु. लाख)	दिनांक					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जैजैपुर के बेलादुला से कलमीडीह मार्ग	2014-15	529.41	24.09.15	23.02.16	26.04.16	12 माह (वर्षाऋतु सहित)	पुलिया - 5 नग भू-अर्जन के कारण कार्य लंबित। अनुबंध को धारा-14 में कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. चांपा संभाग के ज्ञाप क्र. 2369/अ.चां. चांपा दिनांक 23.03.2018 द्वारा निरस्त किया गया है।	निश्चित तिथी बताया जाना संभव नहीं है।
2	जैजैपुर के छितापड़रिया से खम्हरिया मार्ग	2014-15	348.11	30.10.15	23.02.16	18.04.16	12 माह (वर्षाऋतु सहित)	भू-अर्जन के कारण कार्य लंबित। धारा-14 में कार्यपालन अभियंता लो. नि.वि. चांपा संभाग के ज्ञाप क्र. 4972/व.ले.लि. चांपा दिनांक 21.08.17 द्वारा निरस्त किया गया है।	निश्चित तिथी बताया जाना संभव नहीं है।

अभियंता प्रमुख
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - ग्यारह

तारकीकृत प्रश्न संख्या 23 (क्र. 98) की जानकारी

विषय :- राष्ट्रीय राजमार्ग-30 कांकर (माकड़ी) से बेड़मा मार्ग की स्वीकृति/मुगतान।

क्र.	कार्य का नाम	अनुबंधित निर्माण कम्पनी का नाम	अनुबंध किस आधार पर किया गया?	भारत सरकार से स्वीकृत राशि	अनुबंधित कम्पनी को मुगतान राशि	क्या मुगतान राशि के अनुसार सड़क कार्य किया गया है?	सड़क निर्माण की अनुबंधित समय-सीमा	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	कार्य पूर्ण होने की समाप्ति तिथि
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र0-30 के कांकर से बेड़मा सेक्शन का 2-लेन मय पेकड शौल्डर उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य। स्वीकृत लम्बाई = 53.258 कि.मी.	मेसर्स वलेवा इंजिनियरिंग लिमिटेड, मुंबई	भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम निविदाकर को चयनित करने के आधार पर।	रु. 308.77 करोड़ (सड़क कार्य हेतु अनुबंधित राशि) रु. 497.14 करोड़ (प्रशासकीय स्वीकृति)	रु. 109.50 करोड़	जी हाँ	कार्यदिश दिनांक 08.08.2016 से 2 वर्ष	(1) अनुबंधित समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने के कारण निर्माण कम्पनी के देयक से राशि रु. 4.12 करोड़ अर्थदण्ड के रूप में रोकी गई है। (2) दिनांक 10.03.2017 को निर्माण कम्पनी को वयोर विरियेड नोटिस जारी किया गया। (3) दिनांक 29.06.2017 को निर्माण कम्पनी को प्री-टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया। (4) दिनांक 17.03.2021 को पुनः निर्माण कम्पनी को कार्य प्रगति संतोषजनक न पाये जाने के कारण अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही अंतर्गत वयोर विरियेड नोटिस जारी किया गया। (5) अनुबंध के प्राधानानुसार अनुबंधक पर अर्थदण्ड अधिसोपित किया गया है।	31.03.2023
							9		10

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
जमि.वि., जगदलपुर (छ.ग.)

अधीक्षक अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल,
लो.वि., रायपुर (छ.ग.)

els

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, नया रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्य - बारह
तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 709) की जानकारी

बेलतरा विधानसभा के साइंस कालेज मैदान सीपत रोड में स्वीकृत कार्य

(राशि रुपये लाख में)

क्र	वर्ष	मद का नाम	साइंस कॉलेज सीपत रोड में किये गए कार्य का नाम	स्वी. आ. क्र व दिनांक	स्वीकृति राशि	कार्य का अद्यतन स्थिति			भुगतान की गयी राशि
						पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ	
1	01 जनवरी 2017 से दिनांक 10.02.2022 तक	अधोसंरचना	1. गेस्ट हाउस निर्माण कार्य	4375/ 13.04.2017	14.81	पूर्ण			14.75
			2. एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक निर्माण कार्य		42.49	पूर्ण			44.09
			3. 12.0 मीटर चौड़ा सी.सी. रोड निर्माण कार्य		251.71	पूर्ण			185.92
			4. 2X7.0 मीटर चौड़ा सी.सी रोड निर्माण कार्य		59.98	पूर्ण			62.02
			5. 7.5 मीटर चौड़ा सी.सी रोड निर्माण कार्य		13.29	पूर्ण			43.78
			6. 4.0 मीटर चौड़ा सी.सी रोड निर्माण कार्य		16.95		अपूर्ण		0
			7. नाली निर्माण कार्य		25.42	पूर्ण			34.74
			8. बोखेल कार्य		0.91	पूर्ण			2.77
			9. पार्किंग निर्माण कार्य		291.89		अपूर्ण		165.25
			10. फम्प हाउस निर्माण कार्य		1.18	पूर्ण			1.36
			11. बाहरी पानी की आपूर्ति कार्य		3.42	पूर्ण			2.89
			12. एक नग हेलीपैड निर्माण कार्य		23.03	पूर्ण			11.43
			13. लैंडस्केपिंग कार्य		21.81	पूर्ण			16.68
			14. साइट डेवलपमेंट कार्य		81.1	पूर्ण			68.01
			15. बाहरी सीवर लाइन कार्य		13.57	पूर्ण			0
			16. बाह्य विद्युतीकरण कार्य		47.1	पूर्ण			55.49
			17. 02 शौचालय ब्लॉक निर्माण कार्य		21.3	पूर्ण			24.1
			18. आरसीसी पाइप प्रदान करना और बिछाना कार्य		4.96	पूर्ण			0.9
			19. एमएस रेलिंग प्रदान करना और फिक्सिंग कार्य		10.13	पूर्ण			17.73
			20. 2.40 मी चौड़ा बॉकिंग ट्रैक निर्माण कार्य		29.85	पूर्ण			39.73
			21. बास्केट बॉल ग्राउंड निर्माण कार्य		22.13	पूर्ण			21.47
			22. एमएस रेलिंग के साथ मुख्य द्वार निर्माण कार्य		1.67	पूर्ण			3.47


अनुभाग अधिकारी
प्रशासन एवं विकास विभाग
क्या भवन, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	साइंस कॉलेज सीपत रोड में किये गए कार्य का नाम	स्वी. आ. क्र व दिनांक	स्वीकृति राशि	कार्य का अधतन स्थिति			भुगतान की गयी राशि
						पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारम्भ	
			23. वॉली बॉल ग्राउंड निर्माण कार्य		20.62	पूर्ण			15.93
			24. कबड्डी कोर्ट निर्माण कार्य		10.21	पूर्ण			1.39
			कुल (क)		1028.53				833.9
			1. कन्टेनेंसी कार्य(ट्रांसफार्मर एवं पोल शिफ्टिंग)		10.29	पूर्ण			6.56
			2. आर्किटेक्चरल/कंसल्टेंसी फीस		15.43		अपूर्ण		9.05
			कुल (ख)		25.72				15.61
			कुल (क)+(ख)		1054.25				849.51


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2022 की स्थिति में सड़क निर्माण कार्य

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य की समाप्ति पूर्णता तिथि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
1	जिला रायगढ़ के सकरबोगा से ओडिशा सीमा मार्ग लं. 1.50 कि.मी. (वा.लं. 2.30 कि.मी.)	20.08.2018	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
2	जिला रायगढ़ के वि.ख. पुसौर के मल्दा- भाटनपाली मार्ग लं. 3.20 कि.मी. निर्माण	28.11.2020	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
3	जिला रायगढ़ के पुसौर तेतला मार्ग लं. 7.00 कि.मी. वा.लं. 7.35 कि.मी.	21.12.2021	20.12.2022	प्रगति पर
4	जिला रायगढ़ के सूरजगढ़ पड़गांव मार्ग लं. 2.50 कि.मी. वा. लं. 3.40 कि.मी.	12.10.2021	11.06.2022	प्रगति पर
5	जिला रायगढ़ के बड़ेहल्दी नावापारा से झूलनपाली मार्ग लं. 5.00 कि.मी. वा. लं. 5.10 कि.मी.	21.12.2021	20.12.2022	प्रगति पर
6	जिला रायगढ़ के बुनगा डीपापारा से रनभांठा वि.खं. पुसौर के बीच पुल निर्माण	11.11.2021	10.03.2023	प्रगति पर
7	जिला रायगढ़ के कादुंरपाली से खैरगढ़ी मार्ग लं. 6.00 कि.मी.	02.08.2021	01.05.2022	प्रगति पर
8	जिला रायगढ़ के साल्लेओना से दादरपाली मार्ग लं. 2.50 कि.मी.	22.03.2021	31.03.2022	प्रगति पर
9	रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य लं. 56.00 कि.मी.	10.01.2022	09.01.2025	प्रगति पर
10	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन जामगांव पहुँच मार्ग लं. 0.23 कि.मी.	28.06.2021	31.03.2022	प्रगति पर
11	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन कोतरलिया पहुँच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	28.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
12	हायर सेकेण्ड्री भवन लोईग पहुँच मार्ग लं. 0.17 कि.मी.	01.07.2021	31.03.2022	प्रगति पर
13	हायर सेकेण्ड्री भवन महापल्ली पहुँच मार्ग लं. 0.15 कि.मी.	28.06.2021	कार्य पूर्ण	प्रगति पर
14	आधुनिक भवन महापल्ली पहुँच मार्ग लं. 0.25 कि.मी.	02.09.2021	31.03.2022	प्रगति पर
15	मिनी पीएसी भवन कुकुर्दा पहुँच मार्ग लं. 0.30 कि.मी.	02.09.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
16	प्रशासनिक भवन उर्वना, पुलिस लाईन पहुँच मार्ग लं. 0.23 कि.मी.	28.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
17	फायर स्टेशन कार्यालय भवन पहुँच मार्ग लं. 0.20 कि.मी.	25.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
18	मेट्रोपॉली कार्यालय भवन रायगढ़ पहुँच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	01.07.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
19	जिला न्यायालय परिसर रायगढ़ पहुँच मार्ग लं. 0.15 कि.मी.	28.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
20	नया बालक छात्रावास भवन आई.टी.आई. रायगढ़ पहुँच मार्ग लं. 0.08 कि.मी.	25.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
21	सी.ओ.ई. भवन एवं वर्कशॉप आई.टी.आई. रायगढ़ पहुँच मार्ग लं. 0.16 कि.मी.	06.07.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण

कार्य का नाम

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य की समाप्ति पूर्णता तिथि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
22	बालक छात्रावास सी.ओ.ई. भवन आई.टी.आई. रायगढ़ पहुंच मार्ग लं. 0.19 कि.मी.	07.07.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
23	सी.ओ.ई. भवन आई.टी.आई. रायगढ़ पहुंच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	25.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
24	शासकीय किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय बालक छात्रावास पहुंच मार्ग लं. 0.12 कि.मी.	25.06.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
25	जिला रोजगार कार्यालय रायगढ़ पहुंच मार्ग लं. 0.06 कि.मी.।	08.09.2021	कार्य पूर्ण	कार्य पूर्ण
26	ग्राम पोरथ में शा. हाई स्कूल भवन, पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। लं. 0.15 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
27	शास. प्रा. शाला एवं माध्य. शाला भवन, पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। लं. 0.23 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
28	ग्राम मिड़मिड़ा शास. प्रा. शाला डीपापारा (पार्ट-1) भवन, पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। लं. 0.25 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
29	ग्राम मिड़मिड़ा शास. प्रा. शाला डीपापारा (पार्ट-2) भवन, पहुंच मार्ग निर्माण कार्य। लं. 0.25 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
30	ग्राम सरिया में 50 सीटर शास. कन्या छात्रावास भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
31	ग्राम सुरसी में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.06 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
32	ग्राम लुकापारा में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.15 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
33	ग्राम परसरामपुर में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
34	ग्राम नदीगांव में शास. माध्यमिक शाला नवन, पहुंच मार्ग लं. 0.05 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
35	ग्राम बेरिदा में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.05 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
36	ग्राम बुदबुदा में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.05 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
37	ग्राम विजयपुर में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.20 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
38	ग्राम बरपानी में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.05 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
39	ग्राम कंडोला में शास. माध्यमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.06 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
40	ग्राम झालमला में शास. हाई स्कूल भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.25 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
41	ग्राम महापल्ली में शास. प्राथमिक शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
42	ग्राम महापल्ली में शास. प्राथमिक शाला डीपापारा भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.10 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
43	ग्राम कुकुर्दा में शास. पूर्व माध्य. शाला भवन, पहुंच मार्ग लं. 0.15 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—
44	ग्राम उर्दना में पुलिस लाईन से बैरक पहुंच मार्ग लं. 0.20 कि.मी.	निविदा प्रक्रियाधीन	—	—

स. क्र.	कार्य का नाम	कार्य प्रारंभ की तिथि	कार्य की समाप्ति पूर्णता तिथि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
45	रा.रा. क्र.-49 मसनियाकला से रंगालपाली तं. 60.452 कि.मी. के मध्य में कि.मी. जोरापाली से रंगालपाली कि.मी. 257.700 से कि.मी. 276.786 = तं. 19.086 कि.मी. में 4/2 लेन मार्ग का उन्नयन चौड़ीकरण के साथ पेव्ड शोल्डर का कार्य एन.एच.डी.पी. योजना के अंतर्ग।	12.09.2016	11.09.2018	प्रगति पर
46	रा.रा. क्र.- 153 रायगढ़-सारंगढ़-सरयपाली तं. 81.00 कि.मी. में छालामुड़ा (रायगढ़) से लोहरसिंग कि.मी. 3.800 से कि.मी. 13.800 = तं. 10.00 कि.मी. में 4/2 लेन मार्ग उन्नयन चौड़ीकरण साथ के पेव्ड शोल्डर का कार्य एन.एच.डी.पी. योजना के अंतर्ग।	12.03.2015	11.03.2017	प्रगति पर
47	जिला रायगढ़ के रायगढ़-लोईग-महापल्ली-जामगांव मार्ग के कि.मी. 7/8 से 8/8 13, 16 एवं 19 से 21 = 8.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य।	12.10.2021	11.06.2022	प्रगति पर
48	रायगढ़ लोईग महापल्ली जामगांव मार्ग के कि.मी. 1 से 5, 9 से 12, 17 एवं 18 = 12.00 कि.मी. का नवीनीकरण कार्य	25.01.2022	24.08.2022	प्रगति पर
49	करुमांट-रकसापाली-कछार-उसरौट-तारापुर-पुटकापुरी-सुपा से रा.रा. 216 मार्ग	13.09.2019	30.12.2022	प्रगति पर
50	धरमजयगढ़-कापू मार्ग	27.07.2020	30.06.2022	प्रगति पर
51	बाकारुमा-लैलूंगा मार्ग	20.03.2020	30.06.2022	प्रगति पर
योग 51 कार्य				


 मुख्य अभियंता
 क्यार्ग. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
 कया रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेतु निर्माण कार्य की जानकारी

C
= 2
= 1

स. क्र.	सेतु निर्माण का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	निर्माण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। हाँ/नहीं	यदि हाँ तो जांच का विवरण	भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	जिला रायगढ़ के लंकापाली से छींच मार्ग में लालडीपा नाला में पुलिया निर्माण। (कार्य वर्ष 2018-19) पुल की लं. 75.00 मी. (03 स्पॉन ऑफ 25.00 मी. प्रत्येक कंटीन्यूअस)	789.49	नहीं	-	अबटमेंट 1/2 पूर्ण। पीयर-3/5 पूर्ण। स्लेब 1/3 पूर्ण। टो-वॉल प्रगति पर। पहुँच मार्ग हेतु मिट्टी कार्य प्रगति पर।
2	जिला रायगढ़ के मुम्बई हावड़ा रेलमार्ग के कि.मी. 588/1-3 पर कोतरा रोड रायगढ़ एल.सी. नं. 289 में आर.ओ.बी. का निर्माण। (प्रथम अनुपूरक वर्ष 2018-19) (पुल की लंबाई 1237.60 मी.)	8202.00	नहीं	-	(लो.नि.वि. भाग) अबटमेंट ए1, ए2, ए3 पूर्ण। पीयर 21/21 पूर्ण, स्लेब 23/23 पूर्ण। स्टैनिंग वाल पूर्ण। ड्रेन कार्य पूर्ण। टी-बिम गर्डर पूर्ण। (रेलवे भाग) पीयर 6/6 सबस्ट्रक्चर पूर्ण।

स. क्र.	सेतु निर्माण का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (रु. लाख में)	निर्माण से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई है। हां/नहीं	यदि हाँ तो जॉब का विवरण	भौतिक स्थिति
1	2	3	4	5	6
3	जिला रायगढ़ के साह्येओना कुकुरदा मार्ग पर सपनई नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य	740.29	नहीं	-	अबटमेंट ए2 खुली नींव खुदाई कार्य प्रगति पर। पीयर - पी10, पी11 खुली नींव खुदाई कार्य प्रगति पर।
योग 03 कार्य					


मुख्य अभियंता
 कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि. वि.
 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.स.),

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 99) की जानकारी

प्रपत्र-“अ”

जनवरी 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक, अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला कांकेर को जिले में पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों के जांच की जानकारी ।

क्र०	आयोग का पत्र कमांक	नाम आवेदक	नाम अनावेदक पद पदस्थापना	की गई कार्यवाही
01	कमांक 7704/ अ.अ.जा.अ./ प्रकरण कमांक -132/2020 रायपुर, दिनांक 14.01.2021	श्री जगमोहन सिंह, ग्रामसभा अध्यक्ष, ग्राम कुरुभाट, उ.ब. कांकेर	मनोहर लाल सिन्हा उप निरीक्षक तत्कालीन चौकी प्रभारी हल्बा, हाल थाना प्रभारी सिकसोड़	शिकायत पत्र की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कांकेर द्वारा की गयी। जांच पर चौकी प्रभारी हल्बा उ०नि० मनोहर लाल सिन्हा तत्कालीन चौकी प्रभारी हल्बा द्वारा आवेदक की रिपोर्ट नहीं लिखते हुये अपने पदीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप 'निन्दा' की सजा दी गई है।
02	कमांक /7760/ अ.अ.जा.अ./ प्रकरण कमांक- 227/2020 रायपुर दिनांक 24.12.2021	कुमारी दुर्गा ध्रुव पिता श्री भुनेश्वर लाल ध्रुव, साकिन नगर पंचायत- थाना नरहरपुर, उ.ब. कांकेर	तोबियस खाखा निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी नरहरपुर, हाल रक्षित केन्द्र कांकेर	शिकायत पत्र की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कांकेर द्वारा की गयी। जांच में निरीक्षक तोबियस खाखा के ऊपर लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाये गये।
03	कमांक /8401/ अ.अ.जा.अ./ प्रकरण कमांक- 64/2020, रायपुर दिनांक 19.01.2022	श्री संतोष दुग्गा पिता स्व. फागूराम दुग्गा सहायक आरक्षक कमांक 140 थाना लोहत्तर जिला उ.ब.कांकेर	महेश साहू निरीक्षक तत्कालीन थाना प्रभारी लोहत्तर, हाल थाना प्रभारी कोरर	शिकायत पत्र में आवेदक संतोष दुग्गा, आवेदिका अमरिका बाई दुग्गा तथा थाना लोहत्तर में पदस्थ तत्कालीन सहायक आरक्षक क. 203 दयालू कल्लो, सहायक आरक्षक क. 110 कन्हैया लाल बिहारी, आरक्षक क. 910 सुनील कोमरा रक्षित केन्द्र कांकेर द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी लोहत्तर महेश कुमार साहू के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।

नोट:- पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, बस्तर में अनुसूचित जनजाति आयोग से प्राप्त शिकायत की जानकारी निरंक है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र- "ब"

प्रश्नांकित अवधि में (जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 तक) में प्रश्नांक 'क' के अनुसार पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना से पीड़ित व्यक्ति तथा किस तरह से प्रताड़ित किये जाने का आरोप था की जानकारी ::

क.	आयोग का पत्र क्रमांक एवं प्रकरण क्रमांक	नाम पीड़ित व्यक्ति	प्रताड़ित किये जाने का आरोप
01	क्रमांक /7704/ अ.अ. जा.अ./प्रकरण क्रमांक-132/2020, रायपुर दिनांक 14.01.2021	श्री जगमोहन सिंह, ग्राम सभा अध्यक्ष, ग्राम कुरुभाट, उ.ब. कांकेर	तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोहरलाल सिन्हा द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
02	क्रमांक /7760/ अ.अ. जा.अ./प्रकरण क्रमांक-227/2020, रायपुर दिनांक 24.12.2021	कुमारी दुर्गा ध्रुव पिता श्री भुनेश्वर लाल ध्रुव, साकिन नगर पंचायत - थाना नरहरपुर, उ.ब. कांकेर	दुकान में डिस्पोजल, पानी पाउच आदि बेचने से मना करना एवं अश्लील गाली-गलौच कर धमकी देना।
03	क्रमांक /8401/ अ.अ. जा.अ./प्रकरण क्रमांक-64/2020, रायपुर दिनांक 19.01.2022	श्री संतोष दुग्गा पिता स्व.फागूराम दुग्गा सहायक आरक्षक क्रमांक 140 थाना लोहत्तर, जिला उ.ब.कांकेर	अश्लील गाली-गलौच व मारपीट कर चप्पल से बाये गाल में मारने के तथा तत्संबंध में गोड़वाना समाज से माफी न मागने के संबंध में।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - पन्द्रह

पारिवातेत अतारांकेत प्रश्न संख्या 3 (क्र. 113) की जानकारी

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकास कार्यो की स्वीकृति

(कैलेण्डर वर्ष 2020, 2021 तथा 2022 में (दिनांक 31.01.2022 तक)

क.	मद का नाम	वर्ष	विभाग को प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत नहीं किए गए प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	अधोसंरचना मद	01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक	60	54	6
2		01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	71	58	13
3		01 जनवरी 2022 से (दिनांक 31.01.2022)	-	-	-
	योग		131	112	19
1	राज्य प्रवर्तित योजना	01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक	1	1	-
2		01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	3	3	-
3		01 जनवरी 2022 से (दिनांक 31.01.2022)	-	-	-
	योग		4	4	-
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक	37	16	21
2		01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	9	9	-
3		01 जनवरी 2022 से (दिनांक 31.01.2022)	-	-	-
	योग		46	25	21
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक	-	-	-
2		01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021	-	-	-
3		01 जनवरी 2022 से (दिनांक 31.01.2022)	-	-	-
	योग		-	-	0
	महायोग		181	141	40

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल कक्षा

पारोशिष्ट - सोलह
पारेवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 117) की जानकारी

प्रपत्र-अ

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 11012/मु.अ./स्था.शिका./3-9-21/VIP बिलासपुर, दिनांक 31/12/2021

// आदेश //

श्री पुष्पराज सिंह (अधिवक्ता) जिला महामंत्री (संगठन/प्रशासन) जिला कॉंग्रेस कमेटी जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा शिकायती पत्र क्रमांक 156, दिनांक 20.12.2021 सचिव, छ.ग. शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर एवं इस कार्यालय को संबोधित कर, लोक निर्माण विभाग संभाग पेण्ड्रा में 1.00 करोड़ के पोल सिफ्टिंग कार्य बिना निविदा आमंत्रण किये, विद्युत विभाग की जगह कार्यपालन अभियंता श्री चारी द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को नियम विरुद्ध वर्क आर्डर देकर फर्जी मूल्यांकन व सत्यापन कर, लगभग 50.00 लाख रुपये की अनियमितता की जाँच विद्युत-विभाग की तकनीकी टीम से कराने व कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। (फ़ायदाप्रति संलग्न है)

अतः उपरोक्तानुसार पोल सिफ्टिंग कार्य में किये गये अनियमितता की जाँच हेतु निम्नानुसार अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त कर, निर्देशित किया जाता है कि शिकायती पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 08 तक का शिकायतकर्ता के रागक्ष कराये गये कार्य का नियमानुसार विस्तृत (तकनीकी) परीक्षण एवं जाँच कर, जाँच प्रतिवेदन, सम्पूर्ण दस्तावेज/अभिलेखों सहित अपना स्पष्ट अभिमत अंकित कर 10 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

- (1) श्री एस.एस. भूपल
अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग (वि./यॉ.)
बिलासपुर (छ.ग.)
- (2) श्री एन. टोप्पो
कार्यापालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (वि./यॉ.)
बिलासपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)

(पी.एन. साय)
मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)

..2..

पृ.क्रमांक 110/3 /मु.अ./स्था.शिका./3-9-21/VIP बिलासपुर, दिनांक 31/12/2021
 प्रतिलिपि :-

- (1) श्री सचिव, छ.ग. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
- (2) प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
- (3) अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) बिलासपुर मण्डल बिलारापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
- (4) श्री एस.एस. भूपल, (जॉच अधिकारी) अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि./यॉ.) बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- (5) श्री एन. टोप्पो, (जॉच अधिकारी) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (वि./यॉ.) बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ। उन्हें निर्देशित किया जाता है, कि शिकायती पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 08 तक का शिकायतकर्ता के समक्ष बिजली पोल सिफ्टिंग हेतु कराये गये कार्य का नियमानुसार विस्तृत (तकनीकी) परीक्षण एवं जॉच कर, जॉच प्रतिवेदन, सम्पूर्ण दस्तावेज/अभिलेखों सहित अपना स्पष्ट अभिमत अंकित कर 10 दिवस के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- (6) श्री एम.आर. चारी, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा संभाग पेण्ड्रारोड की ओर पालनार्थ। उन्हें निर्देशित किया जाता है, कि वे पेण्ड्रा से बसंतपुर, बसंतपुर से भाड़ी, पेण्ड्रा-पतगवां मार्ग व अन्य सड़को के निर्माण में कराये गये बिजली पोल सिफ्टिंग से संबंधित समस्त दस्तावेज/अभिलेख जॉच दल को उपलब्ध करावें।
- (7) श्री पुष्पराज सिंह, अधिवक्ता, जिला संयुक्त महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) मरवाही मार्ग पेण्ड्रा, जिला पेण्ड्रा (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्रमांक 156, दिनांक 20.12.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (स.क्र. 4 एवं 5 के लिये)

अनुभाग अधिकारी
 लोक निर्माण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)

मुख्य अभियंता
 लोक निर्माण विभाग
 बिलासपुर परिक्षेत्र बिलासपुर (छ.ग.)
 31/12/21
 0/c

प्रपत्र-ब

जिला कांग्रेस कमेटी जिला-गोरिला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

सुब्रराज सिंह
(अधिवक्ता)
जिला महामंत्री
(संगठन एवं प्रशासन)



निवास- परवाही मार्ग, पेण्ड्रा
जिला - गोरिला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)
फोन - 9111410713
9424150572

क्रमांक. 56

दिनांक 20/12/2021

प्रति,

1. श्रीमान सचिव, लोक निर्माण विभाग
छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
2. श्रीमान मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग
बिलासपुर परिक्षेत्र, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

मंत्रालय मुख्य अभियंता
लो.नि.वि., बिलारापुर (छ.ग.)
आपक क्रमांक... 20/12/21
दिनांक 20/12/2021
प्रपत्र...

विषय-

लोक निर्माण विभाग संभाग पेण्ड्रा-पेण्ड्रारोड में 1.00 करोड रुपये के पोल सिपिटिंग कार्य बिना निविदा आमंत्रण किए विद्युत विभाग की जगह कार्यपालन अभियंता श्री चारी के द्वारा अपने चहेते ठेकेदार को नियम विरुद्ध वर्क आर्डर देकर फर्जी मूल्यांकन व सत्यापन कर लगभग 50.00 लाख रुपये की अनियमितता की जाँच विद्युत विभाग की तकनीकी टीम से कराने व कार्यपालन अभियंता को निलंबित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत सादर निवेदन है कि-

1. यहकि, लोक निर्माण विभाग पेण्ड्रा के अंतर्गत वर्तमान में पेण्ड्रा से बसंतपुर वसंतपुर से भांडी, पेण्ड्रा-पतगवां मार्ग व अन्य सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें पोल सिपिटिंग हेतु करोडो रूपयों की मंजूरी शासन के द्वारा दी गयी है।
2. यहकि, शासन के नियमानुसार पोल सिपिटिंग का स्टीमेट विद्युत विभाग के द्वारा बनाया जाता है व संबंधित राशि को विद्युत विभाग को स्थानांतरित किया जाता है, विद्युत विभाग के द्वारा निविदा आमंत्रित करके पोल सिपिटिंग कराया जाता है।
3. यहकि, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग संभाग पेण्ड्रा में नियम विरुद्ध 1.00 करोड रुपये पोल सिपिटिंग का कार्य कराया जा रहा है जिसके निविदा का प्रकाशन विभाग के द्वारा नहीं किया गया है।
4. यहकि, कार्यपालन अभियंता श्री चारी के द्वारा संबंधित ठेकेदार से मिलीभगत करके वर्तमान के वर्क आर्डर पर पोल सिपिटिंग का कार्य कराया जा रहा है, जबकि नियमतः प्रत्येक निर्माण कार्य का निविदा प्रकाशन अनिवार्य है।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग

20/12/21

/ 2 /

//2//


5. यहकि, वर्तमान में कराये जा रहे पोल सिपिटिंग पेण्ड्रा से बसंतपुर मार्ग, पेण्ड्रा शहरी क्षेत्र में पूर्व में विद्युत विभाग के द्वारा पोल सिपिटिंग किया जा चुका है इसी कार्य का दुबारा लोक निर्माण विभाग के द्वारा राशि आहरण किया जा रहा है।
6. यहकि, पिछले 1 वर्ष में पेण्ड्रा शहर व आस पास विद्युत विभाग के द्वारा कराये गए पोल सिपिटिंग वर्तमान पोल सिपिटिंग का मिलान स्थल पर किया जाए।
7. यहकि, उक्त पोल सिपिटिंग कार्य के नाम पर लगभग 1.00 करोड रुपये के वर्क आर्डर पर काम कराने से शासन को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति हुई है जिसकी वसूली संबंधित कार्यपालन अभियंता से की जाए। वर्तमान कार्यपालन अभियंता के द्वारा प्रत्येक निर्माण में अनियमितता की जा रही है।
8. यहकि, उक्त पोल सिपिटिंग में की गयी अनियमितता की खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है जिससे कांग्रेस शासन के प्रति आम जनता में गलत संदेश जा रहा है, आम जनता के द्वारा कांग्रेस सरकार की आलोचना की जा रही है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः श्रीमान महोदय जी से आग्रह है उपरोक्त बिंदुओं का अवलोकन करते हुए नियम विरुद्ध 1.00 करोड रुपये के पोल सिपिटिंग कार्य के नाम पर पूर्व में कराये गए पोल सिपिटिंग का फर्जी मूल्यांकन व सत्यापन कर लगभग 50.00 लाख रुपये की अनियमितता की जाँच विद्युत विभाग की विशेष टीम से कराने की महति कृपा करें।

नोट:- पत्र प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर जाँच कार्यवाही प्रारंभ की जाए अन्यथा मेरे द्वारा कार्यपालन अभियंता कार्यालय का घेराव/ धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन व संगठन की होगी।

संलग्न:- समाचार पत्र की छायाप्रति।

भवदीय


पुष्पराज सिंह(अधिवक्ता)
जिला महामंत्री
(संगठन/प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. माननीय वित्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

श्रीमान विष्णु यादव, पी.सी.सी. सदस्य व संगठन प्रभारी, जिला- गौ.पे.म. (छ.ग.)

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिला- गौ.पे.म. (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
संगठन, नया रायपुर (छ.ग.)


दैनिक भास्कर

विलासपुर आंचलिक

सुख अभियंता बोले • निर्माण में सभी मानकों का रखा ख्याल, शिकायत करना जनता का अधिकार बिजली पोल शिफ्टिंग में अनियमितता, कांग्रेसियों ने कलेक्टर और प्रभारी मंत्री से की शिकायत

भारत न्यूजोर्गेन

जिले में तड़क निर्माण कार्य के साथ बिजली पोल शिफ्टिंग में हो रहे प्रस्तावों को देखते हुए ब्लॉक कांसेलर कमल गौरा और कांग्रेस के प्रदाहिकारों भी अब लोक निर्माण विभाग के खिलाफ तामबंद होने लगे हैं। उन्होंने लिखित शिकायत में कलेक्टर को बताया कि जोधपुर जिले में चल रहे रोड चौड़ाकरण निर्माण कार्य के दौरान बिजली लाइन के पोल शिफ्टिंग का कार्य सवित इंजीनियर को नियंत्रित में करवाया जा रहा है, जो कि नियम विपरीत है, पोल शिफ्टिंग कार्य को विद्युत मंडल के द्वारा किया जाना था, लेकिन स्वयं लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। बिभाग के इंद्र डाय अपन चहले टेकटारों के सुपरविजन में कार्य संपन्न गया है। साथ ही पोल शिफ्टिंग की विविध भी नहीं निकाली गई है। इससे पहले विद्युत शासन पोल शिफ्टिंग का कार्य संजय चौक गौरा से टेकटारों रोड व जालेश्वर रोड का कार्य विद्युत मंडल ने संपन्न कराया था।



बिजली निर्माण विभाग के खिलाफ ब्लॉक कांसेलर कमल गौरा और कांग्रेस के प्रदाहिकारों ने कलेक्टर को लिखित शिकायत की

सुरक्षा मानकों का विभाग ने नहीं रखा ख्याल

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि विभाग ने पोल शिफ्टिंग कार्य सवित इंजीनियर को नियंत्रित में करवाया जा रहा है, लेकिन सवित इंजीनियर कार्य की निगरानी मूल्यांकन व सुपरविजन कार्य करने की पात्रता नहीं रखता है। ऐसे पोल शिफ्टिंग के कार्य को विद्युत मंडल द्वारा उनके रख इंजीनियरों की निगरानी में कराया जाना था। विभाग ने करोड़ों के पोल शिफ्टिंग का कार्य करवाया है, उनमें भी सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और कार्य की गुणवत्ता भी खराब है।

कार्य आदेश से 5 माह पहले काम पूरा करने की बात

सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में जानकारी मिली थी, लेकिन इंद्र लोक निर्माण विभाग ने गलत जानकारी दी। विभाग के अनुसार सभी पोल शिफ्टिंग कार्य 23 फरवरी 2021 को पूरा करना बताया है, जबकि विद्युत मंडल ने कार्य करने की स्वीकृति कार्य आदेश 12 जुलाई 2021 को जारी किया है। ऐसे में पांच माह पहले इंद्र द्वारा पोल शिफ्टिंग कार्य पूरा करना लोगों के स्पष्ट से परे है।

कांग्रेसी नेताओं ने की है मांगले में शिकायत

गौरा ब्लॉक अध्यक्ष अमोल पाठक, सांसद प्रतिनिधि भाला करुण व शिला प्रबन्धका धनरथाम ठक्कर ने लिखित पत्र द्वारा कार्य में अनियमितता की कसौटी व प्रभारी मंत्री से शिकायत की। मंत्री ने मानले में जांच का आश्वासन भी दिया है।

बिजली विभाग ने सिर्फ सुपरविजन किया

संरक्षणांडिसोला वितरण विंग के डिवीजन इंजीनियर ने बताया कि जिले में सड़क निर्माण के दौरान पोल शिफ्टिंग का काम लोक निर्माण विभाग करा रहा है, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा सिर्फ सुपरविजन किया गया है। इसके लिए लोक निर्माण ने विद्युत वितरण कंपनियों को भूगतान किया था। बाकी सभी कार्य लोक निर्माण ने अपने ठेकेदार से स्वयं कराए हैं।

तय मानकों पर हट्ट कार्य

जिले में सभी काम मानकों के आधार पर किया जा रहा। छत्र बाल शिकायत की बाद तो शिकायत करना जनता का अधिकार है। पोल शिफ्टिंग के मामले में विद्युत विभाग प्रदाहिकारों के इंजीनियरों के सुपरविजन में काम करवाया गया है। एमआर चारि मुख्य कार्यपालन अधिकारता, देश

परोशिष्ट - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 133) की जानकारी

क्रमांक	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाईड आयोडीन नमक	केरोसिन	चना
1	01 सदस्य वाले प्राथमिकता राशनकार्ड 02 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड 03 से 05 सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड 05 से अधिक सदस्य वाले प्राथमिकता राशन कार्ड	10 किलो, 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 20 किलो, 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो, 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 35 किलो के साथ प्रति अतिरिक्त सदस्य 07 किलो, प्रति सदस्य 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह	प्रति राशन कार्ड 01 किलो 17 रुपये प्रति किलो की दर से	अनुसूचित क्षेत्र में 02 किलो प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 01 किलो प्रति परिवार निःशुल्क	नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 02 लीटर, ग्रामीण क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 02 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 03 लीटर न्यूनतम 55 से लेकर अधिकतम 59 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति राशनकार्ड प्रति माह	अनुसूचित विकासखण्ड एवं माडा क्षेत्र के हितग्राहियों को प्रतिमाह 02 किलो 05 रुपये प्रति किलो की दर से
2	अन्त्योदय राशन कार्ड	35 किलो, 01 रुपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह, प्रति राशन कार्ड	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
3	एकल निराश्रित राशन कार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशन कार्ड	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
4	निःशक्त राशन कार्ड	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह, प्रति राशन कार्ड	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क

अनुभाग अधिकारी

कक्ष क्रमांक-2

स्वाद्य नालरिक आपूर्ति एवं

उपभोगिता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, राधपुर

परिशेष - अट्टारह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 396) की जानकारी

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रों की जानकारी

क्र.	धान खरीदी केन्द्र का नाम
1	सलखन
2	तुलसी
3	खिसोरा
4	तनौद
5	खोरसी
6	केरा
7	मिसदा
8	लोहसी
9	खरौद
10	शिवरीनारायण
11	गोधना
12	कटौद
13	कामता
14	भिलौनी
15	डोंगाकोहरौद
16	मेउ
17	राहौद
18	मेहदी
19	कोसला
20	ससहा
21	धनगांव
22	रसौटा
23	पकरिया
24	भैसो
25	लगरा
26	सिल्ली
27	कोडाभाठ
28	पामगढ़
29	भदरा
30	चोरभट्टी

31	खपरीडीह
32	कोसा
33	जेवरा
34	मुलमुला
35	कोनारगढ़


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशिष्ट - उन्नीस
परिवर्तित अतासीकेत प्रश्न संख्या 12 (क्र. 453) की जानकारी

(बी.एस.यू.पी. आवासों में निवासरत परिवार)

क्र.	स्वीकृत परियोजना का नाम	निर्माण स्थल का विवरण	परिवार के निकटतम शिक्षा स्कूल/प्राथमिक चिकित्सालय का विवरण										
			स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	आबंटित आवास	निवासरत परिवार	परिवार से आगमनकारी की अनुमानित दूरी	स्कूल का विवरण	परिवार से स्कूल की अनुमानित दूरी	प्राथमिक चिकित्सालय का विवरण	परिवार से प्राथमिक चिकित्सालय की अनुमानित दूरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		सोमडोमरी (बी.बी. बिल्डर्स)	176	176	0	175	175	आगमनकारी केन्द्र भवन सोमडोमरी	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सोमडोमरी	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र युवुशी चौक सोमडोमरी	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. की दूरी में।
2		कोटा फंस (समता कॉलोनी)	160	160	0	160	160	कर्म भवन	निर्मित क्षेत्र से 200 मी. दूरी में।	कोटा स्टडीयम के पास शासकीय स्कूल	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शान्तनार ओडर बीज के पास, युवक हॉस्पिटल	निर्मित क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी में।
3		भाटागाव (जैन बिल्डर्स)	192	192	0	182	182	आगमनकारी केन्द्र भाटागाव	निर्मित क्षेत्र से 300 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल भाटागाव	निर्मित क्षेत्र से 2.5 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटागाव	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. की दूरी में।
4		सरयाना (वालकोर्ट सिटी)	288	288	0	280	280	आगमनकारी केन्द्र पार्किंग सरयाना	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सरयाना बस्ती	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडान चौक सरयाना	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. की दूरी में।
5	बी.एस.यू.पी. फंस-1 परियोजना क्रमांक-01	सरयाना (संवर्द्ध)	256	256	0	254	254	आगमनकारी केन्द्र पार्किंग सरयाना	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सरयाना बस्ती	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडान चौक सरयाना	निर्मित क्षेत्र से 1 कि.मी. की दूरी में।
6		महुपुरना (अजुनदास)	92	92	0	92	92	01-मंत्र नगर	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	कैवट नगर पानी टकी	निर्मित क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी में।	महुपुरना	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. की दूरी में।
7		संसार	56	56	0	56	56	आगमनकारी केन्द्र संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 4 कि.मी. दूरी में।	शासकीय हा.से. स्कूल संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक चिकित्सालय मंगा	निर्मित क्षेत्र से 05 कि.मी. की दूरी में।
8		टाटाबध	256	256	0	256	256	आगमनकारी केन्द्र रोडरी चौक टाटाबध	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय मा.बालिका शा. स्कूल इल्लिया रोड कोलोनो टाटाबध	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौडान चौक सरयाना	निर्मित क्षेत्र से 5 कि.मी. की दूरी में।
9		समता फंस- 11	48	48	0	48	48	कर्म भवन	निर्मित क्षेत्र से 200 मी. दूरी में।	प्राथमिक शा.ला.कोटा	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शान्तनार ओडर बीज के पास, युवक हॉस्पिटल	निर्मित क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी में।
10		संवर्द्ध फंस-1 (विमल खमका)	256	256	0	255	255	आगमनकारी केन्द्र संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय हा.से. स्कूल संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक चिकित्सालय मंगा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
11		संवर्द्ध फंस-1 (विमल खमका)	32	32	0	32	32	आगमनकारी केन्द्र संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय हा.से. स्कूल संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक चिकित्सालय मंगा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
12		अमलीडीह (अमृत होम्स)	512	512	0	502	502	1	50 मीटर	शासकीय उच्च. मा. विद्यालय अमलीडीह	1.5 कि.मी.	अनुष्का हॉस्पिटल	1.5 कि.मी.
13	बी.एस.यू.पी. फंस-1 परियोजना क्रमांक-02	संगोरामाटा (सिद्धांत इन्फो)	128	128	0	128	128	आगमनकारी केन्द्र शंकर	निर्मित क्षेत्र से 100 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. शा.ला. श्रीराम नगर	निर्मित क्षेत्र से 1 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अयोध्या नगर	निर्मित क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी में।
14		आर.पी. रियल स्टेट संवर्द्ध (साजन दास बिल्डर्स)	1504	1504	0	1488	1488	आगमनकारी केन्द्र संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय हा.से. स्कूल संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक चिकित्सालय मंगा	निर्मित क्षेत्र से 05 कि.मी. की दूरी में।
15		(साजन दास बिल्डर्स, संवर्द्ध)	160	160	0	154	154	आगमनकारी केन्द्र संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 500 मीटर दूरी में।	शासकीय हा.से. स्कूल संवर्द्ध	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक चिकित्सालय मंगा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।

क्र.	स्वीकृत परियोजना का नाम	निर्माण स्थल का विवरण	स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	आवृत्त आवास	निवासरत परिवार	परिवार के निकटतम स्थित स्कूल / प्राथमिक विद्यालय का विवरण					
								आगनवाड़ी का विवरण	परिवार से आगनवाड़ी की अनुमानित दूरी	स्कूल का विवरण	परिवार से स्कूल की अनुमानित दूरी	प्राथमिक विद्यालय का विवरण	परिवार से प्राथमिक विद्यालय की अनुमानित दूरी
16		भाटागांव (श्यामी विहस)	608	608	0	581	581	आगनवाड़ी केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 300 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 2.5 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. की दूरी में।
17	बी.एस.यू.पी. केस-1 परियोजना क्रमांक-03	भाटागांव (डेवर सिटी)	640	640	0	589	589	02-कैम्पस के अंदर एच.पार्षद कार्यालय के सामने	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	महारुपना पानी टकी	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. की दूरी में।	महारुपना	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. की दूरी में।
18		मठपुरा	432	432	0	430	430	01-कैम्पस नगर	निर्मित क्षेत्र से 2 कि.मी. दूरी में।	कैम्पस नगर पानी टकी	निर्मित क्षेत्र से 2.5 कि.मी. की दूरी में।	महारुपना	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. की दूरी में।
19		दलदल सिवनी	112	112	0	94	94	आगनवाड़ी केन्द्र दलदल सिवनी	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल दलदल सिवनी	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. की दूरी में।
20		कचनारा रायपुर	1216	1216	0	1204	1204	आगनवाड़ी केन्द्र बी.एस.यू.पी.	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल कचनारा	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय कचनारा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
21		सड्डू बुखारन डेवलपर्स	384	384	0	383	383	आगनवाड़ी केन्द्र बी.एस.यू.पी.	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
22		सड्डू बुखारन डेवलपर्स	64	64	0	64	64	आगनवाड़ी केन्द्र बी.एस.यू.पी.	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
23		भाटागांव (सी.जी. प्रोजेक्ट)	256	256	0	250	250	आगनवाड़ी केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 300 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 2.5 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. की दूरी में।
24	बी.एस.यू.पी. केस-1 परियोजना क्रमांक-04	वालकोर्ट सिटी	386	386	0	334	334	आगनवाड़ी केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 300 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 2.5 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटागांव	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. की दूरी में।
25		हीरापुर जरावा	664	664	0	658	658	आगनवाड़ी केन्द्र स्टडीयम के पास हीरापुर	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल हीरापुर	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुवनी चौक सोनडोंगरी	निर्मित क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी में।
26		कॉमिटल सिटी सड्डू केस-1।	192	192	0	181	181	आगनवाड़ी केन्द्र सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 3 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 05 कि.मी. की दूरी में।
27	बी.एस.यू.पी. केस-2	तेलीबाबा	640	640	0	640	640	आगनवाड़ी केन्द्र बी.एस.यू.पी. कॉलोनी तेलीबाबा	आगनवाड़ी केन्द्र बी.एस.यू.पी. कॉलोनी परिसर में स्थित है।	सरकार प्रिनसिपल सिनी स्कूल तेलीबाबा	1.5 कि.मी. लागगा	प्राथमिक विद्यालय काशीराम नगर रायपुर	02 कि.मी. लागगा
28		दलदल सिवनी	256	256	0	256	256	आगनवाड़ी केन्द्र दलदल सिवनी	निर्मित क्षेत्र से 0.00 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल दलदल सिवनी	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. की दूरी में।
29	बी.एस.यू.पी. केस-3 परियोजना क्र. 01	रायपुरा	288	288	0	288	288	आगनवाड़ी केन्द्र हिरापुरा रायपुरा	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	प्राथमिक शासकीय प्रा. स्कूल हास. स्कूल रायपुरा	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय बासटाल रायपुरा	निर्मित क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी में।
30	बी.एस.यू.पी. केस-3 परियोजना क्र. 03	सोनडोंगरी	1120	1120	0	1013	1013	आगनवाड़ी केन्द्र मंवा सोनडोंगरी	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सोनडोंगरी	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यदुवनी चौक सोनडोंगरी	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. की दूरी में।
31		सूर्यसिंह डेवलपर्स सड्डू	192	144	48	0	0	आगनवाड़ी केन्द्र सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 500 मीटर दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल सड्डू	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय मंवा	निर्मित क्षेत्र से 04 कि.मी. की दूरी में।
32	बी.एस.यू.पी. केस-3 परियोजना क्रमांक-04	लागाडी	344	344	0	344	344	आगनवाड़ी केन्द्र लागाडी	निर्मित क्षेत्र से 2 कि.मी. दूरी में।	शासकीय प्रा. स्कूल लागाडी	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. दूरी में।	प्राथमिक विद्यालय लागाडी	निर्मित क्षेत्र से 03 कि.मी. की दूरी में।
33		भाटागांव डेवर सिटी केस-1	32	32	0	21	21	02-कैम्पस के अंदर एच.पार्षद कार्यालय के सामने	निर्मित क्षेत्र से 500 मी. दूरी में।	महारुपना पानी टकी	निर्मित क्षेत्र से 02 कि.मी. की दूरी में।	महारुपना	निर्मित क्षेत्र से 01 कि.मी. की दूरी में।

योग-अ (नगर पालिक निगम रायपुर)

11892

11844

48

11392

11392

क्र.	स्वीकृत परियोजना का नाम	निर्माण स्थल का विवरण	स्वीकृत आवस	पूर्ण आवस	अपूर्ण आवस	अवधित आवस	निवासगत परिवार	परिसर के निकटतम स्थित स्कूल / प्राथमिक शिक्षास्थलय का विवरण						
								आगवासी का विवरण	परिसर से आगवासी की अनुमानित दूरी	स्कूल का विवरण	परिसर से स्कूल की अनुमानित दूरी	प्राथमिक शिक्षास्थलय का विवरण	परिसर से प्राथमिक शिक्षास्थलय की अनुमानित दूरी	
1	श्री परस्यूषी आवास योजना	कायाबाधा	24	24	0	24	24	1	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
2		खपरी	24	24	0	24	24	1	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
3		दुर्गा	120	120	0	120	120	3	1 K.M.	0	1 K.M.	0	1 K.M.	
4		आस	24	24	0	24	24	1	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
5		रिंको	72	72	0	72	72	2	1 K.M.	1	1 K.M.	1	1 K.M.	
6		शीवा	96	96	0	96	96	2	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
7		नवागांव (परसदा)	144	144	0	144	144	2	1 K.M.	2	1 K.M.	0	1 K.M.	
8		कोटरभांठा	24	24	0	24	24	1	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
9		उपरवावा	288	288	0	288	288	5	1 K.M.	3	1 K.M.	2	1 K.M.	
10		भाठागांव (खपरी)	72	72	0	72	72	2	1 K.M.	1	1 K.M.	0	1 K.M.	
योग-ब (नवा रायपुर अटल नगर)			888	888	0	888	888							
महायोग (अ+ब)			12780	12732	48	12280	12280							


अनुपमा अरशिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मजलस, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परोशेष्ट - बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 515) की जानकारी

भवन अनुज्ञा एवं सड़क बाधा शुल्क की जानकारी

क्र.	वर्गमीटर से वर्गमीटर तक	आवासीय अनुज्ञा शुल्क	वाणिज्यिक अनुज्ञा शुल्क	सड़क बाधा शुल्क
1	0 से 75	1210	1813	500
2	76 से 125	2119	3176	500
3	126 से 200	2417	3625	500
4	201 से 300	3625	5435	500
5	301 से 400	4831	7248	500
6	401 से 600	8053	12079	500
7	601 से 750	10066	15099	500
8	751 से 1000	14093	21139	500
9	1001 से 1250	20132	30198	1000
10	1251 से 1500	28184	42276	1000
11	1501 से 2000	40263	45753	1000
12	2001 से 2500	60394	90592	2000
13	2500 से अधिक	37500 के अतिरिक्त 15 रु. प्रति वर्गमीटर देय	56250 के अतिरिक्त 15 रु. प्रति वर्गमीटर देय	2000

बहुमंजिला इमारतों में 56.38 रु. प्रतिवर्गमीटर (आवासीय में)


A


अवर
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नया रावपुर

परिशेष - इक्कीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 518) की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	आबंटित राशि (लाख रू. में)
1	कोरिया	438.300
2	सूरजपुर	365.249
3	बलरामपुर	365.251
4	सरगुजा	438.300
5	जशपुर	438.300
6	रायगढ़	730.500
7	कोरबा	584.400
8	बिलासपुर	818.160
9	मुंगेली	350.640
10	जाजगीर-चांपा	876.600
11	महासमुंद	584.400
12	बलौदाबाजार	584.400
13	रायपुर	1022.700
14	गरियाबन्द	292.200
15	धमतरी	438.300
16	बालोद	438.300
17	दुर्ग	876.600
18	बेमेतरा	438.300
19	कबीरधाम	292.200
20	राजनांदगांव	876.600
21	कांकेर	438.300
22	कोण्डागांव	292.200
23	बस्तर	438.300
24	दंतेवाड़ा	146.100
25	सुकमा	146.100
26	नारायणपुर	146.100
27	बीजापुर	146.100
28	पेन्द्रा-गौरैला-महवाही	146.100
योग:-		13149.0000

टीप:- वेक्सीनेशन हेतु रूपये 47.33 करोड़ की राशि दी गई है।



अनुभाग अधिकारी

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पारोशिए - बाइस
पारोशिएत अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 526) की जानकारी

चित्रकोट जल प्रपात में पर्यटन को बढ़ावा एवं विकसित करने हेतु जिला प्रशासन बस्तर द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण :-

क्रमांक	स्वीकृति कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)
1.	ईट मशीनरी साईड ड्रेन निर्माण कार्य	3.960
2.	पेयजल व्यवस्था निर्माण कार्य	3.960
3.	वृक्षारोपण एवं सौंदर्यीकरण कार्य	16.940
4.	सीमेंट कांक्रीट रोड निर्माण कार्य	10.620
5.	पार्किंग एरिया विकास कार्य निर्माण कार्य	12.390
6.	इंट्रेंस गेट एवं रेलिंग निर्माण	9.140
7.	चेनलिंग एवं फेसिंग कार्य निर्माण	2.130


02/03/2022

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परोशेष्ट - तेईस
परिवारत अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 561) की जानकारी

मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना के अंतगत जनवरी 2019 से फरवरी
2022 तक लाभान्वित परिवारो की जानकारी

क्र	वर्ष	माह	लाभान्वित राशनकार्डो की संख्या
1	2019	जनवरी	2387656
2		फरवरी	2585428
3		मार्च	2585428
4		अप्रैल	-
5		मई	-
6		जून	-
7		जुलाई	-
8		अगस्त	656909
9		सितम्बर	2604901
10		अक्टूबर	2561846
11		नवम्बर	2504265
12		दिसम्बर	2504265
13	2020	जनवरी	2497694
14		फरवरी	2505983
15		मार्च	2505983
16		अप्रैल	5075851
17		मई	5594706
18		जून	484752
19		जुलाई	2532429
20		अगस्त	2539204
21		सितम्बर	2542618
22		अक्टूबर	2548870
23		नवम्बर	2556851
24		दिसम्बर	2565577
25	2021	जनवरी	2568594
26		फरवरी	2575176
27		मार्च	2581584
28		अप्रैल	2588629
29		मई	2595244
30		जून	2595244
31		जुलाई	2600283
32		अगस्त	2605842
33		सितम्बर	2607991
34		अक्टूबर	2615330

क्र	वर्ष	माह	लाभान्वित राशनकार्डों की संख्या
35	2022	नवम्बर	2621373
36		दिसम्बर	2627224
37		जनवरी	2636082
38		फरवरी	2642367


अनुभाग अधिकारी
वर्क क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - चौबीस

पारोशेष्ट अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 562) की जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// आदेश //

पंजी क्रमांक... 1825
गृह विभाग, (सी) अनुसूचित
दिनांक... 13/9/19

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

क्रमांक एफ-9-7/2019/1/5 :: राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ए.के. पटनायक (सेवानिवृत्त) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में समसंख्यक आदेश दिनांक 08.03.2019 को समिति का गठन किया गया है ।

2/ उक्त समिति के विचारणीय विषय (Terms of Reference) निम्नानुसार होंगे :-

1. भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम तथा अन्य केन्द्रीय अधिनियम के तहत ऐसे सारे प्रकरण जो पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हों और अथवा विभिन्न अपराधों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित हो, का परीक्षण करना ।
2. आबकारी अधिनियम (Excise act) तथा अन्य स्थानीय निकायों, जिसमें नगरीय तथा ग्रामीण दोनों शामिल हैं, से संबंधित अधिनियम के तहत दर्ज ऐसे सारे अपराधिक प्रकरणों का परीक्षण करना जो पुलिस द्वारा पंजीबद्ध किये गये हों और अथवा न्यायालय में लंबित हों, की जाँच करना ।
3. ऐसे सारे अपराधिक प्रकरणों का परीक्षण करने के पश्चात् समिति अभियोजन की प्रक्रिया से प्रकरण वापसी की अनुशंसा करेगी, जिसका प्रावधान Code of Criminal Procedure, 1973 के खण्ड 321 के अनुसार अनुमति योग्य हैं और ऐसे प्रकरणों में भी अनुशंसा करेगी, जिसमें पुलिस ने अभी तक माननीय संबंधित न्यायालयों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है यदि उन प्रकरणों में समिति यह पाती है कि इन प्रकरणों को माननीय न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु समीचीन साक्ष्य/दस्तावेज/कारण अभियोजित व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं है ।

निरन्तर.....2
11/5/19

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

10919

11 SEP 2019

10919

11/5/19

क्रमांक... 10919
उप सचिव, गृह
दिनांक... 11/9/19

क्रमांक... 10919
सचिव, गृह (पुलिस)
दिनांक... 11 SEP 2019

क्रमांक... 48/3
अ.मु.स.-गृह एवं जेल विभाग
दिनांक... 110919 2019

- 2 -

4. समिति ऐसे सारे प्रकरणों का परीक्षण करेगी जो Code of Criminal Procedure, 1973 के अध्याय (Chapter) XXIA के Plea Bargaining के प्रावधानों (यथा संशोधित) से संबंधित हैं और दर्ज हैं के निष्पादन योग्य पाए जाने पर अनुशांसा करेगी ।
5. समिति समय-समय पर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, ताकि समिति की सिफारिश के अनुसार विधि प्रक्रिया अपनाते हुए अग्रिम कार्यवाही शासन द्वारा की जा सके ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

M. S. S.
(मेरी खेस) 11.9.19

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

2524

पृष्ठांक. एफ 9-7/2019/1/5
प्रतिलिपि : -

नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2019

1. समिति के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति, श्री ए.कै. पटनायक (सेवानिवृत्त) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, पता-K-34A, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016
 2. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 3. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 6. सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग(सदस्य सचिव) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।

M. S. S.
अवर सचिव, 11.9.19

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग

पारोशेष्ट - पञ्चोस
पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 637) की जानकारी

नक्सलियों एवं पुलिस के मध्य गोलीबारी (मुठभेड़) की घटना का जिला, दिनांक/स्थानवार जानकारी
वर्ष 2021-22 (01.04.2021 से 10.02.2022 तक)

पत्र "अ"

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना
1	2	3	4
	जिला बीजापुर		
1.	03.04.2021	ग्राम पेद्दागेलूर व टेकलगुडा के मध्य जंगल पहाड़ी	तर्रम
2.	23.04.2021	निर्माणधीन रोड़ जारपल्ली	पामेड़
3.	18.05.2021	ग्राम अम्बेली पटेलपारा के जंगल	कुटसू
4.	13.07.2021	नडपल्ली नाला के पुलिया के पास	उसूर
5.	27.09.2021	चिन्ताबागु कैम्प	पामेड़
6.	25.10.2021	ग्राम पेरुड़ व छिलका थागू झरना	ईलमिड़ी
7.	26.11.2021	ग्राम बदेपारा के जंगल	मदुदेड़
8.	18.01.2022	ग्राम करेगुटालू, सेमलडोड़ी व पेनगोलू जंगल	ईलमिड़ी
9.	30.01.2022	ग्राम बड़े सुकनपल्ली एवं छोटे सुकनपल्ली के बीच जंगल टेकरी रास्ता किनारे	तर्रम
10.	05.02.2022	ग्राम कोटमेटा की पहाड़ी में इन्द्रावती नदी किनारे	जांगला
	जिला बस्तर		
11.	18.06.2021	ग्राम चांदामेटा के पयारभाट से पटनमपारा के मध्य जंगल, पहाड़ के पास	दरभा
12.	30.06.2021	ग्राम एलंगनार जंगल-पहाड़	दरभा
	जिला कांकेर		
13.	19.04.2021	ग्राम माहुरपाठ और मलमेटा के बीच पहाड़	ताड़ोकी
14.	24.04.2021	बीएसएफ कैम्प कामतेड़ा	कोयलीबेड़ा
15.	05.06.2021	ग्राम उपरकामता के पास जंगल पहाड़	आमाबेड़ा
16.	10.10.2021	ग्राम सापेनहुर	आमाबेड़ा
17.	09.12.2021	ग्राम बैहासालहेभाट से पादर गांव के बीच जाने वाली कच्ची	रावघाट
18.	14.01.2022	ब्रीज संख्या 329 चैनल नं 78.6 एवं चैनल नम्बर 79.4 पतकालबेड़ा पहाड़ी सीओबी कैम्प कोसरोण्डा	ताड़ोकी
	जिला नारायणपुर		
19.	01.06.2021	ग्राम डेंगालपुट्टीपारा गोमागाल के जंगल	ओरछा
20.	19.06.2021	ग्राम हिक्कल के जंगल व कोरोवाया के मध्य जंगल	ओरछा
21.	03.07.2021	जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमदईघाटी	छोटेडोंगर
22.	20.07.2021	अमदईघाटी कैम्प के करीब 500 मीटर आगे नारायणपुर ओरछा रोड के बाँचे ओर टेकरी	छोटेडोंगर
23.	20.08.2021	ग्राम कडेमेटा-कडेनार के मध्य टेकरी बेचा मोड़ के पास	छोटेडोंगर
24.	08.10.2021	थाना कोहकामेटा से 100 मीटर सामने रोड पर पश्चिम दिशा	कोहकामेटा
25.	16.10.2021	सीओबी अंजरेल से लगभग 01 कि.मी. दूरी हाईट 870 पहाड़	भरण्डा
26.	15.11.2021	ग्राम बहंकेर के जंगल-पहाड़	छोटेडोंगर
27.	24.01.2022	ग्राम भरण्डा मोड़ पुलिया के पास जंगल-पहाड़	भरण्डा
	जिला सुकमा		
28.	17.04.2021	ग्राम ताड़मेटला, मिनपा जंगल के बीच	चिंतागुफा
29.	29.04.2021	ग्राम सिरसेट्टी, रावपारा जंगल-पहाड़	केरलापाल
30.	17.05.2021	मोकुर कैम्प से 500 मीटर आगे जंगल टेकरी	जगरगुंडा
31.	24.05.2021	ग्राम कोत्तालेण्ड्रा के जंगल	एरबोर
32.	04.06.2021	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रोड़ ग्राम गगनपल्ली व बिरला के मध्य	एरबोर
33.	17.06.2021	ग्राम मुलेर रासापारा के जंगल-पहाड़	फुलबगड़ी
34.	25.07.2021	ग्राम पदामगुडा एवं आगुडोंगरी के मध्य जंगल-पहाड़	चिंतागुफा

DIG (SIB/ANO)
Police HQ, B...

अनुभाग अधिक
उत्तिसंगत

क्र.	घटना दिनांक	घटना स्थल	थाना
35.	01.08.2021	ग्राम पोरदेम रूबीमेटा पहाड़	गादीरास
36.	24.08.2021	ग्राम कंहाईगुड़ा एवं बटेर के मध्य	कोटा
37.	26.09.2021	ग्राम पालोड़ी	किस्टाराम
38.	27.09.2021	पालोड़ी कैम्प	किस्टाराम
39.	05.10.2021	ग्राम पोरदेम रूबीमेटा पहाड़	गादीरास
40.	26.11.2021	ग्राम मुकरम व ताड़मेटला के मध्य जंगल,	चिंतलनार
41.	27.12.2021	ग्राम पेसलपाडू के जंगल पहाड़	किस्टाराम
42.	31.12.2021	ग्राम गट्टापाड़ व पालाचलमा के जंगल	किस्टाराम
43.	18.01.2022	ग्राम जैमेर के कोलेमकोटा के जंगल-पहाड़	तोंगपाल
44.	30.01.2022	ग्राम तिम्मापुरम् व पेद्दाबोड़केल के मध्य जंगल	चिंतलनार
45.	12.01.2022	ग्राम कोलाईगुड़ा नवीन कैम्प	भेजी
	जिला दंतेवाडा		
46.	11.04.2021	ग्राम गादम के जंगल पहाड़	कटेकल्याण
47.	20.04.2021	ग्राम नीलावाया मल्लापारा के जंगल-पहाड़	अरनपुर
48.	25-26.04.2021	कैम्प बोदली	मालेवाही
49.	11.05.2021	ग्राम कामालूर जंगल-पहाड़ के पास	भांसी
50.	22.05.2021	ग्राम बड़ेपल्ली परलगट्टा के मध्य जंगल-पहाड़	किरन्दुल
51.	14.05.2021	ग्राम मुस्तलनार के जंगल के पास	गीदम
52.	31.05.2021	ग्राम गुमलनार, गिरसापारा के जंगल	गीदम
53.	27.06.2021	ग्राम बुरगुम और नीलावाया के घने जंगल-पहाड़	अरनपुर
54.	15.07.2021	ढोलकाल, पेद्दापाल के पहाड़-जंगल,	फरसपाल
55.	31.10.2021	ग्राम आदवाल व बड़ेगादम के बीच जंगल-पहाड़	कटेकल्याण
56.	05.11.2021	ग्राम गुमलनार एवं वेंगुपर के बीच जंगल-पहाड़	गीदम
57.	18.12.2021	ग्राम पोटाली मिच्चीपारा एवं गोण्डेरास के बीच जंगल-पहाड़	अरनपुर
58.	19.01.2022	ग्राम चिकपाल जंगलपारा एवं मारजूम जंगल के मध्य	कटेकल्याण
	जिला कोण्डागांव		
59.	01.06.2021	ग्राम भण्डारपाल एवं चेरबेड़ा के मध्य जंगल-पहाड़	धनोरा


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग


DIG (SIB/ANO)
Police HQ, Raipur (C.G.)

उपत्र-ब

नक्सली घटनाओं में शहीद/घायल राज्य पुलिस, केन्द्रीय सुरक्षा बल, सहायक आरक्षक एवं गोपनीय सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली राशि एवं अन्य सुविधाएं

क्र.	विवरण	दी जाने वाली राशि (रूपये में)
शहीद राज्य पुलिस जवानों के उत्तराधिकारी दी जाने वाले राशि एवं अन्य सुविधाएं :-		
1.	विशेष अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया राशि)	35 लाख
2.	सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत (बीमा राशि) शहीद कर्मचारी के बच्चे अध्ययनरत होने पर	25 लाख 40 हजार
3.	समूह बीमा योजना 1985 के अनुसार देय राशि	03 लाख
4.	अनुग्रह राशि (06 माह के वेतन बैंड + ग्रेड वेतन के छः गुना के बराबर या अधिकतम 50 हजार)	50 हजार
5.	शहीद सम्मान निधि से राशि	05 लाख
6.	पुलिस परोपकार निधि से राशि	02 लाख
7.	विशेष ग्रेज्युटी 40 माह के वेतन के बराबर की राशि (आरक्षक के प्रतिमाह 19,500/- न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स अनुसार)	07 लाख 80 हजार
अन्य सुविधाएं :-		
1.	असाधारण परिवार पेंशन (सेवा अवधि पर्यन्त पूर्ण वेतन अर्थात शहीद के 62 वर्ष की आयु तक पात्रता)	
2.	शहीद जवान के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति	
3.	छ.ग. गृह निर्माण मंडल के माध्यम से मकान की सुविधा, चयनित योजनाओं में बिना लाटरी के मकान आवंटित	
4.	हाउस की कीमत में छूट का प्रावधान Class-I अधिकारी के परिवार को 6 लाख, Class-II को 4 लाख एवं Class-III को 2 लाख रूपये	
5.	सामान्य भविष्य निधि/विभागीय भविष्य निधि में जमा संपूर्ण राशि मय ब्याज	
6.	अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश का नगदीकरण की गणना अनुसार (अधिकतम-240 दिवस)	
राज्य पुलिस बल के घायल जवानों को दी जाने वाली राशि (सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत) :-		
1.	दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, दोनों आँख अथवा कोई दो अंग के अपंग होने पर	20 लाख
2.	कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ होने पर	20 लाख
3.	एक हाथ या एक पैर अथवा एक आँख या एक कान के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर	10 लाख
4.	(अ) घायल होकर उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती होने पर एक सप्ताह के अंदर उपचार हेतु	20 हजार
	(ब) एक सप्ताह से अधिक, दूसरे सप्ताह तक अथवा उससे अधिक अवधि तक उपचार हेतु	40 हजार
शहीद केन्द्रीय सुरक्षा बलों के परिजनों को छ.ग. शासन द्वारा दी जाने वाली राशि :-		
1.	विशेष अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया राशि)	20 लाख
2.	सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत (बीमा राशि) शहीद कर्मचारी के बच्चे अध्ययनरत होने पर	25 लाख 40 हजार
केन्द्रीय सुरक्षा बलों के घायल जवानों को दी जाने वाली राशि (सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत) :-		
1.	दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, दोनों आँख अथवा कोई दो अंग के अपंग होने पर	20 लाख
2.	कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ होने पर	20 लाख
3.	एक हाथ या एक पैर अथवा एक आँख या एक कान के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर	10 लाख
4.	(अ) घायल होकर उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती होने पर एक सप्ताह के अंदर उपचार हेतु	20 हजार
	(ब) एक सप्ताह से अधिक, दूसरे सप्ताह तक अथवा उससे अधिक अवधि तक उपचार हेतु	40 हजार

अनुभाग अधिवक्ता
उत्तिसंगठ मंत्रालय

DIG (SIB/ANO)
Police HQ, Raipur (C.C)

शहीद सहायक आरक्षकों के परिजनों को दी जाने वाली राशि :-

1.	विशेष अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया)	25 लाख
2.	सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत (बीमा राशि) शहीद कर्मचारी के बच्चे अध्ययनरत होने पर	25 लाख 40 हजार
3.	अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) (06 माह के वेतन बैंड + ग्रेड वेतन के छः गुना के बराबर या अधिकतम 50 हजार)	50 हजार
4.	शहीद सम्मान निधि से राशि	05 लाख
5.	पुलिस परोपकार निधि से राशि	02 लाख

अन्य सुविधाएं :-

1. अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश का नगदीकरण गणना अनुसार (अधिकतम-240 दिवस)
2. परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति

घायल सहायक आरक्षकों को दी जाने वाली सुविधाएँ (सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत) :-


1.	दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, दोनों आँख अथवा कोई दो अंग के अपंग होने पर	20 लाख
2.	कोई उपहति जो जीवन को संकटपन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ होने पर	20 लाख
3.	एक हाथ या एक पैर अथवा एक आँख या एक कान के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर	10 लाख
4.	(अ) घायल होकर उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती होने पर एक सप्ताह के अंदर उपचार हेतु	20 हजार
	(ब) एक सप्ताह से अधिक, दूसरे सप्ताह तक अथवा उससे अधिक अवधि तक उपचार हेतु	40 हजार

शहीद गोपनीय सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली राशि :-

1.	सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत (बीमा राशि) शहीद कर्मचारी के बच्चे अध्ययनरत होने पर	25 लाख 40 हजार
----	---	-------------------

घायल गोपनीय सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएँ (सामूहिक बीमा विकल्प विशेष अनुदान योजना के तहत) :-

1.	दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों कान, दोनों आँख अथवा कोई दो अंग के अपंग होने पर	20 लाख
2.	कोई उपहति जो जीवन को संकटपन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ होने पर	20 लाख
3.	एक हाथ या एक पैर अथवा एक आँख या एक कान के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर	10 लाख
4.	(अ) घायल होकर उपचारार्थ अस्पताल में भर्ती होने पर एक सप्ताह के अंदर उपचार हेतु	20 हजार
	(ब) एक सप्ताह से अधिक, दूसरे सप्ताह तक अथवा उससे अधिक अवधि तक उपचार हेतु	40 हजार


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग


DIG (SIB/ANO)
Police HQ, Raipur (C.G)

उपत्र-“ख”

नक्सली वारदातों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किये गये इंतजाम

- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश को नक्सल मुक्त कराने के लिए स्पष्ट नीति तैयार की गई है, जिसके तहत “विश्वास-विकास-सुरक्षा” की त्रिवेणी कार्ययोजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल कर विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए तथा एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने हेतु विगत 03 वर्षों में राज्य पुलिस बल एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा 43 सुरक्षा बेस कैम्पों की स्थापना की गई है। बेस कैम्पों के सहयोग से स्थानीय नागरिकों को प्राप्त हो रहे मूलभूत सुविधाओं एवं अन्य विकास कार्यों जैसे- रोड रिक्वायरमेन्ट प्लॉन-1 एवं रोड कन्स्ट्रक्शन प्लॉन फार एलडब्ल्यूई एरिया के तहत सड़क, पुल-पुलियां का निर्माण एवं रेल मार्गों के विस्तार तथा मोबाईल टॉवर्स आदि स्थापित किये जाने के कारण शासन-प्रशासन के प्रति सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।
- प्रत्येक सुरक्षा बेस कैम्प को एकीकृत विकास केन्द्र (Integrated Development Center) के रूप में विकसित करने हेतु ‘मनवा नवा नार’ (हमारा नया गांव) योजना के तहत जिला अंतर्गत संचालित शासन के कल्याणकारी एवं विकास कार्यों जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), बैंक, आंगनबाड़ी एवं अन्य सुविधाओं का एकत्रीकरण (Convergence) किया जाकर शासन-प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। परिणामस्वरूप युवाओं का माओवादी विचारधारा से मोहभंग हो रहा है एवं माओवादी संगठनों की भर्ती में कमी आयी है। राज्य में माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है।

--0--


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ मंत्रालय
गृह विभाग


DIG (SIB/ANO)
Police HQ, Raipur (C.G.)

परिशेष - छब्वीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 647) की जानकारी

(रकबा हेक्टेयर में एवं मात्रा क्विंटल में)

क्र.	उपार्जन केंद्र	किसान का नाम	पिता का नाम	पंजीकृत शासकीय भूमि का रकबा	शासकीय भूमि में खरीदे गये धान की मात्रा
1	तुलसी	कमलेश	मनहरणलाल साहू	2.454	92.03
2	किरित	शांती बाई	हेतराम	2.081	78.04
3	किरित	जगदीश	चंद्रराम	12.705	206.81
4	किरित	संतोष कुमार	गरीबराम	1.104	0.00
5	किरित	राजेश्वर	सम्भेलाल	10.797	0.00
6	किरित	प्रकाश	नवल	2.039	76.46
7	किरित	नंदनी	बेदीलाल	9.814	250.00
8	किरित	निरंजन	हेमलाल	7.710	141.60
9	किरित	अनिता	कन्हैया	3.765	139.20
10	किरित	राजकुमारी	नंदलाल	6.204	229.20
11	किरित	राजनी बाई	राजकुमार	4.646	171.60
12	किरित	रोशनी कुमारी	लक्ष्मी प्रसाद	0.474	17.36
13	किरित	गौरी बाई	रामकुमार	3.804	140.40
14	किरित	गीतराम	बजरंग	5.403	188.49
15	किरित	दिलचंद	बैसाखु	5.460	204.75
16	तुलसी	खेमलाल केवट	माखन	2.319	0.00
17	तुलसी	उषाबाई	राधेश्याम	1.389	51.20
18	तुलसी	कोमल प्रसाद	कांशीदास	0.425	15.94
19	तुलसी	चंद्रशेखर साहू	गेंदराम	2.612	96.33
20	तुलसी	गयाराम	भागीरथी	2.116	0.00
21	तुलसी	अकतरी बेगम	लालखा	0.283	3.41
22	तुलसी	मनहरण	रामाधीन	3.885	145.69
23	तुलसी	सिकंदर खान	महमूद खान	0.405	15.19
24	तुलसी	सुरेन्द्र कुमार	टेकराम	3.974	149.03
25	तुलसी	लक्ष्मीन बाई	गोरेलाल	1.583	56.95
26	तुलसी	मंगला बाई	रतन	4.657	174.64
27	तुलसी	मोहनलाल	पुनीराम	4.537	0.00

क्र.	उपाजन केंद्र	किसान का नाम	पिता का नाम	पंजीकृत शासकीय भूमि का रकबा	शासकीय भूमि में खरीदे गये धान की मात्रा
28	तुलसी	गोपीचंद	इतवारी	7.215	270.56
29	तुलसी	शिवदययाल	रामजी	2.712	94.50
30	तुलसी	संजय	राधेश्याम	2.026	75.98
31	तुलसी	नोनी बाई	फिरू	1.469	55.09
32	किरित	नंदलाल	हेमलाल	1.215	44.64
33	किरित	महेत्तर	बालकृष्ण	3.771	141.41
34	किरित	भुरुवाराम	बोधनराम	0.061	2.29
35	किरित	साहेब	पंडितराम	3.209	113.60
36	किरित	केवलनाथ	पदुमनाथ	5.426	203.48
37	किरित	नरेश कुमार	रोहित	5.379	191.68
38	किरित	सुरेन्द्र कुमार	मेलाराम	1.816	66.70
39	किरित	राजकुमार	हेतराम	0.728	26.41
40	किरित	नंदकुमार	हेतराम	2.412	88.95
41	किरित	कलिन्दी बाई	चिरंजीव लाल	1.930	72.38
42	किरित	बेदबाई	प्रमलाल	1.619	59.19
43	किरित	पुष्पलता	साहेबलाल	6.346	234.80
44	किरित	डोकरीबाई	मंगराम	1.214	43.84
45	किरित	लोकनाथ	भगताराम	1.040	39.00
46	तुलसी	घनाराम	आंनदराम	5.903	9.58
47	तुलसी	सुशील कुमार	आजुराम	1.953	73.24
48	तुलसी	घासिराम	धनसाय	9.768	360.94
49	तुलसी	पुरुषोत्तम	दौवा	2.687	99.20
50	तुलसी	प्रहलाद	आशाराम	3.971	146.38
51	तुलसी	रविकुमार	मंगल	1.712	64.20
52	तुलसी	सीताराम	खोलबहरा	3.468	127.80
53	तुलसी	छतबाइ	महेत्तर	2.451	0.00
54	तुलसी	रामकुमार	गंगाप्रसाद शर्मा	2.893	0.00
55	तुलसी	रथराम	फेकुराम	1.699	55.60
56	तुलसी	रामकिर्तन	कपिल	1.987	70.80
57	तुलसी	छोटे लाल	बिहारीलाल	2.084	76.80
58	तुलसी	बीसाहू	बुधु	2.242	66.16

क्र.	उपार्जन केंद्र	किसान का नाम	पिता का नाम	पंजीकृत शासकीय भूमि का रकबा	शासकीय भूमि में खरीदे गये धान की मात्रा
59	तुलसी	मनहरण	खोलबहरा	2.562	94.38
60	तुलसी	भगतसिंह	महेत्तर	1.100	40.28
61	तुलसी	मंगलु	झुझरू	1.212	45.45
योग				203.925	5799.593


 जिला सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन,
 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सत्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 670) की जानकारी

प्रपत्र - अ

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृति राशि (लाख में)
1	जल प्रदाय योजना	02.05.2017	14422.91
2	पद्मनाभपुर, 24 एमएलडी डब्ल्यूटीपी स्थल, शक्तिनगर एवं शनिचरी बाजार में उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कार्य	27.09.2019	787.68
3	आर्य नगर एवं तांदुला जल परिसर में उच्चस्तरीय जलागार निर्माण कार्य	02.03.2020	379.48
4	पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य	27.09.2019	234.34
5	02 नग सक्शन मशीन क्रय	09.12.2016	10.00
	02 नग ट्रैक्टर क्रय	09.12.2016	11.00
6	वार्ड क्र. 18 जवाहर नगर बाल उद्यान विकास कार्य	16.09.2019	56.00
7	वार्ड क्र. 46, पद्मनाभपुर - 2 बाल उद्यान विकास कार्य	17.06.2019	18.81
8	वार्ड क्र. 54, पोटियाकला बाल उद्यान विकास कार्य	24.06.2019	20.00
9	वार्ड क्र 60, कातुलबोड उद्यान विकास कार्य	01.10.2016	29.54
10	वार्ड क्र 45, पद्मनाभपुर -1 उद्यान विकास कार्य	01.10.2016	82.61
11	वार्ड क्र 59, नरसिंह विहार उद्यान विकास कार्य	24.07.2017	31.20
12	वार्ड क्र 13, आर्य नगर उद्यान विकास कार्य	26.09.2017	59.99
13	वार्ड क्र 38, महावीर कालोनी उद्यान विकास कार्य	26.06.2018	20.00


अनुमान अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नगर पंचायत, महानगर भद्रनगर
राजपुर (मि.ग.)

क्र.	कार्य का नाम	निविदा दिनांक	फर्म का नाम	वित्तीय रसीकृति (क. लाख में)	कार्य की अवगत स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत)	समयावधि में (हाँ/नहीं)	समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण	कार्यवाही की जानकारी
1	जल प्रदाय योजना	27.10.2017	मेसर्स लक्ष्मी सिल्विल इंजीनियरिंग सर्विसेस प्रा. लि. कोल्हापुर, महाराष्ट्र	14610.00	प्रगतिरत (95% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. पानी टैंकियाँ हेतु व्ययनित स्थलों में स्थल विवाद। 2. रेलवे क्रॉसिंग की परामर्शन में विलंब। 3. नेशनल हाइवे/स्टेट हाइवे की क्रॉसिंग में विलंब। 4. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समय वृद्धि प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
2	पदमनामपुर, 24 एनएलडी डबल्यूएटी स्थल, शांतिनगर एवं शांतिवारी बाजार में उच्च स्तरीय जलागार निर्माण कार्य	18.10.2019	मेसर्स कोरियाला ब्रदर्स एग्जास्टिवर्स प्रा. लि. नई दिल्ली	859.86	प्रगतिरत (70% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. पानी टैंकियाँ हेतु व्ययनित स्थलों में स्थल विवाद व स्थल परिवर्तन। 2. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समय वृद्धि प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
3	आर्य नगर एवं तांडुला जल परिसर में उच्चस्तरीय जलागार निर्माण कार्य	03.03.2020	मेसर्स गोपाल कंस्ट्रक्शन, रायपुर	344.00	प्रगतिरत (50% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. पानी टैंकियाँ हेतु व्ययनित स्थलों में स्थल विवाद व स्थल परिवर्तन। 2. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समय वृद्धि प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
4	पुनगाव नाला डायवर्सन कार्य	03.02.2020	मेसर्स लखन सिंह रावणपुर, रायपुर	353.96	प्रगतिरत (30% कार्य पूर्ण)	नहीं	वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समय वृद्धि प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
5	02 नग सक्शन मशीन क्रय	29.12.2016	मेसर्स यू.डी. इंटरप्राइजेस, मनोन्मार्ग, कोरिया (छ.ग.)	11.82	पूर्ण	हाँ	-	-
	02 नग ट्रेक्टर क्रय	29.12.2016	मेसर्स इंटरनेशनल ट्रेक्टर लिमिटेड, हीशियारपुर	9.47	पूर्ण	हाँ	-	-
6	वार्ड क्र 60, काजुलबोड उद्यान विकास कार्य (सिलिल)	05.11.2016	श्री जी बोरवल्स एंड कंस्ट्रक्शन	18.06	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद।	निर्माण एजेंसी पर पैनाल्टी अडिसेपित की गयी।
	वार्ड क्र 60, काजुलबोड उद्यान विकास कार्य (खेतकृद उपकरण)	05.11.2016	मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, रायपुर नाका	2.38	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद एवं उद्यान के सिलिल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
6	वार्ड क्र 60, काजुलबोड उद्यान विकास कार्य (विद्युतीय उपकरण)	05.11.2016	मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, रायपुर नाका	5.70	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद एवं उद्यान के सिलिल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

क्र.	कार्य का नाम	निविदा दिनांक	फर्म का नाम	वित्तीय स्वीकृति (कू. लाख में)	कार्य की अवधि (पूर्ण / प्रारंभित)	समाप्ति में (हाँ/नहीं)	समाप्ति में कार्य पूर्ण होने के कारण	कार्यवाही की जानकारी
7	वार्ड क्र 45, पदमनामपुर उद्यान विकास कार्य (सिविल)	29.04.2017	मेसर्स सुपाम सोशल सर्विसेस, गिलाई	58.22	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल पर काली मिट्टी होने के कारण फाउंडेशन की खंडा डिजाईन में किये गये परिवर्तन व अनुमोदन के कारण।	निर्माण एजेंसी पर पैनाल्टी अधिरोपित की गयी।
	वार्ड क्र 45, पदमनामपुर उद्यान विकास कार्य (खेलकूद उपकरण)	05.11.2016	मेसर्स मल्टीपल सॉल्यूशन, नागापुर	5.18	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
8	वार्ड क्र 59, नरसिंह विहार उद्यान विकास कार्य (सिविल)	23.08.2017	मेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, रायपुर गिलाई	8.19	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	एजेंसी पर पैनाल्टी अधिरोपित की गयी।
	वार्ड क्र 59, नरसिंह विहार उद्यान विकास कार्य (विद्युतीय उपकरण)	08.11.2019	मेसर्स आर.के. इंजीनियरिंग, दुर्ग	23.29	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में व्यवस्थापित पाईपलाइन सिस्टिम के कारण उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण में विलंब हुआ।	निर्माण एजेंसी पर पैनाल्टी अधिरोपित की गयी।
9	वार्ड क्र 59, नरसिंह विहार उद्यान विकास कार्य (सिविल)	21.02.2019	मेसर्स आर.के. इंजीनियरिंग, गिलाई	2.97	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	वार्ड क्र 59, नरसिंह विहार उद्यान विकास कार्य (विद्युतीय उपकरण)	19.12.2017	मेसर्स शीक जैन इंजीनियरिंग, दुर्ग	4.94	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
10	वार्ड क्र 13, आर्य नगर उद्यान विकास कार्य (सिविल)	30.07.2019	मेसर्स मल्टीपल सॉल्यूशन, नागापुर	39.06	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	एजेंसी पर पैनाल्टी अधिरोपित की गयी।
	वार्ड क्र 13, आर्य नगर उद्यान विकास कार्य (विद्युतीय उपकरण)	27.02.2019	मेसर्स वार्टेक इंजीनियरिंग, गिलाई	7.84	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
11	वार्ड क्र 54, पोटियाकला उद्यान विकास कार्य (सिविल)	22.10.2019	मेसर्स एस्सीन एसोसिएट्स, दुर्ग	8.56	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	टैकेदार को जल्दी कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया। परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	वार्ड क्र 54, पोटियाकला उद्यान विकास कार्य (खेलकूद उपकरण)	26.02.2020	मेसर्स एस्सीन एसोसिएट्स, दुर्ग	55.07	प्रारंभित (95% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद व स्थल परिवर्तन। 2. शैथिल महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12	वार्ड क्र 38, महावीर कालोनी उद्यान विकास कार्य (सिविल)	27.02.2019	मेसर्स एस्सीन एसोसिएट्स, दुर्ग	17.14	पूर्ण	नहीं	1. निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद व स्थल परिवर्तन के कारण सिविल कार्य विलंब से होने के कारण 2. शैथिल महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लॉकडाउन।	टैकेदार को जल्दी कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया। परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	वार्ड क्र 38, महावीर कालोनी उद्यान विकास कार्य (खेलकूद उपकरण एवं विद्युतीयकरण)	24.12.2018	मेसर्स एस्सीन एसोसिएट्स, दुर्ग	3.20	पूर्ण	नहीं	निर्माण कार्य हेतु व्ययनित स्थल में स्थल विवाद।	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
12	वार्ड क्र 38, महावीर कालोनी उद्यान विकास कार्य (खेलकूद उपकरण एवं विद्युतीयकरण)	23.10.2019	मेसर्स श्री कृष्णा ग्रीन स्टेट, दुर्ग	9.69	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	वार्ड क्र 38, महावीर कालोनी उद्यान विकास कार्य (खेलकूद उपकरण एवं विद्युतीयकरण)	23.10.2019	मेसर्स श्री कृष्णा ग्रीन स्टेट, दुर्ग	9.78	पूर्ण	नहीं	व्ययनित स्थल में उद्यान के सिविल कार्य का निर्माण विलंब से होने के कारण	परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुभवा अधिकारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया मन्नालाय, महानदी भवन

रायपुर (छ.ग.)

क्र.	कार्य का नाम	निश्चिदा दिनांक	कर्म का नाम	वित्तीय स्वीकृति (रु. लाख में)	कार्य की अवतान स्थिति (पूर्ण / प्रगतिरही)	समयावधि में पूर्ण (हां / नहीं)	समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण	कार्यवाही की जानकारी
13	वार्ड क्र 45, परमनामपुर - 2 उद्यान विकास कार्य (सिंचित)	23.10.2019	सेसर्स अमर कंस्ट्रक्शन, रायपुर नावका	15.24	पूर्ण	नहीं	1. निर्माण कार्य हेतु व्ययवित्त स्थल में स्थल विवाद व परिस्थितिजन्य कारणों के कारण विलंब हुआ। 2. वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिले में लोकह्रास।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	वार्ड क्र 45, परमनामपुर - 2 उद्यान विकास कार्य (खैलकर उपाकरण)	23.10.2019	सेसर्स श्री कृष्णा ग्रीन स्टेट, दुर्ग	4.20	प्रगतिरही (75% कार्य पूर्ण)	नहीं	1. व्ययवित्त स्थल में उद्यान के सिंचित कार्य का निर्माण विलंब से टेंडर को जल्दी कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया। परिस्थितिजन्य कारणों से विलंब होने के कारण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।	

अनुभाग अधिकारी

नगरिय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगर प्रज्ञालय, महानदी भवन

रायपुर (छ.ग.)

विषय :- सारंगढ़ विधानसभा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सारंगढ़ से परसदा, सारंगढ़ से हरदी एवं सारंगढ़ से दानसरा मार्ग के नव निर्माण के संबंध में।

स. क्र.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.	मार्ग भाग	लम्बाई	अद्यतन स्थिति	कार्य योजना
1	2	3	4	5	6
1	130बी	सारंगढ़ से परसदा मार्ग	12.80 कि.मी.	संतोषजनक	वार्षिक योजना 2021-22 में सम्मिलित नहीं। अतः मरम्मत कार्य विभागीय स्तर पर की जा रही है। वार्षिक योजना 2022-23 में प्रस्तावित किया जावेगा।
2	153	सारंगढ़ से हरदी मार्ग	8.00 कि.मी.	संतोषजनक	(1) एन.एच.डी.पी. योजना के वर्तमान में प्रगतिरत कार्य के अनुबंधक द्वारा मार्ग का रखरखाव किया जाना है। अनुबंधक द्वारा मार्ग का रखरखाव नहीं करने पर उनके व्यय एवं जोखिम पर बी.टी. पैच मरम्मत करने का प्रावधान है।
3	153	सारंगढ़ से दानसरा मार्ग	5.675 क.मी.	संतोषजनक	(2) सारंगढ़ बायपास निर्माण हो जाने पर विद्यमान मार्ग के हरदी-सारंगढ़-दानसरा मार्ग का एक बार उन्नयन के अंतर्गत बी.टी. नवीनीकरण किया जाना है। अतः वर्ष 2022-23 के वार्षिक योजना में प्रस्तावित किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग समाग,
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)


अधीक्षण अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल,
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

अनुभाग अभियंता
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, नया रापुर (उ.प्र.)


मुख्य अभियंता
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि. निर्माण मन्त्रालय
रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

परिशेष - उन्तीस
परिवारित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 710) की जानकारी

प्रपत्र -अ

माह दिसंबर 2019 में राशनकार्डधारी परिवार हेतु चावल की मासिक पात्रता

राशन कार्ड में शामिल सदस्यों की संख्या	अन्त्योदयकार्ड	प्राथमिकताकार्ड	एकल निराश्रित कार्ड	निःशक्तजन कार्ड	सामान्य कार्ड
1	35 किलो	10 किलो	10 किलो	10 किलो	10 किलो
2	35 किलो	20 किलो	-	-	20 किलो
3	35 किलो	35 किलो	-	-	35 किलो
4	35 किलो	35 किलो	-	-	35 किलो
5	35 किलो	35 किलो	-	-	35 किलो
6	35 किलो	42 किलो	-	-	35 किलो
7	35 किलो	49 किलो	-	-	35 किलो


अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र -ब

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटन अवधि के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल प्राथमिकता परिवार हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता

राशन कार्ड में शामिल सदस्यों की संख्या	मासिक पात्रता
1	10 किलो
2	20 किलो
3	35 किलो
4	40 किलो
5	50 किलो
6	60 किलो
7	70 किलो

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 717) की जानकारी

अपराध शीर्ष	01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक	01 अप्रैल 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक	योग
हत्या	01	—	01	02	04
बलात्कार	—	01	—	01	02
ड्रग्स(नशीली दवा)	—	—	—	03	03
छेड़छाड़	—	—	01	—	01
आत्महत्या	—	03	03	—	06
चोरी	01	05	—	11	17
अवैध शराब	03	05	02	03	13
महायोग—					46

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पॉरीशेड - इक्लीस
पॉरेवॉतंत अतारॉकेंत प्रश्न संख्या 28 (क्र. 721) कौ जानकारौ

खरीफ वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक समर्थन मूल्य, खरीदे गये धान की मात्रा एवं किसानों को भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्र	खरीफ विपणन वर्ष	समर्थन मूल्य (रु.प्रति क्विंटल)		खरीदे गये धान की मात्रा (लाख टन में)	किसानों को भुगतान की गई राशि				रिमार्क
		कामन धान	ग्रेड ए धान		प्रोत्साहन राशि	राजीव गांधी किसान न्याय योजना की कृषि आदान सहायता राशि	योग		
1	2018-19	कामन धान	1750	80.38	5979.47	-	-	20095.08	राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है
		ग्रेड ए धान	1770						
2	2019-20	कामन धान	1815	83.94	-	5596.39	-	20882.24	राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है
		ग्रेड ए धान	1835						
3	2020-21	कामन धान	1868	92.02	-	4496.79	-	21737.38	राशि भुगतान हेतु शेष नहीं है
		ग्रेड ए धान	1888						
4	2021-22	कामन धान	1940	97.98	-	-	-	19031.88	राजीव गांधी किसान न्याय योजना की कृषि आदान सहायता राशि 5884.12 करोड़ रुपये का भुगतान शेष है
		ग्रेड ए धान	1960						


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाध्या नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - बत्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 722) को जानकारी

नीलामी / वसूली / राजीनामा की कार्यवाही पूर्ण कर अभी तक 17 हजार 378 निवेशकों को धनराशि वापस करायी गयी है :-

क्रं.	जिला	राशि वापस करायी गयी निवेशकों की संख्या
1	दुर्ग	1
2	बिलासपुर	474
3	राजनांदगांव	16896
4	बेमेतरा	5
6	जशपुर	2
	कुल निवेशक	17378


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - तैतीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 726) की जानकारी

प्रपत्र -अ

(मात्रा टन में राशि लाख में)

क्र.	जिला	वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21		वर्ष 2021-22	
		सूखत/शार्टेज की मात्रा	शार्टेज की राशि	सूखत/शार्टेज की मात्रा	शार्टेज की राशि	सूखत/शार्टेज की मात्रा	शार्टेज की राशि
1	बस्तर	0.56	0.10	440.25	82.55		
2	बीजापुर	192.92	35.15	642.33	120.44		
3	दन्तेवाड़ा	4.23	0.77	0.00	0.00		
4	कांकेर	826.05	150.51	6038.24	1132.17		
5	कोंडागांव	0.30	0.05	1293.55	242.54		
6	नारायणपुर	0.00	0.00	340.40	63.82		
7	सुकमा	456.91	83.25	166.07	31.14		
8	बिलासपुर	330.17	60.16	8904.36	1669.57		
9	गौरैलापेन्डा	0.00	0.00	710.63	133.24		
10	जांजगीर	0.60	0.11	4385.97	822.37		
11	कोरबा	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	मुंगेली	6205.21	1130.59	12372.78	2319.90		
13	रायगढ़	2055.32	374.48	0.00	0.00		
14	बालोद	134.63	24.53	9040.86	1695.16		
15	बेमेतरा	2785.85	507.58	17759.86	3329.97		
16	दुर्ग	0.00	0.00	3025.74	567.33		
17	कवर्धा	2747.08	500.52	24762.99	4643.06		
18	राजनांदगांव	3018.02	549.88	22815.04	4277.82		
19	बलौदाबाजार	9298.21	1694.13	12709.79	2383.09		
20	धमतरी	7.20	1.31	5271.32	988.37		
21	गरियाबंद	4979.96	907.35	7277.90	1364.61		
22	महासमुंद	10050.40	1831.18	23509.62	4408.05		
23	रायपुर	15.88	2.89	7594.80	1424.03		
24	बलरामपुर	335.75	61.17	1942.85	364.28		
25	जशपुर	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	कोरिया	0.00	0.00	1321.55	247.79		
27	सरगुजा	0.00	0.00	900.89	168.92		
28	सुरजपूर	211.46	38.53	3188.25	597.80		
कुल योग		43656.70	7954.25	176416.02	33078.00		

धान उपार्जन वर्ष 2021-22 में उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव विपणन संघ द्वारा वर्तमान में प्रक्रियाधीन है. धान का उठाव पूर्ण हो जाने के पश्चात विपणन संघ एवं उपार्जन केन्द्र के मध्य अंतिम लेखा मिलान पूर्ण होने के पश्चात ही उपार्जन केन्द्र स्तर की शार्टेज जात की जा सकेगी।



अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वायत्त नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

खरीफ वर्ष 2019-20 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

(मात्रा मे.टन. में)

क्र.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	संग्रहण केन्द्रों में मिलिंग हेतु भौतिक रूप से शेष धान
1	बस्तर	197908	0
2	बीजापुर	6463	0
3	दन्तेवाड़ा	3955	0
4	कांकेर	247208	0
5	कोंडागांव	99028	0
6	नारायणपुर	6653	0
7	सुकमा	31351	0
8	बिलासपुर	542610	15523
9	जांजगीरचाम्पा	770292	0
10	कोरबा	98807	0
11	मुंगेली	177076	3463
12	रायगढ़	474073	0
13	बालोद	494064	0
14	बेमेतरा	315197	18458
15	दुर्ग	526710	0
16	कवर्धा	252755	0
17	राजनांदगांव	663382	0
18	बलौदाबाजार	404969	16400
19	धमतरी	447028	0
20	गरियाबंद	290168	0
21	महासमुंद	702559	5058
22	रायपुर	819008	10488
23	बलरामपुर	122369	0
24	जशपुर	80378	0
25	कोरिया	85662	0
26	सरगुजा	137401	0
27	सुरजपूर	152729	1610
कुल योग		8149803	71000


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 स्वच्छ नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - स

खरीफ वर्ष 2020-21 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

क्रं.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	संग्रहण केंद्र में मिलिंग हेतु भौतिक रूप से शेष धान की मात्रा
1	बस्तर	203558	0
2	बीजापुर	4430	0
3	दन्तेवाड़ा	3210	0
4	कांकेर	223326	0
5	कोंडागांव	139255	390
6	नारायणपुर	18650	0
7	सुकमा	37690	101
8	बिलासपुर	411157	0
9	गौरैला-पेन्डा-मरवाही	72341	0
10	जांजगीर-चाम्पा	753766	3825
11	कोरबा	135271	0
12	मुंगेली	232044	180
13	रायगढ़	518395	0
14	बालोद	412069	0
15	बेमेतरा	267889	250
16	दुर्ग	517309	3651
17	कवर्धा	298366	0
18	राजनांदगांव	597498	0
19	बलौदाबाजार	390985	277
20	धमतरी	428558	0
21	गरियाबंद	276453	0
22	महासमुंद	650243	333
23	रायपुर	689435	891
24	बलरामपुर	148592	0
25	जशपुर	116919	0
26	कोरिया	115610	0
27	सरगुजा	175707	0
28	सुरजपूर	189216	0
	कुल योग	8027941	9898


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नगरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - द

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मिलिंग हेतु प्रदाय एवं शेष धान की जानकारी

क्रं.	जिला	मिलिंग हेतु प्रदाय कुल धान	उपार्जन एवं संग्रहण केन्द्र में मिलिंग हेतु शेष धान की मात्रा
1	बस्तर	36189	158135
2	बीजापुर	3722	22793
3	दन्तेवाड़ा	4726	1922
4	कांकेर	114289	172886
5	कोंडागांव	45270	103971
6	नारायणपुर	9037	13281
7	सुकमा	4920	38827
8	बिलासपुर	352863	129598
9	गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही	69525	0
10	जांजगीरचाम्पा	662081	155434
11	कोरबा	160107	10131
12	मुंगेली	238158	55242
13	रायगढ़	440415	132312
14	बालोद	252040	236948
15	बेमेतरा	168865	349765
16	दुर्ग	247355	281526
17	कवर्धा	142713	221566
18	राजनांदगांव	224018	558122
19	बलौदाबाजार	320911	226489
20	धमतरी	349387	161036
21	गरियाबंद	162512	165927
22	महासमुंद	386821	365429
23	रायपुर	387531	380120
24	बलरामपुर	89741	101325
25	जशपुर	111443	42738
26	कोरिया	88762	51331
27	सरगुजा	99107	118334
28	सुरजपूर	114867	133187
	कुल योग	5287374	4388376

अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
समृद्ध नाभरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - चौतिस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 730) की जानकारी

राजनांदगांव जिले में बागनदी राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 53 में संचालित जैव डीजल विक्रय केन्द्रों को जारी अनापत्ति तथा विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जैव डीजल मात्रा की जानकारी -

क्र.	एजेंसी/आवेदक/फर्म का नाम	संचालन स्थान	जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति दिनांक	बायोडीजल विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बायोडीजल की मात्रा	
				आपूर्तिकर्ता का नाम	प्राप्त मात्रा (के.एल. मे)
1	श्री वैभव ढोडी, मेसर्स ग्रीन शक्ति एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड, बी-9 सेन्ट्रल एवेन्यु, स्मृति नगर, भिलाई, जिला दुर्ग	ग्राम टेडेसरा,	21/12/2020	यमुना बायो एनर्जी प्रा लि.	3126
				समिद्ध खानिज एण्ड एग्री प्रा लि	199
				फेम बायो फ्यूल्स	440
				श्री गणेश बायो फ्यूल्स	78
				कोटयार्क इण्डस्ट्रीज	2274
				एफ एस जी लेब केमिकल प्रा लि	79
				मैट्रिक्स फाईन साइन्स प्रा लि	12
				आदी शक्ति एनेर्जी	29
2	श्री जिन्दल कलोला, मेसर्स रामेश्वर फ्यूल्स, गुढयारी रायपुर	ग्राम उरईडबरी	03/12/2020	कान्हा बिल्डकॉन	280
				कोटयार्क इण्डस्ट्रीज	83
				सुजुकी पेट्रो केमिकल	1107
				नाकाडो लुब्रिकेन्ट	632
				श्री साई ट्रेडर्स	237
3	डायरेक्टर, समृद्धि खनिज एंड एग्री प्रा.लि., मालवीय नगर, दुर्ग	ग्राम कोलिहापुरी	12/07/2021	कोटयार्क इण्डस्ट्रीज	802
				ग्रीन शक्ति एनर्जी प्रा- लि.	8
4	श्री सौरभ सोमानी, ग्राम महाराजपुर, तहसील छुरिया जिला राजनांदगांव	ग्राम महाराजपुर	26/11/2021	हिन्द पावर एनर्जी	29


अनुमोदित आधिकारी
जिला कार्यालय-2
राजनांदगांव, अनापत्ति एवं
परिवाहित अतारांकित विभाग
महाराजपुर, रायपुर

पारिशेष्ट - पेंतीस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 733) की जानकारी

विषय :- नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत स्वीकृत कार्य।

स. क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में) दिनांक	निविदा जारी करने का विवरण	पूर्ण	शेष	प्रगति का विवरण		शिकायत हो तो विवरण
							भौतिक	वित्तीय (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जिला-कोण्डागांव									
1	मयूरडोंगर आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। 300 मी.	कोण्डागांव	14.83 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
2	मेटपाल आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 300 मी.	कोण्डागांव	14.83 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
3	मढ़ानार स्कूलपारा आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 50 मी.	कोण्डागांव	2.47 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
4	मढ़ानार पदरपारा आंगनबाड़ी केन्द्र बोरगांव/मढ़ानार मार्ग में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 131 मी.	कोण्डागांव	6.48 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
5	एस.एच.सी. भवन मूलनार में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 85 मी.	कोण्डागांव	4.20 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
6	पोहमार स्कूल के पास आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 130 मी.	कोण्डागांव	6.43 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

स. क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में) दिनांक	निविदा जारी करने का विवरण	पूर्ण	शेष	प्रगति का विवरण		शिकायत हो तो विवरण
							भौतिक	वित्तीय (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	तेमदापारा बोरगांव आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 15 मी.	कोण्डागांव	0.74 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
8	करियाकाटा ढोलमंदिर आंगनबाड़ी केन्द्र कोण्डागांव-मर्दापाल मार्ग में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 150 मी.	कोण्डागांव	7.42 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
9	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन हंगवा में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 205 मी.	कोण्डागांव	10.14 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
10	बेदबेड़ा आंगनबाड़ी केन्द्र में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 154 मी.	कोण्डागांव	7.62 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
11	करियाकाटा आंगनबाड़ी केन्द्र कोण्डागांव-मर्दापाल मार्ग में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 100 मी.	कोण्डागांव	4.94 13.10.2020	ठेकेदार का नाम :- खिलेन्द्र पात्र अनुबंध क्रमांक :- 40/डी.एल. 2021-22 कार्यदिश की तिथि :- 28.08.2021 पी.ए.सी :- 19.98 लाख अनुबंधित राशि :- 21.76 लाख निविदा दर :- 8.90 प्रतिशत अधिक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 27.11.2021 कार्य पूर्ण होने की वास्तविक/सम्भावित तिथि :- 28/03/2022 (संयुक्त रूप से)	-	-	कार्य प्रगति पर सी.सी. सड़क = 0.050	1.67	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

स. क्र.	कार्य का नाम	जिला का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (रु. लाख में) दिनांक	निविदा जारी करने का विवरण	पूर्ण	शेष	प्रगति का विवरण		शिकायत हो तो विवरण
							भौतिक	वित्तीय (रु. लाख में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	50 सीटर कन्या छात्रावास भवन मर्दापाल में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 150 मी.	कोण्डगांव	7.42 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
13	हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन मयूरडोंगर में सी.सी. पहुंच मार्ग। लंबाई 160 मी.	कोण्डगांव	7.91 13.10.2020	-	पूर्ण	-	-	-	शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।
	योग :- 13 कार्य		95.430	-	12 पूर्ण	-	01 कार्य प्रगति पर	1.670	
2	जिला-नारायणपुर								
		नारायणपुर							
3	जिला-बस्तर								
		बस्तर							



मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमख अभियंता

लो.नि.वि., नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)


29/3/22

विषय:- नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग (सेतु) अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति।

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य प्रारंभ की तिथि	भूमि पूजन का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति	
			राशि (लाख में)	दिनांक			भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2019-20 में स्वीकृत कार्य								
1	नारायणपुर	जिला-नारायणपुर के जोड़ेगा पोहमार मार्ग के कि०मी० 1/8 बास्ता नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	603.90	26.03.20	02.11.20	भूमि पूजन नहीं हुआ है।	अबटमेंट :- ए1, ए2 सब स्ट्रक्चर पूर्ण, स्लेव एस1 पूर्ण, एस3 बाटम स्लेब प्रगति पर पीयर :- पी1, पी2 पूर्ण पहुंच मार्ग में मिट्टी कार्य पूर्ण टो-बाल पूर्ण, जी०एस०बी० पोहमार की ओर पूर्ण	374.28
वर्ष 2020-21 में स्वीकृत कार्य								
निरंक								
वर्ष 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक स्वीकृत कार्य की जानकारी								
1	नारायणपुर	जिला नारायणपुर के सोनपुर नारायणपुर मार्ग के कि.मी. 19/2 बासीन नाला 23/2 कुम्हला नाला पर सेतु निर्माण कार्य	1305.39	08.07.21	08.12.21	18.02.22	कि०मी० 19/2:- कन्फरमेट्री बोरिंग पूर्ण। कि०मी० 23/2:- कन्फरमेट्री बोरिंग पूर्ण।	0.00
2	नारायणपुर	जिला-कोण्डागाव के बुनागाव से बयानार मार्ग के कि०मी० 15/6 मंवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	1151.05	07.06.21	10.01.22	17.02.22	कन्फरमेट्री बोरिंग पूर्ण। ए1 एवं पी2 में पाईल खुदाई प्रगति पर,	0.00

अनुमोदित
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, जयपुर, राजपुर

क्र.	विधानसभा क्षेत्र	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		कार्य प्रारंभ की तिथि	भूमि पूजन का दिनांक	कार्य की अद्यतन स्थिति	
			राशि (लाख में)	दिनांक			भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	नारायणपुर	जिला-कोण्डागांव के ग्राम लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि.मी. पर 1/6 पर सवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण	1574.70	07.06.21	18.02.22	19.09.21	बोरिंग कार्य प्रगति पर।	0.00
4	नारायणपुर	जिला-कोण्डागांव के अदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6, सवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य।	1088.81	07.08.21	-	19.09.21	निविदा स्तर पर।	0.00

र/स

मुख्य अभियंता,
कार्या. प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सेतु परिक्षेत्र
रायपुर (छ.ग.)

अधीक्षक अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण मंडल
रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - सेतीस
पारवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क. 738) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

रेत, मुरम एवं गौ तस्करी के दर्ज प्रकरण की थानावार/प्रकरणवार/वर्षवार जानकारी, जिला- राजनांदगांव(छोगां)

1 - (रेत तस्करी)				
क. थाना	वर्ष	अपरम कर्मक/घारा	कायमी दिनांक	की गई कार्यवाही
1	छुरिया 2019	100/19, घारा- 379 भादवि0 व खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की घारा 21.	5/30/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
वर्ष 2020 एवं 2021 में रेत तस्करी के प्रकरण दर्ज नहीं है।				
2 - (मुरम तस्करी)				
प्रश्नावधि में मुरम तस्करी के प्रकरण दर्ज नहीं है।				
3 - (गौ तस्करी)				
1	छुरिया 2019	107/19, घारा- 4,6,10, 11 पशु कूटा अधिनियम	6/12/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
2	छुरिया 2019	108/19, घारा- 4,6,10,11 पशु कूटा अधिनियम	6/12/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
3	छुरिया 2019	148/19, घारा- 4,6,10,11, 47, 48, 52, 49 पशु कूटा अधि0 66/192 एम0की0 एक्ट	8/21/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
4	छुरिया 2019	219/19, घारा- 11 डीईएफ पशु कूटा नि0 अधि0, 47 ए वी सी, 48, 49, 52/230/2019 कृषक पशु परी. अधि. 66/192 एम0की0 एक्ट	6/25/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
5	झोंगरगांव 2019	236/19, घारा- छ.ग.पशु कृषक परि0 अधि0 2004 की घारा 4,5,6,7,10,11 एवं छ.ग. पशु परि.अधि.1978की घारा 47,48,49,50,54(1)(2)(3)	6/25/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
6	लालबाग 2019	191/19, घारा 279 भादवि 4,6,10,11 छोगां कृषि पशु परिस्वण अधि0 एवं 66/192 मो.की. एक्ट	4/27/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
7	बागनदी 2019	40/19, घारा- 4,6,10, छोगां कृषक पशु परि0 अधि0 11डी0ई0एफ0 पशु कूटा निवा0 अधि0, 47ए, 47बी, 47सी, 48, 49-ए, 49-बी, 49-सी, 50, 52,53, 54-1, 54-2, 54-3 पशुओं के परि0 नियम का उल्लंघन 66/196, 123 एमकी. एक्ट	8/30/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

क	थाना	वर्ष	अपराध क्रमांक/धारा	कार्यवाही दिनांक	की गई कार्यवाही
8	बागनदी	2019	41/19, धारा-4,6,10, छ0ग0 कृषक पशु परि0 अधि0 11डी0ई0एक0 पशु कूरता निवा0 अधि0, 47ए, 47बी, 47सी, 48, 49-ए, 49-बी, 49-सी, 50, 52,53, 54-1, 54-2, 54-3 पशु के परि0 नियम का उल्लंघन 66/196, 123 एरबी एकट	8/30/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
9	बसतपुर	2019	198/19, धारा-4.6,10,11(1) (क), 48,47,49,50,54(1)(2)(3), 192 भादवि0	6/2/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
10	बसतपुर	2019	532/19, धारा-11,4,6,10 पशु कूरता अधिनियम	12/7/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 08 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
11	सोमनी	2019	15/19, धारा-279,429,11,4,6,10,पशु कूरता अधि0	1/26/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
12	सोमनी	2019	234/19, धारा-पशुओं के प्रति कूरता निवारण अधि0 11ध छ0ग0 कृषक परि0 अधि0 2004 की धारा	11/30/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 04 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।
13	आवागढ चौकी	2019	142/19, धारा-4.6,10,11,छ.ग.कृषक पशु परि. अधि.2004	7/14/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
14	आवागढ चौकी	2019	150/19, धारा-छ.ग.कृषि पशु परि. अधि.2004 की धारा 4,6,10,11 पशु के प्रति कूरता निवारण 1960-ए 11,4,29 भादवि.जोडने धारा 34 भादवि0 3,8 एम.बी एकट	7/21/2019	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
15	छुरिया	2020	03/20, धारा-डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47 ए बी सी, 48, 49, 52 कृषक पशु परी. अधि. 66/192, 3/182, 5/180 एम0बी0 एकट	1/8/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
16	छुरिया	2020	19/20, धारा-11 डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47 ए बी सी, 48, 49, 52 कृषक पशु परी. अधि. 66/192 एम0बी0 एकट	2/5/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
17	छुरिया	2020	21/20, धारा-11 डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47 ए बी सी, 48,49,52 कृषक पशु परी. अधि. 66/192 एम0बी0 एकट	2/8/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
18	छुरिया	2020	103/20, धारा-11 डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47 ए बी सी, 48, 49, 52 कृषक पशु परी. अधि. 66/192 एम0बी0 एकट	7/17/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
19	छुरिया	2020	114/20, धारा-11 डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 कृषक पशु परी. अधि.	8/17/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
20	छुरिया	2020	152/20, धारा-11 डीईएक पशु कूरता नि0 अधि0, 47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 कृषक पशु परी. अधि.	10/18/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
21	बिन्हवाटी	2020	01/20, धारा-4, 6, 10 छ.ग. कृ.पशु परि. सं. अधि. 2011, पशु कूरता निवा. अधि. 1960 की धारा 11 मी0 वीकल एकट 66/192	2/12/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर वालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

क्र.	थाना	वर्ष	अपराध क्रमांक/धारा	कार्यवाही दिनांक	की गई कार्यवाही
22	बिल्वाटी	2020	39/20, धारा- 4, 6, 10 छ.ग. कृ.पशु परि. सं. अधि. 2011, पशु कूरता निवा. अधि. 1960 की धारा 11	8/10/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
23	बिल्वाटी	2020	49/20, धारा-4, 6, 10, 11 पशु कूरता निवा. अधि. 66/192 मो0 व्हीकल एक्ट जोड़ने धारा 420 भादवि	8/29/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
24	बिल्वाटी	2020	53/20, धारा- 279 भादवि 4, 6, 10 छ0ग10 कृ. पशु परि. अधि. 2004, 11 पशु कूरता अधि. मो0 व्हीकल एक्ट 66/192, 146/196, 3/181	10/10/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
25	बिल्वाटी	2020	54/20, धारा- 4,6,10 छ0ग10 कृ. पशु परि. अधि. 2004, 11 पशु कृ. अधि. मो0 व्हीकल एक्ट 66/192, 130(1,2,3), 177	10/15/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
26	मोहरला	2020	127/20, धारा- छ.ग. कृषि पशु परि0 अधि0 2004 की धारा 4,6,10 पशुओं के प्रति कूरता का निवा. अधि.1960 की धारा 11	10/10/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
27	डोंगरगांव	2020	207/20, धारा- छ.ग.पशु कृषक परि0 अधि0 2004 की धारा 4,5,6,7,10,पशु कूरता निवा. अधि.1960 की धारा 11 एवं छ.ग. पशु परि.अधि.1978की धारा 47-ए,47-सी,48,49,52	9/28/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
28	डोंगरगांव	2020	306/20, धारा- 11 (घ) (ड) (ट) (ठ)पशु कूरता अधि0 1960	12/23/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
29	डोंगरगांव	2020	81/20, धारा- 4,6,10 कृषक पशु परि0 अधि0, 11 डीईएफ पशु कूरता अधि0 एवं 66/192 मो0 व्ही0 एक्ट	21/5/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
30	डोंगरगांव	2020	293/20, धारा- 4,6,10 कृषक पशु परि0 अधि0, 11 डीईएफ पशु कूरता अधि0	7/20/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 04 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
31	खैरागांव	2020	34/20, धारा 4,6 10 कृषक पशु परि0 अधि0 11 (घ) पशु कूरता अधि एवं 11 डीईएफ की धारा 47,48,49 एबीसी 50-13 पशु अधि0 66/192 एम वी एक्ट	11/21/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
32	लालबाग	2020	201/20, धारा- 4,6,10 छ0ग10कृ0 पशु परि0 अधि0, 11 (घ), पशु कूरता अधि0, 66/192 मो0व्ही0 एक्ट	5/27/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
33	लालबाग	2020	202/20, धारा- 4,6,10 छ0ग10कृ0 पशु परि0 अधि0, 11 (घ), पशु कूरता अधि0, 66/192 मो0व्ही0 एक्ट	5/27/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
34	बागनदी	2020	37/20, धारा- 4,6,10, छ0ग10 कृषक पशु परि0 अधि0 11डी0ई0एफ0 पशु कूरता निवा0 अधि0, एवं 66/192, 3/181, 5/180, 146/196 एमव्ही एक्ट	7/15/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
35	खडगांव	2020	75/20, धारा- पशु कूरता अधि0 की धारा 4, 6, 10, 11 एवं 10 मो.अधि. 66/192, 39/192, 146/196, 56/192 एम.व्ही एक्ट	7/28/2020	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

क्र. शाना	वर्ष	अपराध क्रमांक/धारा	कार्यमी दिनांक	की गई कार्यवाही
36	2021	94/21, धारा- 11 डीईएफ पशु कु0 नि0 अशि0. 47 ए. बी. सी. 48, 49, 52 4/22/2021	47 ए. बी. सी. 48, 49, 52 4/22/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
37	2021	151/21, धारा- 11 डीईएफ पशु कूरता नि0 अशि0. 47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 6/30/2021	47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 6/30/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
38	2021	219/21, धारा- 11 डीईएफ पशु कूरता नि0 अशि0. 47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 8/19/2021	47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 8/19/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
39	2021	221/21, धारा- 11 डीईएफ पशु कूरता नि0 अशि0. 47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 8/25/2021	47-ए, 47-सी, 48, 49, 52 8/25/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
40	2021	57/21, धारा- 4, 6, 10 ड0ग10 कू पशु परि. अशि. 2004, 11घ पशु कूरता अशि. 1960, मो0 क्रीकल एक्ट 66/192.	11/12/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 04 आरोपी को निरपत्तार किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।
41	2021	71/21, छ.ग. कृषि पुरा परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओं के प्रति कूरता का निवारण अशि.1960 की धारा 11	7/17/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
42	2021	46/21, धारा- छ.ग. पशु परि. अशि. 2004 की धारा 4,6,10 11 एवं पशु कूरता के अशि0 धारा 11	10/7/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 14 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
43	2021	157/21, धारा- 4,6 ड0ग10 कूषक पशु परिरक्षण संसोधन अशि0 2011	5/13/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
44	2021	176/21, धारा- 47 ए 47 सी 48,52,ड0ग10 पशु परि0अशि0 1978 4,6 डग10 कृषी पशु परि. अशि0 2004,11 पशु कूरता निवा. अशि0 1960 66/192 एम की एक्ट	5/23/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को निरपत्तार किया गया है, प्रकरण विवेचनाधीन है।
45	2021	270/21, धारा- 4,6,10 कूषक पशु परि0 अशि0, 11 डीईएफ पशु कूरता अशि0	5/19/2021	अज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं विवेचना की जा रही है।
46	2021	327/21, धारा- 4,6,10 कूषक पशु परि0 अशि0, 11 डीईएफ पशु कूरता अशि0	6/20/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
47	2021	717/21, धारा- 4,6,10 कूषक पशु परि0 अशि0, 11 डीईएफ पशु कूरता अधिनियम	12/3/2021	अज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं विवेचना की जा रही है।
48	2021	174/21, धारा- 279,337,427,429,34 भादवि 4,6,10,11 ड0ग10 पशु कूषक परि0 अशि0 2004	5/10/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 05 आरोपी को निरपत्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
49	2021	179/21, धारा- 429 भादवि ड0ग10 पशु कूषक परि0 अशि0 2004 की धारा 4,6,10,11	5/20/2021	अज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं विवेचना की जा रही है।

क्र.	स्थान	वर्ष	अपराध क्रमांक/धारा	कार्यवाही दिनांक	की गई कार्यवाही
50	खैरागढ़	2021	233/21, धारा- 279, भादवि 4.6.10.11 छ0ग0 पशु कूस्ता अधि	7/5/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 05 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
51	खैरागढ़	2021	365/21, धारा- छ0ग0 पशु कूस्ता अधिनियम 2000 की धारा 4.6.10,	9/23/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 05 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
52	मानपुर	2021	72/21, धारा- 11(घ),(5),(ज), (ट),(ड) पशु कूस्ता अधि0	11/17/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 02 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
53	लालबाग	2021	453/21, धारा- 11घ पशु कूस्ता अधिनियम, 4, 6, 10 छ.ग. कृषि पशु परिरक्षण संशोधन अधि. 2011, 66/192	10/10/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
54	बसंतपुर	2021	37/21, धारा- छ0ग0 कृषि पशु अधि0 2004 की धारा 4.6.10, छ0ग0 पशु परिरक्षण अधि0 1978 की धारा 48,49,50 पशु कूस्ता निवारण अधिनियम 1960 की	11/6/2021	अज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं विवेचना की जा रही है।
55	बसंतपुर	2021	174/21, धारा- छ0ग0 कृषि पशु परी0 अधि0 4.6.10, पशु कूस्ता अधि0 11 छ0ग0 पशु परी0 अधि0 1978 की की धारा 48,49,50	5/5/2021	अज्ञात आरोपी द्वारा घटना करना पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी की पता तलाश एवं विवेचना की जा रही है।
56	बसंतपुर	2021	414/21, धारा- 4.6.10.11 छ0ग0 कृषक पशु परीक्षण अधि0 48,49,50,54,(1),(2),(3) पशु परी0 अधि0 192 मो0डी0एक्ट	9/23/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
57	खडगाव	2021	37/21, धारा- पशु कूस्ता अधि. की धारा 4, 6, 10, 11 एवं 10 मो. अधि., 66/192, 130(3)/177, 146/196, 3/181 एम.डी. एक्ट	6/5/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 04 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
58	अंबागढ़ चौकी	2021	43/21, धारा 4.6.10.11 पशुओं के प्रति कूस्ता निवारण अधि0	2/13/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 03 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
59	अंबागढ़ चौकी	2021	185/21, धारा 4.6.10.11 पशुओं के प्रति कूस्ता निवारण अधि0 2004, जोड़ने धारा 429 भादवि जोड़ने धारा 66/192, 39/192, 3/181, 115/190(2) मो0	9/22/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
60	गंधारोला	2021	03/21, धारा 4.6.10.11 छ.ग. कृषि पशु संरक्षण अधि0 एवं पशु कूस्ता अधि. की धारा 11, 279 भादवि	11/10/2021	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
61	खैरागढ़	2022	98/22, धारा- 279,427 भादवि, 139 विद्युत अधि0, 4.6.10 कृषक पशु परी0 अधि0 11 डीईएफ पशु कूस्ता अधि0	2/5/2022	प्रकरण की विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है प्रकरण विवेचनाधीन है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

रेत के फर्जी रायल्टी के दर्ज प्रकरण की जानकारी, जिला- राजनांदगांव(छ0ग0)

प्रपत्र-“ब”

(रेत के फर्जी रायल्टी)				
क्र. शाना	वर्ष	अपराध क्रमांक/धारा	कायमी दिनांक	की गई कार्यवाही
1	छुरिया 2022	69 / 22, धारा- 420, 34, 467, 468, 471 भादवि	2/10/2022	जांच में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण विवेचनाधीन है।


अनुभाग अधिकाारी
 गृह विभाग
 कानून, रायपुर

परिशेष - अड़तीस
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 740) की जानकारी

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यावरण एवं नगरीय विकास वि
संज्ञालय, डी.के.एस. भवन, राय

प्रा.क्र.मांक एफ.9-2/18/2004

रायपुर, दिनांक 28/2/2005

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर (नाम से),
छत्तीसगढ़
2. समस्त आयुक्त,
नगरपालिका निगम, छत्तीसगढ़
3. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद/ नगर पंचायत, छत्तीसगढ़


विषय: वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना, अटल आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के दिशा-निर्देश में संशोधन

विषयांतर्गत इस विभाग द्वारा वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास, अटल आवास, मुख्यमंत्री स्वावलंबन एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देश में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

वाल्मिकी-अम्बेडकर आवास योजना, अटल आवास योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 'निर्मित/निर्माणाधीन आवास/डुकान/चबूतरा/गुमटियों का आवंटन ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को, जो स्वतंत्रगार के अंतर्गत डुकानों का संचालन विभिन्न व्यवसाय हेतु कर रहे हैं और/ या विद्यमान आवास में रह रहे हैं और जिनका व्यवस्थापन अन्यत्र या वर्तमान स्थान के समीप किया जाना समिति की राय में आवश्यक हो, को किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(बी.के. सिन्हा)

विशेष सचिव


नगरीय विकास विभाग

रायपुर, दिनांक 28/2/2005

प्रा.क्र.मांक एफ.9-2/18/2004

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर.
2. उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर/बिलासपुर संभाग.
3. उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर.
4. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़


विशेष सचिव

नगरीय विकास विभाग

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

दिशा निर्देश

उद्देश्य:

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रह रहे बेरोजगार नवयुवकों तथा नवयुवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान/चबूतरा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना' प्रारंभ की जा रही है।

2. पात्रता:

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में रहने वाले 18 से 40 वर्ष तक की आयु के युवक/युवतियों, जिनके स्वयं के पास रोजगार कोई साधन न हो तथा जिनके अभिभावक/पालक की आय एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

3. योजना का कार्य क्षेत्र तथा क्रियान्वयन:

योजना प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी तथा इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जायेगा। जिला कलेक्टर, जो जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष भी है, योजना के नोडल अधिकारी होंगे।

4. योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ :

इस योजना के अंतर्गत नगरीय निकाय के द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत दुकान/चबूतरा बनाकर बेरोजगार व्यक्ति से थोड़ी सी अमानत राशि के अलावा मासिक किराया भी नियमति रूप से पटाना होगा। दुकान पर मालिकाना हक नगरीय निकाय का रहेगा तथा आर्बिट्रि किरायेदार के रूप में अपना व्यवसाय कर सकेगा।

5. योजना के लिए भूमि :

इस योजना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व जिला कलेक्टर का होगा। क्योंकि वे योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। वे आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उन्हें उपयुक्त भूमि रूपये 1/- प्रति वर्गफुट की प्रीमियम पर उपलब्ध करायेगे। यदि नगरीय निकाय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो तो वे उस पर भी योजना ले सकेंगे।

6. योजना में लिए जा सकने वाले कार्य तथा वित्तीय व्यवस्था:

(क) पक्की दुकानें:

योजना के अंतर्गत दुकानों की संख्या का आकलन नगरीय निकाय द्वारा शहर की आवश्यकता व आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जायेगा। उपयुक्त स्थानों पर नगरीय निकाय द्वारा उचित संख्या में 8x10 वर्गफुट तक के नाप की छोटी-छोटी दुकानें बनाई जायेगी।

दुकानों की लागत को ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत राशि नगरीय विकास विभाग से नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी। शेष राशि की व्यवस्था नगरीय निकायों को स्वयं करना है, जिसके लिए हुडको अथवा किसी बैंक से ऋण लिया जा सकता है। इस परियोजना हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। दुकानों का किराया देते समय बेरोजगार व्यक्ति के द्वारा निम्नानुसार अमानत की राशि व मासिक किराया नगरीय निकाय को देय होगा:-

(अ) नगर पंचायतों की स्थिति में	अमानत चार हजार रूपये व किराया रूपये 400/- प्रतिमाह
(ब) बीस हजार से पचास हजार तक की जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में	अमानत पांच हजार रूपये व किराया रूपये 500/- प्रतिमाह
(स) पचास हजार से एक लाख तक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की स्थिति में	अमानत राशि छः हजार रूपये मकान किराया रूपये 600/- प्रतिमाह

- (२) तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगमों की स्थिति में अमानत राशि आठ हजार रुपये व किराया रूपये 800/- प्रतिमाह
- (३) तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिक निगमों की स्थिति में अमानत राशि दस हजार रुपये व किराया रूपये 1,000/- प्रतिमाह

अमानत की राशि एक मुश्त जमा करना होगा ।

प्रत्येक 3 वर्ष में दुकानों के मासिक किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी ।

यदि दुकानें गैर व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित हैं तो परिस्थिति के अनुसार नगरीय निकाय द्वारा मासिक किराये में एक तिहाई तक की छूट दी जा सकेगी ।

7. दुकानों/चबूतरो का आरक्षण:

विभिन्न श्रेणियों के लिए दुकानें/चबूतरे 'नगर पालिक(अचल संपत्ति का अंतरण) नियम" के अनुरूप निम्नानुसार आरक्षित किये जायेंगे:-

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| (अ) | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए | पन्द्रह प्रतिशत |
| (ब) | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए | तीन प्रतिशत |
| (स) | विधवाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए | दो प्रतिशत |
| (द) | विकलांगों के लिए (इन्में दृष्टिहीन विकलांगों को प्राथमिकता दी जावेगी) | दो प्रतिशत |
| (ई) | भूतपूर्व सैनिकों के लिए | दो प्रतिशत |
| (फ) | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए | दो प्रतिशत |
| (क) | शिक्षित बेरोजगारों के लिए | पांच प्रतिशत |
| (ख) | महिलाओं के लिए | दस प्रतिशत |

8. अन्य शर्तें :

- (अ) आवंटिती व्यक्ति दुकानों/चबूतरो में व्यवसाय स्वयं चलायेगे, किसी अन्य को किराये पर नहीं देगे ।
- (ब) यदि किसी आवंटिती व्यक्ति को दुकान/चबूतरा की आवश्यकता न हो तो उसे दुकान/चबूतरा नगरीय निकाय को वापस लौटानी होगी ।
- (स) अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगरीय निकाय को दुकान/चबूतरा रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा ।
- (द) एक परिवार से एक व्यक्ति को ही आवंटन किया जायेगा ।
- (इ) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

9. भूमि का चयन तथा दुकान/चबूतरा आवंटन प्रक्रिया:

* योजना के अंतर्गत दुकानों/चबूतरो के निर्माण हेतु भूमि का चयन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा । समिति द्वारा चयनित सूची के अनुसार आवंटन आदेश आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा ।

10. निकाय द्वारा योजना का प्रस्ताव महापौर/अध्यक्ष परिषद् से अनुमोदन उपरांत जिला शहरी विकास अभिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा ।

11. लेखा का संधारण :

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार लेखा का संधारण संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण उनके जिले की संबंधित निकायों के लिए तथा निकाय स्तर पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा लेखा का संधारण किया जायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से राज्य

शहरी विकास अधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर आगामी किशतों का निर्गमन किया जा सकेगा। जिला शहरी विकास अधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित निकाय में व्यय राशि न्यूनतम हो और राशि का किसी प्रकार से दुरुपयोग या अन्यथा उपयोग न किया जावे।

इस योजना के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि नगरीय निकायों द्वारा बैंक में पृथक खाता खोलकर रखी जावेगी, जिसका परिचालन आयुक्त नगरपालिक निगम अथवा मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जैसी स्थिति हो) तथा परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अधिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।



(बी.के.सिन्हा)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवाग, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय विकास एवं निकाय विभाग
मंत्रालय, नवा रावपुर, आसराजपुर

परिशेष - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 742) की जानकारी

साइबर क्राइम से जुड़े दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

क्रमांक	वर्ष	दर्ज प्रकरण
1	2019	317
2	2020	504
3	2021	575
4	2022 (12/02/2022 तक)	71
	कुल प्रकरण	1467

दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तार किये गये अपराधी व सजा की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	दर्ज प्रकरण	गिरफ्तार आरोपी	प्रकरण जिसमें अपराधियों को सजा हुई
1	2019	317	207	0
2	2020	504	291	1
3	2021	575	341	1
4	2022 (12/02/2022 तक)	71	16	0
	कुल प्रकरण	1467	855	2


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - चालीस

पारेवातेत अतारोकेत प्रश्न संख्या 37 (क्र. 793) को जानकारी

प्रपत्र - "अ"

प्रदेश में 01 जनवरी 2019 से दिनांक 12.02.2022 तक बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, चाकूबाजी, गैंगरेप एवं फिरोती/वसूली के दर्ज प्रकरण, गिरफ्तारी एवं शेष प्रकरण की जानकारी

स.क्र.	जिला	वर्ष	बलात्कार			चोरी			डकैती			हत्या			आत्महत्या			अपहरण			गैंगरेप			फिरोती/वसूली		
			दर्ज प्रक.	गिर. प्रक.	शेष	दर्ज प्रक.	गिर. प्रक.	शेष																		
1	गरियाबंद	2019	61	57	2	49	15	0	3	2	0	9	8	0	6	6	0	15	4	3	0	0	0	0	0	0
		2020	71	69	2	47	22	0	0	0	0	26	21	2	5	3	1	13	1	2	0	0	0	0	1	0
		2021	64	62	0	71	25	24	0	0	0	19	16	3	3	2	1	25	2	9	2	1	0	0	0	0
		2022	3	3	0	8	1	7	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
महायोग -			199	191	4	175	63	31	3	2	55	46	5	14	11	2	58	7	19	2	1	0	2	1	0	

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-“ब”

नेशनल काईम ब्यूरो, नई दिल्ली की रिपोर्ट
(काईम इन इण्डिया 2020 एवं एक्सीडेन्टल डेथ एण्ड सुसाईड्स इण्डिया 2020)
के अनुसार अपराध के काईम दर के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान

स.क.	अपराध शीर्ष	देश में स्थान
1	बलात्कार	6
2	चोरी	17
3	डकैती	5
4	हत्या	3
5	आत्महत्या	2
6	अपहरण	7
7	फिरौती के लिए अपहरण	4
8	गैंगरेप	12


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

परोशेष्ट - इक्तालीस

परोवातेत अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 794) की जानकारी

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 794 तारांकित की जानकारी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्त्योदय तथा प्राथमिकता परिवार हेतु खाद्यान्न की मासिक पात्रता

राशन कार्ड में शामिल सदस्योंकीसंख्या	माह दिसंबर 2019 तथा माह दिसंबर 2020 में प्राथमिकता परिवार हेतु चावल की मासिक पात्रता		अप्रैल 2020 से नवम्बर 2020 तक प्राथमिकता परिवार हेतु चावल की मासिक पात्रता		
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक आबंटन	राज्य के स्टेट पूल से चावल का मासिक आबंटन	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक आबंटन	राज्य के स्टेट पूल से चावल का मासिक आबंटन	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल का मासिक आबंटन
1	5किलो	5किलो	5किलो	0	5किलो
2	10किलो	10किलो	10किलो	0	10किलो
3	15किलो	20किलो	15किलो	5	15किलो
4	20किलो	15किलो	20किलो	0	20किलो
5	25किलो	10किलो	25किलो	0	25किलो
6	30किलो	12किलो	30किलो	0	30किलो
7	35किलो	14किलो	35किलो	0	35किलो

टीप- 1) माहदिसंबर 2019 तथा माह दिसम्बर 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत भारत सरकार से चावल का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ था |

2) स्टेट पूल के समस्त पात्र राशनकार्डोंपरप्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटनअवधि के दौरान प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त चावल का आबंटन स्टेट पूल से जारी किया गया |



अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बजट में शामिल सड़को की प्रशासकीय स्वीकृति।

क्र०	मार्ग का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख में)	प्रारंभ/अप्रारंभ	पूर्ण/अपूर्ण	पूर्णता की संभावित तिथि	टीप
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2019-20						
1	जिला रायगढ़ के अस्पताल पारा से कांसाबहार पहुँच मार्ग लं. 4.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2019-20)	377.43	प्रारंभ	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
2	जिला रायगढ़ के बरमौना मार्ग से ठाकुरदेव पहुँच मार्ग लं. 3.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2019-20)	204.77	प्रारंभ	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
3	जिला रायगढ़ के ससकोबा बांधापारा तिलडेगा मार्ग लं. 3.00 कि.मी. (कार्य वर्ष 2019-20)	182.64	प्रारंभ	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	-
	योग :- 03 कार्य	764.84	03 प्रारंभ	03 अपूर्ण	-	-
वर्ष 2021-22						
1	जिला रायगढ़ के छाल - घरघोडा मार्ग के कि.मी. 8,9,10 एवं 17 से 23 कुल 10 कि.मी. का उन्नयन एवं मजबूतीकरण कार्य पुल पुलिया सहित।	1797.25	अप्रारंभ	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।	निविदा स्वीकृत।
	योग :- 01 कार्य	1797.25	01 अप्रारंभ	01 अपूर्ण	-	-


मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
मोनिटिंग, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - तिरालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 814) की जानकारी

प्रपत्र 'अ'

क.	प्रस्तावक	निगम से प्राप्त प्रस्ताव	कृत कार्यवाही
1	आयुक्त, नगर निगम रायपुर	प्रस्ताव दिनांक 06.09.2016	सड़क चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिनांक 06.03.2016 को राशि रु.43.12 करोड़, जिसमें रु. 36.95 करोड़ क्षतिपूर्ति राशि एवं रु.6.17 करोड़ निर्माण कार्य से संबंधित था। जिसके पालन में संचालनालय द्वारा दिनांक 23.03.2017 को विशिष्ट प्रयोजनार्थ मद अंतर्गत ऋण अनुदान बाबत प्रस्ताव चाहे गये थे। प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय के पत्र क्र. 08.12.2016 से इस कार्य को निकाय के स्वयं के स्रोत से कराने हेतु निर्देशित किया गया था।
2	महापौर, नगर निगम रायपुर	प्रस्ताव दिनांक 09.01.2017	नगर निगम रायपुर के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने हेतु प्रथम चरण में राशि रु. 58.00 करोड़ एवं द्वितीय चरण में 18.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसकी स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को प्रेषित करने पर वित्त विभाग से भवन/भूमि क्षतिपूर्ति की राशि अधिक होने के कारण वित्त विभाग द्वारा अन्य विकल्प से कराये जाने हेतु विभाग को परामर्श दिया गया था। जिसके पालन में नगर निगम रायपुर के द्वारा वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार प्रभावित भवन/भूमि स्वामियों को एफ.ए.आर. के विकल्प पर भूमि निगम को सौंपने के प्रस्ताव पर प्रभावितों द्वारा रुचि नहीं लेने पर पुनः ऋण/अनुदान की स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भेजा गया।
3	मान. विधायक, रायपुर दक्षिण, श्री बृजमोहन अग्रवाल	पत्र क्र.428 दि.23.01.2020	शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिये मुआवजा व सड़क निर्माण के लिये राशि रु.43.00 करोड़ का प्रस्ताव को वर्ष 2020-21 के बजट में सम्मिलित करने बाबत। विभाग में दिनांक 01.02.2020 को प्राप्त हुआ था परन्तु तब तक मंत्रीय स्तरीय चर्चा हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा वित्त विभाग के द्वारा दि.19.12.2018 को तकनीकी आधार पर प्रस्ताव को नवीन मद होने के कारण बजट में शामिल नहीं होने के कारण तदनुसार कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया।



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया सत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र ७१

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर, दिनांक /03/2008
क्रमांक /603/18/2008 :- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर के द्वारा यू.ओ.क्रमांक 58/ब-4/चार/वित्त/20 दिनांक 27.02.2008 द्वारा दी गई सहमति अनुसार नगर पालिक निगम रायपुर में रायपुर नगर के समन्वित विकास हेतु राशि रु.10.50 करोड़ का ऋण तथा 4.50 करोड़ का अनुदान कुल राशि 15.00 करोड़ (पंद्रह करोड़ मात्र) विशिष्ट प्रयोजनार्थ मद के अंतर्गत ऋण के आहरण की स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. स्वीकृति राशि में छत्तीसगढ़ विशिष्ट प्रयोजनार्थ अनुदान नियम 1961 के नियम 4 के अनुसार नगरीय निकाय को अपने अंशदान की राशि मिलानी होगी।
2. स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के अंदर स्वीकृत राशि का उपयोग अनिवार्यतः किया जावेगा। एक वर्ष बाद कोई राशि शेष बचती है, तब इस राशि का छत्तीसगढ़ फाइनेन्शियल-1 के नियम 173-(111) के अनुसार कोषालय में जमा किया जावेगा।
3. स्वीकृत दिनांक से एक वर्ष के भीतर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निकाय से प्राप्त कर फाइनेन्शियल कोड भाग-2 के तहत उपसंचालक प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजेगें। इस उपयोगिता प्रमाण पत्र की एक प्रति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ रायपुर को अनिवार्य भेजी जावेगी।
4. यदि योजना पर कुल व्यय मूल प्राक्कलन की राशि से कम होता है तब स्वीकृत राशि का अंतर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा कार्य पूर्ण होने के एक माह के भीतर कोषालय में जमा किया जावेगी।
5. निकाय को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जावेगा।
6. यह राशि निकाय को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। ऋण के अनुबंध में संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर द्वारा राज्यपाल की ओर से हस्ताक्षरित करेंगे।
7. समय पर मूलधन तथा व्याज न अदा करने की स्थिति में उस वर्ष निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से समायोजित की जावेगी।
8. ऋण और उसका ब्याज संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर द्वारा नगरीय निकाय से वसूल किया जावेगा।

1. मंजूर करने वाला प्राधिकारी - राज्य शासन
2. मंजूर पत्र क्रमांक तथा दिनांक - उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर

3. विभाग प्रभुता जिसकी हिसाब पुस्तिका में ऋण समायोजित किया जाना है
4. ऋण किसको मंजूर किया गया है
5. मंजूर की गई ऋण एवं अनुदान की राशि
6. मंजूरी कब तक वैध है
7. ऋण का प्रयोजन
8. रकम नगद दी जाना है या समायोजित किया जाना है
9. लेख का शीर्ष जिसमें ऋण की मंजूरशुदा रकम

- नगरीय प्रशासन एवं विकास
- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के माध्यम से नगर निगम रायपुर
- पैरा एक अनुसार ऋण राशि रूपये 10.50 करोड़
- स्वीकृति प्राप्त होने के दिनांक से एक वर्ष
- पैरा एक में दर्शाये अनुसार
- नगद दी जाना है

मांग संख्या-81

शीर्ष 6217 नगर विकास के लिए उधार

60-अन्य शहरी विकास योजनाएँ

191-स्थानीय निकायों, निगमों आदि को उधार

0101-राज्य आयोजना

2175-नगर निगमों

को अन्य ऋण

36- ऋण तथा अग्रिम

002-ब्याज सहित

अनुदान लेखा शीर्ष मांग संख्या 81

शीर्ष 2217 अन्य विकास कार्य

05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ

800-अन्य व्यय

0101-राज्य आयोजना (सामान्य)

209-अन्य विकास कार्य

14- सहायक अनुदान

002-विकास कार्य हेतु अनुदान

-आयोजना

-निरंक

10. आयोजना, आयोजनेत्तर
11. इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष में आज दिनांक तक मंजूरशुदा राशि

- | | |
|---|---|
| 12. ऋण की अवधि | —सात वर्ष |
| 13. वापस अदायगी हेतु स्थगन अवधि
यदि कोई हो | — एक वर्ष |
| 14. दिनांक और वर्ष जिसमें वापस अदायगी | —स्वीकृति दिनांक से ब्याज की
वसूली एवं मूलधन की वापसी
1 वर्ष पश्चात् |
| 15. वापस अदायगी का तरीका | — 72 किश्त रू. 1458333.00
प्रतिमाह की दर से एवं 72वीं
किश्त 1458357.00 मूलधन एवं
ब्याज की वसूली 84 किश्त में |
| 16. ऋण का ब्याज/साधारण/दांडिक | — साधारण ब्याज 9 प्रतिशत/
दांडिक ब्याज 3 प्रतिशत अथवा
शासन द्वारा जो निर्धारित किया
जाए |

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा जावक क्रमांक 58/ब-4/चार/वित्त/20 दिनांक 27.02.2008 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

S-d
(गेबनुस खलखो)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

रायपुर, दिनांक 01 मार्च 2008

पृ.क्र 1567/603/18/2008
प्रतिलिपि

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. आयुक्त सह संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर
4. कार्यालय, महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
5. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छ.ग. रायपुर ।
6. कोषालय अधिकार, जिला कोषालय, रायपुर ।
7. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रिय कार्यालय रायपुर ।
8. आयुक्त / महापौर नगर पालिक निगम रायपुर।
9. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, एम.जी.रोड, रायपुर ।
10. आर्डर बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

S-d
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारोशेष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 29) की जानकारी


प्रपत्र-अ

जिले का नाम	क्रमांक	औषधालय/केन्द्र का नाम
रायपुर	1	फाफाडीह
	2	बीरगाँव
	3	कबीर नगर
	4	चौबे कालोनी
	5	मंदिरहसौद
	6	बैकुंठ (तिल्दा)
	7	सेजबहार-डूंडा
	8	सिलतरा
दुर्ग	9	नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार)
	10	भिलाई सुपेला केन्द्र
	11	दुर्ग केन्द्र
	12	रसमडा केन्द्र
	13	जामुल केन्द्र
	14	कुम्हारी केन्द्र
	15	रिसाली-मरौदा केन्द्र
	16	हथखोज केन्द्र
	17	भिलाई-3
राजनांदगाँव	18	राजनांदगाँव केन्द्र
	19	टेडेसरा केन्द्र
बिलासपुर	20	तुमडीबोर्ड केन्द्र
	21	बिलासपुर केन्द्र
	22	बिल्हा केन्द्र
रायगढ़	23	सीपत
	24	रायगढ़ केन्द्र
	25	पतरापाली केन्द्र
	26	तराईमाल केन्द्र
	27	जामगाँव केन्द्र
	28	भूपदेवपुर
	29	तमनार
जांजगीर चॉपा	30	सारंगढ़-चन्द्रपुर
	31	चॉपा केन्द्र
कोरबा	32	अकलतरा केन्द्र
	33	कोरबा केन्द्र
	34	बाल्को नगर केन्द्र
	35	दर्रीजमनीपाली
	36	पताडी केन्द्र (कोरबा)
बलौदाबाजार	37	दीपका
	38	बलौदाबाजार
	39	भाटापारा
धमतरी	40	हिरमी
	41	धमतरी केन्द्र
गरियाबंद	42	नवापारा-राजिम

Keethi 9
 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

प्रपत्र-ब

क्रमांक	सहमति प्रदानकर्ता चिकित्सालय का नाम एवं पता
1	ए.एस.जी. आई हॉस्पिटल, द्वितीय एवं तृतीय तल, मदन कॉम्प्लेक्स, शक्ति नगर रोड, रायपुर।
2	ओम हॉस्पिटल, एच. पी. पेट्रोल पंप के पास, महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001
3	अग्रसेन हॉस्पिटल, कृष्णा टॉकीज के सामने, समता कॉलोनी, रायपुर
4	आर. एस. पॉलीक्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, पोस्ट ऑफिस के पास, एम्स, गेट नं.-5 के सामने टाटीबंध, रायपुर।
5	लाईफवर्थ सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेन रोड, समता कॉलोनी, रायपुर
6	श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस प्रा.लि. एकता चौक, दुबे कॉलोनी, मोवा, रायपुर, 492007, (छ.ग.)
7	श्री रेटिना केयर सुपरस्पेशलिटी आई हॉस्पिटल लक्ष्मी मेडिकल हॉल के उपर मेन रोड शंकर नगर रायपुर।
8	श्री नारायणा हॉस्पिटल, गंज मंडी के पास, से.-5 के पीछे, देवेन्द्र नगर, पण्डरी, रायपुर
9	कालड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी इंस्टीट्यूट एण्ड बर्न सेंटर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
10	उपाध्याय हॉस्पिटल, अर्जुन विहार, हीरापुर रोड, मोहबा बाजार, रायपुर।
11	मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, होलीक्रास स्कूल के सामने, लोधीपारा चौक, रायपुर
12	सर्वोदय हॉस्पिटल एण्ड प्रसूति केन्द्र, दुबे कालोनी, पुलिस थाना के पास मोवा रायपुर।
13	कंवर नर्सिंग होम, टी.वी. टावर रोड, अनुपम नगर रायपुर छ.ग.
14	वी.वाय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस रायपुर।
15	श्री अरविंदो नेत्रालय, पचपेढी नाका रायपुर
16	कालडा बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचपेढी नाका, रायपुर
17	श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, पचपेढी नाका, रायपुर
18	वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तेलीबांधा रायपुर
19	किम्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, अग्रसेन चौक, बिलासपुर।
20	श्रीराम केयर हॉस्पिटल, नेहरू नगर, अमेरी रोड, बिलासपुर।
21	महादेव सुपरस्पेशलिटी, महिमा काम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर।
22	आर बी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड-2, बिलासपुर।
23	केयर एण्ड क्योर हॉस्पिटल बिलासपुर।
24	मूंदड़ा हॉस्पिटल, मंगला चौक, बिलासपुर।
25	मार्क हॉस्पिटल, ब्रिलियंट स्कूल कैम्पस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

26	श्री शिशु भवन, ईदगाह चौक, बिलासपुर।
27	विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक, लिंक रोड, बिलासपुर, छ.ग.
28	कृष्णा नेत्रालय बिलासपुर छ.ग.
29	संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, वेयर हाउस रोड, सिंधी कॉलोनी, बिलासपुर।
30	बी. एम. शाह हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई।
31	चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सालाय, नेहरू नगर चौक, जी.ई. रोड, भिलाई (छ.ग.)
32	सनशाईन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, वसुंधरा नगर, भिलाई-03, चरोदा, जिला-दुर्ग।
33	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग।
34	स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, श्रीराम मार्केट, सिरसा रोड, रामनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
35	श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल, पहाड़ मंदिर के पास, कौहाकुड़ा, रायगढ़ (छ.ग.) 496001
36	अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एण्ड आई.वी.एफ. सेंटर, आर.के. मल्टीप्लेक्स के बाजू, अटल चौक के पास, छातामुड़ा बायपास रोड, रायगढ़, (छ.ग.)
37	श्री मेडिशाईन हॉस्पिटल न्यूराजेन्द्र नगर रायपुर।
38	आशादीप हॉस्पिटल न्यू राजेन्द्र नगर विजेता काम्पलेक्स के पास रायपुर।
39	श्री कृष्णा हॉस्पिटल मेन रोड न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर
40	स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीराम मार्केट, सिरसा रोड रामनगर भिलाई छ.ग.।
41	धमतरी किश्चियन हॉस्पिटल रायपुर रोड धमतरी छ.ग.।
42	गुप्ता हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी रिसर्च एण्ड मेटरनिटी सेन्टर, रत्नाबांधा रोड धमतरी छ.ग.।
43	स्पाईन एण्ड स्कीन क्लीनिक, एच-21, टी.व्ही. टॉवर रोड मेन रोड शंकरनगर रायपुर छ.ग.
44	ओम नेत्र केन्द्र पण्डरी रायपुर छ.ग.।
45	नमन हॉस्पिटल प्लाट नं. 24, फ्रुट एण्ड फ्रुट शॉप के आगे टर्निंग पाईट चौक शंकर नगर रायपुर।
46	पेटल्स न्यू बॉर्न एण्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल भीमसेन भवन मार्ग समता कालोनी रायपुर।
47	चन्दादेवी तिवारी हॉस्पिटल, सिटी कोतवाली के सामने, भाटापारा रोड, बलौदाबाजार छ.ग.।
48	श्रीराम हॉस्टिल, ग्रीन सिटी के सामने, डोंगरगाँव रोड, बसंतपुर राजनांदगाँव छ.ग.।
49	सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज कैम्पस, सुंदरा एन.एच.-6 राजनांदगाँव छ.ग.
50	साई कृपा हॉस्पिटल सिलतरा जिला रायपुर
51	मित्तल हॉस्पिटल, न्यू सूर्या मॉल के पास, स्मृति नगर भिलाई जिला दुर्ग।
52	एस.एम.सी. हार्ट इंस्टीट्यूट एंड आई.वी.एफ. रिसर्च सेंटर, वी.आई.पी. ईस्ट विधानसभा रोड, रायपुर (छ.ग.)
53	सुयश हॉस्पिटल कोटा, गुढ़ियारी रोड रायपुर।
54	सोनी मल्टी स्पेश्यालिटी हॉस्पिटल एंड मेटर्निटी होम, बड़े उरला रोड, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)


 अनुमाम अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

स.क	जिले का नाम	विधान सभा का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति		निविदा तिथि	कार्य स्थान	लागत राशि (लाख में)	एजेंसी का नाम	पूर्णता की अवधि	पुल की लंबाई (मीटर में)	अपूर्णता का कारण
				राशि	दिनांक							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	कोण्डागाँव	केशकाल	लिहागाँव-बासकोट मार्ग के कि०मी० 2/10 भवर्डीग नदी पर पुल निर्माण कार्य।	1103.31	06.02.20	18.05.20	लिहागाँव	845.37	श्री ज्ञानचंद गोलछा अ वर्ग टेकेदार धमत्तरी	15.05.22	147.00	प्रदेशव्यापी ट्रांसपोर्ट हड़ताल होने के कारण सीमेंट की अनुपलब्धता एवं वैश्विक महामारी कोविड-19 में लोक डाउन लगने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब।
5	कोण्डागाँव	केशकाल	ईरागाँव-अर्रा मार्ग के कि०मी० 4/8 बुंदी नाला (तिरका नाला) पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	1220.73	28.02.18	28.09.18	ईरागाँव	1271.11	मि० फिरोज कंस्ट्रक्शन अ वर्ग टेकेदार कांकर	28.02.22	147.00	नक्सल प्रभावित, प्रदेशव्यापी ट्रांसपोर्ट हड़ताल होने के कारण सीमेंट की अनुपलब्धता एवं वैश्विक महामारी कोविड-19 में लोक डाउन लगने के कारण कार्य पूर्ण करने में विलंब।
6	कोण्डागाँव	केशकाल	जिला-कोण्डागाँव के तोसकापाल-तुरईबेड़ा-बडराजपुर मार्ग के कि०मी० 1/8 गौरबहार नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	945.01	07.06.21	13.09.21	तोसकापाल	749.00	मेसर्स पवन कुमार चढाकर अ वर्ग टेकेदार केशकाल	08.01.23	126.00	-
			योग:- 06 कार्य	7549.54				6849.48				

अनुभाग अधिकारी
मुख्य अफिसर

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारोक्ष - छियालीस
अतारॉकेत प्रश्न संख्या 5 (क्र. 101) की जानकारी

जिला कौंडागांव में वर्ष 2020-21 से 31 जनवरी 2022 तक श्रमिक पंजीयन की मंडलवार एवं विकासखण्डवार जानकारी।

(1) छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	पंजीकृत श्रमिक संख्या
1	कोण्डागांव	349
2	केशकाल	72
3	फरसगांव	81
4	माकडी	243
5	बडेराजपुर	85
	योग	830

(2) छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	पंजीकृत श्रमिक संख्या
1	कोण्डागांव	1408
2	केशकाल	404
3	फरसगांव	485
4	माकडी	632
5	बडेराजपुर	324
	योग	3253

(3) छ०ग० श्रम कल्याण मंडल द्वारा पंजीकृत संगठित श्रमिक की जानकारी

क्र	विकासखण्ड का नाम	पंजीकृत श्रमिक संख्या
1	कोण्डागांव	296
2	केशकाल	0
3	फरसगांव	20
4	माकडी	84
5	बडेराजपुर	0
	योग	400



अनुभाग आधकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

पारोशेष्ट - सैतालीस
अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 138) की जानकारी

प्रपत्र-अ

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखंड का नाम	वर्षवार पंजीयन की जानकारी				योग
		वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	
1	बलौदाबाजार	2063	337	1402	290	4092
2	सिमगा	1765	658	681	108	3212
3	तिल्दा	2569	760	422	30	3781
	योग	6397	1755	2505	428	11085


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

प्रपत्र-ब

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत श्रमिकों को वितरित सामग्री एवं राशि की विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी

क्र	योजना का नाम	विकासखण्ड - बलौदाबाजार											
		वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-2022 (31 जनवरी 2022 तक)		योग			
		लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि		
1	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	840	840 श्रमिक औजार किट	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840 श्रमिक औजार किट
2	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	826	826 सायकल	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826 सायकल
3	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	3	3 सिलाई मशीन	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3 सिलाई मशीन
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	0	0	0	0	25	25 सुरक्षा उपकरण किट	60	60 सुरक्षा उपकरण किट	85	85 सुरक्षा उपकरण किट	85	85 सुरक्षा उपकरण किट
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	0	0	240	315500 रुपये	2	2000 रुपये	0	0	242	317500 रुपये	242	317500 रुपये
6	भगिनी प्रभृति सहायता योजना	67	335000 रुपये	0	0	57	285000 रुपये	9	45000 रुपये	133	665000 रुपये	133	665000 रुपये
7	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	62	1240000 रुपये	0	0	0	0	0	0	62	1240000 रुपये	62	1240000 रुपये
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	68	1247071 रुपये	0	0	0	0	0	0	68	1247071 रुपये	68	1247071 रुपये
9	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	6	30000 रुपये	0	0	0	0	0	0	6	30000 रुपये	6	30000 रुपये
10	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	146	4380000 रुपये	0	0	4	120000 रुपये	0	0	150	4500000 रुपये	150	4500000 रुपये
11	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	0	0	0	0	79	7900000 रुपये	87	8700000 रुपये	166	16600000 रुपये	166	16600000 रुपये



अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

क्र	योजना का नाम	विकासखंड - सिमगा									
		वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-2022 (31 जनवरी 2022 तक)		योग	
		लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि
1	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	200	200 श्रमिक औजार किट	0	0	0	0	0	0	200	200 श्रमिक औजार किट
2	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	619	619 सायकल	0	0	0	0	0	0	619	619 सायकल
3	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	0	0	283	3677000 रुपये	5	6500 रुपये	0	0	288	3683500 रुपये
6	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	13	65000 रुपये	0	0	15	75000 रुपये	3	15000 रुपये	31	155000 रुपये
7	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	15	300000 रुपये	0	0	0	0	0	0	15	300000 रुपये
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	27	351224 रुपये	0	0	0	0	0	0	27	351224 रुपये
9	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	3	15000 रुपये	0	0	0	0	0	0	3	15000 रुपये
10	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्ठि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	5	150000 रुपये	0	0	1	30000 रुपये	0	0	6	180000 रुपये
11	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	0	0	0	0	15	1500000 रुपये	7	700000 रुपये	22	2200000 रुपये

Prathina

अनुभाग अधिकारी
पत्तीसागढ़ शासन
धर्म विभाग

क्र	योजना का नाम	विकासखंड - तिल्दा											
		वर्ष 2018-2019		वर्ष 2019-2020		वर्ष 2020-2021		वर्ष 2021-2022 (31 जनवरी 2022 तक)		योग			
		लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि	लाभान्वित हितग्राही	वितरित सामग्री/ राशि		
1	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	435	435 श्रमिक औजार किट	0	0	0	0	0	0	0	0	435	श्रमिक औजार किट
2	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	394	394 सायकल	15	15 सायकल	0	0	0	0	0	0	409	सायकल
3	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	416	416 सुरक्षा उपकरण किट	5	5 सुरक्षा उपकरण किट	0	0	0	0	0	0	421	सुरक्षा उपकरण किट
5	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	57	70500 रुपये	112	155000 रुपये	0	0	0	0	0	0	169	225500 रुपये
6	भगिनी प्रसूति सहायता योजना	46	230000 रुपये	86	430000 रुपये	32	160000 रुपये	31	155000 रुपये	195	975000 रुपये	195	975000 रुपये
7	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	71	1420000 रुपये	0	0	0	0	0	0	0	0	71	1420000 रुपये
8	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	40	523603 रुपये	0	0	0	0	0	0	0	0	40	523603 रुपये
9	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	37	376000 रुपये	8	37000 रुपये	0	0	0	0	0	0	45	413000 रुपये
10	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	4	120000 रुपये	3	90000 रुपये	1	30000 रुपये	13	390000 रुपये	21	630000 रुपये	21	630000 रुपये
11	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Raathig
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
ग्राम विभाग

छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षण अवधि, वीटीपी का नाम एवं व्यय की वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी

वर्ष 2018-19

क्र	विकासखंड का नाम	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षण स्थल	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण अवधि	वीटीपी का नाम	व्यय राशि (रूपये में)
1	बलौदाबाजार	इलेक्ट्रीशियन	वैष्णव कॉलोनी वार्ड क्र. 02 चक्रपाणी स्कूल रोड, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	9	520 घंटे	राईट टेक एजुकेशन रायपुर	338588
		टैली	ग्राम - सकरी पो. सकरी, तह. बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	11	500 घंटे	लाईवलीहुड कॉलेज बलौदाबाजार	157008
		सहायक राजमिस्त्री	ग्राम-कोलयारी विकासखण्ड बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	48	300 घंटे	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बलौदाबाजार	751475
2	सिमगा	बैंकिंग एण्ड अकाउंटन्ट	वर्धमान एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी, वार्ड क्रमांक 12, तिल्दा रोड, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	27	500 घंटे	वर्धमान एजुकेशन सिमगा	351224
3	तिल्दा	मेसन जनरल	सामुदायिक भवन, ग्राम सांकरा, विकासखंड तिल्दा	20	400 घंटे	अनुविभागीय अधिकारीए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए तिल्दा	261835
		मेसन जनरल	सामुदायिक भवन, ग्राम सांकरा, विकासखंड तिल्दा	20	400 घंटे	अनुविभागीय अधिकारीए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए तिल्दा	261768
योग				135			2121898

टीप :- वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 (दिनांक 31.01.2022 तक) प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया गया। अतः उक्त वर्षों की प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी निरंक है।


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

पारिशेष - अड़तालीस
अतारोकेत प्रश्न संख्या 7 (क्र. 139) की जानकारी

केंद्र एवं राज्य प्रवर्तित एवं अधोसंरचना मद योजनाओं की जानकारी
(वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में 31 जनवरी 2022 तक)

नगर पालिका बलौदाबाजार

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	कार्यों की संख्या जिसमें स्वीकृत राशि व्यय किया गया है।	स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जावेगा	
					पूर्ण	अपूर्ण		
1	केंद्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	2020-21	51.84	8	7	1	0	31 मार्च 2022
		2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	207.28	32	21	11	0	31 मार्च 2022
		कुल योग 2020-21	259.12	40	28	12	0	0
2	केंद्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	2020-21	0.00	0	0	0	0	-
		2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	0.00	0	0	0	0	-
		कुल योग 2020-21	0.00	0	0	0	0	0
3	राज्य प्रवर्तित योजना	2020-21	60.00	0	0	2	0	अक्टूबर 2022
		2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	4.75	1	1	0	0	-
		कुल योग 2020-21	64.75	1	1	2	0	-
4	अधोसंरचना मद	2020-21	199.41	15	4	11	0	समयावधि में कार्य पूर्ण की जायेगी
		2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	318.40	39	0	39	0	समयावधि में कार्य पूर्ण की जायेगी
		कुल योग	517.81	54	4	50	0	-
महायोग			841.68	95	33	64	0	-

नगर पालिका लिन्दा-नेवरा

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	कार्यों की संख्या जिसमें स्वीकृत राशि व्यय किया गया है।	स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति		अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा
					पूर्ण	अपूर्ण	
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वां वित्त आयोग)	2020-21	320.88	73	73	0	-
		2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	110.19	16	16	0	-
		कुल योग 2020-21	431.07	89	89	0	-
2	केन्द्र प्रवर्तित योजना (15वां वित्त आयोग)	2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	123.99	0	0	0	निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
		कुल योग 2020-21	123.99	0	0	0	-
		2020-21	40.27	0	0	2	-
3	राज्य प्रवर्तित योजना	2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	123.01	0	0	0	3
		कुल योग 2020-21	163.28	0	0	0	5
		2020-21	153.63	20	14	6	0
4	अधोसरचना मद	2021-22 (31 जनवरी 2022 तक)	198.57	0	0	0	12
		कुल योग	352.20	20	14	6	12
		महायोग	1070.54	109	103	6	37



अनुमान अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवन, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - उन्चास

अतारोकित प्रश्न सख्या 9 (क्र. 161) को जानकारी

स. क्र.	मार्ग का नाम	किन-किन कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण की स्वीकृति	निविदा स्थिति	कार्य प्रारंभ के लिये कार्यादेश तिथि	विद्यमान डामरीकृत मार्ग की स्थिति	सड़क निर्माण कराये जाने का विवरण
01.	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 रायगढ़ से भटगौव मार्ग (रायगढ़ रामझरना, नहरपाली)।	रा.रा. क्रं.-200 (नया रा.रा. क्रं. -49 के कि.मी. 126.360 से 127.500 (भटगौव), कि.मी. 135.600 से 142.400 (खरसिया बायपास) एवं कि.मी. 150.800 से 180.400 (रायगढ़ बायपास) = 37.540 कि.मी. में वन टाईम इम्पुवमेंट का कार्य।	निविदा कार्यवाही पूर्ण।	02.11.2021	कार्य प्रगति पर	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 विद्यमान डामरीकृत मार्ग में भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा वन टाईम इम्पुवमेंट के तहत सड़क सुदृढीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मार्ग का यह भाग राष्ट्रीय राजमार्ग से राज्य लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता,
लो.नि.वि., नवा रायपुर,
अटल नगर, (छ0ग0)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

[10 मार्च 2022

पारोशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 225) की जानकारी

सं.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मार्ग	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	सड़क में शामिल पुल-पुलियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. लाख)
1	2	3	4	5	6
1	भरतपुर सोनहत	8	27.47	82	5152.23
2	मनेन्द्रगढ़	4	13.61	21	421.51
3	बैकुंठपुर	10	44.05	42	3312.56
4	प्रेमनगर	5	33.32	46	2488.06
5	भटगांव	4	15.40	32	1726.46
6	प्रतापपुर	7	52.33	31	3509.72
7	रामानुजगंज	5	32.55	58	4669.14
8	सामरी	2	61.35	12	3555.39
9	लुण्ड्रा	5	45.43	33	9373.46
10	अंबिकापुर	13	93.31	112	13081.47
11	सीतापुर	9	82.35	167	14231.13
12	जशपुर	4	49.61	41	4114.83
13	कुनकुरी	8	109.50	80	15971.38
14	पत्थलगांव	7	76.16	44	7112.83
15	लैलूंगा	6	59.95	90	8959.02
16	रायगढ़	7	44.75	38	3717.37
17	सारंगढ़	9	59.10	52	5315.96
18	खरसिया	5	14.37	18	1278.81
19	धरमजयगढ़	9	112.40	72	15596.2
20	रामपुर	3	22.18	54	4439.78
21	कोरबा	4	79.56	36	24023.7
22	कटघोरा	5	11.31	25	1776.88
23	पाली तानाखार	4	64.22	7	5672.22
24	कोटा	2	31.25	22	2676.07
25	लोरमी	2	18.29	25	3650.94
26	मुंगेली	1	9.00	0	207.72
27	तखतपुर	8	56.48	129	6587.57
28	मस्तुरी	1	3.55	11	598.24

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

कुर्यां. प्रमुख आग-वेता लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (उ.ज.)

सं.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मार्ग	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	सड़क में शामिल पुल-पुलियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. लाख)
29	बिल्हा	1	3.54	13	430.47
30	बेलतरा	2	7.22	20	1080.08
31	सक्ती	10	54.61	46	6691
32	चन्द्रपुर	9	203.81	164	34639.06
33	जैजेपुर	1	3.10	13	435.61
34	पामगढ़	2	5.20	10	541.22
35	सराईपाली	8	43.46	95	8035.19
36	बसना	5	29.80	48	2813.59
37	खल्लारी	9	39.10	118	8132.87
38	महासमुन्द	4	18.10	30	1475.27
39	बिलाईगढ़	2	41.31	15	6036.63
40	कसडोल	5	26.18	37	7100.13
41	बलौदा बाजार	3	31.45	40	4062.48
42	भाटापारा	1	2.55	8	552.42
43	धरसीवा	10	40.35	95	9724.92
44	रायपुर ग्रामीण	6	20.20	10	3685.87
		1	2.30	0	992.22
45	रायपुर पश्चिम	3	15.85	24	1955.04
46	रायपुर दक्षिण	1	1.60	4	165.39
47	आरंग	12	54.64	121	10126.97
48	अभनपुर	13	59.82	101	11361.6
49	राजिम	2	12.80	29	2634.22
50	बिन्द्रानवागढ़	2	70.60	5	5529.85
51	सिहावा	5	61.05	71	9605.3
52	कुरुद	4	34.40	28	6412.74
53	धमतरी	1	3.60	0	1038.51.
54	संजारी बालोद	2	10.65	35	1706.83
55	डौंडीलोहारा	6	80.00	205	15278.18
56	गुण्डरदेही	9	71.45	53	5107.13
57	पाटन	37	151.74	504	57175.43
58	दुर्ग ग्रामीण	0	0.00	0	0
59	दुर्ग शहर	2	9.80	0	1029
60	अहिवारा	6	36.78	88	10776.98
61	साजा	9	63.70	80	6512.01
62	बेमेतरा	14	76.65	229	13472.01
63	नवागढ़	5	19.30	46	2374.46

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

कुल संख्या
व्यवस्थापक प्रमुख आभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

सं.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मार्ग	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	सड़क में शामिल पुल-पुलियों की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. लाख)
64	पंडरिया	2	6.05	18	864.86
65	कवर्धा	6	70.02	120	7773.8
66	खैरागढ़	4	29.10	38	3505.49
67	डोंगरगढ़	4	11.84	29	1079.36
68	राजनांदगांव	1	1.70	7	198.03
69	डोंगरगांव	5	33.35	52	2699.83
70	खुज्जी	2	12.33	39	1720.39
71	मोहला मानपुर	2	5.01	8	777.05
72	अंतागढ़	3	4.61	10	1061.64
73	भानुप्रतापपुर	3	18.81	13	2379.24
74	कांकर	3	22.57	15	3248.82
75	केशकाल	5	18.74	33	2243.64
76	कोण्डागांव	3	11.29	7	1444.21
77	नारायणपुर	0	0.34	0	0
78	बस्तर	1	3.00	4	344.5
79	जगदलपुर	4	31.59	27	6672.65
80	चित्रकोट	1	11.27	12	814.65
81	दंतेवाड़ा	3	47.75	47	13613.1
82	बीजापुर	1	10.52	10	1091.94
83	कोन्टा	3	9.62	27	1243.47
कुल :-		425	3089.02	4281	483649.49

अनुनायक
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

सं.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मार्ग	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. लाख)
1	2	3	4	5	6
1	सर्राईपाली	2	0.20	2	717.31
2	महासमुन्द	2	0.253	2	838.00
3	बलौदा बाजार	2	0.405	2	2048.00
4	बिलाईगढ़	1	0.175	1	722.68
5	सिहावा	1	0.125	1	683.67
6	बिन्द्रानवागढ़	1	0.09	1	347.56
7	राजिम	1	0.09	1	391.75
8	साजा	1	0.075	1	552.15
9	दुर्ग ग्रामीण	1	0.075	1	347.37
10	डोंगरगढ़	2	0.188	2	988.10
11	खुज्जी	4	0.556	4	3038.53
12	मोहला मानपुर	1	0.29	1	1196.47
13	डौंडीलोहारा	1	0.12	1	496.50
14	कवर्धा	1	0.88	1	645.70
15	बेमेतरा	2	1.00	2	3451.49
16	कांकेर	3	1.194	3	2469.97
17	अंतागढ़	6	1.88	6	6058.54
18	भानुप्रतापपुर	1	0.189	1	953.11
19	केशकाल	1	0.126	1	945.01
20	कोण्डागांव	1	0.154	1	1170.73
21	नारायणपुर	4	0.47	4	5119.95
22	जगदलपुर	1	1.142	1	4425.98
23	चित्रकोट	3	1.68	3	3592.55
24	कोन्टा	6	1.782	6	5739.72
25	बीजापुर	2	0.456	2	3126.37
26	पाली तानाखार	1	1.8	1	1150.45
27	कोरबा	1	0.9	1	1289.98
28	रायगढ़	1	0.165	1	740.29

कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
मवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

सं.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	कुल मार्ग	स्वीकृत लंबाई (कि.मी.)	स्वीकृत पुल की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि रु. लाख)
29	सारंगढ़	1	0.195	1	1303.05
30	खरसिया	2	0.17	2	1084.59
31	धरमजयगढ़	1	0.294	1	1385.13
32	सीतापुर	1	0.154	1	891.76
33	प्रतापपुर	3	0.191	3	1196.51
34	भटगांव	2	0.403	2	1652.30
35	मनेन्द्रगढ़	2	0.323	2	1568.20
36	रामानुजगंज	1	0.075	1	320.45
37	जशपुर	4	0.445	4	2291.93
कुल :-		71	0.84	71	64941.85

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

CIS
मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि.
रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(ज्ञानेश्वर कश्यप)
अति. प्रबंध संचालक
छ.ग. रोड एंड इन्फ्रा. डेवलपमेंट
कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

परोशेष्ट - इन्क्यावन
अतरांकेत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 388) की जानकारी

प्रपत्र-“क”

सामूहिक हत्या, आत्महत्या व किसान आत्महत्या के दर्ज प्रकरणों की जानकारी

वर्ष	सामूहिक हत्या	आत्महत्या	किसान आत्महत्या		
			कृषिगत कारणों से	अन्य कारणों से	योग
01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	30	6042	0	166	166
01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	32	7344	3	183	186
01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	19	6281	0	79	79

नेशनल काईम ब्यूरो की रिपोर्ट अनुसार घटित अपराधों में छ0ग0 की स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	सामूहिक हत्या	आत्महत्या	किसान आत्महत्या
2019	-	9 वॉ	6 वॉ
2020	-	9 वॉ	6 वॉ
2021	वर्ष 2021 के आंकड़ों का एनसीआरबी नई दिल्ली से प्रकाशन नहीं हुआ है।		

टीप :- एनसीआरबी की रिपोर्ट में सामूहिक हत्या शीर्ष नहीं है।


अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-“ख”

प्रदेश में मानव तस्करी, साइबर ठगी एवं हत्या के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार जानकारी

क्र०	जिला	वर्ष	मानव तस्करी	साइबर ठगी	हत्या
1	रायपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	3	2	82
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	1	13	72
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	18	54
2	महासमुंद	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	2	17
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	2	2	20
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	3	17
3	बलौदाबाजार	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	7	31
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	5	32
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	3	27
4	गरियाबंद	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	2	14
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	14	25
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	15	15
5	धमतरी	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	7	23
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	9	15
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	1	15
6	दुर्ग	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	23	35
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	17	32
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	11	37
7	राजनांदगांव	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	16	27
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	3	26	49
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	21	42
8	कबीरधाम	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	1	29
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	5	17
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	7	16


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

क्र०	जिला	वर्ष	मानव तस्करी	साइबर ठगी	हत्या
9	बालोद	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	8	19
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	21	18
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	5	10
10	बेमेतरा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	3	17
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	6	18
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	3	19
11	बिलासपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	4	66	51
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	3	74	54
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	70	39
12	रायगढ़	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	9	59
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	9	55
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	2	63
13	जांजगीर –चांपा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	6	42
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	15	61
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	7	50
14	कोरबा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	1	16	38
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	9	37
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	3	29
15	मुंगेली	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	1	0	19
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	1	25
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	0	13
16	गौरैला– पेण्ड्रा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	6	10
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	7	16
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	1	5	10
17	सरगुजा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	4	49	48
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	1	63	54
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	4	49	55
18	जशपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	12	10	68
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	7	16	70
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	7	5	46

क्र०	जिला	वर्ष	मानव तस्करी	साइबर ठगी	हत्या
19	सूरजपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	7	4	45
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	0	46
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	4	8	35
20	कोरिया	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	7	26
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	3	35
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	4	34
21	बलरामपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	3	4	35
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	6	6	42
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	3	1	46
22	बस्तर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	2	16	36
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	1	13	34
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	31	22
23	कांकेर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	14	44
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	14	32
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	1	9	26
24	दंतेवाड़ा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	5	25
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	16	25
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	11	20
25	नारायणपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	4	1	12
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	4	5	18
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	3	15
26	बीजापुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	1	43
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	0	55
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	1	51
27	कोण्डागांव	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	3	3	10
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	1	23
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	1	2	14
28	सुकमा	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	0	42
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	1	27
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	0	25

क्र०	जिला	वर्ष	मानव तस्करी	साइबर ठगी	हत्या
29	रेल रायपुर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	0	0	0
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	1	1	1
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	0	2
30	राज्य साइबर पुलिस थाना	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	राज्य साइबर थाना का गठन नहीं हुआ था।		
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	0	2	0
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	0	2	0
योग		01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक	54	288	947
		01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक	29	374	1008
		01 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक	21	300	847

अनुभाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

नेशनल काईम ब्यूरो की रिपोर्ट अनुसार घटित अपराधों में छ0ग0 की स्थिति की जानकारी प्रपत्र-“ग”

वर्ष	मानव तस्करी	साईबर ठगी	हत्या
2019	12 वॉ	10 वॉ	14 वॉ
2020	12 वॉ	11 वॉ	14 वॉ
2021	वर्ष 2021 के आंकड़ों का एनसीआरबी नई दिल्ली से प्रकाशन नहीं हुआ है।		


 अनुभाग अधिकारी
 गृह विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 389) की जानकारी

प्रपत्र-अ

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यो हेतु विभागों के बजट प्रावधान एवं उनसे प्राप्त राशि का विवरण

वर्ष	पर्यटन विभाग		संस्कृति विभाग		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग		कलेक्टर जिला कोरिया (खनिज न्यास मद)	
	प्रावधान	प्राप्त राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि	प्रावधान	प्राप्त राशि
	(राशि करोड़ में)									
2019-20	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-21	10.00	1.00	0.00	0.00	0.00	24.99	0.00	20.93	0.00	0.00
2021-22	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
कुल राशि	40.00	31.00	0.00	5.00	0.00	24.99	0.00	20.93	0.00	2.50




अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-ब

राम वनगमन पर्यटन परिपथ के स्थलों में विकास कार्यों की जानकारी

1. शिवरीनारायण के निर्माण कार्यों की जानकारी-

प्रथम चरण के निर्माण कार्य			क्रियान्वयन एजेंसी
कं.	कार्य का विवरण	राशि रु.	WAPCOS LIMITED, GURUGRAM
1	घॉट वॉकवे निर्माण	23350716.82	
2	पब्लिक टायलेट	2579898.12	
3	साइनेजेस कम्पोनेंट	1518012.20	
4	इंटरनल प्लम्बिंग	2249284.34	
5	प्रशासनिक कार्यालय	798732.12	
6	ब्यूइंग डेस्क कियारस्क (व्यू पाइंट)	6355531.78	
7	टूरिस्ट इंफार्मेशन सेंटर (रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर)	9489755.13	
8	टेम्पल कॉम्प्लेक्स अपग्रेडेशन (जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण)	5555788.56	
9	पार्किंग	5775629.93	
कुल राशि		57673349.01	
द्वितीय चरण (भाग-1) के निर्माण कार्य			क्रियान्वयन एजेंसी
कं.	कार्य का विवरण	राशि रु.	TCIL New Delhi
1	छोटा स्मॉल गेट	9454865.59	
2	सीसीटीवी	763742.86	
3	इलेक्ट्रीफिकेशन	5107558.93	
4	साइनेजेस कम्पोनेंट	10288082.14	
5	अपग्रेडेशन एवं मेन्टेनेंस वर्क	271702.38	
6	लैण्डस्केपिंग	1537746.60	
7	लक्ष्मण मंदिर खरौद	1208912.64	
8	इलेक्ट्रीफिकेशन लक्ष्मण मंदिर खरौद	525774.11	
9	माकेट अपग्रेडेशन	5408070.36	
10	इलेक्ट्रीफिकेशन आउटर साइड	4671826.75	
11	एक्सटरनल प्लम्बिंग	2955839.30	
स्ट्रैच -2			
1	मुख्य प्रवेश द्वार	8297685.94	
2	घाट वाकवे निर्माण	1366314.88	
3	दीप स्तंभ	2304728.54	
4	एलईडी ब्राण्डिंग	596666.55	
5	साइनेजेस कम्पोनेंट	712607.14	
6	इलेक्ट्रीफिकेशन	3672641.2	
7	लैण्डस्केपिंग	1556486.47	
8	पार्किंग	2017315.20	
राशि		62718567.58	
जी.एस.टी. (12%)		7526228.11	
कंन्सट्रक्शन लागत पर सी.ए. शुल्क (2.4%)		1505245.62	
सी.ए.शुल्क पर जीएसटी (18%)		270944.21	
कुल राशि		72020985.52	


 अनुभाग अधिकारी
 पर्यटन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

द्वितीय चरण (भाग-2) के निर्माण कार्य			क्रियान्वयन एजेंसी
क्रं.	कार्य का विवरण	राशि रू.	TCIL, New Delhi
1	व्यूइंग डेस्क कियास्क (व्यू पॉइंट)	1638628.93	
2	घाट का विकास	50283554.55	
3	घाट वाकवे का विकास	3389426.88	
4	साइनेजेस कम्पोनेट	641346.43	
5	इलेक्ट्रीफिकेशन	7190352.68	
6	लैंड स्केपिंग	2436558.69	
7	प्रीफैब मॉडयूलर शॉप	4893485.00	
8	बाउंड्रीवॉल	2238538.42	
9	लॉर्ड राम स्टेच्यू	10000000.30	
	राशि	82711891.88	
	जी.एस.टी. (12%)	9925427.03	
	कंन्स्ट्रक्शन लागत पर सी.ए. शुल्क (2.4%)	1985085.40	
	सी.ए.शुल्क पर जीएसटी (18%)	357315.37	
	कुल राशि	94979719.68	

2. चंदखुरी के निर्माण कार्य की जानकारी

प्रथम चरण के कार्य			क्रियान्वयन एजेंसी
क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	TCIL, New Delhi
1	रिटैनिंग वाल घाट डेवलपमेंट एंड 4 कियोस्क	22092804.00	
2	एडमिनिसस्ट्रेटिव आफिस	798732.12	
3	पब्लिक टायलेट स्मॉल	1933293.83	
4	ज्योत हॉल	8300202.12	
5	पासेज	6103599.94	
6	ब्रिज	10861253.46	
7	एप्रोच रोड एंड फैंसिलिटी	2368204.40	
8	डिसमेंटलिंग एंड मेन्टेनेंस वर्क	2654134.00	
9	पौड शोपिंग	3671792.00	
10	लैंड स्केपिंग एंड फैंसिंग	1260141.95	
11	इलेक्ट्रीफिकेशन	5489810.00	
12	इंटरनल प्लंबिंग	1244291.00	
13	एक्सटरनल प्लंबिंग	2764513.00	
14	बिग एन्ट्रेंस गेट	9076606.87	
	राशि	78619378.70	
द्वितीय चरण के अतिरिक्त कार्य			
1	डिपिंग एवं सलाइडिंग (तालाब गहरीकरण एवं आकारीकरण)	17490858.5	
2	रिटैनिंग वॉल	24859958.12	
3	पिचिंग एंड घाट डेवलपमेंट	14264074	
4	स्माल गेट एन्ट्रेंस	5256339.79	
5	साइनेजेस कम्पोनेट दीप स्तंभ लॉर्ड राम स्टेच्यू	13119788.42	
6	स्लुइस गेट	875180.19	
	कुल राशि	75866199.02	


 अनुभाग अधिकारी
 पर्यटन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

तृतीय चरण हेतु		
1	एलईडी ब्राडिंग	587470.45
2	कियोस्क / व्यू पाइंट	6620236.96
3	टूरिस्ट इनफारमेशन सेंटर / रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर	4792889.09
4	स्टेज	1922794.98
5	पार्किंग डेवलपमेंट	7942423.80
6	एप्रोच रोड बाउंड्रीवाल	28985126.70
7	रिटेनिंग वॉल नाला में	7052967.00
8	प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप	3495346.43
9	डिसमेन्टलिंग एंड मेन्टेनेंस वर्क	416828.02
10	लैंडस्केपिंग	4179042.15
11	इलेक्ट्रीफिकेशन	4842727.75
12	टॉयलेट -2	1832439.65
13	एक्सटरनल प्लबिंग	3790775.06
14	इंटरनल प्लबिंग	739316.50
15	यज्ञशाला	141029.79
16	ओवरहेड टैंक	1292621.08
17	कॉर्टेज एंड डॉरमेट्री	7091241.69
18	टेंपल क्लैडिंग	11435957.79
19	डिपनिंग एवं डी स्लाइटिंग पोण्ड-2	2251480.00
	कुल राशि	99412714.89

3 राजिम के विकास कार्य के जानकारी

क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्माल गेट एन्ट्रेंस	15769019.37	WAPCOS LIMITED, GURUGRAM
2	व्यूइंग डेक कियोस्क (व्यू पाइंट)	3753032.26	
3	लॉर्ड राम स्टेच्यु	10774861.23	
4	दीप स्तंभ	2512063.19	
5	घाट वाकवे डेवलपमेंट	5857455.82	
6	पब्लिक टायलेट बिग	2709971.31	
7	टूरिस्ट इनफारमेशन सेंटर (रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर)	8195607.75	
8	सइनेजेस काम्पोनेंट	12640020.00	
9	प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप	18790982.4	
10	एलईडी ब्राडिंग	636221.66	
11	इलेक्ट्रीफिकेशन	62109207.84	
12	सीसीटीवी	991026.00	
13	पार्किंग	5436250.24	
14	सिटी फेसलिपिटिंग मंदिर मार्ग पर	9096661.21	
15	लोमस ऋषि आश्रम- जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण	14982437.34	
16	लैंडस्केपिंग	972035.70	
17	डिसमेन्टलिंग एंड मेन्टेनेंस वर्क	2641686.93	
18	बॉउंड्रीवाल	1234456.80	
19	इंटरनल प्लबिंग	2738100.00	
20	एक्सटरनल प्लबिंग	5571776.46	
	कुल राशि	187412873.50	
	जी.एस.टी. (12%) (Applicable on SOR ITEM)	5970595.88	
	कुल राशि	193383469.39	

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

सीतामढ़ी हरचौका के विकास कार्यों की जानकारी

क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	रिटेनिंग वॉल	3478073.30	WAPCOS LIMITED, GURUGRAM
2	पिचिंग एंड घाँट डेवलपमेंट	5799917.60	
3	स्माल गेट एन्ट्रेंस	4722658.95	
4	कियोस्क (व्यू पाइंट)	1203752.56	
5	पब्लिक टॉयलेट स्मॉल	1993804.95	
6	टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर स्मॉल / रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर	5168393.22	
7	एप्रोच रोड एंड फ़ैसिलिटी	6347307.22	
8	प्रिफ़ैब मॉड्यूलर भाँप	2446742.50	
9	डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेंस वर्क	1162345.27	
10	एलईडी ब्रॉडिंग	596666.55	
11	लॉर्ड राम स्टेच्यु	9733795.23	
12	दीप स्तंभ	2314674.14	
13	साइनेजेस कम्पोनेंट	3972053.57	
14	लैंडस्केपिंग एंड पिचिंग	782927.46	
15	इलेक्ट्रीफिकेशन	5723800.82	
16	सीसीटीवी	485606.25	
17	इंटरनल प्लंबिंग	1105932.75	
18	एक्सटरनल प्लंबिंग	1952292.98	
19	04 रूम, कॉमन टायलेट एवं आश्रम	2611238.93	
20	चेंजिंग रूम	830091.49	
21	बाउंड्रीवाल	2088257.29	
कुल राशि		64520333.03	
	जी.एस.टी. (12%) (ON SOR ITEMS)	7742439.96	
	कंन्सट्रक्शन लागत पर सी.ए. शुल्क 3.05%(2.4+0.65%)	1967870.15	
	सी.ए.शुल्क पर जीएसटी (18%)	354216.62	
	कुल राशि	74584859.00	

3. तुरतुरिया के निर्माण कार्यों की जानकारी

क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्मॉल गेट एन्ट्रेंस	4718511.78	वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार
2	गार्डन कियोस्क	3727021.89	
3	सेंट्रल गजीबो, टेंट निर्माण	3185115.24	
4	पब्लिक टायलेट स्माल	1993804.95	
5	टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर स्मॉल / रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर	5338825.88	
6	पब्लिक एप्रोच रोड एंड फ़ैसिलिटी	7402304.75	
7	प्रिफ़ैब मॉड्यूलर शॉप	2097207.86	
8	डीसमेंटल एंड मेनटेनेंस वर्क	450735.89	
9	साइनेजेस कम्पोनेंट	3850076.79	
10	लैंड स्केपिंग	1344552.15	
11	आश्रम कॉम्प्लेक्स जीर्णोद्धार / सौदर्यीकरण	1923309	
12	इलेक्ट्रीफिकेशन	1964869.09	
13	दीप स्तंभ	2306379.77	
14	इंटरनल प्लंबिंग	1244492.9	
15	एक्सटरनल प्लंबिंग	1694380.54	
16	चैन लिंक फ़ैसिंग	3656244.25	
17	सम्प वेल(4)	746714.57	
कुल राशि		47644547.3	


 अनुभाग अधिकारी
 पर्यटन विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर

4. रामगढ़ के निर्माण कार्यों की जानकारी

क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्माल गेट एंट्रेंस	4722658.95	वनमंडलाधिकारी सरगुजा
2	ब्यूइंग डेक कियोस्क (ब्यू पाइंट)	1203741.62	
3	पब्लिक टॉयलेट स्मॉल	1996093.52	
4	टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर स्माल / रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर	5168393.22	
5	दीप स्तंभ	2320377.54	
6	लॉर्ड राम स्टेच्यु	9733795.23	
7	पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट वर्क	4121567.29	
8	प्रिफैब मॉड्यूलर शॉप	2796277.14	
9	डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेन्स	406985.00	
10	एलइडी ब्रांडिंग	596666.55	
11	साइनेजेस कम्पोनेंट्स	4952566.07	
12	इलेक्ट्रीफिकेशन	5841739.68	
13	इंटरनल प्लंबिंग	1214947	
14	एक्सटरनल प्लंबिंग	3164434.21	
15	बाउंड्रीवाल एंड फेंसिंग	5184441	
16	कॉटेज एंड डॉरमेट्री	9459701.69	
कुल राशि		62884385.71	

5. जगदलपुर में विकास कार्यों की जानकारी –
दलपतसागर के कार्य

क्रं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्मॉल एंट्रेंस गेट	5254357.43	TCIL, NEW DELHI
2	कियोस्क (ब्यू पाइंट)	1408044.25	
3	पब्लिक रोड एंड फेंसिलिटी	8426844.11	
4	टूरिस्ट इनफॉर्मेशन सेंटर (रामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर)	5244548.63	
5	डिसमेंटलिंग एंड मेनटेनेन्स	1318525.19	
6	लैंडस्केपिंग	595118.38	
7	इलेक्ट्रीफिकेशन	5046153.98	
8	मॉड्यूलर शॉप	1957394.00	
9	साइनेजेस कम्पोनेंट्स	11682276.00	
10	एलइडी ब्रांडिंग	639173.66	
11	दीप स्तंभ	2561248.69	
12	सेनिटरी फिक्चर	233016.00	
13	वॉटर सप्लाई	442829.00	
14	ड्रेनेज	253299.00	
15	ट्यूब वेल एंड रेनवॉटर हार्वेस्टिंग	169024.00	
16	ओवर हेड टैंक	148477.60	
कुल राशि		45380329.92	

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

तीरथा (चित्रकोट) के निर्माण कार्य

कं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्मॉल गेट एंट्रेंस	5213161.95	TCIL, NEW DELHI
2	टूरिस्ट इनफॉर्मेशन (सामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर)	5467106.40	
3	स्मॉल पब्लिक टायलेट	1902208.16	
4	टैंट इन कैम्पींग साइट	4292229.44	
5	कियोस्क (ब्यू पाइंट)	1272339.35	
6	पब्लिक एप्रोच रोड डेवलपमेंट	6066999.41	
7	साइनेजेस काम्पोनेंट	11363028.00	
8	लैंडस्केपिंग	595118.38	
9	इलेक्ट्रीफिकेशन	5046153.98	
10	सैनिटरी फिक्चर	233016.00	
11	वॉटर सप्लाई	442829.00	
12	ड्रैनेज	253299.00	
13	ट्यूब वेल एंड रेनवॉटर हार्वेस्टिंग	199024.00	
14	ओवर हैड टैंक	148477.60	
15	बाउंड्रीवॉल	6645356.63	
कुल राशि		49140347.3	

रामाराम जिला सुकमा में विकास कार्यों की जानकारी

कं.	कार्य का विवरण	राशि	क्रियान्वयन एजेंसी
1	स्मॉल गेट इन्ट्रेंस	5252192.63	कलेक्टर जिला सुकमा (जिला निर्माण समिति के माध्यम से)
2	पब्लिक टायलेट स्मॉल	1981730.47	
3	प्रोफ़ैब मॉड्यूलर शॉप	2348872.80	
4	साइनेजेस कम्पोनेंट्स	11682276.00	
5	टूरिस्ट इंफार्मेशन सेंटर (सामायणा इंटरप्रिटेशन सेंटर)	5218060.83	
6	इलेक्ट्रीफिकेशन	6808901.70	
7	प्लम्बिंग एवं सैनेटरी फिक्चर	1098168.00	
8	ओवर हैड टैंक	148477.60	
9	दीप स्तंभ	2562249.49	
10	लैंडस्केपिंग	595118.38	
11	पब्लिक एप्रोज रोड विकास	8111428.67	
12	बाउंड्रीवॉल	1363058.08	
13	कियोस्क	1396677.08	
कुल राशि		48567211.73	

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

परिशेष - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 397) की जानकारी

शिवरीनारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निर्माण कार्य की जानकारी—

प्रथम चरण के निर्माण कार्य		
क्र.	कार्य का विवरण	राशि रु.
1	घाट वाकवे निर्माण	23350716.82
2	पब्लिक टायलेट	2579898.12
3	साइनेजेस कम्पोनेंट	1518012.20
4	इंटरनल पलम्बिंग	2249284.34
5	प्रशासनिक कार्यालय	798732.12
6	व्यूइंग डेस्क क्रियास्क	6355531.78
7	टूरिस्ट इंफारमेशन सेंटर	9489755.13
8	टेम्पल काम्पलेक्स अपग्रेडेशन	5555788.56
9	पार्किंग	5775629.93
	कुल राशि	5,76,73,349.01
द्वितीय चरण (भाग-1) के निर्माण कार्य		
क्र.	कार्य का विवरण	राशि रु.
1	छोटा स्माल गेट	9454865.59
2	सीसीटीवी	763742.86
3	इलेक्ट्रीफिकेशन	5107558.93
4	साइनेजेस कम्पोनेंट	10288082.14
5	अपग्रेडेशन एवं मेन्टेनेंस वर्क	271702.38
6	लैंडस्केपिंग	1537746.60
7	लक्ष्मण मंदिर खरौद	1208912.64
8	इलेक्ट्रीफिकेशन लक्ष्मण मंदिर खरौद	525774.11
9	माकेट अपग्रेडेशन	5408070.36
10	इलेक्ट्रीफिकेशन आउटर साइड	4671826.75
11	एक्सटरनल पलम्बिंग	2955839.30
स्ट्रैच -2		
1	मुख्य प्रवेश द्वार	8297685.94
2	घाट वाकवे निर्माण	1366314.88
3	दीप स्तंभ	2304728.54
4	एलईडी ब्राण्डिंग	596666.55
5	साइनेजेस कम्पोनेंट	712607.14
6	इलेक्ट्रीफिकेशन	3672641.2
7	लैंडस्केपिंग	1556486.47
8	पार्किंग	2017315.20
	राशि	62718567.58
	जी.एस.टी. (12%)	7526228.11
	कंसट्रक्शन लागत पर सी.ए. शुल्क (2.4%)	1505245.62
	सी.ए. शुल्क पर जीएसटी (18%)	270944.21
	कुल राशि	7,20,20,985.52

अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

13

द्वितीय चरण (भाग-2) के निर्माण कार्य		
क्र.	कार्य का विवरण	राशि रु.
1	ब्यूइंग डेस्क कियास्क	1638628.93
2	घाट का विकास	50283554.55
3	घाट वाकवे का विकास	3389426.88
4	साइनेजेस कम्पोनेट	641346.43
5	इलेक्ट्रीफिकेशन	7190352.68
6	लैण्ड स्केपिंग	2436558.69
7	प्रीफैब मॉड्यूलर शॉप	4893485.00
8	बाउड्रीवॉल	2238538.42
9	लार्ड राम स्टेच्यू	10000000.30
	राशि	82711891.88
	जी.एस.टी. (12%)	9925427.03
	कन्सट्रक्शन लागत पर सी.ए. शुल्क (2.4%)	1985085.40
	सी.ए.शुल्क पर जीएसटी (18%)	357315.37
	कुल राशि	9,49,79,719.68



अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के सड़क व पुल पुलिया की मरम्मत हेतु स्वीकृति राशि।

क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगति	पूर्णाता की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
वर्ष 2020-21				
सड़क कार्य				
---निरंक---				
पुल पुलिया				
---निरंक---				
वर्ष 2021-22				
सड़क कार्य				
1	पुलीपथरा-तमनार मार्ग के कि.मी. 2/4 से 5/2 = 3.00 कि.मी. जामर नवीनीकरण कार्य।	79.71	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
2	कोलम से नुनदरह मार्ग कि.मी. 5/2 से 8/10 = 4.00 कि.मी. जामर नवीनीकरण कार्य।	50.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
3	तमनार-उरबा-लैलूंगा मार्ग से डिखवानी मार्ग किमी 1 से 4 = 4.00 कि.मी. जामर नवीनीकरण कार्य।	50.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
4	केलो ब्रिज तमनार से बुड़िया बागबाड़ी मार्ग किमी 1 से 3 = 3.00 कि.मी. जामर नवीनीकरण कार्य।	40.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
5	जरेकेला-मौहापाली-कटरापाली मार्ग किमी 1/2 से 2/2(100) = 1.10 कि.मी. जामर नवीनीकरण कार्य।	20.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।

क्रं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगति	पूर्णाता की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
6	तिलगा से अडबहाल मार्ग किमी 1/2 से 6/2 = 5.20 कि.मी. जामर नदीनीकरण कार्य।	68.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
7	आमागांव से रावनगुड़ा मार्ग किमी, 1 से 3/4 = 2.40 कि.मी. जामर नदीनीकरण कार्य।	36.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
8	शिवपुरी-पाली मार्ग किमी 1 से 2 = 2.00 कि.मी. जामर नदीनीकरण कार्य।	30.00	अपूर्ण	निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
योग - 08 मार्ग		373.71	8-अपूर्ण	-
पुल पुलिया				
1	केलो नदी सेतु/उर्दना भेलवा टिकरा मार्ग कि.मी. 1/10 पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	03.01.2022
2	केलो नदी सेतु/तमनार धौराभांठा मार्ग (ग्राम बुड़िया के पास) पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	05.01.2022
3	केलो नदी/ खर्षा पेलमा समता मार्ग पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	14.01.2022
4	केलो नदी/केनापारा गुनू मार्ग पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	18.01.2022
5	पांझर नाला/ केशखोल-नूनदरहा के बीच पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	21.01.2022
6	केलो नदी/बरटांगर मडियाकछार गंजपुर मार्ग पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	28.01.2022
7	केलो नदी/बिंगाशी गंजपुर मार्ग के कि.मी. 1/8 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		पूर्ण	31.01.2022
		19.99		

क्रं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण/प्रगति	पूर्णाता की संभावित तिथि
1	2	3	4	5
8	केलो नदी / गारे लमदरहा मार्ग पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
9	दनोट नाला सेतु/दनोट-बढडौव मार्ग के कि.मी. 5/6 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
10	सलिहाभाठा नाला/सलिहाभाठा-माझापाखा मार्ग के कि.मी. 1/4 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
11	देवगढ़ (डिगगी) नाला/देवगढ़ बरमुड़ा मार्ग कि.मी. 1/4 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
12	केलो नदी/तमनार कसड़ोल बंगुरसिया मार्ग के कि.मी. 4/8 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
13	केलो नदी/तमनार तैलूंगा मिलूपाखा मार्ग के कि.मी. 16/8 पर पुल एवं पहुँच मार्ग में वार्षिक मरम्मत कार्य।		प्रगति	28.02.2022
	योग :- 13 मार्ग	19.99	7-पूर्ण 6-प्रगति	-

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पॉरीशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 465) की जानकारी

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 (दिसंबर 2021 तक) में प्राप्त आवेदनों की मंडलवार, वर्षवार तथा योजनावार जानकारी

(1) छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल


क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (31 दिसम्बर 2021 तक)	योग
1	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	95	1	96
2	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	0	0	0
3	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना	201	6	207
4	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	72	5	77
योग		368	12	380

(2) छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (31 दिसम्बर 2021 तक)	योग
1	निःशुल्क सायकल वितरण योजना	1	1	2
योग		1	1	2

(3) छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

क्र०	योजना का नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 (31 दिसम्बर 2021 तक)	योग
निरंक				


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

पारोशेष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 516) की जानकारी

प्रपत्र-अ

भवन विहीन एवं जर्जर उ.मू. दुकानों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला	स्वयं के भवनहीन उचित मूल्य दुकानों की संख्या	जर्जर स्थिति के भवन वाली उचित मूल्य दुकानों की संख्या
1	बस्तर	137	91
2	कोण्डागांव	167	55
3	दंतेवाड़ा	33	44
4	बीजापुर	28	2
5	नारायणपुर	42	21
6	कांकेर	131	0
7	सुकमा	2	126
8	रायपुर	0	34
9	गरियाबंद	213	0
10	बलौदाबाजार	533	20
11	महासमुंद	137	0
12	धमतरी	84	39
13	बालोद	241	28
14	दुर्ग	290	50
15	राजनांदगांव	257	20
16	बेमेतरा	72	0
17	कवर्धा	22	29
18	बिलासपुर	124	102
19	जांजगीर	356	106
20	रायगढ़	374	110
21	गौरैला-पेण्डा	63	24
22	कोरबा	44	72
23	मुंगेली	212	15
24	सरगुजा	196	39
25	सूरजपुर	226	0
26	बलरामपुर	178	51
27	कोरिया	121	48
28	जशपुर	107	50
	योग	4390	1176

अनुभावा अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाच्छ नागरिक आपूर्ति एवं
अपमोक्षता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

17	कवर्धा	22	29	11	समय विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	9	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4	समय विकास योजना एवं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	निरंक	निरंक	3	15वाँ वित्त आयोग	निरंक	निरंक	1	निरंक
18	बिलासपुर	124	102	2	मुख्य मंत्री समय ग्रामीण विकास योजना	1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	15	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
19	जानगीर	356	106	9	12वाँ व 15वाँ वित्त आयोग, मुख्य मंत्री समय विकास योजना एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	20	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 14वाँ वित्त आयोग एवं जिला खनिज न्यास संस्थान	3	15वाँ वित्त आयोग एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20	रायगढ़	374	110	10	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21	गौराक्षेत्रा	63	24	निरंक	निरंक	19	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 15वाँ वित्त आयोग एवं जिला खनिज न्यास संस्थान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
22	कोरबा	44	72	6	मुख्य मंत्री समय ग्रामीण विकास योजना	5	जिला खनिज न्यास संस्थान	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	1	जिला खनिज न्यास संस्थान

विषय:- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य।

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति (12.02.2022 तक)
1	2	3	4
वर्ष 2020-21 (स्वीकृत कार्य)			
1	तोकापाल	जिला बस्तर के बडेआरापुर से मटकोट मार्ग निर्माण लं. 4.00 कि.मी. पुल पुलिया सहित (कार्य दिनांक 20.01.2022 को निविदा प्राप्त स्वीकृति की वर्ष 20-21)	कार्यवाही जारी
2	तोकापाल	जिला बस्तर के मण्डवा पहुंच मार्ग निर्माण लं. 5.00 कि.मी. पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 20-21)	कार्यदेश जारी दिनांक 02.02.2022 (कार्य अप्रारंभ)
3	तोकापाल	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन एर्राकोट पहुंच मार्ग (लं. 800.00 मीटर)	प्रगति पर
4	तोकापाल	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासकीय हाईस्कूल भवन कलेपाल पहुंच मार्ग (लं. 600.00 मीटर)	कार्य पूर्ण दि. 15.10.2021
5	तोकापाल	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासकीय एन.आर.एच.एम. कॉलोनी पहुंच मार्ग (लं. 800.00 मीटर)	कार्य पूर्ण
6	तोकापाल	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिधनपुर पहुंच मार्ग (लं. 400.00 मीटर)	प्रगति पर
7	तोकापाल	मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत शासकीय आई.टी.आई. भवन तोकापाल (मुरुमगुड़ा) पहुंच मार्ग (लं. 800.00 मीटर)	प्रगति पर
वर्ष 2021-22 (स्वीकृत कार्य)			
1	तोकापाल	जिला बस्तर के जगदलपुर चित्रकोट मार्ग के किमी 6,7,8,12,13,15,16,19, एवं 20 कुल 9.00 किमी का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वर्ष 2020-21) (पेकेज क्र.-02, लोन क्र.-03)	कि.मी. 10 एवं 11 में रेजिंग कार्य प्रगति पर, कि.मी. 10 में पुलिया निर्माण का डायवर्सन कार्य प्रगति पर है।
2	तोकापाल	डीमरापाल रानसरगीपाल मार्ग	कार्यदेश जारी दिनांक 10.02.2022
3	तोकापाल	पलवा पहुंच मार्ग	कार्यदेश जारी दिनांक 10.02.2022

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति (12.02.2022 तक)
1	2	3	4
4	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर जगदलपुर में बोयस हास्टल नम्बर 1 के आंतरित द्वितीय तल में विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
5	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर जगदलपुर में गर्ल्स हास्टल नम्बर 1 के आंतरित प्रथम तल में विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
6	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर जगदलपुर में गर्ल्स हास्टल नम्बर 2 के आंतरित प्रथम तल में विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
7	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर में डीन बंगला का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
8	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर में अधीक्षक बंगला का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
9	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-2 भू-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
10	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-2 प्रथम-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
11	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-2 द्वितीय-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
12	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-3 प्रथम-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
13	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-3 द्वितीय-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
14	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-3 तृतीय-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
15	तोकापाल	मेडिकल कॉलेज परिसर डिमरापाल जगदलपुर टाईप-4 भू-तल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति (12.02.2022 तक)
1	2	3	4
16	तोकापाल	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के कि.मी. 22/6 में पुल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
17	तोकापाल	जगदलपुर-चित्रकोट मार्ग के कि.मी. 8/10 में पुल का विशेष मरम्मत कार्य	अप्रारंभ निविदा की कार्यवाही की जानी है
18	लोहण्डीगुड़ा	जिला बस्तर के जगदलपुर से चित्रकोट मार्ग कि.मी. 23 से 38= 16.00 कि.मी. का उन्नयन एवं नवीनीकरण (कार्य वर्ष 2020-21)	01 नग पुलिया एवं नाली कार्य प्रगति पर
19	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत चित्रकोट के बाघमपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र चित्रकोट-6 पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 340 मीटर	कार्य प्रगति पर
20	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत चित्रकोट के मेढकाडोबरा में आंगनबाड़ी केन्द्र चित्रकोट-7 पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 420 मीटर	कार्य प्रगति पर
21	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत कुथर के बन्नीपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र कुथर-3 पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 300 मीटर	कार्य प्रगति पर
22	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत ककनार के पालम में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 38 मीटर	कार्य प्रगति पर
23	लोहण्डीगुड़ा	ककनार पहुंच विहीन धान संग्रहण केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 218 मीटर	कार्य प्रगति पर
24	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत गढ़िया के स्कूलपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 38 मीटर	कार्य प्रगति पर
25	लोहण्डीगुड़ा	गढ़िया पहुंच विहीन धान संग्रहण केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 110 मीटर	कार्य प्रगति पर
26	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बित्ता के लिमउपदरपारा में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 250 मीटर	कार्य प्रगति पर
27	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बदरंगा के बदरंगा-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 270 मीटर	कार्य प्रगति पर
28	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बदरंगा के बदरंगा-3 में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 34 मीटर	कार्य प्रगति पर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति (12.02.2022 तक)
1	2	3	4
29	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बदरेंगा के हाथीदरहा-1 में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 34 मीटर	कार्य प्रगति पर
30	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बदरेंगा के हाथीदरहा-3 में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 34 मीटर	कार्य प्रगति पर
31	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत बदरेंगा के हाथीदरहा-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 380 मीटर	कार्य प्रगति पर
32	लोहण्डीगुड़ा	ग्राम पंचायत मिचनार के गुमतुमड़ी में आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 34 मीटर	कार्य प्रगति पर
33	लोहण्डीगुड़ा	अलनार पहुंच विहीन धान संग्रहण केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 230 मीटर	कार्य प्रगति पर
34	लोहण्डीगुड़ा	बड़ांजी-1 पहुंच विहीन धान संग्रहण केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 215 मीटर	कार्य प्रगति पर
35	लोहण्डीगुड़ा	मारडूम पहुंच विहीन धान संग्रहण केन्द्र पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य लं. 250 मीटर	कार्य प्रगति पर
36	लोहण्डीगुड़ा	बदरेंगा पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	दिनांक 14.02.2022 को स्वीकृति पत्र जारी।
37	लोहण्डीगुड़ा	आंजेर पहुंच मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	दिनांक 14.02.2022 को स्वीकृति पत्र जारी।
38	लोहण्डीगुड़ा	मटनार से डोलेपारा मार्ग कि.मी. 1 से 2 = 2.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	दिनांक 14.02.2022 को स्वीकृति पत्र जारी।
39	लोहण्डीगुड़ा	तोयर से सुरगुड़ा मार्ग कि.मी. 1 से 5 = 5.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	दिनांक 14.02.2022 को स्वीकृति पत्र जारी।
40	लोहण्डीगुड़ा	उसरीबेड़ा से कुम्हली मार्ग कि.मी. 1 से 3 = 3.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	दिनांक 14.02.2022 को स्वीकृति पत्र जारी।
41	लोहण्डीगुड़ा	उपसंभाग लोहण्डीगुड़ा के अंतर्गत सेक्शन में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य	कार्य प्रगति पर
42	लोहण्डीगुड़ा	जिला-बस्तर बिन्ता-सतसपुर- धर्माबेड़ा मार्ग के कि.मी. 1/2-4 में इन्द्रावती नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	कन्फरमेंट्री बोरिंग पूर्ण। पुलिस अधीक्षक, जिला-बस्तर द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कार्यस्थल पर सुरक्षा कैम्प बनने तक कार्य प्रारंभ नहीं करने हेतु लेख किया गया है।

क्र.	विकासखण्ड का नाम	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति (12.02.2022 तक)
1	2	3	4
43	दरभा	जिला बस्तर के बुड़गीभाटा से चीतापुर मार्ग लं. 7.00 किमी. पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	दिनांक 16.02.2022 को द्वितीय निविदा आमंत्रित
44	दरभा	जिला बस्तर के मण्डवा काकड़ीपदर पटेलपारा ढोढरेपाल मार्ग निर्माण कार्य लं. 5.00 किमी. पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	दिनांक 16.02.2022 को द्वितीय निविदा आमंत्रित
45	दरभा	डिलमिली डोडरेपाल मार्ग के कि.मी. 1 से 4 = 4.00 कि.मी. में डामर नवीनीकरण कार्य	कार्य पूर्ण
46	दरभा	उपसंभाग दरभा के दरभा उपखंड के अंतर्गत सेक्शन में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य	कार्य प्रगति पर
47	दरभा	उपसंभाग दरभा के दरभा उपखंड के मार्ग एवं पुल-पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य	कार्य प्रगति पर
48	बास्तानार	उपसंभाग दरभा के बास्तानार उपखंड के अंतर्गत सेक्शन में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य	कार्य प्रगति पर
49	बास्तानार	उपसंभाग दरभा के बास्तानार उपखंड के मार्ग एवं पुल-पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य	कार्य प्रगति पर
50	बास्तानार	जिला बस्तर के मूतनपाल बाजारपारा से कुमापारा मार्ग के कि.मी. 3/2 मांडर नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	बोर्सिंग कार्य पूर्ण। क्रास ड्रेनेज कार्य खुदाई प्रगति पर
51	बास्तानार	जिला बस्तर के लालागुड़ा रावतपारा से पुजारीपारा मार्ग के कि.मी. 1/4 मांडर नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य।	पीयर पी3, पी4 पाईल बोर पूर्ण, पी1, पी2 पाईल बोर प्रगति पर पहुंच मार्ग में मिट्टी कार्य प्रगति


 मुख्य अभियंता
 कार्या. प्रमुख अभियंता
 लो.नि.वि. नवा रायपुर
 अटल नगर (छ.ग.)

पारोक्ष - अनठावन
अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 649) की जानकारी

01 दिसम्बर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक जांजगीर-चांपा जिले में धान खरीदी की जानकारी

(मात्रा में. टन में)

क्र.	धान खरीदी केन्द्र का नाम	खरीदे गये धान की मात्रा
1	अकलतरा	2825.08
2	अकलतरी	3832.96
3	अकलसरा	3280.00
4	अड़भार	2962.84
5	बूंदेली	2729.48
6	बंदोरा	1605.16
7	अफरीद	4299.32
8	अमलडीहा	6020.80
9	अमोदा	2745.64
10	भैसदा	2713.80
11	अमोरा	3176.24
12	असौदा	4585.40
13	आमगांव	3032.92
14	कांशीगढ़	2328.84
15	आमनदुला	1759.08
16	उच्चभिट्ठी	2258.00
17	ओड़ेकेरा	4454.64
18	कचंदा	4357.92
19	कटेकोनी छोटे	1857.56
20	कुटरा	4478.08
21	कुटराबोड़	3912.96
22	कड़ारी	2201.00
23	कैथा	2553.32
24	जमडी	1676.16
25	कनेटी	1969.56
26	कमरीद	3200.48
27	अमरुआ	2124.60
28	कुम्हारीकला	1644.64
29	करनौद	4785.96

30	बन्सुला	1040.20
31	करुमहू	4448.40
32	करा	3222.64
33	करापाली	2738.68
34	केरा	4557.48
35	कलमा	2133.08
36	पलसदा	1234.20
37	कंवली	4163.64
38	कुसमुल	2416.08
39	कापन	3551.04
40	कांसा	3494.84
41	किकिरदा	4091.76
42	किरारी	3069.04
43	किरारी	3274.76
44	किरारी	4321.48
45	कोटगढ़	5308.32
46	कोटमी	5604.08
47	कोटमी	2900.32
48	कोड़ाभाठ	5495.64
49	कोरबी	3768.76
50	बुड़गहन	1974.20
51	कोसमंदा	3451.88
52	कोसला	6529.08
53	कोसा	5205.76
54	खजुरानी	3319.20
55	खैजा	5655.40
56	बरगंवा	2532.00
57	खैरा	4005.16
58	खरौद	3730.80
59	खिसोरा	4706.00
60	खिसोरा	6262.28
61	खोखरा	4434.00
62	खोरसी	3690.72
63	गिधौरी	2157.16
64	कामता	3259.28
65	गोधना	4747.68

66	गौद	4993.64
67	घुठिया	3461.64
68	घिवरा	2282.68
69	मल्दा	2301.00
70	घोघरी	2570.84
71	चंद्रपुर	3693.88
72	चरौदा	4339.20
73	चाम्पा	1717.20
74	चिस्दा	3786.24
75	झरप	1368.88
76	खपरी	2359.72
77	चोरभट्टी	3850.88
78	चोरिया	4408.00
79	छपोरा	3323.88
80	अरसिया	1388.24
81	जैजैपुर	3785.52
82	जर्वे	4641.96
83	जर्वे	5809.00
84	जेवरा	4981.20
85	जवाली	2904.00
86	जांजगीर	5562.28
87	नैला	2385.40
88	जावलपुर	5295.64
89	झरना	2718.28
90	झर्रा	4722.92
91	चिखलरौंदा	969.24
92	झालरौंदा	4259.76
93	ठठारी	5244.04
94	डभरा	5312.44
95	रामभाठा	1196.20
96	डभराखुर्द	2488.20
97	डूमरपारा	2665.80
98	डोंगाकोहरौंद	5140.92
99	डोंगिया	2394.12
100	डोइकी	2894.00
101	तनौंद	4244.12

102	तरौद	1227.72
103	किरित	3206.60
104	तुलसी	6784.88
105	तुषार	3366.40
106	तालदेवरी	4919.32
107	तागा	2041.68
108	तिलई	4349.00
109	दतौद	3787.72
110	दर्भाठा	3404.00
111	दरी	4158.76
112	देवगांव	2902.52
113	देवरघटा (जयजयपुर)	4174.84
114	भातमाहल	2177.72
115	देवरघटा (डभरा)	4685.40
116	बरतुंगा	1646.56
117	देवरमाल	4787.44
118	दारंग	2259.40
119	धनगांव	2674.08
120	धुरकोट	3254.52
121	धुरकोट	3573.52
122	बुडेना	3276.20
123	धाराशिव	3809.12
124	नगरदा	4159.24
125	नंदेली	3734.16
126	नरियरा	5625.56
127	नरियरा	3096.12
128	नवागढ़	4447.16
129	बरगांव	2779.24
130	नवापारा (मालखरौदा)	2337.68
131	पकरिया	4692.52
132	पकरिया (अकलतरा)	4149.64
133	पकरिया	1858.04
134	पुटीडीह	2210.64
135	पतेरापाली	2492.32
136	पहरिया	4696.12
137	पामगढ़	4742.56

138	पिरदा	3546.12
139	पिसौद	4855.68
140	पिहरीद	4128.00
141	अमलीपाली	3797.04
142	पोड़ी	4233.48
143	पोड़ीशंकर	4388.80
144	करीगाँव	1400.24
145	पोता	3533.52
146	नवापाराकला	2297.08
147	पोरथा	2817.72
148	फगुरम	5315.36
149	भाटा	3514.00
150	गोबरा	2591.52
151	फरसवानी	2704.28
152	गतवा	1900.32
153	बक्सरा	3361.44
154	टूडरी	2718.00
155	बघौद	3194.80
156	बड़ेकटेकोनी	2705.68
157	बडेपाइरमुड़ा	2567.96
158	बडेेरबेली	2789.28
159	नगझर	1446.28
160	बडेसीपत	3563.92
161	बनारी	4396.00
162	बम्हनीनडीह	4081.24
163	बरपाली	2935.12
164	बेल्हाडीह	2746.72
165	बलौदा	3697.20
166	बाराद्वार	3392.84
167	बाराद्वार बस्ती	4622.80
168	बारापीपर	2844.28
169	बिर्वा	4088.32
170	बोड्सरा	2514.20
171	भठोरा	2335.68
172	भदरा	1954.00
173	भैंसतरा	3912.44

174	भैंसो	6436.24
175	भिलौनी	4761.44
176	भोथिया	2736.64
177	सलनी	2178.52
178	भोथीडीह	2988.48
179	मेंड	5660.84
180	मुक्ता	2500.52
181	जमगहन	1290.64
182	मुक्ता	1919.32
183	मड़वा	3542.00
184	मड़वा	4330.16
185	भडेसर	2379.60
186	मुनुन्द	1572.20
187	कोनारगढ़	2590.04
188	मुलमुला	3595.24
189	मसनियाखुर्द	2584.80
190	अमोरा	3030.92
191	महंत	2717.80
192	चारपारा	2082.12
193	बछोद	1724.32
194	महुदा	1215.12
195	मेंहदी	3882.00
196	मालखरौदा	2856.28
197	मिसदा	4967.52
198	मोहन्दीकलाँ	3018.00
199	रगजा	2903.92
200	रेड़ा	3557.48
201	रसौटा	4192.64
202	रायपुरा	4467.04
203	राहौद	5170.36
204	लखाली	3635.84
205	लगरा	1959.80
206	सिल्ली	2220.24
207	लवसरा	3369.72
208	लोहर्सी	6216.20
209	कटौद	3522.72

210	नेगुरडीह	2502.16
211	शिवरीनारायण	7774.00
212	सक्ति	2970.00
213	सकरा	3487.64
214	सकरेली	2908.40
215	सकराली	2418.12
216	सेंदरी	3181.84
217	सपोस	5685.36
218	सेमरा	5595.80
219	सरखो	4633.24
220	सरहर	4539.44
221	सरागांव	4259.40
222	सनखन	5944.48
223	ससहा	3882.12
224	सांकर	2699.36
225	रोगदा	1717.36
226	सिंउड़	1962.68
227	सिंघरा	2518.28
228	सिंघीतराई	1442.12
229	सिरियागढ़	5466.64
230	सिलादेही	2663.28
231	सिवनी	4083.00
232	सिवनी	4635.04
233	सोंठी (चाम्पा)	5872.12
234	सोंठी (सक्ती)	3546.56
235	सुलौनी	1257.20
236	सोनादुला	2062.16
237	हरदी	3882.80
238	हरदीडीह	2683.36
239	हसौद	4796.76


अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 स्वच्छ नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

परिशेष - उन्सठ

अतारोकेत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 657) को जानकारी

नगर पंचायत जैपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा आमंत्रण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2020-21	अधोसंरचना	11731/27.02.2021	वार्ड क्रमांक 02 बंटी साहू घर से न्यायालय तक सी.सी.रोड निर्माण	8.54	24-03-2021	नहीं	-
2				वार्ड क्रमांक 04 बंधवा तालाब से बरगद पेड से बेलघाट तक सी.सी.रोड निर्माण	7.93	24-03-2021	नहीं	-
3				वार्ड क्रमांक 09 मंडली चौक से राम मंदिर से लेकर पपु अग्रवाल घर तक सी.सी.रोड निर्माण	13.74	24-03-2021	नहीं	-
4				वार्ड क्रमांक 15 रामसाय घर से बल्लु घर होते हुए घसिया बर्मन घर तक सी.सी.रोड निर्माण	1.62	24-03-2021	नहीं	-
5				वार्ड क्रमांक 02 बंटी साहू घर से व्यावहार न्यायालय तक सी.सी.नाली निर्माण	7.55	24-03-2021	नहीं	-
6				वार्ड क्रमांक 02 पवन घर से मेन रोड तक नाली निर्माण	2.34	24-03-2021	नहीं	-
7				वार्ड क्रमांक 06 सुखन यादव घर से मेनरोड तक नाली निर्माण	2.16	24-03-2021	नहीं	-
8				वार्ड क्रमांक 08 यादराम चन्द्रा घर से नथुराम चन्द्रा घर तक नाली निर्माण	3.24	24-03-2021	नहीं	-
9				वार्ड क्रमांक 12 प्रभाती श्रीवास घर से उनके बाड़ी तक नाली निर्माण	1.08	24-03-2021	नहीं	-
10				वार्ड क्रमांक 13 बंधवा तालाब के आउट लेट से आजाद घर के पीछे तक नाली निर्माण	1.80	24-03-2021	नहीं	-
11			11841/01.03.2021	कुचडिया चौक में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.88	24-03-2021	नहीं	-
				योग :-	65.88		-	
1	2021-22 (10 फरवरी 2022 तक)	अधोसंरचना		महायोग :-	65.88		-	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

नगर पंचपायत जैजैपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि रू. (लाख में)	निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा आमंत्रण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2020-21	राज्य प्रवर्तित योजना	2224/05.11.2020	पौनी पसारी बाजार	30.00	भू अधिपत्य अप्राप्त होने के कारण निविदा आमंत्रित नहीं की गई है।	नहीं	-	
योग									
2	2021-22 (10 फरवरी 2022 तक)	निरंक							
कुल योग					30.00				


नगर पंचायत जैजपुर में स्वीकृत निर्माण कार्य

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृति आदेश क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा आमंत्रण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है।	प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	वर्ष 2020-21	केन्द्र प्रवर्तित योजना (14वें वित्त आयोग)	7069 / 05.11.2020	वार्ड क्रमांक 07 बुन्दु साहू घर से मेनरोड तक सी.सी.रोड निर्माण	9.90	28-12-2020	नहीं	-
2				वार्ड क्रमांक 05 शा.पाठशाला स्कूल से नहर लाल चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	2.61	28-12-2020	नहीं	-
3				वार्ड क्रमांक 11 लखन घर से टिकरा पार तक सी.सी.रोड निर्माण	2.34	28-12-2020	नहीं	-
4				वार्ड क्रमांक 11 घनश्याम चन्द्रा गुरुजी घर से लखन चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	10.82	28-12-2020	नहीं	-
5				वार्ड क्रमांक 02 मेनरोड से परम जायसवाल घर तक सी.सी.रोड निर्माण	10.83	28-12-2020	नहीं	-
6				वार्ड क्रमांक 06 मेनरोड से मुनेश्वर चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	2.95	28-12-2020	नहीं	-
7				वार्ड क्रमांक 08 पुनीराम घर से पीलादाउ घर तक सी.सी.रोड निर्माण	11.05	28-12-2020	नहीं	-
8				वार्ड क्रमांक 12 श्यामबाई कुम्हार घर से शिव घर तक सी.सी.रोड निर्माण	1.57	28-12-2020	नहीं	-

9	वार्ड क्रमांक 09 हरिराम कुम्हार घर से मेनरोड तक आर.सी.सी.नाली ढककन सहित निर्माण	2.43	28-12-2020	नहीं	-
10	वार्ड क्रमांक 01गांधी चन्द्रा घर से देव प्रसाद चन्द्रा घर तक सी.सी.रोड निर्माण	6.69	28-12-2020	नहीं	-
11	वार्ड क्रमांक 12 लाल खान घर से उसमान घर तक सी.सी.रोड निर्माण	3.25	28-12-2020	नहीं	-
12	वार्ड क्रमांक 02 (मेनरोड) न्यायालय होते हुए दिनेश चन्द्रा घर से नहर की ओर सी.सी.रोड निर्माण	6.25	28-12-2020	नहीं	-
13	वार्ड क्रमांक 05 श्याम लाल कुम्हार घर से रजिस्ट्री आफिस तक आर.सी.सी. नाली ढककन सहित निर्माण	6.83	28-12-2020	नहीं	-
योग :-		77.52			
महायोग :-		77.52			
वर्ष 2021-22 (10 फरवरी 2022 तक)	-	0.00	-	-	

15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में (10 फरवरी 2022 तक) कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।


अनुराग आनंद
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परीशेष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 672) की जानकारी

प्रपत्र - अ

दिनांक 31.01.2022 तक की स्थिति में पंजीकृत किसान संख्या एवं धान खरीदी की जानकारी (मात्रा टन में)

क्र.	जिला	पंजीकृत किसान संख्या	धानखरीदीमात्रा
1	बस्तर	49899	153869
2	बीजापुर	15495	61389
3	दन्तेवाड़ा	11136	16891
4	कांकेर	91208	297962
5	कौडागांव	44527	147559
6	नारायणपुर	7096	22199
7	सुकमा	14612	44255
8	बिलासपुर	117276	477862
9	गौरैलापेनड्रामरवाही	19628	66762
10	जांजगीर	199878	810074
11	कोरबा	40537	166555
12	मुंगेली	92188	379768
13	रायगढ़	121037	543324
14	बालोद	138723	510552
15	बेमेतरा	145421	616833
16	दुर्ग	102652	405237
17	कवर्धा	114911	415163
18	राजनांदगांव	211940	809031
19	बलौदाबाजार	177942	679550
20	धमतरी	117361	402936
21	गरियाबंद	81573	318886
22	महासमुंद	150220	722151
23	रायपुर	128780	485286
24	बलरामपुर	43300	191557
25	जशपुर	32183	148605
26	कोरिया	33829	131045
27	सरगुजा	49613	216815
28	सूरजपुर	52310	247254
योग		2405275	9489370


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र - ब

जिले की बफर लिमिटकी जानकारी

क्र.	जिला	उपार्जन केन्द्रों की बफर लिमिट (मात्रा क्विंटल में)	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	बस्तर	900	17255
2	बीजापुर	1000	15825
3	दन्तेवाड़ा	500	2800
4	कांकेर	700	8000
5	कोंडागांव	2000	8024
6	नारायणपुर	1000	3900
7	सुकमा	769	10000
8	बिलासपुर	339	11804
9	गौरैलापेन्द्रा मरवाही	1833	8300
10	जांजगीरचाम्पा	310	16700
11	कोरबा	1300	14606
12	मुंगेली	1300	5500
13	रायगढ़	1500	21100
14	बालोद	1500	21000
15	बेमेतरा	5000	15000
16	दुर्ग	2000	16200
17	कवर्धा	1017	10900
18	राजनांदगांव	1000	16739
19	बलौदाबाजार	1000	10840
20	धमतरी	2929	14648
21	गरियाबंद	2000	14900
22	महासमुंद	2000	17031

निरंतर.....

//२//

23	रायपुर	500	22700
24	बलरामपुर	2600	13500
25	जशपुर	1000	42000
26	कोरिया	1500	12900
27	सरगुजा	3900	30000
28	सुरजपुर	600	15000


अनुभाग अधिकारी
कक्ष क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - इकसठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 673) की जानकारी

नगर पालिक निगम दुर्ग

क्र.	वर्ष	आदेश क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	राशि रु.
1	2019-20	1826 / 10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	324400.00
		3074 / 09.09.2019	सामुदायिक शौचालयों में आई.ई.सी हेतु	297924.00
		3076 / 09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	544800.00
		4006 / 21.10.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्टार रेटिंग की तैयारी हेतु	1000000.00
		4875 / 23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	319000.00
		17 / 02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	990000.00
2	2020-21	3181 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई.सी. हेतु	448716.00
		3185 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	64000.00
		3183 / 11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	300000.00
		4602 / 15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	205000.00
3	2021-22	1457 / 07.07.2021	सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु	877728.00
		3372 / 24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैम्पेन आयोजन हेतु	28300.00
		5572 / 07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	240000.00

नगर पालिक निगम भिलाई

1	2019-20	3076 / 09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	544800.00
		4006 / 21.10.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्टार रेटिंग	250000.00
		4875 / 23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	319000.00
		12979 / 20.11.2019	अतिरिक्त वाहन, उपकरण क्रय एवं कम्पोस्ट भोड निर्माण	37880300.00
		714 / 07.02.2020	म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्य हेतु	50000000.00
		13719 / 04.12.2019	ई-रिक्शा क्रय	24750000.00
		17 / 02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	1350000.00
2	2020-21	3183 / 11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	800000.00
		4602 / 15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	205000.00
3	2021-22	1457 / 07.07.2021	सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु	1014288.00
		2581 / 24.08.2021	सीटी/पीटी में वॉल पेंटिंग स्लोगन पोस्टर	1000000.00
		3372 / 24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैम्पेन आयोजन हेतु	28300.00
		5572 / 07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	240000.00

नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा

1	2019-20	1826 / 10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	324400.00
		3074 / 09.09.2019	सामुदायिक शौचालयों में आई.ई.सी हेतु	136752.00
		3076 / 09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	485600.00
		4006 / 21.10.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्टार रेटिंग की तैयारी हेतु	1000000.00

क्र.	वर्ष	आदेश क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	राशि रु.
	2019-20	4875/23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	268000.00
		17/02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	810000.00
2	2020-21	3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	205968.00
		3185/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	64000.00
		3183/11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	300000.00
		4602/15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	150000.00
3	2021-22	1457/07.07.2021	सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु	497024.00
		3372/24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैपेन आयोजन हेतु	28300.00
		5572/07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	240000.00
नगर पालिक निगम रिसाली				
1	2020-21	3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	191256.00
		3185/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	64000.00
		3183/11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	300000.00
		4145/25.01.2021	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020-21 के व्यापक प्रचार-प्रसार	2000000.00
		4602/15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा	150000.00
2	2021-22	1457/07.07.2021	सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज हेतु	684608.00
		3372/24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैपेन आयोजन हेतु	28300.00
		5572/07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	240000.00
3		4524/22.11.21	ई-रिक्शा	8580000.00
नगर पालिका अहिवारा				
1	2019-20	1826/10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	130200.00
		3074/09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	39072.00
		3076/09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	183400.00
		4875/23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	116000.00
		17/02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	630000.00
2	2020-21	3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	58848.00
		3185/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	33000.00
		3183/11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	100000.00
		4602/15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	88000.00
3	2021-22	3372/24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैपेन आयोजन हेतु	16200.00
		5572/07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	120000.00
नगर पालिका जामुल				
		1826/10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	130200.00

क्रं.	वर्ष	आदेश क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	राशि रू.
1	2019-20	3074/09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	68376.00
		3076/09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	183400.00
		4875/23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	116000.00
		17/02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	630000.00
2	2020-21	3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	102984.00
		3185/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	33000.00
		3183/11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	100000.00
		4602/15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	88000.00
3	2021-22	3372/24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैंपेन आयोजन हेतु	16200.00
		5572/07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	120000.00
		4524/22.11.21	ई-रिक्शा क्रय	1072500.00
नगर पालिका कुम्हारी				
1	2019-20	1826/10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	130200.00
		3074/09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	29304.00
		3076/09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	183400.00
		4875/23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	116000.00
		17/02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन	630000.00
2	2020-21	3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	44136.00
		3185/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	33000.00
		3183/11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	120000.00
		4602/15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	88000.00
3	2021-22	3372/24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैंपेन आयोजन हेतु	16200.00
		5572/07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	120000.00
		4524/22.11.21	ई-रिक्शा क्रय	1029600.00
नगर पंचायत उतई				
1	2019-20	1826/10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	96000.00
		3074/09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	4884.00
		3076/09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	92200.00
		4875/23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय	65500.00
		17/02.01.2020	बेलिंग मशीन एवं फटका मशीन	630000.00
		3181/11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	7356.00

क्रं.	वर्ष	आदेश क्रमांक / दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	राशि रु.
2	2020-21	3185 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	24000.00
		3183 / 11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	80000.00
		4602 / 15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	23520.00
3	2021-22	3372 / 24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैम्पेन आयोजन हेतु	11100.00
		5572 / 07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	60000.00
		4524 / 22.11.2021	ई-रिक्शा क्रय	1072500.00
नगर पंचायत पाटन				
1	2019-20	1826 / 10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	96000.00
		3074 / 09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	29304.00
		3076 / 09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	92200.00
		4875 / 23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय	65500.00
		17 / 02.01.2020	बैलिंग मशीन एवं फटका मशीन	630000.00
2	2020-21	3181 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	44136.00
		3185 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	24000.00
		3183 / 11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	80000.00
		4602 / 15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	23520.00
		5399 / 12.03.2021	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वाल पेटिंग	1000000.00
3	2021-22	3372 / 24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैम्पेन आयोजन हेतु	11100.00
		5572 / 07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	60000.00
		4524 / 22.11.2021	ई-रिक्शा क्रय	1716000.00
नगर पंचायत धमधा				
1	2019-20	1826 / 10.07.2019	स्वच्छता पर आधारित समर प्रोजेक्ट	96000.00
		3074 / 09.09.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालयों में बैनर एवं साईनेज	29304.00
		3076 / 09.09.2019	प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020	92200.00
		4875 / 23.11.2019	स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत कार्यशाला, नुक्कड़-नाटक, वाल पेटिंग, सिटीजन फीडबैक एवं सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय	65500.00
		17 / 02.01.2020	बैलिंग मशीन एवं फटका मशीन क्रय	630000.00
2	2020-21	3181 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत सार्वजनिक शौचालय में आई.ई. सी. हेतु	44136.00
		3185 / 11.12.2020	स्वच्छता सर्वेक्षण 1 सीजी ऑनलाईन प्रतियोगिता	24000.00
		3183 / 11.12.2020	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 डिजिटल वाल पेटिंग हेतु	80000.00
		4602 / 15.02.2021	स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन	23520.00
3	2021-22	3372 / 24.09.2021	आजादी का अमृत महोत्सव, कैम्पेन आयोजन हेतु	11100.00
		5572 / 07.02.2022	आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत चौराहों का सौन्दर्यीकरण एवं ब्रांडिंग कार्य हेतु	60000.00

क्रं.	वर्ष	आदेश क्रमांक/दिनांक	स्वीकृत कार्य का नाम	राशि रू.
-------	------	------------------------	----------------------	----------



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया भवन, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष्ट - बेंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 686) की जानकारी

बालोद जिले में धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन/दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थलों की श्रेणी सहित स्थलवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	पर्यटन स्थल	पर्यटन स्थल की श्रेणी	मुख्य दर्शनीय स्थल
1	बालोद	पुरातात्विक, धार्मिक	कपिलेश्वर तालाब, प्राचीन मंदिर, सियादेही
2	तांदुला	जलाशय	बांध दृश्य, दल्ली राजहरा (माइंस), भोला पठार (ग्राम पर्रेगुड़ा)
3	श्री गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ (चौरेल)	धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक	9वीं से 11वीं सदी के मध्य हथवंशी राजवंश कल्चूरी कालीन प्राचीन मूर्तियां, कुण्ड (बाउली), श्री विमल वैदिक सेवा आश्रम, एवं श्री सदगुरु कबीर घाट
4	नर्मदा धाम ग्राम (सुरसुली)	धार्मिक	जल कुण्ड, कर्मा मंदिर, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर, राम दरबार मंदिर एवं हनुमान मंदिर एवं मोहंदी पाट बाबाधाम (ग्राम मोहदीपाट)



28/02/2022
अनुभाग अधिकारी
पर्यटन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्य - तेरसठ
अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 687) की जानकारी

प्रपत्र-अ

31 जनवरी, 2022 की स्थिति में बालोद जिले में श्रमिकों के पंजीयन की जानकारी

क्र०	मंडल का नाम	श्रमिक श्रेणी	पंजीकृत श्रमिक संख्या
1	छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल	भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक	85059
2	छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल	असंगठित कर्मकार	76908
3	छ०ग० श्रम कल्याण मंडल	संगठित श्रमिक	1752
योग			163719


अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

प्रपत्र-ब

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनायें एवं बालोद जिले में दिनांक 01.01.2021 से 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में योजनावार, विकासखंडवार लाभार्थियों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	ग्रामदल गठन से 31.01.2022 तक लाभार्थित श्रमिक संख्या						महलयोन
		विकासखंड बालोद	विकासखंड गुरुद	विकासखंड गुण्डरेही	विकासखंड डौंडी	विकासखंड जौंडीतोहरा		
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	13	17	28	0	18	76	
2	भूमिहीन प्रयुक्ति सहायता योजना	1270	1483	1338	113	1565	5769	
3	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	1410	1456	1833	338	2269	7306	
4	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	25	42	51	1	69	188	
5	मुख्यमंत्री औजार सहायता योजना	1048	740	1635	278	901	4602	
6	नौजवान छात्रवृत्ति योजना	14205	17896	18604	2230	16181	69116	
7	मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना	622	1034	652	101	665	3074	
8	निर्माणी श्रमिकों के बच्चों हेतु खेल प्रोत्साहन योजना	0	2	0	0	0	2	
9	दुर्घटना में विकिरण सहायता योजना	2	2	3	0	2	9	
10	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सहायिकरण योजना	204	368	133	75	5	785	
11	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2884	2540	3412	541	3336	12713	
12	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	2614	1794	3127	533	2933	11001	
13	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	778	201	604	138	499	2220	
14	निर्माणी ई रिक्शा सहायता योजना	2	0	0	0	1	3	
15	बंदक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	

Prasthig
अनुभाग अधिकारी
हत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

16	भोवाईल यजिरेशन वेन योजना	0	0	0	0	0	0	0
17	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
18	मुख्यमंत्री अटल पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0	0
19	श्रम विज योजना	0	0	0	0	0	0	0
20	प्रधानमंत्री उज्वला योजना	0	0	0	0	0	0	0
21	शहीद वीरनाथायण सिंह श्रम अन्न योजना	0	0	0	0	0	0	0
22	विशेष शिक्षा सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
23	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	0	0	0	0	0	0	0
24	मुख्यमंत्री नोली सशक्तिकरण सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
योग :-		25077	27575	31420	4348	28444	116864	

जनसुधा अधिकारी
उत्पीसगढ़ शासन
श्रम विभाग



छात्रांग असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनायें एवं बालोद जिले में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में योजनावार, विकासखंडवार लाभार्थियों की जानकारी

प्रपत्र-स

क्र.	योजना का नाम	मंडल गठन से 31.01.2022 तक लाभान्वित असंगठित कर्मकारों संख्या						
		बालोद	गुरुर	गुण्डरदेही	डौण्डी	डौण्डीलोहरा	महायोग	
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना	434	148	474	494	275	1825	
2	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना	280	20	131	291	33	755	
3	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना	22	0	0	4	9	35	
4	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	24	21	101	19	25	190	
5	मुख्यमंत्री राजत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना	10	18	63	75	2	168	
6	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना	13	1	2	3	0	19	
7	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	100	240	297	192	199	1028	
8	सफाई कर्मकार श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	16	18	18	9	7	68	
9	ठेका श्रमिकए धरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	208	94	158	363	742	1565	
10	ठेका श्रमिकए धरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	86	36	151	52	102	427	
11	हमाल हेतु जूताए हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना	145	16	19	126	201	507	
12	धरेलू महिला कामगार सायकल छतरी जूता सहायता योजना	2	0	53	156	108	319	
13	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	0	0	4	0	0	4	
14	ई रिक्शा सहायता योजना	0	0	2	0	0	2	
15	असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	328	115	865	343	477	2128	
16	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	119	33	215	43	92	502	
17	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	10	7	16	14	10	57	
18	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	
19	धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
ग्राम विकास

20	ई-टैला सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
21	फूटकर सव्धी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
22	नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
23	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	0	0	0	0	0	0	0
24	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना	0	0	0	0	0	0	0
25	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
26	स्मार्ट वेंडिंग कार्ड (रेडिभेड किचन) सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
27	अटल पेंशन योजना	0	0	0	0	0	0	0
28	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना	0	0	0	0	0	0	0
29	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना	0	0	0	0	0	0	0
30	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
31	सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
32	सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
33	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला	0	0	0	0	0	0	0
34	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0
35	ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगार गंभीर बीमारी चिकित्सा	0	0	0	0	0	0	0
योग		1797	767	2569	2184	2282	9599	


अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनायें एवं बालोद जिले में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में योजनावार, विकासखंडवार लाभार्थियों की जानकारी

क्र.	वर्तमान में संचालित योजना का नाम	लाभान्वित संगठित कर्मकारों संख्या					
		बालोद	गुरुर	गुण्डरदेही	डौण्डी	डौण्डीलोहरा	महायोग
1	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना						
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना						
3	श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना						
4	निःशुल्क सायकल वितरण योजना						
5	निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण योजना						
6	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना						निरंक
7	सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुर्नवास सहायता योजना						
8	स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण						
9	श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता						
10	मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना						
11	श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण						


 अनुभामा अधिकारी
 उत्तीसगढ़ शासन
 श्रम विभाग

परीशोध - चौसठ
अतारोकेत प्रश्न संख्या 43 (क. 695) की जानकारी

रायगढ़ जिला के सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में योजनावार वितरित सामग्रियों एवं प्रदायकर्ता संस्थान का नाम, पता, पंजीयन क्र./दिनांक एवं भुगतान की जानकारी

क्र-	योजना का नाम	सामग्री का नाम	वितरित सामग्री	प्रदायकर्ता एवं संस्थान का नाम	पता	वर्ष 2019-20	
						संस्थान का पंजीयन क्रमांक/दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	राजमिस्त्री टूल किट कारपेंटर टूल किट	27	मेसर्स एन.आर.एसोसिएट मेसर्स हंसराज साईटिफिक मेटल वर्क्स	प्रथम तल उषा प्राइड विधानसभा रोड, मोवा रायपुर 3669 काली बाड़ी रोड अंबाला कैंट हरियाणा	GSTIN22AANFN0395C1Z1 दिनांक 01-07-2017	34992
	योग		38			GSTIN06AFTP7912G1ZE दिनांक 01-07-2017	25586
							60578

टीप :- रायगढ़ जिला के सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में सामग्री वितरण निरंक है।

Rathiy

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
ग्राम विभाग

विषय :- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति।

क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख)		पूर्ण / अपूर्ण
			3	4	
1	2	3	4	5	
	वर्ष 2018-19 (सड़क कार्य)				
1	जिला बिलासपुर के लिमतरा (दर्रीघाट) - खपरी मार्ग का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य लं. 4.00 किमी (वास्तविक लं. 4.50 किमी) (कार्य वर्ष 2017-18)	100.00	785.23	पूर्ण	
2	जिला बिलासपुर के कुटेला से ठाकुरदेवा मार्ग लं. 1.50 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित (वर्ष 2018-19)	36.00	167.31	अपूर्ण	
3	जिला बिलासपुर के अकोला मोड़ से नवागांव मार्ग लं. 1.50 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित (वर्ष 2018-19)	36.00	137.68	अपूर्ण	
4	जिला बिलासपुर के वि.खं. मस्तूरी के ग्राम बहतारा से नहर किनारे होते हुए ग्राम रैलहा (मड़हा) तक मार्ग लं. 4.00 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित (वर्ष 2018-19)	96.00	370.43	अपूर्ण	
5	जिला बिलासपुर के वि.खं. मस्तूरी के ग्राम बहतारा में नेवाड़ी में नेवाड़ी मोड़ से आमगांव तक मार्ग लं. 4.00 किमी में सड़क निर्माण पुल पुलिया सहित (वर्ष 2018-19)	96.00	-	-	
	वर्ष 2019-20 (सड़क कार्य)				
1	जिला बिलासपुर के टेकारी से पथराटाल मार्ग लं. 4.00 किमी (कार्य वर्ष 2019-20)	65.00	598.24	अपूर्ण	
2	जिला बिलासपुर के डोडकी से रिस्दा मार्ग लं. 3.20 किमी पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2019-20)	55.00	-	-	
	वर्ष 2020-21 (सड़क कार्य)				
1	जिला बिलासपुर के शिवटिकारी से चिस्दा मार्ग लं. 6.00 किमी पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	75.00	644.40	अपूर्ण	

क्र.	कार्य का नाम	बजट प्रावधान राशि (लाख में)	प्रशासकीय स्वीकृति		पूर्ण / अपूर्ण
			राशि (लाख)		
1	2	3	4	5	
2	जिला बिलासपुर के बहतारा से आमाकोनी मार्ग लं. 2.00 किमी पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	60.00	-	-	-
3	जिला बिलासपुर के खम्हरिया सोठी नयापारा मार्ग लं. 12.00 किमी उन्नयन पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	60.00	-	-	-
4	जिला बिलासपुर के मोपका खैरा गतौरा जयरामनगर मार्ग (व्हाया गतौरा) में लं. 5.00 किमी का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (कार्य वर्ष 2020-21)	38.00	-	-	-
5	जिला बिलासपुर के गुडी पोड़ी करमा मार्ग लं. 10.20 किमी का उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (कार्य वर्ष 2020-21)	43.00	-	-	-
6	जिला बिलासपुर के ओखर से पचपेड़ी मार्ग लं. 2.00 किमी पुल पुलिया सहित (कार्य वर्ष 2020-21)	65.00	-	-	-
वर्ष 2021-22 (सड़क कार्य)					
1	जिला बिलासपुर के चिल्हाटी से लोहसी रोड चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कार्य लं. 3.00 किमी (कार्य वर्ष 2021-22)	45.00	-	-	-
2	जिला बिलासपुर के गुडी पोड़ी करमा मार्ग का निर्माण लं. 10.20 किमी (कार्य वर्ष 2021-22)	120.00	-	-	-
3	जिला बिलासपुर के चिल्हाटी से गोड़ाडीह मार्ग का निर्माण लं. 3.00 किमी (कार्य वर्ष 2021-22)	30.00	-	-	-
4	जिला बिलासपुर के विद्याडीह से मटिया मार्ग का निर्माण लं. 0.70 किमी (कार्य वर्ष 2021-22)	60.00	-	-	-

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

अनुभाग अधिकारी
मुख्य प्रमुख अभियंता,
कार्या. प्रमुख अभियंता,
लो.नि.वि. नवा रायपुर (छ.ग.)

द्वारा :- माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य विधानसभा
विषय :- मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में ए.आर. मद से निर्माण कार्यों की स्वीकृति।

क्र.	मार्ग का नाम एवं लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाख में)	ठेकेदार का नाम	गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा की गई	अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2018-19					
1	दर्राघाट से लिमतरा मार्ग लं. 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	72.43	मेसर्स सौरभ मिश्रा	बजट में उन्नयन हेतु स्वीकृत होने के कारण कार्य नहीं कराया गया। आवश्यकता नहीं।	-
वर्ष 2019-20					
1	गुड़ी करमा पोड़ी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किमी 1 से 3 = 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	66.54	मेसर्स डी.सी. कन्सक्व्रेशन	हां	अनियमितता नहीं पाई गई।
2	रिस्ता हिर्री मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के किमी 1/2 से 3/10 = 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	67.10	पीएमजीएवाई कोरनेट में स्वीकृत। आवश्यकता नहीं।	-	-
3	जुहली कैमाडीह मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के किमी 1/2 से 2/10 = 2.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	29.10	पीएमजीएवाई कोरनेट में स्वीकृत। आवश्यकता नहीं।	-	-
4	जांजी कौडिया एरमसाही जयरामनगर मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) के किमी 12 से 15 = 4.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	72.49	पीएमजीएवाई कोरनेट में स्वीकृत। आवश्यकता नहीं।	-	-
वर्ष 2020-21					
योग :- 4 कार्य		235.23	-	-	-
निरंक					

क्र.	मार्ग का नाम एवं लम्बाई	स्वीकृत राशि (लाख में)	टेकेदार का नाम	गुणवत्ता की जांच विभाग द्वारा की गई	अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
वर्ष 2021-22 (जनवरी 2022 तक)					
1	भटचौरा से मनवा कुकुर्दी खपरी घोबरी मार्ग लं. 5.60 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	41.90	निविदा स्तर। निविदा खुलने की तिथि 4.3.2022		-
2	पतईडीह जैतपुरी मनवा मार्ग लं. 7.50 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	56.45		-	-
3	भटचौरा रहटाटोर मार्ग लं. 4.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	56.45		-	-
4	झिरिया मंदिर पहुंच मार्ग लं. 0.70 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	8.15	निविदा स्तर। निविदा खुलने की तिथि 4.3.2022	-	-
5	कंवटाडीह टांगर सुलोनी मार्ग लं. 3.00 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	42.34		-	-
6	विद्याडीह भुरकुडा मार्ग लं. 3.50 किमी में डामर नवीनीकरण कार्य	49.39		-	-
	योग :- 6 कार्य	254.68	6 निविदा स्तर।	-	-
	वर्ष 2018 से 2021-22 में जनवरी 2022 तक योग :- 11 कार्य	562.34	1-टेकेदार	1-कार्य	अनियमितता नहीं पाई गई।

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता

कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि.
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पारिशेष - सड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 (क्र. 724) की जानकारी

प्रश्नांश 'ख' भारत सरकार से राज्य शासन को सत्रवार प्राप्त राशि की जानकारी

क्रं.	वित्तीय वर्ष	केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त राशि (करोड़ में)
1	2015-16	4.00
2	2016-17	112.50
3	2017-18	117.50
4	2018-19	138.00
5	2019-20	0.00
6	2020-21	93.00
7	2021-22	78.00
	योग	543.00

स्मार्ट सिटी शहरों द्वारा व्यय एवं शेष राशि की जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्रं.	स्मार्ट सिटी का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	स्मार्ट सिटी द्वारा व्यय राशि	शेष राशि
1	रायपुर	289.00	293.00	582.00	419.17	162.83
2	बिलासपुर	127.00	125.00	252.00	123.32	128.68
3	नवा रायपुर अटल नगर	118.00	118.00	236.00	163.80	72.20
	योग	534.00	536.00	1070.00	706.29	363.71


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

पारिशिष्ट - अडसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 728) को जानकारी

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र. 728 छत्तीसगढ़ विधानसभा

क्र	कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध क्र / कार्यदेश क्र एवं दिनांक / अनुबंध की राशि (लाख में)	कार्य की समाप्ति तिथि	निविदा दर प्रतिशत में (कम/अधिक)	अद्यतन स्थिति	व्यय राशि (लाख में)	कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो उस पर की गई कार्यवाही	रिपोर्ट	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के कि.मी. 132.800 से कि.मी. 142.800 (कांकर शहर) एवं कि.मी. 162.600 से कि.मी. 167.000 (केशकाल घाट) क्षेत्र का ई.पी.सी. अनुबंध के तहत जोखिम एवं व्यय अंतर्गत बी.टी. पैच मरम्मत का कार्य।	61.52	मेसर्स शिवाय कंस्ट्रक्शन कांकर	16 डी.एल / 2020-21 2800/22-12-2020 87.18 लाख	03 माह वर्षा ऋतु सहित दिनांक 06.04.2021	06.04.2021 प्रथम समयावधि 15.07.2021 द्वितीय समयावधि 15.12.2021	9.20% अधिक	माह जनवरी 2021 में कि.मी. 135.00 से 142.00 (गोविंदपुर से सिंगारघाट) एवं कि.मी. 162.600 से 167.000 (केशकाल घाट) के मध्य पैच मरम्मत कार्य किया गया है। व्यय राशि 18.95 लाख माह जून 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य कि.मी. 132.600 से 142.000 (माकडी से सिंगारघाट) के मध्य पैच मरम्मत कार्य किया गया है। व्यय राशि 23.91 लाख	42.86	पैच कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	कार्य प्रगति पर है। विभाग के द्वारा ठेकेदार को शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र 2463 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा अनुबंध के क्लॉज 3 के तहत कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के परभाव तैकेदार के द्वारा माह नवंबर से दिसम्बर 2021 के मध्य कार्य किया गया। ठेकेदार के द्वारा विल्लीय कमी एवं विलम्ब से देयक का भुगतान न होने के कारण कार्य लंबित रखा था। शेष कार्य प्रारंभ करने हेतु पत्र दिनांक 18-02-2022 को नोटिस जारी किया गया है।
2	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 43 (नया रा. क्र. 30) के कि.मी. 130.000 से कि.मी. 180.000 (कांकर से बड़गा खण्ड) के चौकीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत ई.पी.सी. अनुबंध के तहत जोखिम एवं व्यय अंतर्गत मरम्मत का कार्य।	98.68	मेसर्स एम.आर कंस्ट्रक्शन कांकर	11 डी.एल / 2021-22 155/22-01-2022 90.89 लाख	02 माह वर्षा ऋतु सहित दिनांक 06.04.2022	06.04.2022	7.89% कम	कि.मी. 180.00, 179.00 पर बी.टी. पैच मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया है। केशकाल घाट कि.मी. 162.00 से 167.00 पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें 166.00 से 167.00 पर कार्य पूर्ण है।	पैच कार्य की गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	कार्य प्रगति पर	

कार्यपालन अभियंता
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
रायपुर

अध्यक्ष अभियंता
रा.स. मण्डल लो. नि. वि.
रायपुर (छ.ग.)

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारोशेष्ट - उनहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 735) की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
1	नारायणपुर	एडका	452013001	ग्राम पंचायत, एडका
2		बागडोंगरी	452013002	जाग्रति स्व सहायता समूह बागडोंगरी
3		करमरी	452013003	ग्राम पंचायत, करमरी
4		करलखा	452013004	ग्राम पंचायत, करलखा
5		खडकागांव	452013005	ग्राम पंचायत, खडकागांव
6		करलापाल	452013006	ग्राम पंचायत, केरलापाल
7		पालकी	452013007	ग्राम पंचायत, पालकी
8		बिंजली	452013008	ग्राम पंचायत, बिंजली
9		नयानार	452013009	ग्राम पंचायत, नयानार
10		रेमावंड	452013010	ग्राम पंचायत, रेमावंड
11		फरसगांव	452013011	ग्राम पंचायत, फरसगांव
12		बागबेड़ा	452013012	ग्राम पंचायत, बागबेड़ा
13		दण्डवन	452013013	ग्राम पंचायत, दण्डवन
14		मढोनार	452013014	ग्राम पंचायत, मढोनार
15		महिमागवाडी	452013015	ग्राम पंचायत, महिमागवाडी
16		कन्हारगांव	452013016	ग्राम पंचायत, कन्हारगांव
17		धनोरा	452013017	ग्राम पंचायत, धनोरा
18		बडगांव	452013018	ग्राम पंचायत, बडगांव
19		पल्ली	452013019	ग्राम पंचायत, पल्ली
20		तोयनार	452013020	ग्राम पंचायत, तोयनार
21		सुलेंगा	452013021	ग्राम पंचायत, सुलेंगा (धौडाई)
22		आमासरा	452013022	ग्राम पंचायत, आमासरा
23		सोनपुर	452013023	ग्राम पंचायत, सोनपुर
24		कुदरगांव	452013024	ग्राम पंचायत, कुदरगांव
25		बेनूर	452013025	वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय समिति लेम्पस बेनूर
26		छोटेडोंगर	452013026	वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देश्यीय समिति लेम्पस छोटेडोंगर
27		धौडाई	452013027	वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय समिति, धोडाई
28		भाटपाल	452013028	ग्राम पंचायत भाटपाल

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
29		देवगांव	452013029	माँ दंतेश्वरी स्व सहायता समूह, देवगांव
30		गरांजी	452013030	मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह, गरांजी
31		गढबैंगाल	452013031	मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह, गढबैंगाल
32		टिमनार	452013032	ग्राम पंचायत टिमनार
33		हलामीमूंजमेटा	452013033	मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह, हलामीमूंजमेटा
34		सुलेंगा	452013034	कल्पना महिला स्व सहायता समूह सुलेंगा (गुरिया)
35		बाकुलवाही	452013035	माँ भवानी स्व सहायता समूह बाकुलवाही
36		बेलगांव	452013036	अध्यक्ष परियोजना ग्राम समिति बेलगांव
37		कुकडाझोर	452013037	ग्राम पंचायत , कुकडाझोर
38		बडेजम्हरी	452013038	माँ दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह बडेजम्हरी
39		बोरण्ड	452013039	ग्राम पंचायत, बोरण्ड
40		कोंगेरा	452013040	वन सुरक्षा समिति, कोंगेरा
41		ब्रेहबेडा	452013041	राम कृष्ण मिशन संस्था, ब्रेहबेडा
42		गौरदण्ड	452013042	वृहताकार आदिमजाति बहुउद्देश्यीय, गौरदण्ड
43		छिनारी	452013043	ग्राम पंचायत, छिनारी
44		कोलियारी	452013044	वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय समिति, कोलियारी
45		मातला	452013045	वृहताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय समिति, मातला
46		दुगाबैंगाल	462013046	ग्राम पंचायत दुगाबैंगाल
47		बावड़ी	462013047	ग्राम पंचायत बावड़ी
48		नेलवाड़	462013048	ग्राम पंचायत नेलवाड़
49		नाऊमुझमेटा	462013049	ग्राम पंचायत नाऊमुंजमेटा
50		भरण्डा (वनग्राम)	462013050	ग्राम पंचायत भरण्डा
51		टेमरूगांव	462013051	ग्राम पंचायत टेमरूगांव
52		माहका	462013052	ग्राम पंचायत माहका
53		माड़ोकी	462013053	ग्राम पंचायत आमगांव
54		कोरेण्डा	462013054	ग्राम पंचायत कोरेण्डा
55		खोड़गांव	462013055	ग्राम पंचायत खोड़गांव
56		एड़गपाल	462013056	ग्राम पंचायत तुरठा
57		बड़कानार	462013057	ग्राम पंचायत तारागांव
58		बोरावंड	462013058	ग्राम पंचायत बोरावण्ड

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
59		राजपुर	462013059	ग्राम पंचायत राजपुर
60		बोरपाल	462013060	ग्राम पंचायत बोरपाल
61		चांदागांव	462013061	ग्राम पंचायत चांदागांव
62		ताडोपाड	462013062	ग्राम पंचायत ताडोपाल
63		आतरगांव	462013063	ग्राम पंचायत आतरगांव
64		उडीदगांव	462013064	ग्राम पंचायत उडीदगांव
65		खडकागांव	462013065	ग्राम पंचायत खडकागांव ब
66		बम्हनी	462013066	ग्राम पंचायत बम्हनी
67		चमेली	462013067	ग्राम पंचायत चमेली
68		रायनार	462013068	ग्राम पंचायत रायनार
69		4 - बंगलापारा वार्ड	451003001	मार्केटिंग सोसायटी बंगलापारा वार्ड
70		3 - तहसील पारा	451003002	वृत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देशीय समिति लेम्पस नारायणपुर
71		6 - बाजारपारा वार्ड	451003007	विपणन सहकारी समिति, बखरूपारा
72		11 - आश्रम वार्ड	451003011	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर
73		13 - कुम्हारपारा	461003012	महिला वन धन समिति बखरूपारा नारायणपुर
74		15 - डुमरतराई वार्ड	461003013	श्यामा बहुउद्देशीय महिला सहकारी समिति नारायणपुर
75		1 - नयापारा वार्ड	461003016	भारत माता महिला स्व सहायता समूह नयापारा
76		9 - जगदीश मंदिर	461003017	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर
77	ओरछा	हान्दावाड़ा	452014001	ग्राम पंचायत हान्दावाड़ा
78		पीडियाकोट	452014002	ग्राम पंचायत पीडियाकोट
79		कोडोली	452014004	ग्राम पंचायत कोडोली
80		ओरछा	452014005	वृहताकार आदिम जाति, बहुउद्देशीय समिति लेम्पस ओरछा
81		कच्चापाल	452014006	राम कृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर (कच्चापाल)
82		कुन्दला	452014007	राम कृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर (कुन्दला)
83		इरकभट्टी	452014008	राम कृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, इरकभट्टी
84		पदमकोट	452014009	राम कृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर (पदमकोट)
85		आकाबेड़ा	452014010	राम कृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर (आकाबेड़ा)
86		झारावाही	452014011	ग्राम पंचायत झारावाही
87		कोहकामेटा	452014012	ग्राम पंचायत कोहकामेटा
88		गुदाडी	452014013	ग्राम पंचायत गुदाडी

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
89		थुलथुली	452014014	ग्राम पंचायत थुलथुली
90		लंका	452014015	ग्राम पंचायत लंका
91		मुरुमवाड़ा	452014016	ग्राम पंचायत मुरुमवाड़ा
92		कुरुसनार	452014017	वृहताकार आ0जा0बहु0समिति लेम्पस ओरछा (कंदाडी/कुरुसनार)
93		नेड़नार	452014018	ग्राम पंचायत नेड़नार
94		आदनार	452014019	ग्राम पंचायत आदनार
95		पांगुड़	452014020	ग्राम पंचायत पांगुड़
96		मुरनार	452014021	ग्राम पंचायत मुरनार
97		पोचावाड़ा	452014022	ग्राम पंचायत पोचावाड़ा
98		गारपा	452014023	ग्राम पंचायत गारपा
99		घमंडी	452014024	ग्राम पंचायत घमंडी
100		आलबेड़ा (विरान)	452014025	ग्राम पंचायत ,आलबेड़ा (विरान)
101		आदेर	452014026	ग्राम पंचायत आदेर
102		गोमागल	452014027	ग्राम पंचायत गोमागल
103		धुरबेड़ा	462014028	ग्राम पंचायत, धुरबेड़ा
104		कुदुलनार	462014030	ग्राम पंचायत कलमानार
105		गोमे	462014031	ग्राम पंचायत गोमे
106		रेकावाया	462014032	ग्राम पंचायत रेकावाया
107		कौंगे	462014033	ग्राम पंचायत कौंगे
108		मंडाली	462014034	ग्राम पंचायत मण्डाली
109	जाटलूर	462014035	ग्राम पंचायत जाटलूर	
110	हिकुल	462014036	ग्राम पंचायत हिकुल	
111	ढोडरबेड़ा	462014037	ग्राम पंचायत ढोडरबेड़ा	
112	मेटानार	462014039	ग्राम पंचायत मेटानार	
113	कोणडागांव	टेमरूगांव	452008002	ग्राम पंचायत टेमरूगांव
114		कौंगेरा	452008027	ग्राम पंचायत कौंगेरा
115		बयानार	452008028	ग्राम पंचायत बयानार
116		केजंग	452008029	ग्राम पंचायत केजंग
117		नरिहा	452008030	ग्राम पंचायत नरिहा
118		आदनार	452008031	ग्राम पंचायतए आदन्नार

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
119		हंगवा	452008032	वन सुरक्षा समिति हंगवा
120		सोनाबाल	452008054	ग्राम पंचायत सोनाबाल
121		मडानार	452008055	महिला स्व सहायता समूह मडानार
122		बोरगांव	452008056	वन सुरक्षा समिति बोरगांव
123		छोटेउसरी	452008057	ग्राम पंचायत छोटेउसरी
124		लखापुरी	452008058	ग्राम पंचायत लखापुरी
125		गोलावण्ड	452008059	वन सुरक्षा समिति गोलावण्ड
126		खण्डाम	452008060	ग्राम पंचायत खण्डाम
127		खचगाव	452008068	महिला स्व सहायता समूह खचगांव
128		कांगा	452008069	ग्राम पंचायत कांगा
129		मर्दापाल	452008070	आदिमजाति सहकारी समिति मर्दापाल
130		नवागांव	452008071	गुडमाता स्व सहायता समूह नवागांव
131		हडेली	452008072	माँ दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह हडेली
132		कडेनार	452008073	ग्राम पंचायत कडेनार
133		रानापाल	452008074	वन सुरक्षा समिति रानापाल
134		बडे कुरुषनार	452008075	महिला स्व सहायता समूह बडे कुरुषनार
135		पुसपाल	452008076	माँ दन्तेश्वरी स्व सहायतासमूह पुसपाल
136		खडपड़ी	452008077	ग्राम पंचायत खडपडी
137		हसलनार	452008078	माँ दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह हसलनार
138		मटवाल	452008079	ग्राम पंचायत मटवाल
139		कुधुर	452008080	ग्राम पंचायत कुधुर
140		मूलानार	482008083	महिला स्व सहायता समूह मूलानार
141		नाहकानार	482008084	ग्राम पंचायत नहाकानार
142		झारा	482008085	ग्राम पंचायत झारा
143		तोतर	482008087	ग्राम पंचायत तोतर
144		पाला	482008088	ग्राम पंचायत पाला
145		बोटी कनेरा	482008089	ग्राम पंचायत बोटी कनेरा
146		मडागाव	482008091	ग्राम पंचायत मडागाव
147		रैगागोदी	482008092	ग्राम पंचायत रैगागोदी
148		जोडेगा	482008094	ग्राम पंचायत जोडेगा

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
149		टेकापाल	482008095	ग्राम पंचायत टेकापाल
150		पोलंग	482008096	मां दन्तेश्वरी स्व सहायता समूह पोलंग
151		तुमडीवाल	482008097	ग्राम पंचायत तुमडीवाल
152		बेचा	482008098	महिला स्व सहायता समूह
153		हथकली	482008099	महिला स्व सहायता समूह हथकली
154		चांगेर	482008102	ग्राम पंचायत चांगेर
155		चेरंग	482008105	बेलोसा स्व सहायता समूह चेरंग
156		कचोरा	482008106	विकास स्व सहायता समूह कचोरा
157		बेतबेडा ;वनग्रामद्व	482008108	ग्राम पंचायत बेतबेडा
158		तोडम	482008112	ग्राम पंचायत तोडम
159		बादालूर	482008113	गौरी स्व सहायता समूह बादालूर
160		चेमा	482008114	ग्राम पंचायत चेमा
161		मयुरडोंगर	482008118	ग्राम पंचायत मयूरडोंगर
162		जोगी आलवाड	482008120	ग्राम पंचायत जोगी आलवाड
163		मुंगवाल	482008121	ग्राम पंचायत मुंगवाल
164		पदनार	482008123	मा पार्वती स्व सहायता समूह पदनार
165		कोरमेल	482008124	कार्तिक महिला स्व सहायता समूह कोरमेल
166		पेरमापाल	482008125	ग्राम पंचायत पेरमापाल
167	बस्तर	सालेमेटा-1	452002001	अमीन मां महिला स्व- सहायता समूह सालेमेटा
168		पखनाकौंगेरा	452002002	तुलसी माता महिला स्व- सहायता समूह पखनाकौंगेरा
169		खडसरा	452002003	निर्मल महिला स्व-सहायता समूह खडसरा
170		तुरपुरा-1	452002004	चांदनी चौक महिला स्व- सहायता समूह तुरपुरा
171		केशरपाल	452002005	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या- केशरपाल
172		सोरगांव	452002006	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या- सोरगांव
173		जामगांव	452002007	ग्राम पंचायत जामगांव
174		विश्रामपुरी	452002008	पलास महिला कल्याण आवाम संस्थान समिति जगदलपुर
175		भानपुरी	452002009	मा दन्तेश्वरी नारी संबल दुर्गा स्व-सहायता समूह धानादई भानपुरी
176		मुरकुची	452002010	पलास महिला कल्याण आवाम संस्थान समिति जगदलपुर
177		कुम्हली	452002011	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह कुम्हली
178		नंदपुरा	452002012	जय मां लक्ष्मी स्व- सहायता समूह नंदपुरा

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
179		बनियागांव	452002013	ग्राम पंचायत बनियागांव
180		फाफनी	452002015	ग्राम पंचायत फाफनी
181		करन्दोला	452002016	ग्राम पंचायत करन्दोला
182		बोडनपाल	452002017	ग्राम पंचायत बोडनपाल
183		बाकेल	452002018	वन श्रीमां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह अमलीगुडा
184		कुगारपाल	452002019	किसान महिला स्व-सहायता समूह कुगारपाल
185		चेराकुर	452002020	ग्राम पंचायत चैराकुर
186		पाथरी	452002021	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था नारायणपाल
187		गोडियापाल	452002022	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या- मुण्डागांव
188		कावडगांव	452002023	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या- मुण्डागांव में संलग्न।
189		मांदलापाल	452002024	ग्राम पंचायत मांदलापाल
190		बडेआमाबाल	452002025	वन सुरक्षा समिति बडे आमाबाल
191		चमिया	452002026	ग्राम पंचायत चमिया
192		देवडा	452002027	ग्राम पंचायत देवडा
193		सोनारपाल	452002028	जिला विपणन सहकारी समिति जगदलपुर
194		चपका	452002029	मां दन्तेश्वरी स्व-सहायता समूह चपका
195		सिवनी	452002042	उपभोक्ता भण्डार सिवनी
196		राजपुर	452002043	ग्राम पंचायत राजपुर
197		मुण्डागांव	452002044	उपभोक्ता भण्डार मुण्डागांव
198		गुनपुर	452002045	जय दुर्गा स्व-सहायता समूह गुनपुर
199		गुरिया	452002046	वन सुरक्षा समिति गुरिया
200		सुधापाल	452002047	ग्राम पंचायत सुधापाल
201		रतैगा-1	452002048	ग्राम पंचायत रतैगा-1
202		कुरुषपाल	452002049	जागृति महिला स्व सहायता समूह कुरुषपाल
203		नारायणपाल	452002050	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या- घोटिया में संलग्न।
204		घोटिया	452002051	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या- घोटिया
205		सालेमेटा-2	452002060	ग्राम पंचायत सालेमेटा-2
206		छोटेआमाबाल	452002076	जीवन महिला स्व-सहायता समूह
207		तारागांव	452002077	जिला विपणन सहकारी समिति जगदलपुर
208		छुरांवण्ड	452002078	ग्राम पंचायत छुरांवण्ड

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम	उचित मूल्य दुकान की आई.डी. क्रमांक	दुकान संचालनकर्ता एजेंसी का नाम
209		तिरथा	452002079	ग्राम पंचायत तिरथा
210		खडका	452002080	ग्राम पंचायत खडका
211		गुमगा(कुगांपाल)	452002081	किसान महिला स्व-सहायता समूह कुगांपाल
212		तुरपुरा-2	452002085	ग्राम पंचायत तुरपुरा-2
213		रतैगा-2	452002086	ग्राम पंचायत रतैगा-2


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष - सत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 736) की जानकारी

खरीफ वर्ष 2020-21 में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केन्द्रवार
शार्टेज धान की जानकारी

(मात्रा मे.टन में)

क्र	जिला	उपार्जन केन्द्र का नाम	शार्टेज धान की मात्रा
1	नारायणपुर	एडका	0
2		ओरछा	10.24
3		छोटेडोंगर	14.75
4		झारा	25.76
5		धौड़ाई	54.51
6		नारायणपुर	41.8
7		बेनूर	97.12
8		बाकुलवाही	53.71
9		बिजली	42.47
10		कोण्डागांव	गोलावण्ड
12	सोनाबाल		106.93
13	मर्दापाल		0
14	बस्तर	घोटिया	0
15		मुंडागांव	0
16		केशरपाल	41.02
17		भानपुरी	0
18		देवड़ा	0
19		सोनारपाल	0


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रश्न 'अ'

नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी

क्र.	वर्ष	कार्य	एजेंसी का नाम
1	2019-20 से 15 फरवरी 2022 तक	वार्ड क्र.01 मेरेगांव मेन रोड के पास, वार्ड क्र.05 परमेश्वरी नगर, वार्ड क्र.07 वन डिपो के पास, वार्ड क्र.08 वॉचनालय के पास, वार्ड क्र.14 तहसील ऑफिस के पास, वार्ड क्र.03 नया बस स्टैंड, वार्ड क्र.06 कान्हे पहाड़ी के पास वार्ड क्र.11 महिला शौचालय, वार्ड क्र.12 पुरुष शौचालय, वार्ड क्र.13 बाजार के पास, वार्ड क्र.08 पुराना बस स्टैंड में सामुदायिक शौचालयों का संचालन एवं संधारण का कार्य	लक्की समाजसेवी संस्थान, राजनांदगांव प्रो.-सुजीत कुमार सिंग जमातपारा वार्ड क्र.24 गुरुद्वारा के पीछे राजनांदगांव (छ.ग.)

नगर पंचायत छुरिया

क्र.	वर्ष	कार्य	एजेंसी का नाम
1	2019-20 से 15 फरवरी 2022 तक	वार्ड क्र.09 बाजार चौक एवं वार्ड क्र.14 खुटा छुरिया में सामुदायिक शौचालयों का संचालन एवं संधारण का कार्य	लक्की समाजसेवी संस्थान, राजनांदगांव प्रो.-सुजीत कुमार सिंग जमातपारा वार्ड क्र.24 गुरुद्वारा के पीछे राजनांदगांव (छ.ग.)


छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल भवन

1. नगर पंचायत छुरिया (अनुबंध की नियम व शर्तों) :-

1. काम पूर्ण कर्मनिष्ठता से किया जावेगा और किये जाने वाले सभी काम ठोस कुशल कारीगर के साथ किये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा किये जाने पर सभी सामान अच्छा होगा और सभी स्थितियों में इंजीनियर/मुख्य नगरपालिका अधिकारी या लोक निर्माण समिति की पृष्टि के अधीन होगा कार्य के दर और काम या मांग के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
2. सामुदायिक शौचालय में मूत्रालय, शौचालय एवं स्नानागार की सुविधा स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक शौचालय 01 केयर टेकर नियुक्त किया जावेगा। तथा प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व न्यूनतम दर पर मजदूरी भुगतान किया जाना होगा।
4. एजेंसी द्वारा शौचालय की प्रतिदिन 02 बार पुलाई फिनाईल तथा एसिड से कराये जायेगा।
5. प्रतिदिन एवं समय-समय पर उपयोग होने वाले सामग्री साबुन, एयर फेशनर, फुलोर, वाईपर, आईना, नीले/हरे डस्टबीन, पेपर नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एल.ई.डी. लाईट, दरवाजा कुण्डी की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जावेगी। सफाई एवं भण्डार पंजी संधारण एवं 07 दिवस का अग्रिम सामग्री रखा जाना अनिवार्य होगा।
6. शौचालय में सेनीटरी पैड वेडिंग मशीन अनुबंधित एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से शौचालय में निःशुल्क स्थापित किया जावेगा एवं पे एण्ड यूज के आधार पर उपयोग किया जावेगा।
7. शौचालय में उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी) का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंधित एजेंसी द्वारा 24x7 घण्टे शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।
9. नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली की सुविधा की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
10. नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100 एवं स्वच्छता एप में प्राप्त शिकायत का निराकरण एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
11. देखभाल करने वाले केयर टेकर को सफेद एप्रेन तथा नेमप्लेट लगाना अनिवार्य है एवं सफाईकर्मों को निर्धारित वर्दी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. इस कार्य की रूचि की अभिव्यक्ति निविदा सूचना कमांक 789/लो.नि.वि./न.पं. / 2019-20 छुरिया दिनांक 11/07/2019 में पूर्ण वर्णित शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

13. बाहरी दीवारों पर विज्ञापन से प्राप्त राशि निकाय मद में जमा किया जावेगा।
14. शौचालय परिसर में विद्युत व्यवस्था, मासिक विद्युत देयक एवं जल की व्यवस्था निःशुल्क निकाय द्वारा किया जावेगी।
15. निकाय द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जावेगी, परन्तु सक्शन मशीन खराब होने के स्थिति में एजेंसी को स्वयं के व्यय से सफाई कराये जाना अनिवार्य होगा।
16. शौचालय परिसर में किसी प्रकार अवांछित गतिविधि को रोकने तथा शौचालय का दुरुपयोग न हो इसका सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा।
17. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एजेंसी के विरुद्ध प्रति गलती पर अधिकतम रु.1000/- तक जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। तथा कार्य संतोषपद नहीं पाये जाने एवं गलती दोहराहे जाने पर 01 माह पूर्व नोटिस जारी करते हुए अनुबंध/कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।

2. नगर पंचायत अम्बागढ चौकी (अनुबंध की नियम व शर्तों) :-

1. काम पूर्ण कर्मनिष्ठता से किया जावेगा और किये जाने वाले सभी काम ठोस कुशल कारीगर के साथ किये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा किये जाने पर सभी सामान अच्छा होगा और सभी स्थितियों में इंजीनियर/मुख्य नगरपालिका अधिकारी या लोक निर्माण समिति की पृष्टि के अधीन होगा कार्य के दर और काम या मांग के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
2. सामुदायिक शौचालय में मूत्रालय, शौचालय एवं स्नानागार की सुविधा स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक शौचालय 01 केयर टेकर नियुक्त किया जावेगा। तथा प्रत्येक माह के 07 तारीख के पूर्व न्यूनतम दर पर मजदूरी भुगतान किया जाना होगा।
4. एजेंसी द्वारा शौचालय की प्रतिदिन 02 बार पुलाई फिनाईल तथा एसिड से कराये जायेगा।
5. प्रतिदिन एवं समय-समय पर उपयोग होने वाले सामग्री साबुन, एयर फेशनर, फुलोर, वाईपर, आईना, नीले/हरे डस्टबीन, पेपर नेपकीन, फिनाईल, झाड़ू, ब्रश, प्रकाश हेतु एल.ई.डी. लाईट, दरवाजा कुण्डी की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जावेगी। सफाई एवं भण्डार पंजी संधारण एवं 07 दिवस का अग्रिम सामग्री रखा जाना अनिवार्य होगा।
6. शौचालय में सेनीटरी पैड वेडिंग मशीन अनुबंधित एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से शौचालय में निःशुल्क स्थापित किया जावेगा एवं पे एण्ड यूज के आधार पर उपयोग किया जावेगा।

7. शौचालय में उर्जा दक्ष विद्युत उपकरण (एलईडी) का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंधित एजेंसी द्वारा 24x7 घण्टे शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।
9. नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली की सुविधा की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
10. नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, निदान 1100 एवं स्वच्छता एप में प्राप्त शिकायत का निराकरण एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
11. देखभाल करने वाले केयर टेकर को सफेद एप्रेन तथा नेमप्लेट लगाना अनिवार्य है एवं सफाईकर्मी को निर्धारित वर्दी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. इस कार्य की रूचि की अभिव्यक्ति निविदा सूचना क्रमांक 281/लो.नि.वि./न.पं. / 2019-20 अम्बागढ चौकी दिनांक 12/06/2019 में पूर्ण वर्णित शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. बाहरी दीवारों पर विज्ञापन से प्राप्त राशि निकाय मद में जमा किया जावेगा।
14. शौचालय परिसर में विद्युत व्यवस्था, मासिक विद्युत देयक एवं जल की व्यवस्था निःशुल्क निकाय द्वारा किया जावेगी।
15. निकाय द्वारा सेप्टिक टैंक की सफाई व्यवस्था निःशुल्क प्रदान की जावेगी, परन्तु सक्शन मशीन खराब होने के स्थिति में एजेंसी को स्वयं के व्यय से सफाई कराये जाना अनिवार्य होगा।
16. शौचालय परिसर में किसी प्रकार अवांछित गतिविधि को रोकने तथा शौचालय का दुरुपयोग न हो इसका सम्पूर्ण दायित्व एजेंसी का होगा।
17. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एजेंसी के विरुद्ध प्रति गलती पर अधिकतम रु.1000/- तक जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। तथा कार्य संतोषपद नहीं पाये जाने एवं गलती दोहराहे जाने पर 01 माह पूर्व नोटिस जारी करते हुए अनुबंध/कार्यादेश निरस्त कर दिया जावेगा, जिसके लिए एजेंसी स्वयं जिम्मेदार होगी।


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल

पारिशेष - बहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 743) की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	स्थापित पार्क/उद्यान एवं बाल उद्यान की संख्या	निकाय द्वारा रखरखाव किये जा रहे पार्क/उद्यान एवं बाल उद्यान की संख्या	उद्यानों/पार्कों के रखरखाव मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण हेतु वर्ष 2019 से जनवरी 2022 तक	
				आबंटित राशि	व्यय राशि
1	न.नि. जगदलपुर	31	31	0.00	0.00
2	न.पं.बस्तर	1	1	0.00	16.00
	योग	32	32		16.00


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पारिशेष - तिहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 749) की जानकारी

नगर पंचायत कुरा एवं नगर पंचायत खरोरा में विकास कार्य हेतु स्वीकृत राशि
(1 जनवरी 2019, से जनवरी 2022 में (दिनांक 31.01.2022 तक)

नगर पंचायत कुरा


अधोसंरचना मद

क.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	अधोसंरचना मद	50.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	अधोसंरचना मद	0.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	अधोसंरचना मद	48.93
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	अधोसंरचना मद	0.00
		योग	98.93

नगर पंचायत खरोरा

अधोसंरचना मद

क.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	अधोसंरचना मद	50.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	अधोसंरचना मद	0.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	अधोसंरचना मद	50.00
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	अधोसंरचना मद	0.00
		योग	100.00


अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नया मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

नगर पंचायत कुरा

राज्य प्रवर्तित योजना

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	0.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	30.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	0.00
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	0.00
		योग	30.00

नगर पंचायत खरोरा

राज्य प्रवर्तित योजना

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	0.000
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	30.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	109.14
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	राज्य प्रवर्तित योजना	0.000
		योग	139.140

नगर पंचायत कुरा
14वें वित्त आयोग मद

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	14 वें वित्त आयोग	0.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	14 वें वित्त आयोग	0.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	14 वें वित्त आयोग	96.22
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	14 वें वित्त आयोग	0.00
योग			96.22

नगर पंचायत खरोरा
14वें वित्त आयोग मद

क्र.	वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	14 वें वित्त आयोग	0.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	14 वें वित्त आयोग	69.11
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	14 वें वित्त आयोग	61.94
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	14 वें वित्त आयोग	0.00
योग			131.05

नगर पंचायत कुरा

15वें वित्त आयोग मद

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	15 वें वित्त आयोग	0.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	15 वें वित्त आयोग	0.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	15 वें वित्त आयोग	0.00
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	15 वें वित्त आयोग	0.00
योग			0.00

नगर पंचायत खरोरा

15वें वित्त आयोग मद

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2019 तक	15वें वित्त आयोग	0.00
2	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020 तक	15वें वित्त आयोग	0.00
3	01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक	15वें वित्त आयोग	31.03
4	01 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक	15वें वित्त आयोग	32.93
योग			63.96


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

ग्राम बड़गांव से ग्राम परतापुर सड़क का निर्माण।

क्र.	मार्ग का नाम	अनुबंधित कम्पनी का नाम	अनुबंध का आधार	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	भुगतान राशि (रु. लाख में)	कार्य पूर्णता हेतु अनुबंधित समय	विलंब हेतु ठेकेदार के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कार्य योजना	पूर्णता की संभावित तिथि
1	ग्राम बड़गांव से ग्राम परतापुर सड़क का निर्माण (अन्तागढ़ के बड़ेगांव मर्दागांव बड़ेझाड़कट्टा परतापुर मार्ग का निर्माण)	मेसर्स शिरोमणी माथुर दल्ली राजहरा जिला - बालोद	ऑनलाईन निविदा आमंत्रण के माध्यम से	1077.18	832.12	12 माह (वर्षाऋतु सहित)	01. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 151/अके.पखा./2020-21 भानुप्रतापपुर, दिनांक 13.01.2020 के द्वारा ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने हेतु लेख किया गया है। 02. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 1894/अके.पखा./2020-21 भानुप्रतापपुर, दिनांक 14.06.2020 के द्वारा ठेकेदार को कार्य में तेजी लाने हेतु लेख किया गया है। 03. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 3054/अके.पखा./2020-21 भानुप्रतापपुर, दिनांक 21.07.2020 के द्वारा ठेकेदार को धीमी प्रगति के संबंध में लेख किया गया है। 04. मुख्य अभियंता, लो.नि.वि. बस्तर परिक्षेत्र, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 3054/अके.पखा./2020-21 भानुप्रतापपुर, दिनांक 31.12.2020 के द्वारा ठेकेदार को धीमी प्रगति के संबंध में लेख किया गया है।	9	213 05/2022

[10 मार्च 2022

अनुभाग अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

मुख्य अभियंता
कार्या. प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., नवा रायपुर,
अटल नगर, (छ0ग0)

पारिशेष - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 791) की जानकारी

क्र.	संभाग का नाम	यूपीएसएस का नाम	क्लस्टर का नाम	सिटी बस ऑपरेटर का नाम
1	रायपुर	रायपुर अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	रायपुर	मेसर्स रायपुर बस सर्विस
2	दुर्ग	दुर्ग-भिलाई अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	दुर्ग-भिलाई	दुर्ग भिलाई ट्रांजिट प्रा.लि. सुपेला भिलाई
3		राजनांदगांव अरबन पब्लिक सर्विस सोसायटी	राजनांदगांव	मेसर्स राजनांदगांव सिटी बस सर्विसेस, राजनांदगांव
			खैरागढ़	मेसर्स जसविन्दर सिंह बल, राजनांदगांव
		कवर्धा	मेसर्स धनी ट्रेवलस, कवर्धा	


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - छिहत्तर
अतारांकित प्रश्न संख्या 60 (क्र. 792) की जानकारी

निर्मित शौचालयों की स्थानवार एवं शौचालय की जियोटैगिंग लोकेशन की जानकारी -

नगर निगम दुर्ग

स.क्र.	वार्ड क्र.	स्थल का नाम	लैटिट्यूड	लॉंगिट्यूड
1	1	नयापारा, पंचशील नगर	21.192774	81.261591
2	2	राजीव नगर, उंगनिया तालाब के पास	21.11416	81.1603
3	2	राजीव नगर बस्ती	21.198498	81.266213
4	3	मठपारा (दक्षिण), जीवनदीप मठपारा गया नगर रोड केलाबाडी ग्राउण्ड के पास	21.193118	81.268027
5	3	मठपारा (दक्षिण), टप्पा तालाब के पास	21.192863	81.269432
6	4	मठपारा (उत्तर), मठपारा नरेन्द्र ट्रेडर्स	21.19435	81.26578
7	4	मठपारा (उत्तर), स्ट्रीट नंबर-1 गया नगर जे.डी.एस., मुक्तिधाम	21.196108	81.268748
8	5	मरारपारा विवेकानंद स्कूल के पास	21.194708	81.274528
9	5	मरारपारा, कंझापारा रोड बजरंग नगर गया नगर जे.एस.डी.	21.197108	81.273858
10	11	शंकर नगर (पूर्व), हरनाबांधा लुचकीपारा	21.195	81.278333
11	13	मोहन नगर (पूर्व), गवरमेंट स्कूल के पास	21.200602	81.285621
12	14	सिकोलाभाठा, ओव्हर ब्रिज के अंदर, कैलाश नगर सिकोला बस्ती	81.282743	81.28745
13	14	सिकोलाभाठा, शिव मंदिर कर्मचारी नगर राम नगर	21.202322	81.28742
14	15	सिकोला बस्ती (दक्षिण), दुर्ग बेमेतरा रोड सिकोला बस्ती ट्रांसपोर्ट नगर	21.205485	81.287452
15	15	सिकोला बस्ती (दक्षिण), एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, धमधानाका	21.217898	81.292092
16	16	सिकोला बस्ती (उत्तर), दुर्ग बेमेतरा रोड सिकोला तालाब के पास सिकोला बस्ती	21.210087	81.286083
17	18	औद्योगिक नगर, वार्ड क्र.-18, शक्ति नगर कातुलबोड	21.206883	81.297652
18	18	औद्योगिक नगर, जवाहर नगर अटल आवास कातुलबोड	21.208078	81.29685
19	19	शहीद भगत सिंह वार्ड (दक्षिण), तितुरडीह रोड कैलाश नगर तितुरडीह	21.202103	81.295378
20	22	स्टेशनपारा, तितुरडीह रोड कैलाश नगर तितुरडीह	21.202503	81.29259
21	24	आमदी मंदिर के पीछे	21.195172	81.288865
22	25	गायत्री मंदिर वार्ड, स्टेशन रोड न्यु दीपक पेट्रोल पम्प मालवीय नगर के पास	21.199909	81.287782
23	26	संतराबाडी, स्टेशन रोड लुचकीपारा संतराबाडी पोलसायपारा	21.191863	81.283357

सं.क्र.	वार्ड क्र.	स्थल का नाम	लैटिट्यूड	लॉगिट्यूड
24	28	पचरीपारा, गुरुद्वारा रोड सिंधी कॉलोनी बांसपारा पचरीपारा	21.190283	81.284287
25	29	अस्पताल वार्ड, न्यु बस स्टैण्ड हॉस्पिटल वार्ड दुर्ग दल्ली राजहरा रोड सिविल लाईन	21.187957	81.28217
26	29	अस्पताल वार्ड, हॉस्पिटल रोड पचरीपारा	21.184312	81.29165
27	29	अस्पताल वार्ड, महिला समृद्धि बाजार हॉस्पिटल, शितला तालाब वार्ड दुर्ग-पाटन-अभनपुर रोड, सिविल लाईन	21.187058	81.278843
28	29	अस्पताल वार्ड, बस स्टैण्ड	21.186389	81.283056
29	30	तमेरपारा, इन्द्रा मार्केट, बनियापारा	21.189327	81.277938
30	34	अजाद वार्ड, चण्डी मंदिर रोड शिवपारा राजु नगर	21.189444	81.266111
31	34	शिवपारा, कंझापारा, कंझा भवन	21.18979	81.26893
32	35	रामदेव मंदिर, गंजपारा बांधा तालाब आंगन बाडी के पास	21.184227	81.263937
33	36	गंजपारा, गंजपारा बी.जे.पी. कार्यालय, आपापुआ रोड शनिचरी बाजार के पास	21.186277	81.274895
34	37	अजाद वार्ड, आजाद वार्ड, संतोषी दरबार के पास	21.179722	81.269722
35	38	मिलपारा, महावीर कॉलोनी मील पारा संकट मोचन मंदिर के पास	21.18095	81.27317
36	39	कचहरी वार्ड, पोटिया रोड महावीर नगर, जे.आर.डी. स्कूल के पीछे	21.181832	81.279535
37	39	कचहरी वार्ड, पोटिया रोड ऋषभ नगर डीपरापारा गांधी नगर	21.18431	81.278253
38	40	सुराना कॉलेज वार्ड, पोटिया रोड इन्द्रा कॉलोनी ऋषभ नगर	21.179252	81.282407
39	44	बाबा गुरुघासी दास बाबा वार्ड, फोकटपारा कबाडी शॉप के पास	21.1803	81.29083
40	47	सिविल लाईन(उत्तर), रायपुर नाका बी.आई.टी.तालाब के पास	21.11294	81.18166
41	50	बोरसी (पूर्व), बोरसीभाठा पूर्व नीयर रेल्वे क्रासिंग पंचशील नगर बोरसी	21.09527	81.1845
42	50	बोरसी (पूर्व), बोरसीभाठा रेल्वे लाईन तालाब के पास	21.168056	81.308056
43	53	पोटियाकला (उत्तर), हॉट बाजार पोटियाकला उत्तर मीनाक्षी नगर	21.166763	81.28811
44	53	पोटियाकला (उत्तर), पोटिया रसमीना आवास, पोटिया रोड विवेकानंद नगर	21.1601	81.30229
45	54	पोटियाकला (दक्षिण), पोटिया रोड पोटिया प्रायमरी स्कूल विवेकानंद नगर छत्तीसगढ़ के पास	21.164258	81.286188
46	54	पोटियाकला (दक्षिण), पोटिया रोड न्यु आदर्श नगर कुन्द्रापारा	21.171927	81.282952
47	54	पोटियाकला (दक्षिण), पोटिया रोड यादव भवन के पास	21.15974	81.28641
48	55	पुलगांव केशर्वा तालाब के पास	21.0957	81.15308

स.क्र.	वार्ड क्र.	स्थल का नाम	लैटिट्यूड	लॉगिट्यूड
49	55	पुलगांव मोहन लाल साहू हाऊस के पास	21.16406	81.25809
50	56	बघेरा, प्राथमरी हेल्थ सेंटर के पास	21.20092	81.26292
51	56	बघेरा बोरसी कुंआ के सामने	21.20085	81.25396
52	56	बघेरा इन्द्रा बस्ती	21.19528	81.26433
53	57	उरला (पश्चिम), उरला रोड बघेरा अटल आवास	21.13023	81.15585
54	57	उरला (पश्चिम), काई तालाब बघेरा	21.21691	81.26727
55	57	उरला (पश्चिम), उरला अटल आवास में अंदर	21.21996	81.27616
56	58	उरला (पूर्व), उरला रेल्वे क्रॉसिंग राम पैलेस के पास	21.20566	81.27396
57	58	उरला (पूर्व), उरला आई.एच.एस.डी.पी. कॉलोनी	21.2107	81.27865
58	58	उरला (पूर्व), उरला आई.एच.एस.डी.पी. कॉलोनी महिला शौचालय	21.21136	81.28066

नगर पालिका परिषद कांकेर

स.क्र.	वार्ड क्र.	स्थल का नाम	लैटिट्यूड	लॉगिट्यूड
1	2	अटल आवास उदयगनर	20.280408	81.484957
2	3	शिवनगर वार्ड	20.275339	81.481047
3	5	दड़िया तालाब के पास जवाहर	20.27472	81.492228
4	6	उप स्वास्थ्य केन्द्र के पास संजय नगर	20.273448	81.487222
5	13	दैनिक बाजार के पास	81.191828	20.268272
6	14	मुक्तिधाम के पास अन्नपूर्णापारा	20.273428	81.501248
7	15	जेल परिसर के पीछे एम.जी.	20.267614	81.496404
8	15	बी.ई.ओ. कार्यालय के पास	20.268185	81.498115
9	16	नया बस स्टेण्ड में शांति नगर	20.264985	81.499072
10	16	नया बस स्टेण्ड में महिला शौचालय शांति नगर	20.264798	81.499995
11	19	सिटी सेंटर के पास अघननगर वार्ड	20.263294	81.504917
12	20	शास. कोमलदेव अस्पताल के पास जनकपुर	20.26462	81.494627
13	20	यादव भवन के पीछे जनकपुर	20.260921	81.498378


 अनुभाग अधिकारी
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
 नया मंत्रालय, महानदी भवन
 रायपुर (छ.ग.)

प्रपत्र-अ


परीशेष - सतवतर

अतारहित प्रश्न संख्या 62 (क. 796) को जानकारी

छात्राश्रम भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के आधार पर वितरित सामग्री एवं लंबित आवेदनों की जिलेवार जानकारी

वर्ष 2020-21

क्र.	जिला का नाम	सायकल		तिलाई मशीन		सुरक्षा उपकरण		राजमिस्त्री किट		प्लंबर किट		रेजकली किट		कारपेंटर		पेंटर		इलेक्ट्रिशियन		योग	
		लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित
1	रायपुर	0	1008	0	33	0	2090	0	8	0	0	0	1005	0	0	0	4	0	1	0	4149
2	बलोदाबाजार	0	193	0	16	0	37	0	76	0	0	0	254	0	0	0	1	0	2	25	575
3	गरियाबंद	0	421	22	53	0	486	0	6	0	1	0	498	0	0	0	0	0	0	22	1465
4	धमतरी	0	465	0	5	0	487	0	121	0	15	0	487	0	6	0	0	0	4	0	1590
5	महासमुद्र	0	70	0	10	0	80	0	21	0	0	0	104	0	1	0	0	0	0	0	286
6	बिलासपुर	0	129	0	30	410	205	0	28	0	2	0	358	0	0	0	0	0	1	410	753
7	मंगली	0	13	0	4	0	52	0	10	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	223
8	कोरेबा	0	523	3	21	0	531	0	375	0	0	0	519	0	0	0	0	0	2	3	1971
9	जाजगीर चापा	0	196	0	36	0	375	0	81	0	14	0	283	0	8	0	8	0	2	0	1003
10	रायगढ़	0	107	0	0	0	87	0	11	0	2	0	163	0	3	0	0	0	3	0	376
11	गौरला पण्डा मरवाही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जगदलपुर	0	2	0	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	कोण्डागाव	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	कांकर	0	11	5	1	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	6	19
15	दत्तेवाडा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सुकमा	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
17	नारायणपुर	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
18	बीजापुर	93	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0
19	अंबिकापुर	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
20	सूरजपुर	0	26	0	1	0	48	0	6	0	3	0	31	0	1	0	2	0	6	0	124
21	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	कोरिया	0	57	217	7	181	131	36	17	0	2	2	236	0	1	0	2	0	4	436	457
23	जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	दुर्ग	0	173	0	17	0	110	0	485	0	1	0	1516	0	6	0	20	0	28	0	2356
25	राजनांदगाव	0	543	0	95	0	592	0	765	0	5	0	5909	0	4	0	1	0	2	0	7916
26	बालोद	0	51	0	15	43	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	108
27	बेमेतरा	0	140	11	0	0	101	0	15	0	0	0	156	0	1	0	0	0	1	11	414
28	कवर्धा	0	45	0	5	0	62	1	7	0	1	0	50	0	0	0	0	0	1	1	171
	कुल योग	93	4181	303	349	659	5515	41	2034	0	47	3	11723	0	32	0	38	0	57	1099	23976



अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
ग्राम विभाग

वर्ष 2021-22 (दिनांक 12.02.2022 तक)

क्र.	जिला का नाम	सायकल		सिलाई मशीन		सुरक्षा उपकरण		राजमिस्त्री किट		प्लंबर किट		रेजाकुली किट		कारपेंटर		पेंटर		इलेक्ट्रिशियन		योग	
		वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन	वितरित	लंबित आवेदन
1	रायपुर	0	451	0	206	0	173	0	2	0	0	0	273	0	0	0	0	0	1	0	1106
2	बलोदाबाजार	0	127	0	12	60	25	0	111	0	0	0	75	0	0	0	0	0	2	0	352
3	गरियाबंद	0	206	0	25	0	244	0	9	0	4	0	289	0	0	0	0	0	0	0	777
4	धमतरी	0	469	0	34	0	414	0	122	0	18	0	439	0	2	0	0	0	7	0	1505
5	महासमुंद	0	162	0	6	0	194	0	11	0	9	0	384	0	1	0	0	0	3	0	770
6	बिलासपुर	0	207	0	69	2876	203	0	86	0	6	0	236	0	3	0	1	0	2	0	813
7	मंगोली	0	55	0	6	0	110	0	33	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	293
8	कोरबा	0	153	1	7	0	99	2	25	0	1	0	237	0	1	0	0	0	2	3	525
9	जांजगीर चांपा	0	261	0	17	0	312	0	93	0	6	0	247	0	3	0	0	3	4	0	946
10	रायगढ़	0	111	0	8	0	119	0	2	0	6	0	144	0	2	0	0	0	3	0	395
11	गोरखा पण्डा मरवाही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	जगदलपुर	0	13	0	13	0	53	0	1	0	0	0	69	0	0	0	0	0	1	0	150
13	कोण्डागाव	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20
14	कोकर	0	3	1	1	0	2	2	6	0	0	24	68	0	0	0	0	0	0	0	80
15	दत्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
18	बीजापुर	0	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	अंबिकापुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	4	0	129
20	सूरजपुर	0	30	0	1	0	48	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	225
22	कोरिया	0	21	7	6	2	87	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	0	5	0	0	0	15	0	1289
24	दुर्ग	0	199	0	25	0	125	0	31	0	2	0	3338	0	0	1	0	2	0	0	4026
25	राजनांदगाव	0	335	0	30	0	311	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
26	बालोद	0	43	0	11	6	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355
27	बेमेतरा	0	123	1	2	0	85	0	19	0	0	0	123	0	1	0	0	0	2	1	167
28	कवर्धा	0	47	0	4	0	54	0	13	0	1	0	46	0	1	0	1	0	0	0	0
	कुल योग	0	3017	15	524	2944	2691	4	594	0	53	24	7077	0	19	10	0	48	0	2987	14033

Deethia
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
ग्राम विभाग

छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के आधार पर वितरित सामग्री एवं लंबित आवेदनों की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2020-21						वर्ष 2021-22 (12.02.2022 तक)													
		सायकल		सिलाई मशीन		सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण		योग		सायकल		सिलाई मशीन		सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण		कथरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण		योग			
		लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण	लंबित आवेदन	वितरण
1	रायपुर	0	243	0	74	0	14	0	0	0	331	0	41	0	11	0	0	0	0	0	52
2	बलौदा बाजार	0	10	0	5	0	1	0	0	16	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3	गरियाबंद	0	40	0	2	0	0	0	11	0	53	0	19	0	1	0	0	0	0	0	20
4	धमतरी	0	155	0	107	0	12	0	0	274	0	113	0	77	0	39	0	0	0	0	229
5	महासमुन्द	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6	बिलासपुर	0	88	0	81	0	13	0	0	182	0	182	0	49	0	4	0	0	0	0	235
7	मुंगेली	0	60	0	12	0	1	0	0	73	0	29	0	7	0	6	0	0	0	0	42
8	कोरबा	0	33	5	27	0	0	0	0	60	0	15	0	5	0	0	0	0	0	0	20
9	जाजगीर-चांपा	0	107	0	9	0	0	0	0	116	0	87	0	7	0	2	0	0	0	0	96
10	रायगढ़	0	0	0	68	33	15	0	0	33	83	0	45	0	12	0	0	0	0	0	57
11	गौरला फेड़ा मरवाही	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	बस्तर	0	91	0	57	0	0	0	0	148	0	272	0	85	0	1	0	0	0	0	358
13	कोण्डगाव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	कांकेर	19	3	0	0	0	4	0	0	19	7	0	26	0	1	0	0	0	0	0	27
15	दन्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	बीजापुर	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	सरगुजा	0	5	0	4	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
20	सुरजपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	बलरामपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	कोरिया	0	0	0	0	0	19	0	50	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	जशपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	दुर्ग	0	139	0	88	0	5	0	0	232	0	114	0	37	0	1	0	0	0	0	152
25	राजनांदगांव	0	295	0	29	0	1	0	0	325	0	269	0	40	0	2	0	0	0	0	311
26	बालोद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	बेमेतरा	0	42	0	24	0	0	0	0	66	0	25	0	11	0	0	0	0	0	0	36
28	कवर्धा	0	19	0	13	0	3	0	0	35	0	17	0	3	0	1	0	0	0	0	21
	योग	27	1332	5	602	52	69	50	11	134	2014	0	1264	54	346	0	56	0	0	0	1666

Reddy
अनुभाग अधिकारी
प्रशासनिक शासन

प्रपत्र-स

छठवां श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के आधार पर वितरित सामग्री एवं लंबित आवेदनों की जिलेवार जानकारी (दिनांक 10.02.2022 तक)

क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22 (दिनांक 10.02.2022 तक)		
		वितरित		शेष लंबित आवेदन	वितरित		शेष लंबित आवेदन
		वितरित	शेष लंबित आवेदन	वितरित	शेष लंबित आवेदन	वितरित	शेष लंबित आवेदन
1	रायपुर	0	0	0	0	24	
2	बलौदाबाजार	0	0	0	0	1	
3	कोरबा	0	2	0	0	0	
4	मुंगेली	0	0	0	0	0	
5	बिलासपुर	0	2	0	0	81	
6	रायगढ़	0	2	0	0	7	
7	दुर्ग	0	72	0	0	11	
8	जांजगीर-चांपा	0	24	0	0	0	
9	राजनांदगांव	0	0	0	0	14	
10	कोरिया	0	0	0	0	0	
11	जशपुर	0	0	0	0	0	
12	सरगुजा	0	0	0	0	0	
13	सूरजपुर	0	0	0	0	0	
14	बलरामपुर	0	0	0	0	0	
15	बालोद	0	0	0	0	71	
16	बेमेतरा	0	0	0	0	0	
17	कवर्धा	0	0	0	0	0	
18	धमतरी	0	5	0	0	4	
19	महासमुंद	0	0	0	0	0	
20	गरियाबंद	0	0	0	0	0	
21	दत्तेवाड़ा	0	0	0	0	0	
22	बस्तर	0	0	0	0	0	
23	कांकेर	0	0	0	0	0	
24	बीजापुर	0	0	0	0	0	
25	नारायणपुर	0	0	0	0	0	
26	सुकमा	0	0	0	0	0	
27	कोण्डागांव	0	0	0	0	0	
28	गौरिला पेण्ड्रा मरवाही	0	0	0	0	0	
	योग	0	107	0	0	213	

Rathin
अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

परीक्षे - अठहरत
अतरीकेत प्रश्न संख्या 63 (क. 808) की जानकसे

क.	अवधि	अपराध शीर्ष															
		रूट		हत्या		डकैती		छेड़छाड़		बलात्कार		अपहरण		योग			
शाना	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	कुल	एसटी/एससी से संबंधित प्रकरणों की संख्या	
1	कोतवाली	2020	3	1	1	-	19	4	18	1	60						
		2021	11	1	1	-	30	1	17	4	25	-	84				
2	चकधरनगर	जनवरी 2022	-	-	-	-	2	-	1	-	7						
		2020	2	3	-	9	-	8	-	4	-	26					
3	सरिया	2020	1	-	-	-	3	3	-	4	-	16					
		2021	1	-	-	-	3	1	3	1	4	-	16				
4	पुसौर	जनवरी 2022	-	-	-	-	1	-	3	-	4						
		2020	1	2	-	-	7	-	1	-	11						
5	बरमकेला	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6	योग	जनवरी 2022	-	-	-	-	3	-	6	-	14						
		2021	13	3	1	-	34	2	29	6	36	-	115				
महायोग		20	20	9	11	2	65	67	2	72	82	10	64	65	1	230	245

अनुनाग अधिकारी
गृह विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारोशेष्ट - उन्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 809) की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	भवन विहीन उचित मूल्य दुकान
1	धरमजयगढ़	बंगरसुता
2	धरमजयगढ़	किदा
3	धरमजयगढ़	कोयलार
4	धरमजयगढ़	कोंधा
5	धरमजयगढ़	जमरगौडी
6	धरमजयगढ़	पुटुकछार
7	धरमजयगढ़	कूमा
8	धरमजयगढ़	रूवाफूल
9	धरमजयगढ़	सोहनपुर
10	धरमजयगढ़	सोखामुड़ा
11	धरमजयगढ़	जमाबीरा
12	धरमजयगढ़	गनपतपुर
13	धरमजयगढ़	कुमरता
14	धरमजयगढ़	लिप्ती
15	धरमजयगढ़	तालगांव
16	धरमजयगढ़	कपियाभौना
17	धरमजयगढ़	गोढ़ीखुर्द
18	धरमजयगढ़	जगालमौहा
19	धरमजयगढ़	राजकोट
20	घरघोड़ा	बहिरकेला
21	घरघोड़ा	फगुरम
22	घरघोड़ा	कटंगडीह
23	घरघोड़ा	डोकरबुड़ा
24	घरघोड़ा	झरियापाली



जयिब

उन्यासी शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता संरक्षण विभाग
 मंगलपुर, नया रायपुर

पारिशेष - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 65 (क्र. 815) की जानकारी

प्रपत्र-अ

खरीफ वर्ष 2020-21 से 2021-22 में 31 जनवरी, 2022 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जिलेवार एवं वर्ष वार जानकारी			
मात्रा मे.टन में			
क्रं.	जिला	खरीफ वर्ष 2020-21 में धान खरीदी की मात्रा	खरीफ वर्ष 2021-22 में धान खरीदी की मात्रा
1	बस्तर	142633	153869
2	बीजापुर	60284	61389
3	दन्तेवाड़ा	16307	16891
4	कांकेर	296518	297955
5	कोंडागांव	143468	147559
6	नारायणपुर	19544	22223
7	सुकमा	38490	44255
8	बिलासपुर	451142	477865
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	74907	66762
10	जांजगीर-चाम्पा	798399	810126
11	कोरबा	135271	166555
12	मुंगेली	361356	379773
13	रायगढ़	533510	543331
14	बालोद	521716	510605
15	बेमेतरा	587672	616834
16	दुर्ग	407348	405275
17	कवर्धा	393470	415163
18	राजनांदगांव	760591	809055
19	बलौदा बाजार	669412	679581
20	धमतरी	427750	402937
21	गरियाबंद	323585	318901
22	महासमुंद	750901	722186
23	रायपुर	503714	485311
24	बलरामपुर	156311	191557
25	जशपुर	116919	148646
26	कोरिया	119154	131045
27	सरगुजा	181108	216822
28	सुरजपूर	210911	247253
	कुल	9202392	9489723


 अनुभाग अधिकारी
 कक्ष क्रमांक-2
 स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
 उपभोक्ता संरक्षण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर

प्रपत्र-ब

विधानसभा प्रश्न क्र. 815 अतारांकित की जानकारी

खरीफ वर्ष 2020-21 में शार्टेज धान की जिलेवार जानकारी

मात्रा मे.टन में

क्रं.	जिला	शार्टेज धान की मात्रा
1	बस्तर	440.25
2	बीजापुर	642.33
3	दन्तेवाड़ा	0.00
4	कांकेर	6038.24
5	कोंडागांव	1292.86
6	नारायणपुर	340.40
7	सुकमा	166.07
8	बिलासपुर	8904.36
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	710.63
10	जांजगीर-चाम्पा	4385.97
11	कोरबा	0.00
12	मुंगेली	12372.78
13	रायगढ़	0.00
14	बालोद	9040.86
15	बेमेतरा	17759.86
16	दुर्ग	3025.74
17	कवर्धा	24762.99
18	राजनांदगांव	22815.04
19	बलौदा बाजार	12709.79
20	धमतरी	5271.32
21	गरियाबंद	7277.90
22	महासमुंद	23509.62
23	रायपुर	7594.80
24	बलरामपुर	1942.85
25	जशपुर	0.00
26	कोरिया	1321.55
27	सरगुजा	900.89
28	सुरजपूर	3188.25
	कुल	176415.35



अनुभाग अधिकारी
कक्षा क्रमांक-2
स्वाद्य नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

पारिशेष्ट - इक्यासी
अतारांकित प्रश्न संख्या 66 (क्र. 816) की जानकारी

पुपत्र - 'अ'

अवैध कब्जे के प्रकरणों का वर्षवार विवरण

क्र.	वर्ष	प्रकरण संख्या
01	2019	214
02	2020	312
03	2021	344
04	2022 (10.02.2022 तक)	151
कुल योग :-		1021

अवैध प्लाटिंग के प्रकरणों का वर्षवार विवरण

क्र.	वर्ष	प्रकरण संख्या
01	2019	04
02	2020	05
03	2021	234
04	2022 (10.02.2022 तक)	02
कुल योग :-		245



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
नद्या मंत्रालय, महानदी भवन
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठ - 'ब'

रिक्त शासकीय भूमि के रख-रखाव के लिए निगम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र.	वार्ड का नाम एवं क्रमांक	स्थल का विवरण	रिक्त शासकीय भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	प्रयोजन
1	2	3	4	5
1	वीर शिवाजी वार्ड क्र. 16	खमताराई	1.015	पौनी पसारी योजना हेतु
2	यतियतन लाल वार्ड क्र. 04	भनपुरी	5.18	गौठान एवं गोधन न्याय योजना संचालित है।
3	महात्मा गांधी वार्ड क्र. 12	नारायणा हॉस्पिटल के बाजू	0.230	उक्त शासकीय भूमि पर गोबर खरीदी केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।
4	मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड क्र. 59	रिंगरोड के पास नवजीवन सोसायटी स्थित उद्यान।	0.128	उद्यान हेतु
5	मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड क्र. 59	दुर्गा मंदिर के सामने उद्यान	0.037	उद्यान हेतु
6	मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड क्र. 59	त्रिमुर्ति मंदिर के सामने उद्यान एवं बाजू की जमीन	0.0311	उद्यान हेतु
7	मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड क्र. 59	मस्जिद के पास उद्यान	0.025	उद्यान हेतु
8	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	भैरव नगर उद्यान (अर्जुन इन्क्लेव के पास)	0.0186	उद्यान हेतु
9	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	मठपुरैना राशन दुकान (बस्ती)	0.03	राशन दुकान हेतु
10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	आयोध्या नगर सामुदायिक भवन	0.018	सामुदायिक भवन हेतु
11	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	मठपुरैना तालाब	0.595	तालाब हेतु
12	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	डबरी, बंधवा	0.474	तालाब हेतु
13	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	ग्राम पंचायत के पास स्थित रिक्त भूमि / उद्यान।	0.049	उद्यान हेतु

14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	गोकूल नगर डेयरी के बाजू स्थित उद्यान।	0.1753	उद्यान हेतु
15	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	मठपुरैना	0.6067	प्रयास स्कूल हेतु प्रस्तावित
16	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क्र. 60	मठपुरैना	0.2019	प्रयास स्कूल हेतु प्रस्तावित
17	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 61	भाटागांव	0.3071	हॉट बाजार एवं पौनी पसारी योजना हेतु
18	वीर सावरकर नगर वार्ड क्र. 01	जरवाय	3.2690	सी.एण्ड.डी. प्लॉन्ट्स हेतु
19	वीर सावरकर नगर वार्ड क्र. 01	जरवाय	4.8960	गौठान एवं कांजी हाउस हेतु
20	वीर सावरकर नगर वार्ड क्र. 01	जरवाय	11.3890	एस.एल.आर.एम. सेन्टर हेतु



अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
महानगरपालिका कार्यालय, काठमाडौं
काठमाडौं (३०१०१)